

बौर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम संख्या

५००६९

काल न०

२३२

सितं

लग्न

पाश्वनाथ विद्याधर प्रस्तुता

: १७ :

उम्पाक
डा० मोहनलाल नेहता

जैन-धर्म में अहिंसा

हेच्छक

डा० बशिष्ठनारायण सिन्हा
एम. ए., पी-एच. डी.



प्रकाशक

सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति
ब मृ त स र

प्राहि-स्थान

पाश्वनाथ विद्याधर शोष संस्थान
वा रा ण सी - ५

बनारस हिन्दू प्रौद्योगिकी द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि
के लिए स्वीकृत शोध-प्रयोग

प्रकाशक :

सोहनलाल जैनर्स प्रशारक समिति
गुड बाजार
झगृतसर

प्राप्ति-स्थान :

पाश्चंनाय विद्यालय शोध संस्थान
जैन इस्टट्यूट
हिन्दू प्रौद्योगिकी, बाराणसी-५

मुद्रक :

अरुण प्रेस
बी० १७/२, तिलोभाण्डेश्वर
बाराणसी-१

प्रकाशन-वर्ष :

सन् १९७८

मूल्य :

बीस रुपये

सामर्थ्य

गुरुवर


डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी
प्रोफेसर एवं प्रध्यक्ष, दर्शन विभाग,
काशी विद्यालय, वाराणसी

तथा

डॉ० मोहनलाल मेहता
प्रध्यक्ष, पाश्चान्याय विद्यालय शोष संस्थान,
वा रा ण सी

को

अमित श्रद्धा एवं स्नेह के साथ



स्वर्गीय लाला बनारसी दास जैन

प्रकाशकीय

जैन धर्म एवं दर्शन में अहिंसा का प्रमुख स्थान है। जैन धर्म-दर्शन का अनीश्वरवादी अध्यात्मवाद इसी तत्त्व से निर्मित है, जो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री-भावना रखने के सिद्धान्त का प्रतिपादक है। महावीर ने कहा है—

तत्त्वम् पद्मम् ठाणं, महावीरेण देसियं ।
अहिंसा निउणा दिट्ठा, सब्बभौएसु संजमो ॥

सभी जीवों के प्रति संयम और अनुशासन की तथा पारस्परिक संबंध में समता की भावना रखना ही निपुण तेजस्वी अहिंसा है। यह परम सुख और चिदानंद देने में समर्थ है। यद्यपि इस नेतिक सिद्धान्त—मा हिस्यात् सर्वभूतानि (किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए) को ब्राह्मण और बौद्ध परंपराओं ने भी स्वीकार किया है परन्तु जैन धर्म में इसका सार्वत्रक प्रयोग विहित है। श्रमण और श्रावक दोनों का संपूर्ण जीवन उनकी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से इसी आचार-सिद्धान्त से नियंत्रित होता है। वस्तुत जैन धर्म से संबंधित प्रत्येक नियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी सिद्धान्त पर आधारित है।

अहिंसा विश्व का शाश्वत सिद्धान्त है। यह हमेशा जीव की हिंसा का विरोध करता रहा है, चाहे वह एक मानव की हो, किसी वर्ग की या राष्ट्र की हो अथवा अन्य किसी की। तमाम असफलताओं और उपहासों के बावजूद भी यह क्रोध, मान, करण, लोलुपता, स्वार्थपरता और ऐसे ही अन्य दूषित भावों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करता रहा है। सदियों से जैन अपनी शब्दा एवं आचरण के लिए यातनाएं सहता रहा, लेकिन उसने किसी ईश्वर के सामने अपनी रक्षा की भीख नहीं मांगी और न अपने तथाकथित शत्रुओं से बदला लेने की भावना ही रखी।

प्रस्तुत शोध-प्रबंध के लेखक डा० बिश्वासनारायण सिन्हा हैं जो पाइर्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के 'बृहद् बम्बई वर्षमान स्थानक-वासी जैन महासंघ शोध-छात्र' रहे हैं। प्रबन्ध का निर्देशन एवं संपादन संस्थानाध्यक्ष डा० मोहनलाल मेहता ने किया है। इसके प्रकाशन का व्यय दिल्ली के श्री विजय कुमार जैन एण्ड सन्स ने अपने पिता लाला बनारसीदास, जो लाला मिलखोमल के सुपुत्र एवं अमृतसर के एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य थे, की पुण्य-स्मृति में बहन किया है। स्व० लाला बनारसी दास का परिचय इस प्रकार है :

लाला बनारसी दास ने सन् १८८९ मे अमृतसर के एक उच्च घराने में जन्म लिया। उन्हें शुरू से ही जैन धर्म मे बढ़ा लगाव था व यह शोक निरन्तर बढ़ता ही गया। वे सूर्य की तरह चमके जिसकी ज्योति-तले आज भी उनका परिवार चमचमा रहा है। सूर्य यद्यपि अस्त हो गया मगर उसकी अमिट रोशनी चहुँओर है।

वे एक सच्चे समाज सेवी थे जिन्होंने तन-मन-धन से समाज को उन्नत-समुन्नत बनाने का भरसक प्रयत्न किया। सर्वोत्तम सफलता प्राप्त न रने के लिए कार्य मे रत होकर वे अपने आप को भूल जाते थे। आलस्य को तो वे जीवित मनुष्य की कबर समझते थे।

वे साहसी महापुरुष थे जो कभी भी हिम्मत न हारते थे। उनका कहना या कि संघर्ष हो जिन्दगी है, जब तक सांस है 'संघर्षों' से जूझते जाओ, सफलता स्वयमेव मिलेगी।

विश्वास और इञ्जत को उस महानुभाव ने बनाए रखा क्योंकि इन दोनों की समाँस के साथ इन्सान की भी भूत्यु हो जाती है। उन्होंने बुरे इन्सान से कभी छूना नहीं की, बल्कि उसको बुराई से की।

वे एक महान् दानो थे, जो धार्मिक व शैक्षणिक संस्थाओं को अधिकारिक दान देते थे। वसे तो उनके समस्त गुण उनके सुपुत्र विजय कुमार मे हैं परन्तु इतना विशेष है कि वे दान मे पिता से भी बढ़कर हैं, यह कह दिया जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

धर्म-कर्म में उनका अदूट विश्वास था। उनकी बाणी में एक ऐसा जादू था जिससे आकर्षित होकर पराये भी अपने बन जाते थे। उन्होंने

(६)

बेसहारों को सहारा दिया । वे दुःखियों के हमदर्दी थे । उन्होंने यही सिखलाया :—

Do	all	the	good	you	can
By	all	the	means	you	can
In	all	the	ways	you	can
At	all	the	places	you	can
In	all	the	times	you	can
To	all	the	people	you	can
As	long		as	you	can

संक्षेप में उन्हें वर्मप्रिय, सत्यप्रिय, न्यायप्रिय, क्षमाशील एवं धैर्यशील कहते हुए मेरा मन श्रद्धा से झुक जाता है । अपने परिवार पर उनकी गहरी छाप है । ऐसे महापुरुषों के पदचिह्नों पर चलने से समाज उन्नति को और अग्रसर होगा । धन्य था उनका जीवन ।

रूपमहल
फरीदाबाद
२-४-३२

हरजसराय जैन
मन्त्री,
श्री सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति
अमृतसर

पुरोवाक्

“माया के मोहक बनको क्या कहूँ कहानी परदेशी,
भय है सुनकर हँस दोगे मेरी नादानी परदेशी ।”

श्री रामचारी सिंह ‘दिनकर’ को माया की मोहक कहानी कहने में भय था । शायद माया की मोहकता में उलझकर उन्होंने बहुत बड़ी नादानी की थी । डाक्टर बनने का मोह मुझे भी कुछ ऐसा ही था और इसके लिए मैं आठ बर्षों तक उलझा रहा । वे आठ वर्ष एक लम्बी कहानी प्रस्तुत करते हैं, जिसे मैं अपनी नादानी नहीं बल्कि जीवन का संघर्ष समझता हूँ । संघर्ष के काण दुखदायी अवश्य होते हैं पर जीवन-पथ के लिए वे कुछ ऐसे पार्थेय प्रदान कर जाते हैं, जिनसे व्यक्ति सर्वदा सुख प्राप्त करता है । अतागत अपनी कहानी सुनाने में मुझे भय नहीं है कि आप हँस देंगे और उसे मैं पूर्णत नहीं किन्तु आशिक रूप में आपके समक्ष रखना चाहूँगा । इस बात की आवश्यकता भी मुझे इसलिए जान पड़ती है कि अपने शोध-प्रबन्ध की योजना पर प्रकाश ढालने के पश्चात् जिन लोगों के प्रति मुझे आभार व्यक्त करना है व कोई और नहीं बल्कि मेरी कहानी के पात्र हैं, भले ही उन्होंने अपनी भूमिका चाहे जिस रूप में निभाई हो ।

सन् १९५६ में काँविं विं विं के दशन विभाग से मैं एम० ए० उत्तीर्ण हुआ और बड़ी उमर के साथ डॉ० चन्द्रधर शर्मा के निरीक्षण में शोधकार्य के लिए इसी विश्वविद्यालय में मैंने प्रारंभना पत्र जमा किया । मुझे पार्श्वनाय विद्यालय की ओर से एक सौ रुपये माह की छात्रवृत्ति देने का आश्वासन दिया गया और पंजीकरण के बाद छात्रवृत्ति मिली भी । कारण, मेरा शोध विषय था ‘अहिंसा के धार्मिक एव दार्शनिक आधार’ जो जैनधर्म से संबंधित था । पंजीकरण की सूचना के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय ने मुझे डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी के निरीक्षण में कार्य करने को आवेदा दिया । किन्तु तत्कालीन परिस्थितिवश मैंने जनवरी १९६० से डॉ० शर्मा के निरीक्षण में कार्य प्रारम्भ किया, पद्धति मेरा पंजीकरण जुलाई १९५६ से ही माना गया ।

इसी बीच पा०वि० के अधिष्ठाता पं० कृष्णचन्द्राचार्य से मेरा कुछ मतभेद हुआ और मैंने विद्याश्रम की छात्रवृत्ति लेनी बन्द कर दी । यहाँ तक कि लिये गये रूपये भी मैंने लौटा दिए और स्वतंत्र रूप से शोधकार्य प्रारम्भ किया । तब मेरा विषय हुआ—‘शान्ति पर्व का दर्शन’ । किन्तु सन् १९६० के उत्तरार्ध में डॉ० शर्मा दर्शन विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बनकर जबलपुर विश्वविद्यालय में चले गए और डॉ० नन्दकिशोर देवराज भारतीय दर्शन एवं धर्म विभाग के प्रो० एवं अध्यक्ष होकर का० वि० वि० मे आ गए । नियमानुसार उस समय तक मेरे शोधकार्य की अवधि पूरी नहीं हुई थी । अतः मुझे निरीक्षक बदलना पड़ा और मैं डॉ० देवराज के निरीक्षण मे आ गया । निरीक्षक बदलने के कारण मुझे विभाग भी बदलना पड़ा । फलतः दर्शन विभाग से मैं भारतीय दर्शन एवं धर्म विभाग मे आ गया । नये विभाग मे प्रवेश पाते ही डॉ० शर्मा के निरीक्षण मे किए गये कार्य की अवधि समाप्त कर दी गई और डॉ० देवराज के निरीक्षण मे मैं एक नये विद्यार्थी के रूप मे समझा गया ।

खैर ! कार्य करता गया, इस आशा के साथ कि जल्दी से जल्दी शोधकार्य समाप्त होगा, डॉक्टर बनू गा । इस तरह सन् १९६४ के जून तक कार्य करता रहा । शोध-प्रबन्ध भी जैसा मैं समझ रहा था, करीब-करीब पूरा हो रहा था और मुझे पूरी आशा बैंध गई थी कि इस वर्ष डॉक्टर बन जाऊँगा और जीवन की अन्य गति-विधि मे लगूँगा । परन्तु धीरे-धीरे यह स्थिति आ गई कि शोध-प्रबन्ध मैं जमा न कर सका । जब ऐसी स्थिति का भूझे भान हुआ तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई नजर आई । क्योंकि तब तक पारिवारिक उत्तर-दायित्व एवं आर्थिक बोझ से मेरा कन्धा दबा जा रहा था । पर उस दिन भी मेरे मन का मोह न गया । अर्थोपार्जन के साथ ही शोधकार्य के सफल समाप्ति के उद्देश्य से मैं कलकत्ता चला गया । अपने ससुर जी के बण्डेल स्थित निवास-स्थान पर रात्रि व्यतीत करता था और दिन भर कलकत्ता के विभिन्न सेठ-साहुकारों तथा कुछ शिक्षाविदों के भी दरवाजे खटखटाता फिरता था । साथही मौका मिलने पर राष्ट्रीय पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर कुछ पढ़ लिया करता था । इस तरह एक-दो-तीन करके सात माह समाप्त हो गये । ससुराल के सुखद स्वागत को देखते हुए किसी नादान ने कहा था—‘ससुराल रहे के चाही’, तो किसी समझदार ने उसका प्रतिकार करते हुए कहा था—‘दिन दुइए चारी’ अर्थात् ससुराल मे दो-चार दिनों तक ही रहना चाहिए । और मैं तो परिस्थितिवश सात माह रह गया । इसके बावजूद भी बात कुछ जमी नहीं, न तो आर्थिक प्रगति

हो सकी और न शोधकार्य ही पूर्णता की ओर बढ़ पाया। इसी बीच भाई अमरनाथ जायसवाल से भेट हुई और उनकी सलाह एवं अपनी परिस्थिति को देखते हुए अग्रैल १६६५ में बनारस लौट आया।

बनारस आकर जब शोधकार्य के सम्बन्ध में मैंने स्थिति का आकलन किया तो पाया कि मैं उसी स्थान पर था, जहाँ पर कल्पकता जाने से पूर्व था। ऐसा देखकर मैं कुछ दिनों तक 'किंकर्तव्य विमूढ़' की स्थिति में रहा। तब बन्धुवर मैत्रजी महावीर सिंह की राय पाकर मैं फिर पार्वनाथ विद्याश्रम के नये अध्यक्ष डॉ० मोहनलाल मेहता से मिला, जिन्होंने अपने निरीकण में कार्य करने और दो सौ रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने की सहमति दी। उनकी सहमति से मुझे बहुत बड़ा बल मिला और फिर 'जैन धर्म में अहिंसा-विचार' विषय लेकर नये पंजीकरण के साथ जुलाई १६६५ से मैंने नया शोधकार्य प्रारम्भ किया। इस बार मेरा शोध-प्रबन्ध ठीक समय पर पूरा हो गया और अक्टूबर १६६७ में मैंने उसे परीक्षा हेतु जमा कर दिया, जिसके फलस्वरूप काशी विश्व-विद्यालय के सन् १६६७ के दीक्षान्त समारोह में मुझे डॉक्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मेरा शोध प्रबन्ध 'जैन धर्म में अहिंसा' के नाम से छपकर पुस्तक के रूप में आपके सामने है।

पुस्तक में कुल छः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है 'जैनेतर परम्पराओं में अहिंसा'। इस अध्याय में यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि जैन परम्परा, जिस पर शोध-प्रबन्ध आधारित है, के अलावा अन्य परम्पराओं में अहिंसा को कौन-सा स्थान प्राप्त है। यद्यपि शोध-प्रबन्ध में मैंने मात्र वैदिक एवं बौद्ध परम्पराओं के ही अहिंसा-सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है परं प्रस्तुत पुस्तक में सिक्ख, पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ताओं आदि विश्व की प्रमुख परम्पराओं में अहिंसा के सिद्धान्त को दी गई मान्यताओं पर प्रकाश डालने की आकाशाओं को मैं रोक नहीं पाया, इस बजाह से यह अध्याय काफी लम्बा हो गया है।

द्वितीय अध्याय है 'अहिंसा-सम्बन्धी जैन साहित्य'। यो तो जैन धर्म के मूल में ही अहिंसा है और प्रायः इसकी सभी धार्मिक एवं दार्शनिक रचनाओं में हिंसा-अहिंसा की घोड़ी बहुत झलक मिल ही जाती है। फिर भी कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें हिंसा-अहिंसा की पूर्ण विवेचना मिलती है। उन ग्रन्थों का परिचय एवं उनमें किन-किन स्थानों पर हिंसा-अहिंसा का विश्लेषण हुआ है, उनका संकेत इस अध्याय में किया गया है। इससे एक लाभ तो यह है कि अहिंसा के विषय

में जानकारी करनेवालों को जैन साहित्य रूपी सागर का मंचन न करना होगा और दूसरा लाभ यह है कि यदि वे पुस्तकों के इच्छाकाल पर ध्यान देंगे तो अर्हिसा-सिद्धान्त की ऐतिहासिकता का भी ज्ञान उन्हें हो सकेगा ।

तृतीय अध्याय है 'जैनहृष्टि से अर्हिसा' । यह अध्याय पुस्तक का हृदयरूप है । इसमें जैन-वाङ्मय में प्राप्त हिंसा-अर्हिसा सम्बन्धी जो भी दार्शनिक विवेचन है उन पर प्रकाश डाला गया है; साथही हिंसा-अर्हिसा की परिमाणा, प्रकार, साधन, फल आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसे पढ़कर कोई यह समझ सकता है कि अर्हिसा का स्थान केवल नीतिशास्त्र में ही नहीं, बल्कि तत्त्वभीमासा के क्षेत्र में भी है ।

चतुर्थ अध्याय है 'जैनाचार और अर्हिसा' । इसमें श्रमणाचार एवं श्रावकाचार पर प्रकाश डालते हुए यह दिखाया गया है कि जैन मुनियों एवं गृहस्थों को अपने जीवन में अर्हिसा के सिद्धान्त को उतारने के लिये किस प्रकार के विधि-विधानों का पालन करना होता है ।

पचम अध्याय है 'गाधीबादी अर्हिसा तथा जैन धर्म प्रतिपादित अर्हिसा' । आधुनिक युग में गाधीबाद अर्हिसा का सबल समर्थक माना जाता है । किन्तु ऐसी बात नहीं है कि गावोबादो अर्हिसा जैनमत प्रतिपादित अर्हिसा का अनुशमन करती है । दोनों में काफी अन्तर है । लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों के बीच मेल या सामंजस्य नहीं है । कहाँ-कहाँ पर अर्हिसा के सम्बन्ध में गाधीबाद एवं जैनमत एक दूसरे के निकट हैं और कहाँ-कहाँ पर दूर हैं, इसे ही प्रकाश में लाना इस अध्याय का उद्देश्य है ।

षष्ठ अध्याय है 'उपसहार' । इसमें पूरे शोध-प्रबन्ध का सार है जिसे पढ़ लेने पर पाठक के सामने पूरी पुस्तक की एक झलक आ सकती है ।

इस कार्य में किसी न किसी रूप में मुक्ते अनेक लोगों से सहायता मिली है । उनमें से जिनके नाम अब तक आपके सामने आ गये हैं उन सबका मैं अत्यन्त ही ज्ञानी हूँ । पदमभूषण डॉ० भीखन लाल आचार्य, भूतपूर्व अध्यक्ष, दर्शन, मनो-विज्ञान एवं भारतीय दर्शन तथा धर्म विभाग, काशी विश्वविद्यालय, प्र० राजा-राम शास्त्री, सदस्य, भारतीय लोक-सभा तथा भूतपूर्व कुलपति, काशी विद्यापीठ; प० दलसुखभाई मालवणिया, अध्यक्ष, लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद; डॉ० के० शिवरामन् एवं डॉ० रमाशकर मिश्र, रीढर, दर्शन उच्चानुशीलन केन्द्र, का० वि० वि० तथा डॉ० गुलाबचन्द्र

चौधरी, प्रोफेसर, नवनालन्दा महाविहार का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ जिनके आभारीद मुझे हमेशा ही मिलते रहे हैं ।

राष्ट्रसन्त उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज एव डॉ० सतकारी शुकर्जी, मू० पू० अध्यक्ष नवनालन्दा महाविहार, ने मेरी पुस्तक पर अपने महत्वपूर्ण अभिमत देकर मुझ पर असीम कृपा की है । इसके लिए मैं इनका विशेष आभारी हूँ । पाश्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के प्राण आदरणीय लाला हरजस राय जैन की सहानुभूति मुझे हमेशा ही प्राप्त रही है । श्रीमती मनोरमा भेहता से मुझे हमेशा ही पारिवारिक स्नेह मिलता आ रहा है । अतः इन सबका मैं अत्यधिक आभारी हूँ ।

बन्धुवर डॉ० मोहनचन्द्र जोशी, प्रो० एव अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, रायपुर विश्वविद्यालय, डॉ० रघुनाथ गिरि, रीडर, दर्शन विभाग, काशी विद्यापीठ तथा डॉ० रामइकबाल पाण्डेय, अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, गुरुकुल कागड़ी के स्नेह एव सहयोग मुझे सदा उत्साहित करते रहे हैं । अतः इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किए बिना मैं रह नहीं सकता ।

मित्रवर श्री रवीन्द्रकुमार शृ॒गी, सभीत महाविद्यालय, का० वि० वि०, डॉ० अजित शुकदेव शर्मा, दर्शन विभाग, का० वि० वि०, डॉ० रमाकान्त सिंह, मनोविज्ञान विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, डॉ० अर्हददास दिग्मे, दर्शन विभाग, आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कलिज, कराड (महाराष्ट्र); प० कपिलदेव गिरि, श्री हरिहर सिंह एवं श्री मोहन लाल, पाश्वनाथ विद्याश्रम; श्री वैद्यनाथ निह, छितरी, श्री सदानन्द सिंह, जलालपुर, आदि का मैं बहुत आभारी हूँ जिनमें मुझे हमेशा ही स्नेह एव सहयोग मिलता रहा है ।

अपने परिवार के सदस्यों विशेषकर अपने माता-पिता श्रीमती जयलक्ष्मी सिन्हा तथा श्री पचम सिन्हा, अनुज श्री रवीन्द्र एव विश्वमोहन और धर्मपन्नी श्रीमती शान्ति सिन्हा का बहुत ही आभारी हैं जिन्हे मेरे शोध कार्य की दीर्घ व्यस्तता के कारण अनेक कष्ट मेलने पड़े । अपनी छोटी बहन शशि का मैं खास तौर से आभारी हूँ जो मुझे पुस्तक की छपाई तथा अन्य पठन-पाठन एव लेखन सम्बन्धी कार्यों की याद दिलाकर उत्साहित करती रहती है ।

डॉ० १/४८, गोपालकृष्ण भवन

लाहौरी टोला, वा रा ण सी

महाशिवरात्रि, १३ फरवरी, १९७२

बिश्वनारायण सिन्हा

प्रस्तुत पुस्तक मे

प्रथम अध्याय	पृ०
जैनेतर परंपराओं में अहिंसा	३-१००
वैदिक परंपरा	३
उपनिषद्	१०
स्मृति	१२
सूत्र	२०
बालमीकि-रामायण	२५
महाभारत	२७
गीता	३६
पुराण	४१
ब्राह्मण-दशनं	५१
बौद्ध-परंपरा	५९
सिवख्स-परंपरा	७५
पारसी-परंपरा	८१
यहूदी-परंपरा	८४
ईसाई-परंपरा	८६
इस्लाम-परंपरा	९०
तात्त्वो एवं कन्यूशियस	९३
सूफी-सम्प्रदाय	९६
शिन्तो-परंपरा	९८
द्वितीय अध्याय	
अहिंसा-संबंधी जैन साहित्य	१०१-१३६
आचारांग	१०२
सूत्रकृतांग	१०७

उपासकदशांग	१११
प्राह्लद्याकरण	११२
निरयावलिका	११३
उत्तराध्ययन	११४
आवश्यक	१२१
दशवेकालिक	१२२
प्रबचनसार	१२५
समयसार	१२७
नियमसार	१२८
पुरुषार्थसिद्ध्युपाय	१३०
मूलाचार	१३१
रत्नकरंड-उपासकाध्ययन	१३६

तृतीय अध्याय

जैन हृषि से अहिंसा	१४०-२०८
हिंसा की परिभाषा	१४०
हिंसा का स्वरूप	१४२
हिंसा की उत्पत्ति एवं भेद	१४४
हिंसा के विभिन्न नाम	१४५
हिंसा के विविध रूप	१४७
स्वहिंसा और परहिंसा	१४८
षट्कार्यों की हिंसा	१४९
हिंसा के विभिन्न कारण	१५३
हिंसा के स्तर	१५५
हिंसा करनेवाले कुछ विशेष लोग तथा जातियां	१६१
हिंसा के फल	१६३
हिंसा के पोषक तत्त्व	१६९
अहिंसा	१७४
अहिंसा की परिभाषा	१८१
अहिंसा के रूप	१८६

अहिंसा के प्रकार	१८७
दया	१८७
दान	१८९
दान के प्रकार	१९०
दान के फल	१९३
अहिंसा क्यों ?	२००
अहिंसा के पोषक तत्व	२०१
अहिंसा का तात्त्विक विवेचन	२०२
महावीरकालीन अहिंसा-सिद्धान्त	२०४
महावीरकालोत्तर अहिंसा-सिद्धान्त	२०६

चतुर्थ अध्याय

जैनाचार और अहिंसा	२०६—२३४
अणुव्रत	२१०
गुणव्रत	२१७
शिक्षाव्रत	२२६
श्रमणाचार अथवा श्रमण-धर्म	२२८
रात्रिभोजन-विरमणव्रत	२३१
समिति तथा गुप्ति	२३२
षडावश्यक	२३४

पंचम अध्याय

गांधीवादी अहिंसा तथा जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा	२३५—२६३
अहिंसा की परिभाषा	२३७
अहिंसा का स्वरूप	२३८
हिंसा तथा अहिंसा के विभिन्न रूप	२३९
सर्वभूतहिताय अहिंसा	२३९
हिंसा के बाह्य कारण।	२४०

मात्र जीव को मार देना ही हिंसा नहीं	२४१
अहिंसा की विशेषता	२४२
अहिंसा न रुद्धिवाद है, न उपयोगितावाद	२४३
अहिंसा और दया	२४४
अहिंसा और सत्य	२४७
अहिंसा और ब्रह्मचर्य	२४६
अहिंसा और यज्ञ	२५०
अहिंसा और खेती	२५०
अहिंसा का आर्थिक रूप	२५१
अहिंसा का सामाजिक रूप	२५२
अहिंसा का राजनीतिक रूप	२५४
गांधीवादी अहिंसा एवं जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा	२५५
अहिंसा तथा उसका स्वरूप	२५६
जीव	२५६
हिंसा के विभिन्न रूप तथा अहिंसा के विभिन्न नाम	२५७
हिंसा तथा अहिंसा के पोषक तत्त्व	२५७
अहिंसा और खेती	२५८
श्रमण और श्रावक	२५९
अहिंसा और यज्ञ	२५९
अहिंसा और ईश्वर	२६०
अहिंसा और दान	२६०
अहिंसा के अपवाद	२६१
अहिंसा का आर्थिक विवेचन	२६२
अहिंसा का सामाजिक विवेचन	२६२
अहिंसा का राजनीतिक विवेचन	२६२

षष्ठ अध्याय

उपसंहार	२६४-२८१
आधार-ग्रन्थ-सूची	२८२-२९४
अनुक्रमणिका	२९५-३०८
अभिमत	३०९-३१२

जैनधर्म में अल्लासा

प्रथम अध्याय

जैनेतर परम्पराओं में अीहंसा

भारतीय संस्कृति में दो अन्तर्धाराएँ प्रवाहित होती हैं : वैदिक विचारधारा तथा श्रमण-विचारधारा, जिन्हें वैदिक संस्कृति एवं श्रमण-संस्कृति भी कहा जाता है। चूंकि वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण या पुरोहित अग्रणी समझे जाते हैं और इनके द्वारा निर्देशित कर्मकाण्ड-मार्ग का अन्य सनातनधर्म अनुगमन करते हैं, इसे ब्राह्मण-संस्कृति के नाम से भी पुकारते हैं। वेद, उपनिषद् आदि इसके आधार-ग्रन्थ हैं। श्रमण-संस्कृति की दो उपधाराएँ हैं—बौद्ध एवं जैन। बौद्ध संस्कृति के आधार-ग्रन्थ हैं पिटक आदि, तथा जैन संस्कृति आगमों पर आधारित है। वैदिक संस्कृति प्रवृत्तिपरक जीवन से प्रारम्भ होकर निवृत्तिपरक जीवन की ओर बढ़ती है किन्तु श्रमण-संस्कृति शुरू से ही निवृत्तिपरक है।

वैदिक परम्परा :

वैदिक परम्परा का श्रीगणेश वेदों से होता है। हिन्दू धार्मिक मान्यता के आधार पर वेद उन ईश्वरीय पवित्र प्रवचनों के सकलन हैं, जो अकाद्य और अमिट हैं। ऐतिहासिकता के आधार पर ये समूचे संसार की मानवकृत रचनाओं में सबसे प्राचीन हैं। प्राचीनता एवं ज्ञान-बाहुल्य के कारण वेदों की गणना सासार की उच्चतम कोटि की रचनाओं में होती है। वैदिक संस्कृति, साहित्य, धर्म एवं दर्शन के तो ये प्राण हैं। वेद चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें से प्रत्येक के चार विभाग हैं—सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्। इनके अलावा स्मृति, सूत्र, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि वैदिक-परम्परा के प्रमुख ग्रन्थ हैं।

ऋग्वेद का समय याधाकुमुद मुकर्जी ने वही माना है जो सिन्धु-सम्मता का माना गया है। ऋग्वेदकालीन भारतीय संस्कृति एवं

सिन्धु-संस्कृति के संबंध को देखते हुए उन्होंने दोनों के लिए ई० पूर्व ३२५० समय निर्धारित किया है।^१ वेदकालीन मानव प्रकृति नटी की गोद में पलने के कारण उदार हृदय वाला था तथा उसका मस्तिष्क उलझनों से परे था। सामान्य तौर से वह दूध, दही, घी, खीर, चावल, रोटी, फल आदि लाता था। साथ ही उन बैलों, भेड़ों और बकरों के मास भी उसकी भोज्य सामग्रियों में शामिल थे, जो यज्ञों में बलिस्वरूप मारे जाते थे।^२ यदा-कदा दवा आदि के रूप में वह कुत्ते का मास भी काम में लाता था।^३ गाय को वह अवध्य^४ तथा बहुत अच्छी सम्पत्ति मानता था, यद्यपि यज्ञ में वैसी गायों की बलि भी वह देता था जो बाँझ होती थी, और पात्र बनाने तथा गाढ़ी आदि बौधने के काम में गोचर्म का प्रयोग करता था।^५ वह शिकार खेलने का आदी था अतः सूअर, भैंसा, सिंह आदि को मारने या पकड़ने में आनन्द का अनुभव करता था। उसके सामने मानव एवं पशु से परे आनन्द या कष्ट देनेवाली कोई शक्ति थी तो वह

1. That the age of the Rigveda is not later than that of the Indus civilization of about 3250 B. C. has been already explained on the basis of the links of connection between the two cultures. Ancient India (Radha Kumud Mookerji), p. 52.

2. Meat also formed a part of dietary. The flesh of the ox, the sheep and the goat was normally eaten after being roasted on spits or cooked in earthenware or metal pots. Probably meat was eaten, as a rule, only on the occasions of sacrifice though such occasions were by no means rare, the domestic and the grand sacrifices being the order of the day. Vedic Age (Ed. R. C. Majumdar), p. 393. Flesh was eaten but only of animals that were sacrificed, viz., sheep and goat.

Ancient India (R. K. Mookerji), p. 67.

३. अवतर्या शून भान्नाणि पेते न देवेषु विविदे महितारम् ।

अपश्यं जायाममहीयमानामधा मे इयेनो मध्वा जभार ॥ १३ ॥

ऋ० वे० ४. १८. १३.

४. हिन्दी ऋग्वेद-रामगोविन्द त्रिवेदी, पृष्ठ १०२०, मंत्र २.

५. हिन्दी ऋग्वेद-रामगोविन्द त्रिवेदी, पृष्ठ ७३४, मंत्र २६;

अश्वदय, जो मधु-पूर्ण चर्म-पात्र मध्यस्थान में रखा हुआ है, उससे मधु-पान करो। हि० ऋ०, पृ० ६०६, म० १६; हि० ऋ०, पृ० ११६३, म० १६; पृ० १२५०, म० २२.

प्रकृति ही थी। वह प्रकृति के विभिन्न रूपों या विभिन्न अंगों की पूजा किया करता था जिससे कि वह कष्ट से मुक्त हो पाता और आनन्द की प्राप्ति करता। अतः उसके पूज्य देवताओं की संख्या बहुत ही अधिक थी। निहित्कार यास्क के अनुसार स्थान-विभाग की दृष्टि से देवताओं की तीन श्रेणियाँ हैं—पृथ्वीस्थान, अन्तरिक्ष-स्थान तथा द्युस्थान। पृथ्वीस्थान-देवताओं में अग्नि का, अन्तरिक्ष-स्थान देवताओं में इन्द्र का तथा आकाशस्थान-देवताओं में सूर्य, सविता, विष्णु आदि सौर देवताओं का स्थान सबसे ऊँचा एवं महत्वपूर्ण है।^१ दार्थनिकों ने इस बहुदेवता-पूजन को प्राकृतिक बहुदेवतावाद (Naturalistic Pluralism) नाम दिया है जो धीरे-धीरे आवसरिक एकदेवतावाद (Henotheism), एकदेवतावाद (Monotheism) तथा ब्रह्मवाद (Monism) के रूप लेता है।

स्वाभाविक सरलता एवं निष्कपटता के कारण वेदकालीन मानव के सामने न कोई पेचीदी समस्या थी और न तो उसके समाधान के लिये कोई ऊँचा सिद्धान्त ही। जब वह किसी प्रकार का वैयक्तिक या सामाजिक, शारीरिक या मानसिक तथा मानुषिक या अमानुषिक कष्ट पाता था तो अपने देवताओं की आराधना करता था, उसके निमित्त तरह-तरह की आहुतियाँ देता था और कष्ट निवारण के लिये प्रार्थना करता था। अतः वेदों में प्रार्थना एवं प्रश्नासा की भरमार है। उन प्रार्थनाओं में ‘अहिंसन्तो’^२, ‘हिंस्यमान’^३, ‘हिंसन्त’^४, ‘अहिंसन्तीरनामया’,^५ ‘हिंसन्तौ’^६

१. भारतीय दर्शन—प० बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ५४-५५.

२. अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सत्याऽहिंसन्तीरु पृष्टृश।

विद्याम् यासा भुजो धेनूना न वच्चिवः ॥ अ० वे० १०. १२. १३.

३. आदिन्मातृरामिश्र यास्वा शूचिर्हिंस्यमान उविया वि वावृषे।

अनु यत् पूर्वा अशहत् सनाजुबो नि नव्यसीष्ववरामु धावते ॥

अ० वे० १४१.५.

४. प्र यच्छ पञ्च त्वरया हरीषमहिंसन्त श्रीषष्ठीदन्तु पर्वन् ।

यासा सोम् परि राज्य ब्रूम्बामन्युता नी बीरुषो भवन्तु ॥

अ० वे० १२.३.३१.

५. या: सोमानं विरुजन्ति मूर्चनं प्रत्यर्थणीः ।

अहिंसन्तीरनामया निद्र॑ वन्तु वहिविलम् ॥ अ० वे० ६. ८. १३.

६. तदै है पतंग है जभ्य हा उपकक्ष। ब्रह्मेवासस्थित हविरनदन्त इमान् यवानहिंसन्तो अपोदित ॥ अ० वे० ६.५०.२.

“हिंसा”, “हिंसाशनिहंरसा”^१, ‘हिंसा’^२, तथा “हिंसते”^३ आदि शब्द मिलते हैं। किन्तु इन शब्दों से हिंसा अथवा अहिंसा के नैतिक रूप पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। कारण, इन शब्दों के द्वारा अधिक जगहों पर राक्षसों को मारने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि वे राक्षस कौन थे? सामान्यतः राक्षस का अर्थ दुष्ट या दुराचारी होता है। अतः दुराचारी या दुष्ट जिससे समाज या राष्ट्र की हानि हो उसके विनाश की भावना कुछ हद तक अहिंसा के अन्तर्गत आ सकती है। किन्तु हो सकता है कि “राक्षस” शब्द से उन आदिवासी अनायाँ को सम्बोधित किया जाता रहा हो जिन्हें आर्य लोग नीच तथा निकृष्ट समझकर अपने से दूर रखना चाहते थे। या राक्षस कहे जाने वाले वही लोग तो नहीं थे जिनके वर्णन महाभारत आदि ग्रन्थों में “राक्षसगण” के रूप में मिलते हैं। इस विषय में एक निश्चित जानकारी प्रस्तुत करना स्वयं एक शोध का विषय बन जाता है। अतः इन शब्दों को निश्चित रूप से न हिंसा का और न अहिंसा का ही समर्थक कहा जा सकता है।

मैत्रायणी संहिता में अग्नि से प्रार्थना की गई है—

“हे प्रज्वलित लपटों से जाज्वल्यमान अग्नि! अपनी देह से मेरी प्रजा को कष्ट मत दो अथवा मत मारो” (मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः)।^४

१. उभोमयाविन्दुप वेहि दंष्ट्रा हिंसः शिशानोऽवरं पर च ।

अ० व० १०. ८७. ३.

उतान्तरिक्षे परि याहि राज आम्बैःसंघेह्यमि यातुधानान् ॥

अ० व० ८. ३. ३.

२. अने त्वचं यातुधानस्य भिन्निव हिंसाशनिहंरसा हस्तेनम् ।

प्र पर्वाणियाजातवेद शृणुहि कथ्यात्कविष्णुर्विचिनोतु वृकणम् ॥

अ० व० १०. ८७. ५.

३. तीक्ष्णेनाम्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं पाज्ञं वसुम्य. प्र गण प्र चेतः ।

हिंसा रक्षास्यामि शोशुचान मा त्वा दमनयातुधाना नृचक्ष. ॥

अ० व० १०. ८७. ६.

४. यो अस्य स्याद वशामोगो अन्यामिच्छेत तहि सः ।

हिंस्ते ग्रदत्ता पुरुषं याचिता च न दित्सति ॥ अ० व० १२. ४. १३.

५. प्रेदने ज्योतिष्मा न्याहि शिवेभिरचिंगिष्ट्वम् ।

वृहद्विन्भानुभिर्भस्तन्मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः ॥ मैत्रायणी संहिता, २. ७. १०.

ठीक इसी तरह की प्रार्थना तैत्तिरीय संहिता^१ एवं शतपथ ब्राह्मण^२ में मिलती है। किन्तु यहाँ “प्रजा” शब्द भी दो अर्थ रखता है—सन्तान एवं जनता। परन्तु दोनों ही अर्थों में यह संकुचित और स्वार्थाधीन जान पड़ता है। यदि कोई अपनी सन्तान के रक्षार्थ प्रार्थना करे अथवा कोई राजा अपनी जनता को बचाने के लिए प्रार्थना करे तो ये दोनों ही प्रार्थनाएँ अहिंसा के सिद्धान्त की पुष्टि नहीं करतीं क्योंकि अहिंसा का सिद्धान्त ऐसी स्वार्थ-परता से बिल्कुल ही परे है।^३ यह सर्वव्यापक है, अर्थात् सभी जीवों के लिए है। इसके अलावा ऋग्वेद में यों कहा गया है—

“सब देवों के लिये उपयुक्त आग पूषा के ही अंश में पड़ता है। उसे शीघ्रगामी अश्व के साथ सामने लाया जाता है। अतएव त्वष्टा देवता के सुन्दर भोजन के लिए अश्व के साथ इस आग से सुखाय पुरोडाश तैयार किया जाय।”*

१. प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याहि शिवेभिर्चिभिस्त्वम् ।

बृहद्भिर्भानुभिर्भसिन्माहिसीस्तनुवा प्रजा: ॥

तैत्तिरीय संहिता, ४ २. ३. ३; ५. २. २. ७-८.

२. प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्याहि । शिवेभिर्चिभिष्ट्वमिति

प्रेदग्ने त्वं ज्योतिष्मान्याहि शिवेभिर्चिभिर्दीप्यमानैरित्येतद् बृहद्भिर्भानु-भिर्भसिन्मा हिसीस्तनुवा प्रजा इति बृहद्भिर्चिभिर्दीप्यमानैमहिंसीरात्मना प्रजा इत्येतत् ४६४ शतपथ ब्राह्मण, काण्ड ६, अ० ८, ब्राह्मण १.

३. जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, मस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिप्रह आदि का पालन महज इसलिए किया जाता है कि अपनी आत्मा की शुद्धि हो, इसमें दूसरे के हित की बात उद्देश्यरूप में नहीं माती है। अतएव इस दृष्टिकोण से अहिंसा भी स्वार्थ की सीमा के अन्दर आ जाती है। किन्तु सामान्य दृष्टिकोण से अहिंसा का सिद्धान्त पर-हितकारी समझा जाता है। और ऐसी हालत में जहाँ अपने लोगों के हित की बात माती है तो उससे इसे अलग समझना ही उचित समझा जाता है।

४. एषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पूषणो भागो नीयते विश्वदेव्यः । अभिप्रियं यत्पुरोडाशमवृता त्वष्टेदेनं सौश्रवसाय जिन्वति ४ अ०००१. १६२. ३; हिन्दी ऋग्वेद—रामगोविन्द त्रिवेदी, पृष्ठ २४०.

आगे कहा है—“यज्ञ के जो पाँच (धान्य, सोम, पशु, पुरोडास और धृत) उपकरण हैं, यथायोग्य उनको मैं रखता हूँ ।”^१ यद्यपि मंत्र में उपकरणों के नाम स्पष्टतः नहीं दिए गए हैं लेकिन टीकाकारों ने नामों को भी प्रकाशित किया है और उनमें पशु भी एक उपकरण है जिसकी आवश्यकता यज्ञ में होती है । इससे भी आगे ‘शूप’ की चर्चा मिलती है जिसमें यज्ञ के पशु बाँधे जाते हैं ।^२ इनसे यह जाहिर होता है कि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी । फिर भी वेदों में कुछ ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ पर स्पष्ट या गोण रूप से अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है जैसे—

“हम अभी गमन (सगति) प्राप्त करें । मित्रभूत अथवा मित्र द्वारा दर्शित मार्ग से हम गमन करें । अहिंसक मित्र का प्रिय सुख हमें गृह में प्राप्त हो ।”^३

इस कथन में सुख, अहिंसा, मित्र तथा मार्ग शब्द संबंधित-से दीखते हैं—गृह में सुख की प्राप्ति हो ; सुख जो मित्र के द्वारा अथवा उसके सहवास से प्राप्त हो; मित्र जो अहिंसक है; तथा मित्र द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर प्रस्थान करें । अर्थात् अहिंसा एक ऐसी वस्तु है जो हितकारी या सुख देने वाली है और इसका संबंध मित्र से ही हो सकता है, शत्रु से नहीं । जिसके प्रति मन में शत्रुता का भाव होगा उसके प्रति अहिंसा का व्यवहार करना या अहिंसा का भाव रखना असंभव है । पुनः ऋग्वेद में कहा है कि हे वरण ! यदि हम लोगों ने उस व्यक्ति के प्रति अपराध किया हो जो हम लोगों को प्यार करता है, यदि कोई गलती अपने मित्र या

१. पञ्च पदानि रूपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमित्तवतेन ।

अक्षरेण प्रतिमिम एतामृतस्य नामावधि सं पुनामि ॥३॥

ऋ० व० १०. १३. ३.

२. उपावसूज त्मन्या समञ्जन् देवानां पाय ऋतुथा हवीयि ।

वनस्पतिः शमिता देवो अग्निःस्वदन्तु हव्यं मधुना धृतेन ॥१०॥

ऋ० व० १०. ११०. १०.

३. रम्भूदयस्य देवो अग्निः स्वदन्तु ।

अस्य द्वितीय ॥५८८.८८८.८८८॥ ८८८ व० ५०. ६४. ३.

हिन्दी ऋग्वेद—रामरेण्य ॥५८८.८८८.८८८॥ ८८८ व० ५०. ६४. ३.

साथी जो कि पढ़ोसी है अथवा किसी अज्ञात व्यक्ति के प्रति कोई घात किया हो तो हमारे अपराधों का नाश करो ।^१

आगे कहा है—

“पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः” (ऋ० वे० ६. ७५. १४) मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह एक-दूसरे की रक्षा करे । यजुर्वेद में देखा जाता है—

“मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥” ३६. १८

अर्थात् मैं सभी प्राणियों को मित्रवत् देखूँ । आपस में सभी एक दूसरे को मित्र के समान देखे । इसी तरह अथर्ववेद में कहा है—

“तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः” (अ०वे० ३. ३०. ४) अर्थात् हम सभी एक साथ ऐसी प्रार्थना करें जिससे कि आपस में सुमति और सद्भाव का प्रसार हो । फिर एक उक्ति मिलती है—

“याश्च पश्यामि याश्च न तेषु मा सुमति कृषि” (अ०वे० १७. १. ७) भगवन् ! आपकी कृपा से मैं सभी मनुष्यों के प्रति, चाहे मैं उनसे परिचित होऊँ अवश्य नहीं, सद्भाव रखूँ ।

इतना ही नहीं, बल्कि विश्व-शान्ति के भाव पर बल देते हुए कहा गया है कि सूर्य की किरणें हम सभी के लिए (मनुष्यमात्र के लिए) शान्ति प्रदान करने वाली हों और सभी दिशाएं भी शान्ति-दायिनी हों ।^२ और यजुर्वेद में तो शान्ति की भावना के विस्तार की कामना पृथ्वी लोक से लेकर द्युलोक और अन्तरिक्ष लोक तक

१. अर्यम्यं वरुण मित्र्यं वा सखायं वा सद्मिद् भ्रातरं वा ।

वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत् सोमागच्छकुमा शिव्यस्तत् ॥

ऋ० वे० ५. ८५. ७.

२. शं नः सूर्य उच्चक्षा उद्देतु

शं नश्चत्त्वः प्रदिशो भवन्तु । ऋ०वे० ७. ३५. ७.

की गई है। जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, सभी देवता एवं ब्रह्म सब के सब शान्ति देने वाले हों। विश्व ही पूर्ण शान्तिमय हो।^१

इन उक्तियों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि वैदिक युग में अहिंसा-भाव का संचार न था। भले ही अहिंसा शब्द पर उस समय कोई प्रकाश नहीं दिया गया हो ऐसा माना जा सकता है लेकिन भाव रूप में तो अहिंसा की पूरी अभिव्यक्ति हुई है। यद्यपि ऋग्वेद और अथर्ववेद में अहिंसा की सीमा मात्र मनुष्य तक ही दिखाई गई है किन्तु यजुर्वेद में अहिंसा भाव का पूर्ण विकास मिलता है जहाँ पर सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव व्यक्त किया गया है और विश्व-शान्ति की कामना की गई है।

उपनिषद् :

उपनिषदों को वेदान्त भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अन्तिम भाग माने जाते हैं। इनकी संख्या काफी अधिक है जिनमें से कुछ तो प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण हैं पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें गौण स्थान प्राप्त है और वे लघु उपनिषद् के नाम से जाने जाते हैं। रचना-काल के दृष्टिकोण से कौशीतकि, तैत्तिरीय, महानारायण, बृहदारण्यक, छान्दोग्य और केन उपनिषद् बुद्ध और पाणिनि से काफी पहले के हैं। इन उपनिषदों के कुछ बाद कठ, श्वेताश्वतर, ईश, मुण्डक, प्रश्न आदि की रचना हुई। पर ये सब भी बुद्ध से बाद के नहीं बल्कि पहले के ही हैं।^२

उपनिषदों ने कर्मकाण्ड यानी यज्ञादि से ज्यादा ज्ञानकाण्ड को प्रधानता दी है। इनमें बहुदेवतावाद का स्थान ब्रह्मवाद को मिलता है और सासारिक सुख-सुविधा के बदले उपनिषद्-कालीन लोग मोक्ष पर जोर देते हैं। यद्यपि उनके भोजन आदि में

१. श्वेताश्वतराचिं शान्तिः पृथ्वी

शान्तिरापः शान्तिरोक्षय शान्तिः ।

वनस्पतय शान्तिविश्वे देवा. शान्ति-

ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव

शान्तिं सा गा शान्तिरेति ॥ यजु०वे० ३६. १७.

2. Vedic Age (Ed. R. C. Majumdar), p. 493.

कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे चावल, रोटी, दूध, और आदि के साथ मांस भी खाते हैं।^१ भले ही वह मांस बलि दिए गए पशु का हो अथवा साधारण तरह से मारे गए पशु का ही हो।

किन्तु इतनी बात अवश्य है कि अहिंसा का सिद्धान्त के रूप में सर्वप्रथम प्रतिपादन छान्दोग्योपनिषद् में ही होता है^२—उस आत्मज्ञान का व्याहू ने प्रजापति के प्रति वर्णन किया, प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। नियमानुसार गुरु के कर्त्तव्य-कर्मों को समाप्त करता हुआ वेद का अध्ययन करता हुआ (पुत्र-शिष्यादि को) धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने अंतःकरण में स्थापित कर शास्त्र की आज्ञा से अन्यत्र प्राणियों की हिंसा न करता हुआ वह निश्चय ही आयु की समाप्ति पर्यन्त इस प्रकार बतंता हुआ (अन्त में) व्याहूलोक को प्राप्त होता है; और फिर नहीं लौटता, फिर नहीं लौटता ॥१॥^३

इसके पहले ही अध्याय ३ में आत्मज्ञानोपासना का वर्णन करते हुए कहा है कि तप, दान, आर्जव (सरलता), अहिंसा और सत्यवचन इसकी (आत्मयज्ञ की) दक्षिणा है।^४

लघु उपनिषदों, जैसे प्राणाग्निहोत्रोपनिषद् एव आरणिको-पनिषद् आदि में भी अहिंसा को सद्गुण या आत्म-सत्यम के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राणाग्निहोत्रोपनिषद् में स्मृति, दया, शान्ति तथा अहिंसा को प्राणाग्निहोत्र यज्ञ करने वाले व्यक्ति की पत्नी की कमी का पूरक बताया है। इन गुणों के होने पर पत्नी, जिसका साथ यज्ञ में आवश्यक समझा जाता है, की

1. Vedic Age (Ed. R. C. Majumdar), p. 519

2. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 231.

3. तद्वैतद्व्याहू प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवेमनुः प्रजाभ्यः आचार्यकुलाद्वेद-मधीत्य यथाविधानं गुरो कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुची देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदध्वदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिस-सुर्वभूतान्यन्यत्र तीयेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं व्याहूलोकमभिस्मृप्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥ छा० उ० ८. १५. १०.

4. अथ यन्नपो दानमार्जवमहिमा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ।

छा० उ० ३. १७. ४.

पूर्ति हो जाती है। अर्थात् पत्नी न भी हो और ये सब गुण जिस व्यक्ति में हों तो उसे प्राणाग्निहोत्र यज्ञ करने में दोष नहीं लगता।^१ इतना ही नहीं, आगे चलकर इसमें अहिंसा को यज्ञ का इष्ट बताया गया है अर्थात् अहिंसा व्रत की परिपूर्णता के लिए यज्ञादि किए जाते हैं।^२ आरुणिकोपनिषद् में बार-बार कहा गया है कि ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य आदि व्रतों की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।^३ और शाण्डिल्योपनिषद् ने तो अहिंसा की गिनती दश यमों में की है यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार तथा शौच ये दश यम हैं।^४

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों के अनुसार अहिंसा मनुष्य के सदाचार का एक प्रधान अंग है तथा सासारिक बन्धनों से मुक्ति पाने का एक बहुत बड़ा साधन भी है। इसी बजह से इसे यज्ञादि का इष्ट या उद्देश्य भी समझा गया है।

स्मृतिः :

स्मृतियों में मनुस्मृति अभीष्ट है। यह वैदिक धर्म या ब्राह्मण परम्परा का पथ-प्रदर्शन करती है। इसमें प्रायः २६८५ श्लोक हैं। काणे तथा नीलकंठ शास्त्री ने माना है कि इसका सशोधन ई० पूर्व द्वितीय शती से ई० सन् द्वितीय शती तक के बीच में हुआ था।^५ इसका मतलब होता है कि मनुस्मृति की रचना निश्चित

१. स्मृतिर्दया कान्तिराहिंसा पत्नीसजायाः। प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्, खण्ड ४.

२. प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्, खण्ड ४.

३. ब्रह्मचर्यमहिंसा चापरिग्रहं च सत्य च यत्नेन हे

रक्षतो हे रक्षतो हे रक्षत इति ॥३॥

आरुणिकोपनिषद् ।

४. तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यार्जवक्षमाधृति-

मिताहारशौचानि चेति यमा दश ॥१॥

शाण्डिल्योपनिषद् ।

5. History of Dharmasāstra (Kane), Vol. I, pp. 133-53;
History of Philosophy : Eastern and Western, Vol. 1,
p. 107.

रूप से ई० पूर्व द्वितीय शती से पहले हुई होगी। राजाकुमुद मुकर्जी के अनुसार तैतिरीय और मैत्रायणी संहिता तथा छान्दोग्यो-पनिषद् में मनु का उल्लेख नियम निर्धारित करने वाले के रूप में हुआ है। यहाँ तक कि यास्क जिनका समय ई० पूर्व सातवी शती माना जाता है, ने निरुक्त में मनु का उल्लेख किया है। इस तरह एक वैदिक ऋषि के रूप में मनु का समय अति प्राचीन समझा जाना चाहिए। उनके द्वारा रचित बहुत श्लोक भी काफी पुराने हैं पर मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र के रूप में उनका संकलन बाद में हुआ है। चूंकि मनुस्मृति का संबंध मानव-सूत्र-चरण (वैदिक शास्त्र) जो कृष्ण यजुर्वेद पर आधारित है,¹ से है, इस पर वैदिक विचार-धारा का काफी प्रभाव है। इसमें वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही खाद्य-अखाद्य, कर्तव्य-अकर्तव्य का विस्तृत विवेचन किया गया है। खास तौर से मांसाहार जिसका संबंध हिंसा-अहिंसा के सिद्धान्त से है, का पूर्ण स्पष्टीकरण इसमें मिलता है।

मासाहार तथा हिंसा का अत्यन्त घनिष्ठ संबंध है। कोई भी व्यक्ति आहार के निमित्त मांस की उपलब्धि तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि वह किसी जीव की हिंसा नहीं करता, क्योंकि मांसाहार करने वाले स्वाभाविक मृत्यु से मरे हुए प्राणी के मांस को ग्रहण करना न चाहते हैं और न करते भी हैं। मांसभक्षण का अर्थ ही है हिंसा। अतः अहिंसक के लिए मांसाहार का निषेध किया गया है। मनुस्मृति में यह बताया गया है कि मास ग्रहण करना किस हद तक उचित है अथवा अनुचित। इसके पांचवे अध्याय में हिंसा-अहिंसा-संबंधी बृहद् विवेचन मिलता है। यहाँ पर इस सबध में तीन पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं : १. यह पक्ष पशु-पक्षियों के भक्ष्य-अभक्ष्य मास की चर्चा करता हुआ हिंसा का समर्थन करता है। २. इस पक्ष में हिंसा की मर्यादा यज्ञ तक साबित की गई है, यानी यज्ञ में पशुओं की हिंसा करना और उनके मास का विविष्टवृक्षक भक्षण करना उचित है परन्तु साधारण मांस जो यज्ञ के अलावा

1. Hindu Civilization (Radha Kumud Mookerji), p. 159.

अन्य साधनों से उपलब्ध हो, को ग्रहण करने का निषेध किया गया है। ३. यज्ञ में पशु-वध एवं मांसाहार को दोषपूर्ण बताते हुए अहिंसा का समर्थन किया गया है। इन पक्षों की स्पष्टता नीचे के शब्दों में दृष्टिगोचर होती है:

पहला पक्ष—कच्चा मांस खानेवाले गिद्ध इत्यादि तथा घर में रहने वाले कबूतर आदि पक्षी अभक्ष्य हैं। जिनके नाम बताये नहीं गये हों ऐसे सुरवाले, घोड़े, गधे आदि के मांस खाने योग्य नहीं होते। टिटहरी पक्षी का मांस अभक्ष्य होता है। लेकिन पाठीन और रोहित मछलियाँ हृव्य-काव्य के लिए निर्देशित हैं; इनके बलावा राजीव, सिंहतुण्ड और चौयटेवाली सभी मछलियाँ भी खाने योग्य हैं। ब्राह्मण यज्ञ के लिए तथा स्वजनों के रक्षार्थ हिंसा कर सकता है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने ऐसा किया था। ऋषियों तथा ब्राह्मण-क्षत्रियों के द्वारा किए गए पहले के सभी यज्ञों में मांस के उपयोग हुए हैं। मत्रों के द्वारा पवित्र मांस खाया जा सकता है; यज्ञविधि से मांस खाना तथा प्राण-संकट आने पर मास का खाना निषिद्ध नहीं है। प्राण के लिये ये ब्रह्मा के हृतारा कल्पित अन्न हैं, स्थावर और जंगम सभी प्राण के भोजन हैं—जैसे चरों का अन्न अचर, डाढ़वालों के बिना डाढ़वाले और वीरों के अन्न कायर हैं। इस तरह जो जीव खाने वाला है वह प्रतिदिन प्राणियों को खाकर भी दोषी नहीं होता। कारण, ब्रह्मा ने ही खादक और खाद्य दोनों को ही जन्म दिया है।'

१. क्रव्यादाञ्छ्वकुनान्सवाईस्तथा ग्रामनिवासिनः ।

प्रनिदिष्टाश्चैकशकाष्टिट्भं विवर्जयेत् ॥११॥

कर्विंवकं प्लव हसं चक्राद्वहं ग्रामकुकृटम् ।

सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥१२॥

प्रतुदाङ्गलपादाद्वच कोपटिनस्विधिकरान् ।

निमज्जतश्च मत्स्यादान् सोनं बल्लूरमेव च ॥१३॥

पाठीनरोहितावादी नियुक्तो हृव्यकव्ययोः ।

राजीवान्सहतुण्डाद्वच सशल्कांदचैव सर्वशः ॥१४॥

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वेद्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः ।

भृत्याना चैव वृत्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्युरा ॥१५॥

बूलरा पश—यज्ञ के लिये मांस-भक्षण की गणना दैवी-विधि में होती है। इसके विपरीत यदि कोई मांस खाने के लिए ही हिंसा करता है और मांस खाता है तो उसे राक्षसोचित कार्य कहा जाता है। किसी भी विधि से प्राप्त जैसे, खरीदा हुआ, स्वयं कहीं से लाया हुआ, भैंट में प्राप्त मांस यदि देवता या पितृ को अपित करके लाया जाता है तो खाने वाला दोषी नहीं होता। विधिघ और निषेध का ज्ञाता यदि सामान्य अथवा सुख की अवस्था में विधि का उल्लंघन करके मांस खा लेता है तो जन्मान्त में वे पशु (जिनके मांस वह खाता है) उसे खा जाते हैं। घन के लिए यदि कोई मृग को मारता है तो वह उतना पापी नहीं समझा जाता जितना कि मांस खाने वाला होता है। आद्य और मधुपक्ष में विधिवत् नियुक्त होने के बाद भी जो व्यक्ति मांस खाने से इनकार करता है उसे इसकीस जन्म तक पशु होना पड़ता है। ब्राह्मण को कभी भी बिना मत्र-संस्कार के मांस नहीं खाना चाहिए लेकिन यज्ञ में मंत्रों से पवित्र किए हुए पशुओं के मांस वह खा सकता है। इच्छा की प्रबलता के कारण वह धृत या मैदे का पशु बनाकर खा सकता है लेकिन व्यर्थं (यानी यज्ञ के अलावा) पशुवध न करना चाहिए। पशुओं को व्यर्थं मारने वाला मरने के बाद उतनी ही बार पशुजन्म घारण करता है जितनी मरे हुए पशु की रोमसर्वा होती है जब मारा जाता है। ब्रह्मा ने यज्ञों की समृद्धि के लिये पशुओं की सृष्टि की है। अतः यज्ञ में किया हुआ वध वध नहीं समझा जाता। पशु, वृक्ष,

दम्भुर्हि पुरोडाशा भक्षणां मृगपक्षिणाम् ।

पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मण्यसवेषु च ॥२३॥

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया ।

यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥२७॥

प्राणस्यान्मिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत् ।

स्वावरं जंयमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥२८॥

चराणामन्मचरा दण्डिण्यामप्यदण्डिणः ।

प्रहस्ताश्च सहस्ताना शूराणां चैव भीरवः ॥२९॥

नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि ।

धात्रैव सूष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥३०॥ मनुस्मृति, अ० ५.

कछुआ और पक्षी आदि यज्ञ में मारे जाने पर फिर श्रेष्ठ जन्म घारण करते हैं। मधुपर्क, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ, पितृकर्म तथा देवकर्म के अलावा हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेद का जाता द्विज मधुपर्क आदि कर्मों में पशुबलि देकर उस पशु तथा अपने को उत्तम गति का अधिकारी बनाता है। गृह में या गुरुकुल, या वन यानी ब्रह्मचर्य आश्रम या गृहस्थाश्रम या वानप्रस्थ या आपत्ति में आ जाने पर भी एक आत्मनिष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह वेदविरुद्ध हिंसा न करे। वृक्ष की घर्म वेद से निकलता है, वेदविहित हिंसा तथा इस चराखर नियत हिंसा को हिंसा न समझकर अर्हिसा ही मानना चाहिए। जो अपने सुख की इच्छा से यानी यज्ञों के अलावा अर्हिसक पशुओं को मारता है वह किसी भी जीवन में सुख नहीं पाता। जो देवता, पितरों को अपित किये दिन। दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उससे बढ़कर निकृष्ट या पापी अन्य कोई नहीं हो सकता।¹

१. यज्ञाय जिग्धमौस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः ।
मतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥३१॥
- क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपकृतेव वा ।
देवान्पितृश्चार्चयित्वा खादन्मासं न दुष्यति ॥३२॥
- नायादविधिना मासं विधिजोऽनापदि द्विजः ।
जग्धा ह्यविधिना मासं प्रेत्य तैरद्यतेऽवशः ॥३३॥
- न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तृर्धनार्थिनः ।
यादृशं भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः ॥३४॥
- निषुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नाति मानव ।
स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविशतिम् ॥३५॥
- शसंस्कृतान्पशुन्मनैर्द्याद्विप्रः कदाचन ।
मनैर्स्तु संस्कृतान्द्यान्द्याश्वतं विधिमास्थितः ॥३६॥
- कुर्याद धृतपशुं संगे कुर्यालिपृष्ठपशुं तथा ।
न त्वेव तु दृष्टा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥३७॥
- यावन्ति पशुरोमाणि तावल्कृत्वो ह मारणम् ।
दृष्टापशुणः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥

तीसरा पक्ष—जिस व्यक्ति के मन में यह कामना नहीं होती है कि वह पशुओं को बाँधे या मारे तथा किसी प्रकार का कष्ट दे वह सभी जीवों का हितेषी होता है और उसे अत्यधिक सुख की

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।
 यज्ञाश्च भूत्यै सर्वस्य तस्मादज्ञे वघोऽवधः ॥३६॥
 ग्रोपय्यः पशवो वृक्षास्तिर्यग्नः पशिणास्तथा ।
 यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥४०॥
 मधुपक्षे च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि ।
 ग्रावैव पशवो हिंस्या नान्यत्रैत्यङ्गवीन्मनुः ॥४१॥
 एषवर्येषु पशून्हसन्वेदतस्वार्थविद् द्विजः ।
 ग्रास्तमानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमां गतिम् ॥४२॥
 गृहे गुरावरण्ये वा निवसनात्मवान्द्विजः ।
 नावेदविहिता हिंसा नियतास्मिन्द्वचराचरे ।
 अहिंसामेव ता विद्याद्वेदाद्मां हि निर्बंझी ॥४४॥
 योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
 सज्जीवंश्च मृतश्चैव न कवचित्सुखमेष्ठते ॥४५॥
 यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिना न चिकीर्यति ।
 स सर्वस्य हितप्रेम्यः सुखमत्यन्तमवनुते ॥४६॥
 यद्यायति यत्कुरुते धृति बधनाति यत्र च ।
 तदवाप्नोत्ययलेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥४७॥
 नाकृत्वा प्राणिना हिंसां मासमुत्पद्धते कवचिद् ।
 न च प्राणिवधः स्वर्गस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥४८॥
 समुत्पत्ति च मासस्य वधबन्धी च देहिनाम् ।
 प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमासस्य भक्षणात् ॥४९॥
 न भक्षयति यो मांसं विर्धि हित्वा पिशाचवत् ।
 स लोके प्रियतां याति व्याचिभिर्द्वय न पीड्यते ॥५०॥
 अनुमन्ता विशिस्ता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
 संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकवचेति धातका: ॥५१॥
 स्वमासं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति ।
 अनभ्यर्ज्या पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥५२॥ मनुस्मृति, अ० ५.

प्राप्ति होती है। जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाता उसे बिना प्रयास ही मनचाहे वर्म की उपलब्धि हो जाती है। पशुओं के वध के बिना मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता है और पशु-हिंसा स्वर्ग दिलानेवाली नहीं होती; अतः मांस-भक्षण त्याग देना चाहिए। मांस की उत्पत्ति रज-वीर्य तथा वध-बन्धन से होती है अतः इसको ध्यान में लाते हुए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। जो सौ वर्षों तक अश्वमेष्य यज्ञ करता है और जो मांस नहीं खाता, दोनों ही समान पुण्य के भागी होते हैं। पवित्र फल, फूल तथा हविष्यान्न आदि खाने से उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती जो सिर्फ मांस-भक्षण के त्याग से होती है। इस लोक में जिसका भक्षण में करता हूँ दूसरे लोक में वह मेरा मांस खायेगा। यही मास का मासत्व है। इस प्रकार नियमानुसार मांस खाना, मछा पीना तथा स्त्री-संभोग करना दोषपूर्ण नहीं कहे जा सकते, कारण, ये तो प्राणी के स्वभाव हैं लेकिन इन सबसे निवृत्त होना श्रेयस्कर तथा महाफलदायक है।^१

इसके अलावा मनुस्मृति में अन्य जगहों पर भी बहुत से श्लोक ऐसे मिलते हैं जिनसे पूर्णतः अहिंसा के सिद्धान्त की पुष्टि होती है, जैसे—प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसापूर्ण अनुशासन होना चाहिए।^२ इन्द्रियनिग्रह, रागद्वेषत्याग तथा अहिंसा से संन्यासी मोक्ष प्राप्त करता है।^३ अहिंसा, इन्द्रियसंयम, वैदिक

१. वर्षे वर्षेऽश्वमेषेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥५३॥

फलमूलाशनेमेष्यमूल्यन्नाना च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥५४॥

मा स भक्षयिताऽमूल यस्य मासमिहादम्यहम् ।

एतन्मासस्य मासत्वं प्रवदन्ति मनीयिणः ॥५५॥

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैषुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥ मनुस्मृति, अ० ५.

२. अहिंसैव भूताना कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ॥५७॥ मनुस्मृति, अ० २.

३. इन्द्रियाणा निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानामभृतत्वाय कल्पते ॥६०॥ मनुस्मृति, अ० ६.

कर्मों का अनुष्ठान और कठोर तपस्या से द्रत की प्राप्ति होती है।^१ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता और इन्द्रियनिश्चय ये चारों वर्णों के लिए उपयुक्त हैं।^२ यही बातें बारहवें अध्याय में मिलती हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी प्राणियों को अपने में और सभी प्राणियों में अपने को देखनेवाला आत्मयाज्ञी ब्राह्मण स्वराज्य यानी मुक्ति पाता है। स्थिरचित्त होकर सत्-असत् सबको अपने अन्दर देखनेवाला व्यक्ति अधर्म से अपने को अलग रखता है। सभी देवता आत्मस्वरूप हैं, समूचा जगत् आत्मा में स्थित है और आत्मा के ही द्वारा शरीरधारियों के कर्मयोग का निर्माण होता है। इस तरह जो भी व्यक्ति अपने को सभी जीवों में देखता है वह सबमें समन्वय-भाव की सृष्टि करता है, और इसी बजह से वह ब्रह्मपद की प्राप्ति करता है।^३

अतः यद्यपि मनुस्मृति में वैदिक विधियों की प्रबलता देखी जाती है फिर भी अहिंसा का सिद्धान्त काफी आगे बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। अहिंसा की राह पर चलनेवाले को इसने उस महापुण्यफल का भागी बताया है जो अनेकों वर्षों तक अश्वमेघ यज्ञ करने से होता है, और मुक्तिदायिका तो यह (अहिंसा) है ही जिसे अनेक स्थलों पर उद्घोषित किया है।

१. अहिंसयेन्द्रियासंर्गेवंदिकेश्वैव कर्मभिः ।

तपसश्चरणैश्चोप्तैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥७५॥ मनुस्मृति, अ० ६.

२. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्चयः ।

एतं सामासिकं चर्मं चतुर्वर्ष्येऽग्नीमन्मनुः ॥६३॥ मनुस्मृति, अ० १०.

३. यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते ।

तादृशेन शरीरेण तत्तत्कलमुपादनुते ॥८१॥

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।

अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ॥८३॥

सर्वमात्मनि संपश्येत्सञ्चासञ्च समाहितः ।

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मं कुरुते मनः ॥११८॥

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वात्मन्यवस्थितम् ।

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥११६॥ मनुस्मृति, अ० १२.

सूत्र :

सूत्रों के चार प्रकार या विभाग हैं : श्रीत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र तथा शूल्य सूत्र । राधाकुमुद मुकर्जी ने सूत्रों की रचना ई० पूर्व अष्टमी शती से ई० पूर्व तीसरी शती के बीच में माना है ।^१ श्रीत सूत्रों का सबंध श्रुति से है इसलिए इन्हे 'श्रीत' कहते हैं और गृह्य एवं धर्म सूत्र स्मृति पर आधारित हैं इसलिए इन्हे स्मार्त कहते हैं ।^२

सूत्र काल में यद्यपि उपनिषदों से निकली हुई ज्ञानधारा प्रवाहित होती हुई देखी जाती है, ब्राह्मण और आरण्यक से प्रस्फुटित कर्म-काण्ड की धारा ज्यादा वेगवाली मालूम पड़ती है जिसकी जानकारी गृह्य सूत्रों एवं धर्म सूत्रों में प्रस्तुत क्रिया-काण्डों एवं सामान्य आचार आदि के वर्णन से प्राप्त हो सकती है और इसी के आधार पर सूत्र काल में प्रसारित हिंसा-अर्हिसा सिद्धान्त का भी ज्ञान हो सकता है । बोधायन, साक्षायन, पारस्कर, आश्वलायन, आपस्तम्ब, खादिर, हिरण्यकेशी एवं जैमिनि आदि गृह्य सूत्रों में अन्प्राशन, अर्ध तथा अष्टकाकर्म के निम्नलिखित वर्णन आते हैं जिनमें मांस-भक्षण की विधि बताते हुए हिंसा का समर्थन हुआ है :

अन्प्राशन—जन्म के बाद छठे माह में बच्चे का अन्प्राशन स्स्कार होता है । इस अवसर पर बच्चे को अन्न तथा उपयोगिता के अनुसार विभिन्न प्रकार के मास खिलाने का विधान है, जैसे—यदि बच्चे में वचन-प्रवाह यानी अस्त्वित बोलचाल की आदत ढालनी हो तो उसे भारद्वाजी नामक पक्षी का मांस देना चाहिए ।

- “Although the chronology of the legal literature is uncertain, it can be assumed with probability that the older Dharma Sūtras belonging to the Vedic schools date from between 800 and 300 B. C.” Hindu Civilization, p. 120.
- “The former are so called as they are based on Śruti, but both the Gṛhya - and the Dharma-Sūtras are called Smārta, as they are based on Smṛti (tradition)”. Vedic Age, p. 474.

यदि बच्चे को काफी तनुस्त बनाना हो तो तितर का मांस देना चाहिए। इसी प्रकार चंचलता या चपलता लाने के लिए मछली, लम्बी उड़ी की प्राप्ति के लिए कुक्का पक्षी का मांस, पवित्र कान्ति लाने की कामना हो तो आति नामक पक्षी का मास और यदि इन सभी गुणों की कामना हो तो अभी बताए हुए सभी मांसों को खिलाना चाहिए।^१

अर्ध—पितृ, देवता या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति आदरस्वरूप दिये गये तर्पण की संज्ञा “अर्ध” होती है। पारस्कर के अनुसार शादी के समय छः व्यक्तियों को अर्ध देना चाहिए—गुरु, शादी कराने वाला पुरोहित, कन्यादाता पिता, राजा, मित्र तथा स्नातक। किन्तु अर्ध मास के बिना नहीं होना चाहिए (स्वेवामा सोर्धः)।^२ शादी-सबधी नियम निर्धारित करते हुए आपस्तम्ब ने कहा है कि सभी शुद्ध नक्षत्रों में शादी होनी चाहिए। मध्य नक्षत्र में अर्धस्वरूप शादी के समय एक गाय और गृह में भी एक गाय देनी चाहिए। प्रथम गाय से वर के निमित्त अर्ध तैयार करना चाहिए तथा दूसरी गाय से वर को चाहिए कि अपने पूज्यलोगों को अर्ध दे। इस प्रकार गायों को मारने के प्रमुख समय ये सब हैं—अतिथि का आगमन तथा अष्टक बलिया जो पितृ एवं शादी के निमित्त होती हैं।^३ इसी तरह बोधायन, हिरण्यकेशी तथा खादिर गृह्ण सूत्रों में भी अर्ध-सबधी नियम प्रस्तुत किए गए हैं।^४

१. वष्टे मासेनप्राशन ॥१॥

श्रेतेर्भारद्वाज्या मासेनवाक् प्रसारिकामस्य कपिजलमासेनानाद्यकामस्य
मत्स्यैर्जनकामस्य कुक्कायास्याठया ” ७-११,

पारस्कर गृह्यसूत्र, काण्ड १, काण्डका १६, सूत्र १, ७-११.
सांख्यायन गृह्यसूत्र, अ० १, खं० २७, सूत्र २८८-२६१.

आद्वलायन गृह्यसूत्र, अ० १, का० १६, सूत्र १-३.

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, पट्टल ६, खं० १६, सूत्र १२.

२. पारस्कर गृह्यसूत्र, काण्ड १, काण्डका ३, सूत्र २६.

३. आपस्तम्ब गृह्यसूत्र, पट्टल १, खण्ड २, सूत्र १३, १४.

” ” ” ” ” ” ” १-६.

४. बोधायन गृह्यसूत्र, प्रश्न १, अ० ३, सूत्र ४२, ५३.

हिरण्यकेशी ” ” १, पट्टल ४, खण्ड १३, सूत्र १३.

अष्टक—अगहन मास की पूर्णिमा के बाद कुछ पक्ष की तीन अष्टमियों को तीन अष्टकाएं होती हैं, इनको आचार्य लोग अपू-पाष्टक कहते हैं, क्योंकि ये पूजा के द्वारा की जाती हैं, लेकिन बीच में यानी पौष मास की पूर्णिमा के बाद वाली अष्टमी को गाय मारकर उसके मांस को प्रयोग करने का विधान है।^१

धर्मसूत्रों में भी भक्ष्य-अभक्ष्य, शादृ तथा अन्य यज्ञों के विषय में नियम निर्धारित किये गये हैं।

भक्ष्य-अभक्ष्य—बौद्धायन धर्मसूत्र में कहा है कि पालतू जानवर, मांसाहारी जन्तु तथा पालतू पक्षी आदि नहीं खाना चाहिए लेकिन बकरा और भेड़ इसके अपवाद हैं। ऐसे ही पाँच अंगुलियों वाले जानवर, जैसे खरगोश आदि खाने को कहा गया है।^२ ऐसी ही बातें आपस्तम्ब तथा वशिष्ठ धर्मसूत्रों में भी मिलती हैं।

१. सादिर गृहसूत्र, पटल ३, खं० ३, सूत्र २७.

मन्यमाया गौ N१४ पटल ३, खं० ४, सूत्र १,७,८, १४-१७.

साक्षायन गृहसूत्र, घ० ३, ख० १३, सूत्र ६६४.

पारस्कर गृहसूत्र, कां० ३, काण्डका ३, सूत्र ८.

ग्राशब्दायन, घ० २, कां० ४, सूत्र ७, १३.

हिरण्यकेशी गृहसूत्र, प्रश्न २, पटल ५, ख० १५, पूर्ण.

कर्ज्ञमाग्रहायण्डास्त्रयोऽपरपक्षास्तेषामेकैकस्मिन्नेकैकाष्टका भवति शाकाष्टका मासाष्टकापूषाष्टकेति तत्र शाकमासापूषानि हकीषोदनं च तेषा हविषा स्पाली पाकावृताग्नीं चुह्यादष्टकायै स्वाहा एकाष्टकायै स्वाहा अष्टकायै सुराष्ट्रे स्वाहा संवसराय परिवत्सरायेदावत्सरायेष्टत्सराय कुण्ठता नमोभिः। जैमिनी गृहसूत्र, २. ३.

२. अभक्ष्यः पश्चो ग्राम्याः N१८

क्रव्यादाश्वाकुनयस्त्वं N२८

तथा कुलकुटमूकरम् ॥३॥

अन्यत्रा (२) जार्वकेभ्यः N४॥

भक्ष्या इवाविड्गोषाशादशल्यकर्क्षुद्रश्वड्गा खगवर्जाः पञ्च पञ्चनस्ताः ॥५॥

तथश्यंहारशपृथमहिष्वराह(२)कुलु गा. कुलु गवर्जाः पञ्च द्विष्वुर्द्विष्णुः ॥६॥

आद्—गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि पितरों के श्राद्ध में तिल, उड्ड, चावल, जब तथा जल प्रयोग करने से उसे एक माह के लिए तुष्टि होती है; मछली, साधारण मृग, चितकबरा मृग, खरगोश, समुद्री कछुआ, सुअर और भेड़ के मांस से तीन वर्षों तक; गाय के दूध या दूध से बने सामान से बारह वर्षों तक; वारदीस का मांस, तुलसी, लाल रंग का बकरा और गैड़े के मांस आदि से, मधु के साथ बने सामान से अनेक वर्षों तक पितरों को सतोष प्राप्त होता है।^१

यज्ञ—सामान्यतौर से यज्ञों के दो प्रकार हैं: वे यज्ञ जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है तथा वे यज्ञ जिनमें अन्नादि का प्रयोग होता है—किसी भी प्राणी की जान नहीं ली जाती है। किसी भी प्राणी की जान लेना निश्चित ही हिंसा है, इसलिए यज्ञ में भी पशुओं का हनन करना हिंसा कहा जा सकता है किन्तु इस सम्बन्ध में वैदिक धर्मग्रन्थों में कोई एक विचार नहीं बल्कि अनेकों मत मिलते हैं जिन्हे हम आगे आनेवाले पृष्ठों पर देखेंगे।

पूर्णचन्द्र, नवीनचन्द्र, अर्धवार्षिक आययन, इश्ति, चातुर्मास तथा अर्धवार्षिक यज्ञों के समय जानवरों की बलि होनी चाहिए, ऐसा वशिष्ठ का मत है। और बौधायन ने भी कहा है कि यज्ञ में

पश्चिमित्तिरिकपोतकपिञ्चबवार्धाणसम्बूरवारणा

वारणवर्जः पञ्च विविठिकराः ॥७॥

मत्स्यास्त्सहस्रदष्टुश्चित्तिचिमो वर्मी कृहच्छ्रोरोमशकरिरोहितराजीवाः ॥८॥

बौधायन धर्मसूत्र, प्रश्न प्रश्न, स्तुत १२.

आपस्तम्ब धर्मसूत्र, प्रश्न १ पटल ६, स्तुत १७, सूत्र ३१-३३, ३६, ३७.

वशिष्ठ,, अ० १४, सूत्र १४, १५, ३०, ३८.]

१. तिसमाधनीहिंसवोदकदानैमस्ति पितरः प्रीणान्ति ।

मत्स्यहरिणरुद्धाशकूर्मवराहमेषमातृः सवत्सराणि ।

गव्यपयः पायसैद्वृद्धिशब्दाणि । बाढींणसेन मासेन

कालशाकच्छ्रागलौहखड्गमांसैनंषुभित्रेश्चानन्त्यम् ॥१५॥

गौतम धर्मसूत्र, अ० १५, सूत्र १५.

आपस्तम्ब धर्मसूत्र, प्रश्न २, पटल ७, सं० १६, सूत्र २४, २६-२८.

वशिष्ठ धर्मसूत्र, गव्याय ११, सूत्र ३४.

अन्य उपकरणों के बाद शुद्ध मख्खन, पकवान, पशु (वध), सोम तथा अग्नि का प्रयोग होना चाहिए।^१

धर्मसूत्रों में जहा एक और मांस के उपयोग का विधान करके हिंसा को प्रश्न दिया गया है वहां दूसरी ओर अहिंसा के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया गया है। बौधायन के मतानुसार दंड देने के तीन साधनो—मन, वचन और कर्म, मे से किसी से भी, मन्यासी को चाहिए कि वह किसी को दण्ड न दे।^२ वशिष्ठ ने कहा है—“कष्ट से सभी जीवों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा के साथ एक संन्यासी को अपना घर त्याग देना चाहिए। जो सत सभी जीवों के साथ शान्तिपूर्वक विचरण करता है उसे किसी भी जीव-जन्तु से भय नहीं होता। यदि वह जीवों के कष्ट-तिवारण की प्रतिज्ञा नहीं करता और सभी जन्मे-अजन्मे का नाश करता है तथा उपहार ग्रहण करता है तो उसे धार्मिक नियमों से च्युत होने दो किन्तु उसे वेद पढ़ने से वचित मत होने दो अन्यथा वह शूद्र हो जायेगा। एक संन्यासी को कष्ट देना और दया दिखाना दोनों ही के बीच पूर्णतः तटस्थ होना चाहिए।”^३ आपस्तम्ब के मत मे, ब्राह्मण जो ज्ञानी है और सभी जीवों को अपने मे और अपने को सभी जीवों मे देखता है, वह स्वर्गगामी होता है। क्रोध, हृषि, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, द्रोह, मृषोद्यम, अध्याशन, परीवाद, अमूर्या, काम, मन्यु, अनात्म-भाव तथा अयोग आदि जीवों के विनाश के कारण है। इन सभी से अलग होना ही योग या मुक्ति का साधन है। इतना ही नहीं, इनके अनुसार एक ब्राह्मण ही क्या सभी लोगों को क्रोध, हृषि, लोभ आदि से बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन पवित्र नियमों का पालन करता है वह विश्वव्याप्त आत्मा में प्रवेश पा जाता है।^४ गौतम ने सभी जीवों पर दया, सहिष्णुता, अक्रोध, पवित्रता, शान्ति,

१. यज्ञागेभ्यः आज्यमाज्याद्वीषि हविर्भ्यः पशु पशोस्सोमदानयः ॥११॥

वशिष्ठ धर्मसूत्र, भ० ११, सूत्र ४६.

बौधायनधर्मसूत्र, प्रश्न १, भ० २७

२. बौधायन धर्मसूत्र, २.०.६. २५.

३. वाशिष्ठ धर्मसूत्र, १०. १ : ३. २६.

४. आपस्तम्ब धर्मसूत्र, प्रश्न १, पट्ट ८, सं० २३, सूत्र १,५-६.

अलोभ आदि को कल्याणकर एवं आत्मा के आठ गुण बताए हैं और कहा है कि जो व्यक्ति चालीस प्रकार की धर्मविधियों (इन्होंने अपने धर्म-सूत्र में प्रस्तुत की हैं) का पालन करता है लेकिन यदि उसकी आत्मा ऊपर कथित गुणों को धारण नहीं करती तो उसे न ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है और न स्वर्ग की ही । ठीक इसके विपरीत जो चालीस धर्मविधियों में से कुछेक का पालन करता है और आठ गुणों को धारण करता है उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, साथ ही स्वर्ग की भी ।^१

इस प्रकार गृह्य सूत्रों को देखने से तो लगता है कि अहिंसा का सिद्धान्त जो उपनिषद्‌काल में चला वह स्मृतिकाल में कुच दृढ़ बना परन्तु सूत्रकाल में लुप्तप्राय हो गया । क्योंकि, गृह्यसूत्रों में सब जगहों पर एवं सभी गृह्यकार्यों में मास का प्रयोग बताया गया है । इसकी पूर्ति एवं पुष्टि धर्मसूत्रों में भी होती है जहाँ श्राद्ध, भक्ष्य-अभक्ष्य आदि के वर्णन मिलते हैं । किन्तु धर्मसूत्रों के दूसरे अशों को पढ़ने से, जहा पर संन्यासी और जानी के वर्णन हैं, ऐसा लगता है कि अहिंसा का सिद्धान्त बिल्कुल मर नहीं चुका था बल्कि समाज के एक कोने में खड़ा काँप रहा था । चूंकि सूत्रों में अहिंसा की प्रधानता खासतौर से सन्यासी या मुक्ति चाहने वाले विरक्त लोगों के जीवन में ही दी गई है और यह सामान्यतौर से सोचने की भी बात है कि जिस समाज में साधारण खान-पान ही नहीं बल्कि शादी, श्राद्ध, अतिथि-सत्कार तथा छोटे-बड़े यज्ञों में भी पशुबलि का विधान किया गया हो, वहाँ अहिंसा के सिद्धान्त का विकसित होना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था । फिर भी चाहे जिस रूप में भी रहा हो लेकिन यदि अहिंसा का सिद्धान्त जिन्दा था तो उन लोगों का कम श्रेय नहीं दिया जा सकता जिन लोगों ने उसे जीवित रखा ।

बाल्मीकि-रामायण :

महर्षि बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जिसे उनके नाम के साथ ही सम्बन्धित कर दिया गया है, संस्कृत साहित्य का एक अति प्रसिद्ध महाकाव्य है और ब्राह्मण धर्म एवं सर्वान्तर से एक ऊँचा स्थान

१. गौतम धर्मसूत्र, ७०. २२-२५,

प्राप्त है। जैकोबी ने इसका रचना-काल ई० पूर्व आठवीं शती से ई० पूर्व पांचवीं शती के बीच माना है।¹ रामायणकाल में वर्ण एवं आश्रम धर्मों की धाक जमी हुई थी तथा वेद-प्रतिपादित धार्मिक नियमों का अनुगमन होता था। आचार को धर्म का अभिन्न अंग मानते हुए उस पर अधिक बल दिया जा रहा था। अहिंसा, सत्य, आत्म-संयम, दया, सहिष्णुता, क्षमा, आतिथ्य, शत्रुओं की भी सहायता करना यदि उन्हें आवश्यकता आ पड़े, एवं मन, वचन और कर्म की शुद्धि रामायण में आचार के प्रधान अंग माने हैं।² इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक नियमों पर विचार करते हुए

1. "Discussing the age of the Rāmāyana, he comes to the conclusion that it must have originated before the fifth or probably in the sixth or the eighth pre-Christian century".

History of Philosophy. Eastern and Western. (Ed. Sarvepalli Radhakrishnan), Vol. I. p. 75.

2. आनुशेष्यमनुकोशः श्रुतं शीकं दम् वामः ।

राघवं शोभयन्त्येते वज्राणा. पुरुषर्वभूम् ॥१२॥ वा० रा० २.३३.१२

सत्यं सधर्मं च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च ।

द्विजातिदेवातिथिपूजनं च पन्थानमादृस्त्रिदिवस्य सन्तः ॥३१॥

वा० रा० २.१०६.३१.

पापाना वा शुभाना वा वधाहृणामधारिपि वा ।

कार्त्ती कारुण्यमार्गेण न कश्चिच्चनापराध्यति ॥४३॥

लोकहिंसाविहाराणा कूराणा पापकर्मणाम् ।

कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशोभनम् ॥४४॥

वा० रा० ६. ११३. ४३-४४.

बद्धोलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम् ।

न हन्यादानबूंस्यार्थमपि वज्रं परतप ॥२७॥

आतों वा यदि वा दृष्टः परेषा शरणं गतः ।

परिः प्राणान्परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥२८॥

वा० रा० ६. १८. २७-२८.

कार्येन कुरुते पापं मनसा संप्रधार्य तत् ।

मनूत जिह्नया चाह त्रिविधं कर्म पातकम् ॥२९॥ वा० रा० २.१०६.२९.

कहा गया है कि आधात किए जाने पर अपनी रक्षा के लिए घातक पर घात करना दोषपूर्ण कर्म नहीं समझा जा सकता। किन्तु युद्ध में शशुभी यदि घात न करता हो, डर कर भाग रहा हो या छुपना चाहता हो या हाथ जोड़कर जान की भीख माँगता हो या नशा पीकर बेहोश हो तो वह छोड़ देने योग्य है, यानी उसे मारना उचित नहीं। सामाजिक दृष्टि से राजा, स्त्री, शिशु, वृद्ध का वध तथा शरणागत का त्याग बहुत बड़ा पाप है।^१

इन उक्तियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि रामायण काल में अहिंसा को मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थान प्राप्त था और अहिंसा का सिद्धान्त विकास की ओर अग्रसर हो रहा था।

महाभारत :

वाल्मीकि-रामायण की तरह महाभारत भी संस्कृत भाषा का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रारम्भ में इसका नाम 'जय' था किर यह 'भारत' के नाम से जाना गया और सबसे अन्त में इसने 'महाभारत' का रूप लिया जिसे हमलोग आज १८ पवौं से युक्त बृहदाकार ग्रन्थ के रूप में पाते हैं। इसमें प्रायः एक लाख से ज्यादा श्लोक हैं। इसके नायक अर्जुन हैं जिनके पौत्र का नाम परीक्षित और प्रपीत्र का नाम जनमेजय है। परीक्षित और जनमेजय के नाम के ओर भी लोग अर्जुन के वश में हो गए हैं। इनमें से प्रथम परीक्षित के समय का सबध १० से २००० वर्ष पहले माना

१. पूर्वपिकारिणौ हत्वा न हृष्टमेण युज्यते ।

पूर्वपिकारी भरतस्त्यागे धर्मस्त्वं राधव ॥२४॥ वा० रा० २.६६.२४
तथा वा० रा० ६. ६.१४;

अयुधमानं प्रच्छार्णं प्राञ्जलि शरणागतम् ।

पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहार्हमि ॥३६॥ वा० रा० ६.८०.३६.
राजस्त्रीबालबुद्धानां वधे यत्पापमुज्यते ।

भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्धताम् ॥३७॥ वा० रा० २.७५.३७.

गया है।¹ इसी के आधार पर महाभारत के रचना काल का भी अन्दाज़ किया जा सकता है।

महाभारत काल में भारतीय संस्कृति अपनी चोटी पर थी और इसका बहुमुखी विकास हो चुका था। अतः इसमें अहिंसा का पूर्ण विवेचन हुआ है, जिसमें अहिंसा-संबंधी पहले से आती हुई आशंकाओं का निवारण किया गया है।

शातिष्ठि (महाभारत का बारहवाँ पर्व) में युधिष्ठिर को राजधर्म या क्षत्रियधर्म समझाते हुए अजुंत के कथन से लगता है कि क्षत्रिय या कोई गृहस्थ हिंसा का परित्याग कर ही नहीं सकता। सुख-शांति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे को कष्ट दिया ही जाय। वे कहते हैं—

“मच्छली मारने वाले मल्लाहों की तरह दूसरों के मर्मस्थानों का उच्छेद और दुष्कर कर्म किये बिना तथा बहुसूखक प्राणियों को मारे बिना कोई व्यक्ति बहुत बड़ी सम्पत्ति नहीं प्राप्त कर सकता ॥१४॥। जो दूसरों का वध नहीं करता, उसे इस ससार में न तो कीति मिलती है, न धन प्राप्त होता है और न प्रजा ही उपलब्ध होती है। इन्द्रवृत्तासुर का वध करने से ही महेन्द्र हो गये ॥१५॥। संसार में किसी भी ऐसे पुरुष को मैं नहीं देखता, जो अहिंसा से जीविका चलाता हो; क्योंकि प्रबल जीव दुर्बल जीवों द्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं ॥२०॥। हे राजन् ! नेवला चूहे को खा

1. “Considering also that the Purāṇas place more than twenty generations between Janmejaya II and Janmejaya III and counting the date of Janmejaya III to be about 1400 B. C. we may conclude that the time of Parikṣita I and Janmejaya II and of Śatapatha and the Aitareya Brāhmaṇas should be about 2000 B. C.” Hindu Civilization (Radha Kumud Mookerji), pp. 158-159.

जाता है और नेवले को विलाव, विलाव को कुत्ता और कुत्ते को चीता चबा जाता है ॥२१॥”^१

प्रस्तुत श्लोकों में हिंसा के सिद्धान्त को अपनाया गया है इसमें कोई शक नहीं । लेकिन यहाँ पर खासतौर से राजा या अधिकारी के लिए कहा गया है कि वह हिंसा करे । क्योंकि अपने राज्य के विस्तार के लिए उसे दूसरे राजा को मारना या कष्ट पहुंचाना ही होगा अन्यथा उसका राज्य-प्रसार नहीं हो सकता । इसके अलावा यदि कोई अन्य राष्ट्र उस पर आक्रमण कर देता है तो उस समय भी अपनी रक्षा करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है । जहाँ तक गृहस्थों की बात है, यह सर्वमान्य है कि खेती या गृहस्थी संबंधी अन्य कार्यों में हिंसा होती है किन्तु इसमें यह देखा जाता है कि कर्ता का उद्देश्य क्या है ? खेती करना अथवा हिंसा करना ?

किन्तु अन्य जगहों पर शान्तिपर्व में अहिंसा के सिद्धान्त की पूर्णता पुण्डि हुई है जो व्यास के द्वारा शुकदेव को दिए गए उपदेशों में पाई जाती है :

“जब जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में सम्पूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है ॥२१॥

अपने शरीर के भीतर जैसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है; जिस पुरुष को निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता है वह अमृतत्व को प्राप्त होने में समर्थ होता है ॥२२॥

१. नाच्छित्वा परममाणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम् ।

नाहत्वा मत्स्यधातीव प्राप्नोति महती वियम् ॥१४॥

नाज्ञतः कीर्तिरस्तीह न वित्तं न पुनः प्रजाः ।

इन्द्रो वृत्तवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत ॥१५॥

न हि पश्यामि जीवन्ते लोके कच्चिदाहिस्या ।

सर्वैः सत्त्वा हि जीवन्ति दुर्बलैर्बलवत्तराः ॥२०॥

नकुलो मूषिकान्ति विठासो नकुलं तथा ।

विठासमत्ति इवा राजञ्जवानं व्यात्पृगस्तथा ॥२१॥ शां० ५०, घ० १५.

जो सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सब प्राणियों के हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई बलग मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपद को प्राप्त करना चाहता है, उस समर्थ ज्ञान-योगी के मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं ॥२३॥”^१

इतना ही नहीं पिता-पुत्र संवाद में साफ-साफ कहा गया है—

“जो मन, वाणी, क्रिया तथा अन्य कारणों द्वारा किसी भी प्राणी की जीविका का अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं करता, उसको दूसरे प्राणी भी वध या बन्धन के कष्ट में नहीं डालते ॥”^२

अर्हिसा स्वतः एक पूर्ण धर्म है और हिंसा एक अधर्म ।^३ अर्हिसा सबसे महान् धर्म है क्योंकि इससे सभी प्राणियों की रक्षा होती है ।^४ इसकी व्यापकता पर बल देते हुए व्यास कहते हैं^५ कि

१. सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥२१॥

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि ।

य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥२२॥

सर्वभूतात्मभूतस्य विभोग्युतहितस्य च ।

देवाऽपि मार्गं मुहूर्ण्ति अपदस्य पदैविष्णुः ॥२३॥ शा० प०, अ० २३६.

२. यो न हिंसति सत्त्वानि मनोवाक्कर्महेतुभिः ॥२४॥

जीवितार्थपनमर्ने, प्राणिभिर्न स बद्धयते । शा० प०, अ० २७७.

३. अर्हिसा सकलो धर्मो हिंसाधर्मस्तुषाहितः ॥२०॥ अ० २७२.

४. न भूतानामहिसाया ज्यायान् धर्मोऽस्ति कश्चन ।

यस्मान्नोद्दिजते भूतं जातु किञ्चित् कथंचन ।

सोऽभ्यं सर्वभूतेभ्यः सम्प्राप्नोति महामुने ॥३०॥ अ० २६२.

५. यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम् ।

सर्वाण्येवापि धीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥१८॥

एवं सर्वमर्हिसाया धर्मर्थमपिधीयते ।

अमृतः स निर्वयं वसति यो हिंसा न प्रपद्यते ॥१६॥

अर्हिसक् समः सत्यो भूतिमान् नियतेन्द्रियः ।

यरण्यः सर्वभूताना गतिमाप्नोत्युनुत्तमाम् ॥२०॥

अहिंसा घर्म और अथं दोनों ही (पुरुषायों) से ऊँची उठी है, सभी घर्म इसके अन्दर आ जाते हैं, जिस प्रकार हाथी के पदचिह्नों में अन्य प्राणियों के पदचिह्न समा जाते हैं। अतः जो हिंसा नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखता है, सत्य बोलता है, वैर्य धारण करता है, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तथा सभी प्राणियों को शरण देता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह (अहिंसा) सत्य, दान और इन्द्रियसंयम आदि तपों में से एक है। तथा सत्य (अंशतः), समता, दम, मत्सरता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, परमात्मा का ध्यान, आर्यता, निरन्तर स्थिर रहनेवाली वृत्ति तथा अहिंसा आदि सत्य (पूर्णतः) के विभिन्न तेरह रूपों में से एक है।^२ यानी अहिंसा सत्य का एक अंश है। अहिंसा की गणना क्षमा, धीरता, समता आदि दमों में भी होती है।^३ ऐसे साधारणतौर से यह उन नैतिक आचरणों में से एक है जो आदमी को जीवन में सुख प्रदान करते हैं।^४ तथा सन्मार्ग पर ले चलते हैं।

जहाँ तक मास-भक्षण का प्रश्न है, शान्तिपर्व (महाभारत) उस हालत में किसी को भी मास खाने की अनुमति देता है, जब प्राण संकट में हो यानी प्राण की रक्षा के लिए। इस सबध में विश्वामित्र तथा चाण्डाल की कहानी प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है-

१. अहिंसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिप्रहः ।
एतेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात् परम् ॥८॥ अ० १६१.
२. सत्यं च समता चैव दमश्चैव न संशयः ।
अमात्सव्यं क्षमा चैव हीस्तितिक्षानसूयता ॥८॥
त्यागो ध्यानमधार्यत्वं धृतिश्च सततं स्थिरा ।
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥९॥ अ० १६२.
३. क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् ।
इन्द्रियाभिज्यो दाक्षं मार्दवं हीरचापकम् ॥१५॥
अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः प्रियवादिता ।
धर्विहिंसानसूया चाप्येषा समुदयो दमः ॥१६॥ अ० १६०.
४. दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता ।
हीरहिंसाव्यसनिता दाक्षं चेति सुखावहाः ॥२०॥ अ० २६०.

कि बहुत बड़ा दुमिक्ष आ जाने के कारण एक बार विश्वामित्र एक चाण्डाल के घर से मरे हुए कुत्ते की टाँग लेकर उसका मांस पका कर खाना चाहते हैं और जब चाण्डाल उन्हें मना करता है तो वे कहते हैं कि आदमी के लिए यह जरूरी है कि सर्वप्रथम वह अपने प्राण की रक्षा करे, भले ही रक्षा करने के साधन जो भी हों। वयोकि जीवित रहकर ही किसी धर्म का पालन किया जा सकता है।^१ इसी प्रकार समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए राजाओं तथा क्षत्रियों को युद्ध करने यानी हिंसा करने की स्वतंत्रता दी गई है।

किन्तु किसी भी हालत में धर्म के नाम पर यज्ञ में पशुबलि के लिए शान्तिपर्व में विधान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में राजा विचक्षण तथा नारद के विचार एवं कृष्णों और देवताओं के बीच होने वाला तर्क-वितर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा विचक्षण ने किसी यज्ञाला में आतंनाद करते हुए बहुत से बैलों एवं गायों को देखकर निम्नलिखित शब्दों में हिंसा का विरोध और अर्हिसा का प्रबल समर्थन किया है—^२

१. येन येन विशेषेण कर्मणा येन केनचित् ।

अभ्युजीवेत् साद्यमान् समर्थो धर्ममाचरेत् ॥६३॥ अ० १४१.

सम्पूर्ण अध्याय भी देखें ।

२. अव्यवस्थितमयदैर्विमूढैनास्तिकैनं रैः ।

संशयात्मभिरव्यवतीहिंसा समनुवर्णिता ॥४॥

सर्वकर्मस्वहिंसा हि धर्मत्वा मनुरद्रवीत् ।

कामकाराद् विर्हिमन्ति बहिर्वेदा पशून् नराः ॥५॥

तस्मात् प्रमाणत कार्यो धर्मः मूकमो विजानता ।

अर्हिसा सर्वभूतेभ्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता ॥६॥

यदि यज्ञाश्च तृकाश्च यूपाश्चोद्दिश्य मानवाः ।

वृषा मास न खादन्ति नैष धर्मः प्रशस्यते ॥८॥

सुरा मत्स्या मधु मासमासवं कुसरीदनम् ।

धूर्तः प्रवर्त्तितः ह्येतन्नेतद् वेदेषु कल्पितम् N&N अ० २६५.

सम्पूर्ण अध्याय भी देखें ।

“जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्मा के विषय में संदेह है, एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है, ऐसे लोगों ने ही हिंसा का समर्थन किया है। धर्मात्मा मनु ने सम्पूर्ण कर्मों में अहिंसा का प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्यवेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं।…………सम्पूर्ण भूतों के लिये जिन धर्मों का विधान किया गया है, उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। यदि कहें कि मनुष्य यूप-निर्माण के लिए जो वृक्ष काटते हैं और यज्ञ के उद्देश्य से पशुबलि देकर जो मांस खाते हैं, वह व्यर्थ नहीं है अपितु धर्म है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे धर्म की कोई प्रशंसा नहीं करता। सुरा, आसव, मधु, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूतों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यज्ञों में भगवान् विष्णु का ही आदर-भाव मानते हैं और खीर तथा फूल आदि से उनकी पूजा का विधान करते हैं।”

इसी तरह नारद ने भी एक ब्राह्मण की कहानी कही है, जो अहिंसापूर्ण यज्ञ करना चाहता था। उसने यज्ञ का प्रारम्भ तो अपने विचारानुसार ही किया किन्तु अन्त में कुछ लोगों की राय पाकर हिंसा करने को भी तैयार हो गया। उसके साथ में धर्म का निवास था जो मृग के रूप में उस ब्राह्मण के साथ रहता था; अज्ञानवश ब्राह्मण ने उस मृग को मारकर बलिकार्य सम्पादित करने का विचार किया और जैसे ही यह घारणा उसके दिमाग में बनी कि वह साधुत्व की उच्च कोटि से निम्न कोटि में आ गया। पशुबलि-सबन्धी राय उसे सही रूप में नहीं अपितु परीक्षा के लिए दी गई थी, और परीक्षा में वह असफल रहा।’

१. उपगम्य बने सिद्धि सर्वमूलाद्विहिसया ।

अपि मूलफलैरिष्टो यज्ञः स्वर्ग्यः परं तपः ॥५॥

तस्य तेनानुभावेन मृगहिंसात्मनस्तदा ।

तपो महत्सम्पूर्चिक्ष्यन्तं तस्मादिसा न यज्ञिया ॥१८॥ अ० २७२;

सम्पूर्ण अध्याय भी देखें ।

“अज” शब्द, जिसका प्रयोग यज्ञों के प्रसाग में होता है, का सही अर्थ क्या है, इस सम्बन्ध में एक बार क्रृषियों एवं देवताओं के बीच मतभेद हुआ। क्रृषियों ने “अज” शब्द का अर्थ ‘बीज’ या ‘अन्न’ लगाया तथा देवताओं ने ‘बकरा’। अतः क्रृषियों ने यज्ञ में अन्न या बीज के प्रयोग की विधि बताई और देवताओं ने बकरे की बलि का विधान किया। संयोगवश उसी समय राजा वसु या उपरिचर वहाँ पहुँच गए। जिन्हें दोनों ही पक्षों ने सही निर्णय देने को आग्रह किया। किन्तु उपरिचर ने देवताओं का पक्षपात करते हुए निर्णय दिया कि “अज” शब्द का अर्थ होता है छाग या बकरा। यह सुनते ही क्रृषिगण कुपित हो गए और देव-पक्ष की बात कहने वाले वसु को यों शाप दिया—

“राजन् ! तुमने यह जानकर भी कि “अज” का अर्थ अन्न है, देवताओं का पक्ष लिया है, इसलिए स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। आज से तुम्हारी आकाश में विचरने की शक्ति नष्ट हो गई। हमारे शाप के आधात से तुम पृथ्वी को भेदकर पाताल में प्रवेश करोगे।” क्रृषियों के इतना कहते ही उसी क्षण राजा उपरिचर आकाश से नीचे आ गए और तत्काल पृथ्वी के विवर में प्रवेश कर गए।^१

इससे स्पष्ट हो जाता है कि “अज” शब्द का अर्थ बकरा न होकर बीज अथवा अन्न ही होता है। अतः यज्ञ में बकरे या अन्य किसी पशु की हिंसा नहीं करनी चाहिए।

अनुशासन पर्व में अर्हिसा को नैतिक या धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊँचा स्थान दिया गया है। अतः कहा गया है^२ कि अर्हिसा परम धर्म हैं, परम तप हैं, परम सत्य हैं और अन्य धर्मों की उदागम-

१. सुरपक्षो गृहीतस्ते यस्मात् तस्माद् दिवः पत ॥१५॥

मध्यप्रभृति ते राजनाकाशे विहता गतिः ।

परमच्छापापिचातेन मही भिस्ता प्रवेश्यसि ॥१६॥

ततस्तस्मिन् मुहूर्तेऽय राजोपरिचरस्तदा ।

अशो वै सम्बूद्धाशु भूमेविवरगो नृप ॥१७॥ अ० ३३७;

सम्मूर्खं अव्याय भी देलें ।

२. अर्हिसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परं तपः ।

अर्हिसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवतति ॥

स्थली है। यह परम संयम है, परम दान, परम ज्ञान, परम कल, परम मित्र तथा परम सुख हैं। इतना ही नहीं, यदि सभी यज्ञों में दान किया जाय, सभी तीर्थों में स्नान किया जाय, सब प्रकार के स्नान-दान के फल प्राप्त हो तो भी अहिंसा-धर्म से प्राप्त फल की तुलना में कम ही रहेंगे।

अहिंसा सभी धर्मशास्त्रों में परम पद पर सुशोभित होती है। देवताओं और अतिथियों की सेवा, सतत धर्मशीलता, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान, गुह और आचार्य की सेवा तथा तीर्थयात्रा ये सब अहिंसाधर्म की सोलहवाँ कला के भी बराबर नहीं हैं।^१

अतः जो अहिंसा के पथ पर चलता है उसकी तपस्या अक्षय होती है, वह हमेशा वही फल प्राप्त करता है जो तप करने से प्राप्त होता है और वह सभी प्राणियों के माता-पिता की तरह है। लेकिन क्या यही अहिंसा की मर्यादा सीमित हो जाती है? कदापि नहीं। इससे प्राप्त होनेवाले सुवर्ण का वर्णन तो सौ बर्षों से भी समाप्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत जो स्वाद के लिए दूसरे प्राणियों की हिंसा करता है वह बाध, गिर्द, सियार और राक्षसों के समान है। अतः जैसे अपने शरीर का मास काटने पर स्वयं को

अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ।

सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽन्युतम् ।

सर्वदानफलं वापि नैतत् तु ल्यमहिंसया ॥ अनुशासनपर्व (महाभारत),

ग्रं ११५, इलोक २३; ग्रं ११६, इलोक २८-३०.

१. अहिंसा परमो धर्मो ह्याहिंसा परमं सुखम् ।

अहिंसा धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु परमं पदम् ॥

देवतातिथिषु श्रूषा सततं धर्मशीलता ।

वेदाध्ययनयज्ञाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥

आचार्यगुद्याश्रुतीर्थाभिगमनं तथा ।

अहिंसाया वरारोहे कलां नाहन्ति वोक्षीम् ॥ अनु० ४०, ग्र० १४५.

कष्ट होता है उसी प्रकार दूसरे का मास काटने पर उसे भी पीड़ा होती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों को समझना चाहिए। इस भूमण्डल पर आत्मा से अधिक प्रिय कोई भी चीज नहीं है। इसलिए सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और सबको अपनी ही आत्मा समझनी चाहिए।^१

महाभारत में अहिंसा के सिद्धान्त का जितना विकास हुआ है उतना वैदिक परम्परा में अन्यत्र कही भी नहीं मिलता। यहां तक कि शान्तिपर्व में ऐसा आदेश दिया गया है कि जिस स्थान पर वैदाध्ययन, यज्ञ, तप, सत्य, इन्द्रिय-संयम एवं अहिंसा-व्रतों का पालन हो वही व्यक्ति को रहना चाहिए।^२ इसके साथ होनेवाली सभी शंकाओं एवं गलतियों को दूर करके यह प्रयास किया गया है कि अहिंसा का सिद्धान्त सर्वव्यापी एवं सर्वमान्य हो; यद्यपि क्षत्रियों को या प्राण सकट में पड़े हुए व्यक्ति के द्वारा की गई हिंसा को क्षम्य घोषित किया गया है। कुछ बातें विरोधाभास-सी अवश्य लगती हैं, जैसे राजा विचक्षण का यह कहना कि मनु ने यज्ञ में पशुबलि का विधान नहीं किया है, क्योंकि मनुस्मृति में यज्ञ के लिए पशुहिंसा की स्वतंत्रता दी गई है।

गीता :

श्रीमद्भगवद्गीता यद्यपि महाभारत के भीष्मपत्र का एक अंश है, परन्तु यह समूचे महाभारत का सार है और इसका अपना एक

१. अर्हस्तः सर्वमूरताना यथा माता तथा पिता ॥

एतत् फलमहिंसापा भूयश्च कुरुपंगव ।

नहि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्णशतैरपि ॥

संचेदनं स्वमासं यथा संजनयेद् रजम् ।

तथैव परमासेऽपि वेदितव्यं विजानता ॥

स्वमासं परमासेन यो वर्धायितुमिच्छति ।

उद्विग्नवासं लभते यत्यत्रौपजायते ॥ अनु० ४०, अ० १४५॥

२. यज्ञ वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ॥८८॥

अहिंसाधर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः ।

स वो देशः सेवितव्यो मा वोऽधर्मः यदा सृषेत् ॥८६॥

शा० ४०, अ० ३४०.

स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें, इसके पूर्व के सभी आध्यात्मिक सिद्धान्तों का समन्वय हुआ है। इसकी भाषा सरल तथा सुव्वोध है। इसमें अजुंन के द्वारा उठाए गये अनेकों धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें भोक्त के तीन मार्ग बताए गए हैं—ज्ञान, भक्ति, एवं कर्म जिनका पूर्ण विवेचन क्रमशः शकर, रामानुज तथा बालगगाधर तिलक के द्वारा हुआ है। ज्ञान की प्रधानता दिखाते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है—

“ज्ञानीजन विचा और विनय युक्त बाह्यण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में भी समझाव से देखने वाले होते हैं। जिनका मन समत्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही मधुर्ण ममार जीत लिया गया। क्योंकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा में ही स्थित है।”^१

अर्थात् ज्ञानीजन अहिंसा के पथ पर चलते हैं। इसी तरह कर्म का विवेचन करते हुए कहा है :

“कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षणमात्र में भी बिना कर्म किये नहीं रहता है, निःसन्देह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परबण हुए कर्म करते हैं।”^२

लेकिन इससे पहले उन्होंने अजुंन को सम्बोधित करते हुए यह भी कह दिया है कि कर्म करने में कर्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए—

“तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। (और तू) कर्मों के फल की वासनावाला (भी) मत हो

१. विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः N१८॥

इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि सर्वं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१६॥

गीता, अ० ५.

२. न हि कविचत्कण्ठमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृद् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः ॥५॥ गीता, अ० ३.

(तथा) तेरी कर्म न करने में (भी) प्रीति न होवे । हे धनंजय ! आसक्ति को त्याग कर (तथा) सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर । (यह) समत्वभाव ही योग नाम से कहा जाता है ॥”

यदि कार्य के फल के प्रति कर्ता को मोह या राग न होगा तो उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भी न होगा और द्वेष के अभाव में न क्रोध हो सकता है और न हिंसा ही । इसके अलावा श्री कृष्ण अपने को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, आदि पुरुष बताते हुए कहते हैं—

“हे अर्जुन ! ऐसा समझो कि सपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों (परा एवं अपरा) से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत् का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ—पृथ्वी मे पवित्र गन्ध और अग्नि में तेज हूँ और सम्पूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ अर्थात् जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ । हे अर्जुन ! तू सम्पूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान—मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा सपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ ॥”

१. कर्मण्येवाचिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुमूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥

योगस्थः कुरुकर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय ।

सिद्धप्रसिद्धधोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ गीता, अ० २.

२. एतदोनीनि मूर्तानि सर्वाणीत्युपधारय

अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभव. प्रलयस्तथा ॥६॥

पुण्योगन्धः पृथिव्या च तेजस्चार्त्स्म विभावसी ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्त्वयु ॥७॥

वीज मा सर्वभूताना विद्धि पार्थं सनातनम् ॥१०॥ अ० ७.

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशाश्वस्थितः ।

अहमादिद्वच मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ अ० १०;

६० १०, श्लोक ३४ भी देखें ।

वे आगे अजुँन को युद्ध करने को प्रेरित करते हुए कहते हैं :

“मैं लोकों का नाश करनेवाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ।
इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ।
इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं
वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेगे—ये सब शूरवीर पहले से ही
मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तू तो केवल निमित्तमात्र ही होगा।
द्वोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी
बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और
भय मत कर……”^१

इतना ही नहीं, अपने कर्त्तापन को वे निम्नलिखित शब्दों में दढ़ करते हैं :

“जिस पुरुष के अन्तःकरण में मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं
है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में अथवा सपूर्ण कर्मों में
लिप्त नहीं होती वह पृथु इन सब लोकों को मारकर भी
वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बँधता है।”^२

ऊपर कथित सभी विचार एक भक्त के हृदय में आ सकते हैं।
क्योंकि वह अपने को पूर्णरूपेण भगवान् के प्रति समर्पित कर देता
है, अतः वह समझता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में या सासार
में होता है, भले ही वह बुरा हो या भला, उसका कर्ता परमात्मा
होता है। अतः हिंसा-अहिंसा का प्रश्न ही यहाँ नहीं उठता। क्योंकि

१. कालोऽस्मि लोकस्य कृत्प्रवृद्धो

लोकान्समाहृत्मिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वा न……प्रत्यनोकेतु योशा: ॥३२॥

मयै नैते निहता पूर्वमेव,

निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥३३॥

द्वौ एव च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।

मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सप्तलान् ॥३४॥

गीता, अ० ११.

२. यस्य नाहकुतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमौलोकान् हन्ति न निवध्यते ॥१७॥ गीता, अ० १८.

व्यक्ति तो एक निभित्तमात्र ही होता है, वास्तविक कर्ता तो परमेश्वर होता है जो हिंसा-अहिंसा-सबंधी दोष या गुण से परे है।

किन्तु सही रूप में ज्ञानी या कर्मयोगी या भक्त बनना कोई आसान बात नहीं। इन स्तरों पर पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि तप किया जाय। तप के विभिन्न प्रकार हैं : देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानीजनों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि।^१.....इसके विपरीत हिंसायुक्त कार्य की गणना तामसी तथा राजसी क्रियाओं में होती है।^२

इनके अलावा श्री कृष्ण ने ब्रह्मज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, द्रव्ययज्ञ तथा तपयज्ञ करने को प्रेरित किया है जिनमें वैदिक यज्ञों की भाँति पशुबलि और मासाहार की आवश्यकता नहीं होती।^३ किन्तु श्री कृष्ण का यह कहना कि अहिंसा, समता, सतोष, तप, दान (अच्छे कर्म), अपकीर्ति (बुरे कर्म) आदि प्राणियों के विभिन्न प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं,^४ हिंसा-अहिंसा आदि सभी सिद्धान्तों को भी उन्हीं के साथ कर देता है और मनुष्य इनसे बिल्कुल अलग हो जाता है।

इस प्रकार गीता में अहिंसा को एक प्रकार का तप या मुक्ति पाने के एक माध्यन के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी ईश्वर के हाथ में अधिकृत कर दिया गया है। यदि सब-कुछ का कर्ता ईश्वर ही है तो मनुष्य क्यों व्यर्थ परेशान होगा और नाम-बदनाम के चक्र में आयेगा ?

१. देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ गीता, अ० १७.

२. अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवैक्षण च पौरुषम्

मोहादारम्भते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥

रागी कर्मफलप्रेमसुलुभ्वो हिंसात्मकोऽशुचि ।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तिः ॥२७॥ अ० १८;

अ० १८, श्लोक २८ भी देखें।

३. गीता, अ० ४, श्लोक २३-३३.

४. अहिंसा समता तुष्टिस्तदो दान यज्ञोऽयगः ।

भर्वान्त भावा भूताना मत्त एव पृथिवीधा न॒४४ गीता, अ० १०.

पुराण :

पुराणों के समय के विषय में कोई निश्चित :जानकारी नहीं होती। पारगिटर के अनुसार ये प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दू धर्म (वैदिक धर्म) के ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक आदि सभी सिद्धान्तों के विश्वकोश हैं।^१ पर इनका रचना-काल कोई एक नहीं कहा जा सकता, कारण पुराणों की संख्या बहुत है, जिनमें से एक-दो तो अति प्राचीन माने जाते हैं यानी महाभारत आदि से भी पूर्व के और कुछ बाद के समझे जाते हैं। सामान्य तौर से वायु-पुराण को सभी पुराणों में प्राचीन माना जाता है, क्योंकि इसकी लेखन-पद्धति अन्य पुराणों की लेखन-पद्धति से भिन्न है। पुराणों में भी अहिंसा-सिद्धान्त को अच्छी तरह प्रकाशित किया गया है।

वायुपुराण—इसके अनुसार मन, वाणी एवं कर्म से सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। यदि कोई भिक्षु अनिच्छा से भी किसी पशु की हिंसा कर डालता है तो इस दोष या पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रायशिचत्त स्वरूप उसे चान्द्रायण आदि कठोर व्रतों को करना चाहिए।^२ यद्यपि, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अन्य ग्रास्त्रों ने उस हिंसा को क्षम्य माना है जिसमें हिंसक का उद्देश्य हिंसा करना न हो, किन्तु वायुपुराण तो उस व्यक्ति (खास तौर से भिक्षु, सन्यासी) को भी महादोषी ठहराता है जो जान-बूझकर नहीं, बल्कि अनजाने या भूल से ही हिंसा कर बैठता है।

1. Pargitar has rightly remarked—"Taken collectively, they (the Purāṇas) may be described as a popular encyclopaedia of ancient and mediæval Hinduism, religious, philosophical, historical, personal, social and political" Encyclopaedia of Religion and Ethics, article on "Purāṇa."
2. अहिंसा सर्वभूताना कर्मणामनसागिरा । अकामादरि हिसेत यदि भिक्षु पश्चून मृगान् । कुच्छातिकुच्छुं कुर्वीत चान्द्रायणमथारि वा ॥१३॥
वायुपुराण, पूर्वार्ध, ग्र. १८.

विष्णुपुराण—सूत्रों में हम लोगों ने देखा है कि यज्ञों में गाय या अन्य पशुओं की बलि धर्मोचित है। विष्णुपुराण के मैत्रेयी-पराशर वातालिष में उन अन्नों या औषधियों के नाम बताये गए हैं जो यज्ञ के काम में आते हैं—घान, यव, उड़द, गवेषु, वेणु, छोटे घान्य, तिल, कांगनी, कुलथी, श्यामाक, नीवार, वनतिल, मर्कट (भक्का)। ये सभी यज्ञानुष्ठान की सामग्रियाँ हैं, किन्तु इनमें किसी भी प्रकार का मास या मछली का नाम नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, इस पुराण में हिंसा का एक पारिवारिक रूप भी प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है :

“अष्टर्मी की स्त्री हिंसा थी। उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नामक कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नाम के पुत्र पैदा हुए। जिनकी पत्नियाँ माया और वेदना नाम की कन्याएँ बनी। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार-कर्ता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अष्टमरूप हैं और दुःखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं (व्योकि इनके परिणामस्वरूप दुःख ही प्राप्त होता है)। इनकी न कोई स्त्री और न कोई सम्भान ही है। ये ऊर्ध्वरेता हैं। हे मुनिकुमार ! ये सब भगवान्

१. श्रीहृष्टव यवाश्चैव गोधूमादचाणुवस्तिला ।

प्रियंगबो हृष्टवाराश्च कोर दूषा: सतीनकाः ॥२१॥

माया मुदगा मसूराश्च निष्पावा. सकुलत्यका ।

आढक्यश्चणकाश्चैव शणा. ससदश स्मृता ॥२२॥

इत्येता शोषकीना तु ग्राम्याना जातयो मूने ।

शोषद्यो यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश ॥२३॥

श्रीहृष्टस्सयवा माया गोधूमादचाणुवस्तिला ।

प्रियंगुसप्तमा ह्येते ग्रहमास्तु कुलत्यकाः ॥२४॥

श्यामाकास्त्वय नीवारा: जर्तिसा सगवेषुकाः ।

तथा वेणुयवा. प्रोक्तास्तथा मर्कटका मूने ॥२५॥

ग्राम्यारण्या स्मृता ह्येता शोषध्यस्तु चतुर्दश ।

यज्ञनिष्पत्ये यज्ञस्तथासाँ हेतुरुत्तमः ॥२६॥

विष्णुपुराण. प्रथम धंश, प० ६.

विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण हैं।”^१

चूंकि विष्णु सर्वव्यापक है, यज्ञ में इन्हीं का यजन होता है, इन्हीं का जप किया जाता है और हिंसा करने वाला इन्हीं की हिंसा भी करता है। अतः जो व्यक्ति परस्त्री, परवधन एवं हिंसा से अपने को अलग रखता है उससे हमेशा ही विष्णु सतुष्ट रहते हैं। जो सभी प्राणियों को पुत्रवत् देखता है उससे शीघ्र ही श्री हरि यानी विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि किसी का अहित न करे, साथ ही सबके हित की कामना करे क्योंकि सभी जीवों के प्रति मैत्रीभाव रखना ब्राह्मण का धर्म है।^२

१. हिंसा भार्या त्वधर्मस्य ततो जज्ञे तथानृतम् ।

कन्या च निकृतिस्तान्या भयं नरकमेव च ॥३२॥

माया च वेदना चैव मिषुनं त्विदमेतयोः ।

तथोर्जजेऽय वै माया मृत्युं भूतापहारिण्यम् ॥३३॥

वेदना स्वसुतं चापि दुःख यज्ञेऽय रीरवात् ।

मृत्योर्ब्याच्चिजराशोकतृष्णाकोवादच जज्ञिरे ॥३४॥

दुःखोत्तराः स्मृताः ह्यते सर्वे चार्षमलक्षणाः ।

नैवा पुत्रोऽस्ति वै भार्या ते सर्वे हृग्रुवर्वेतसः ॥३५॥

रीद्राण्येतानि रुग्णाणि विष्णुर्मूर्तिवरात्मज ।

नित्यप्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै ॥३६॥

विष्णुपुराण, प्रथम घण्टा, प्र० ७,

२. यज्ञशान्त्यजत्येन जपत्येनं जपन्नूप ।

निष्ठन्नन्यान्हिनस्त्येनं सर्वभूतो यतो हरिः ॥१०॥

परदारपद्मव्यपर्हसासु यो रतिम् ।

न करोति पुमान्भूप तोष्यते तेन केशवः ॥१४॥

यथात्मति च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा ।

हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम् ॥१७॥

सर्वभूतहित कुयन्नाहितं कस्यचिद् द्विजः ।

मैत्री समस्तभूतेषु ब्राह्मणस्योत्तमं धनम् ॥२४॥

विष्णुपुराण, घण्टा-३, प्र० ८.

इस प्रकार विष्णुपुराण ने हिंसा को सभी पातकों की जड़ तथा अहिंसा को विष्णु को संतुष्ट करने यानी मुक्ति पाने का बड़ा साधन कहा है तथा यज्ञो में अन्न के प्रयोग को धर्मोचित बताया है। लेकिन इसका यह तर्क कि विष्णु सर्वव्यापक हैं और हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, अतः हिंसा गलत है, उतना ठीक नहीं मालूम पड़ता। क्योंकि यदि मारे जाने वाले जीव में विष्णु का निवास है तो हिंसक में क्या विष्णु निवास नहीं करते? इसलिए जहाँ तक विष्णु की व्यापकता की बात है, मारनेवाला और मरनेवाला दोनों ही विष्णु के रूप हैं। अतएव हिंसा-अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

अग्निपुराण- इसमें अहिंसा एवं अन्य नैतिक व्रतों की फल-दायिनी व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये मुक्ति एवं भुक्ति दोनों के ही देनेवाले हैं। शान्तियवं को तरह इसमें भी अहिंसा की तुलना हाथी के पदचिह्न से की गई है तथा कहा गया है कि शौच, सतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर-पूजन, प्राणियों को कष्ट न देना आदि अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं। इसके विपरीत उद्देगजनन, मताप देनेवाला रुदन, पिशुनता, हित का निषेध, दिल को दुःखित करनेवाली बात, सुख का अभाव, सरोघ और वध ये सभी हिंसा के रूप हैं।'

१. चित्तवृत्तिनिरोधश्च जीवब्रह्मात्मनोऽपि ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यपरिग्रहौ ॥२॥

यमाः पञ्च स्मृता विप्र नियमाभुक्तिमुक्तिदाः ।

शौच सतोषतपसी स्वाध्यायेश्वरपूजने ॥३॥

भूतपीडा ह्यहिंसा स्यादहिंसा धर्मं उत्तमः ।

यथा गजादेऽन्यानि पदानि पथगामिनाम् ॥४॥

एवं सर्वमहिंसाया धर्मर्थमभिधीयने ।

उद्देगजननं हिंसा सन्तापकरणं तथा ॥५॥

शब्दकृति शौणितकृति वैशून्यकरणं तथा ।

हितायातिनिषेधश्च मर्माद्वाटनमेव च ॥६॥

सुखारहनुति सरोघो वधो दशविशा च सा ।

यद्भूतहिंसात्यन्तं वचः सत्यस्य लक्षणाम् ॥७॥ अग्निपुराण, अ० ३७२.

मत्स्यपुराण—अहिंसा मुनि-व्रतों में से एक है।^१ जितना पुण्य चार वेदों के अध्ययन से या सत्य बोलने से अर्जित होता है उससे कहीं अधिक पुण्य की प्राप्ति अहिंसा व्रत के पालन से होती है।^२ ऐसा कहकर अहिंसा के स्थान को बहुत ही ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। आगे चलकर यज्ञ में किए गए पशु-वध का निषेध करते हुए कहा गया है कि यज्ञ में पशु-हिंसा करने से धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म होता है। मुनिजन कभी भी हिंसा या हिंसापरक यज्ञ का अनुमोदन नहीं करते, क्योंकि इन लोगों के अनुसार शरीर को अनेक वर्षों तक तपाकर मुक्ति पाना तथा कन्द-मूल खाकर क्षुधातृप्ति करना श्रेयस्कर है; ये मुनिजन कभी भी हिंसा की प्रशसा नहीं करते।^३

ब्रह्मपुराण—शिव-पार्वती वार्तालाप में पार्वती के पूछने पर कि कौन-कौन से लोग मुक्ति पाने योग्य होते हैं, शिव उत्तरस्वरूप कहते हैं—प्रलय और उत्पत्ति को जानने वाले, सवंदर्शी, सर्वज्ञ एवं वीतराग पुरुष कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं; उसी प्रकार मन,

१. मुनिव्रतमहिंसादिपरिगृह्य त्वयाकृतम् ।

घर्मर्थिणास्त्ररहितं शत्रुं प्रति विभावसो ॥१५॥ म० प०, अ० ६०.

२. चतुर्बेशु यत् पुण्यं यत् पुण्यं सत्यवादिपु ।

अर्हिसायान्तु या घर्मो गमनादेव तत् फलम् ॥४८॥ म० प०, अ० १०५.

३ अधर्मो बलवानेष हिंसा घर्मेष्या तव ।

नवः पशुविधिस्त्वष्टुस्तव यज्ञे सुरोत्तम ॥१२४॥

अवर्मो घर्मधाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया ।

नायंघर्मो हृष्मर्मोऽयं न हिंसा घर्मी उच्यते ।

धागमेन भवान् घर्मं प्रकरोतु यदोच्छ्रुतिः ॥१३॥

हिंसास्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शनागमः ।

तथैते भाविता मन्त्रा हिंसालिंगमहर्षिभिः ॥२१॥

तस्मान्नहिंसायज्ञे स्याद्युत्सामृषिभिः पुरा ।

ऋषिकोटिसहास्राणि स्वैस्तपोभिर्दिवंगता ॥२६॥

तस्मान्न हिंसायज्ञं प्रशंसन्ति महर्षयः ।

उञ्ज्ञो मूलं फलं शाकमुदपास्त्रं तपोषनाः ॥३०॥ म० प०, अ० १४२.

वचन और कर्म से अहिंसा व्रत को पालने वाले भी मुक्त हो जाते हैं। जो जीव हिंसा से रहित, शीलवान तथा दयालु हैं और जिनकी दृष्टि शत्रु और मित्र के लिए बराबर है, वे कर्म-बन्धन से छुटकारा पा जाते हैं। सब प्राणियों पर दया दिखाने वाले, सब मे विश्वास रखनेवाले, सब तरह की हिंसा से विरक्त रहनेवाले, एकान्त में भी परायी स्त्री की कामना न करनेवाले और मन से भी किसी जीव की हिंसा न करनेवाले लोग स्वर्गगामी होते हैं।'

१. प्रलयोत्पत्तितत्त्वज्ञा सर्वज्ञा: सर्वदर्शिनः ।

बीतरागा: विमुच्यन्ते पुरुषा कर्मबन्धने: ॥६॥

कर्मणा मनसा वाचा येन हिसन्ति किञ्चन ।

ये न मञ्जन्ति कस्त्मिन्दिक्षते न बन्धनन्ति कर्मभिः ॥७॥

प्राणातिपाताद्विरता: शीलवन्तो दयान्विता ।

तुल्यद्वेष्य प्रियादान्ता मुच्यन्ते कर्मबन्धने: ॥८॥

सर्वभूतदयावन्तो विश्वास्या: सर्वजन्मुषु ।

त्यक्तहिंससमाचारास्ते नरा. स्वर्गगामिनः ॥९॥

परस्वनिर्ममा निर्यं परदारा विवजिताः ।

घर्मलब्धार्थभोक्तारस्ते नरा. स्वर्गगामिनः ॥१०॥

अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दृश्यते यदा ।

मनसाऽपि न गृह्णन्ति ते नरा: स्वर्गगामिनः ॥११॥

तथैव परदारान्ये कामबृता रहोगता ।

मनसाऽपि न हिसन्ति ते नरा. स्वर्गगामिनः ॥१२॥

एवं भूतो नरो देवि निरयं प्रतिपद्धते ।

विपरीतस्तु घमत्मा स्वस्थेणाभिजायते ॥१३॥

निरयं याति हिसात्मा याति स्वर्गमहिंसकः ।

यातना निरये रौद्रा सकृच्छा लभते नरः ॥१४॥

शुभेन कर्मणा देवि प्राणिधातविवर्जितः ।

निषिद्धस्त्रो निर्दण्डो न हिसति कदाचन ॥१५॥

न वातयति नो हन्ति अनन्तं नैवानुभोदते ।

सर्वभूतेषु सर्वेषो यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥१६॥

ईदृशा. पुरुषो नित्यं देवि देवत्वमशनुते ।

उपपन्नान्मुक्तान्मोगान्सदाऽशनाति भुदायतुः ॥१७॥ अ० पु०, अ० २२४.

नारदपुराण—इस पुराण में महर्षि भगु के द्वारा राजा भगीरथ को दिया गया उपदेश अहिंसा-सम्बन्धी विचार को काफी दृढ़ बनाता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार धर्म का विरोध न हो उसी प्रकार धर्मपरायण व्यक्तियों के कर्म होने चाहिए। सज्जन पुरुषों के अनुसार वे ही सत्य वचन हैं जिनसे किसी का विरोध न हो, जिनसे किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। हे राजन्! यह अहिंसा का रूप है; इसके द्वारा सभी कमानाएँ पूर्ण होती हैं।^१ इसके अलावा अन्यत्र यह भी कहा गया है कि मन, वचन और कर्म से बिना किसी को कष्ट पहुँचाये विष्णु की पूजा करनी चाहिए। योगी किसी भी मार्ग पर चले, यानी कर्म या ज्ञान योग के पथ पर या और किसी मार्ग पर लेकिन सभी हालत में उसे अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, डाह का त्याग और दया का पालन करना आदि इसके लिए परमावश्यक है। क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूया ये सब यम के सक्षिप्त रूप हैं और अहिंसा जिसका अर्थ होता है—किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, योग से सिद्धि दिलाने वाली है।^२

१. धर्माविरोधतो वाच्यं तद्वि धर्मपरायणै ।

देशकालादिविज्ञाय स्वयमस्था विरोधतः ॥२४॥

यदूचः प्रोच्यते सद्विभृत्सत्यमभिवृत्यते ।

सर्वेषामेव जंतुनामवलेशजननं हि तत् ॥२५॥

अहिंसा सा नृप प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी ।

कर्मकार्यसहायत्वमकार्यं परिपन्थता ॥२६॥ नारदपुराण, घ० १६.

२. कर्मणा मनसा वाचा परपीडा पराङ्मुखः ।

तस्मात्सर्वगतं विष्णुं पूजयेद् भक्तिसंयुतः ॥३४॥

अहिंसा सत्यमक्रोधो ब्रह्मचर्यपरिग्रहौ ।

अनीर्ष्या च दया चैव योगयोरुभयोसमाः ॥३५॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यपरिग्रहौ ।

अक्रोधश्चानसूया च प्रोक्ताः संक्षेपतो यमाः ॥३६॥

सर्वेषामेव भूतानामक्लेशजननं हि यत् ।

अहिंसा कृषिता सद्भियोगसिद्धिप्रदायिनी ॥३७॥ नारदपुराण, घ० ३३.

शिवपुराण—शिवपुराण ने सामान्य तीर से हिंसा की गणना पापकर्मों में की है, यानी अहिंसा पुण्यकर्म है। इसके अनुसार अभक्ष्य का भक्षण करना हिंसा, दूसरों का धन हरण करना, माता-पिता को त्याग देना, तथा शिव-भक्तों के द्वारा मांस भक्षण करना, घूठ बोलना आदि पापकर्म है।^१ जो व्यक्ति पाप-कर्मों में रत है यानी क्रोध करता है, हिंसा करता है, तथा अपनी आजीविका के लिए दान-यज्ञ करता है वह नरकगामी होता है अर्थात् विभिन्न प्रकार की यातनाएँ पाता है।^२

बृहदधर्मपुराण—बृहदधर्मपुराण ने अग्निपुराण की तरह ही अहिंसा का बहुत विस्तृत रूप बताया है और कहा है कि श्रद्धा, अतिथि-सेवा, सबमें आत्मीयता, आत्मशुद्धि आदि सभी अहिंसा की ही विभिन्न विधियाँ हैं।^३

कूर्मपुराण ने (जैसा कि हम लोगों ने अन्य जगहों पर देखा है) अहिंसाव्रत को सिफं ज्ञानी या ब्राह्मणों के लिए ही आवश्यक नहीं कहा है अपितु अन्य आश्रमों या वर्णों के लिए भी इसे आवश्यक बताकर इसकी व्यापकता को और बढ़ा दिया है। इसने कहा है कि क्षमा, दम, दया, दान, अलोभ, आर्जि, अनसूया, सत्य, सन्तोष, श्रद्धा आदि ब्राह्मणों की विशेषताएँ हैं। किन्तु अहिंसा, प्रिय वचन,

१. अभक्ष्यभक्षणं द्विसा मिथ्याकार्यं निवेशनम् ।

परस्वानामुगादानं चतुर्ढा कर्मकार्यकम् ॥५॥

पितृमातृपरित्यागं कृटसाक्षयं द्विजानुतम् ।

आभिप शिवभक्तानामभद्रस्य च भक्षणम् ॥३३॥ शिवपुराण, प्र०५.

२ ये पारनिरता, कूरा येऽपि हिंसाप्रिया नरा ।

वृत्यर्थं येऽपि कुर्वन्ति दानयज्ञादिका, क्रिया ॥२१॥ शिवपुराण, प्र० ६

३. अहिंसान्वासनजय, परचोडा विवज्जनम् ।

श्रद्धाचातिथिसेवा च शान्तस्यप्रदर्शनम् ॥

आत्मीयता च सर्वत्र आत्मशुद्धिः परमात्मसु ।

इति नानाविधा, प्रोक्ता अहिंसेति महामूले ॥११-१२॥

बृहदधर्मपुराण, प्र० २.

अपिशुनता आदि चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र) के लिये आवश्यक है ।^१

भागवतपुराण—इसमें सनत्कुमार ने अहिंसा को गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करना, भागवत धर्मों का आचरण, तत्त्वजिज्ञासा तथा ज्ञानयोग की निष्ठा आदि ब्रह्मप्राप्ति के अठारह साधनों में से एक कहा है ।^२ आगे चलकर नारद ने युधिष्ठिर से कहा है कि धर्म के तीस लक्षण हैं जिनमें अहिंसा भी प्रमुख स्थान रखती है ।^३

१. क्षमा दमो दया दानमलोभस्त्याग एव च ।

आजैवं चानसूया च तीर्थनुसरणं तथा ॥६५॥

सत्यं सन्तोषमास्तिक्यं श्रद्धा वेन्द्रियनिग्रहः ।

देवताम्यचंनं पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः ॥६६॥

अहिंसा प्रियवादित्वमपैशुन्यमकलक्ता ।

सामासिकिमं धर्मं चातुर्वर्णेऽन्नदीन्मनुः ॥६७॥ कूर्मपुराण, अ० २.

२. सा श्रद्धया भगवद्वर्मचर्यं या जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया ।

योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यथ्रवःकथया पुण्यया च ॥२२॥

अथेन्द्रियारामसंगोऽथतृष्णया तत्सम्मतानामपरिप्रहेण च ।

विविक्तरुच्या परितोष आत्मन् विना हरेणुं गोपीयुधपानात् ॥२३॥

अहिंसया पारमहंस्यचर्यं स्मृत्या मुकुन्दाचरिताश्यमीघुना ।

यमैरकामैनियमैश्वायनिन्दया निरोहया दृन्द्रितिरिक्षया च ॥२४॥

हरेसुंहुस्तत्परकण्ठंपूरगुणाभिधानेन विजृम्भमाणया ।

भक्त्या ह्यसंगः सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ऋह्याणुं चाञ्छसा रतिः ॥२५॥
भागवतपुराण, प्रथम स्कन्ध, स्कन्ध ४, अ० २२.

३. सत्यं दया तपः शीर्वं तितिक्षा शमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आजैवम् ॥८॥

संतोषः समदृक् सेवा आम्येहोपरमः शनैः ।

नृणां त्रिपर्येहका मौनमात्मविमर्शनम् ॥९॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृत ।

निश्चलकण्ठान्नाजन्सवत्तिमा येन तुष्टिः ॥१०॥

भागवतपुराण, प्रथम स्कन्ध, स्कन्ध ७, अ० ११.

इसके (भा० पु०) द्वितीय खण्ड में शुकदेव जी ने धर्म और अधर्म के चरण या रूप का वर्णन करते हुए यह भी बताया है कि किस प्रकार समय-परिवर्तन के अनुसार धर्म और अधर्म के बल घटते-बढ़ते रहते हैं । इनके अनुसार सत्युग में धर्म के चार चरण थे—सत्य, दया, तप और दान । इसी तरह अधर्म के भी चार चरण थे—असत्य, हिंसा, असन्तोष और कलह । त्रेतायुग में धर्म का चतुर्थीश समाप्त हो गया फिर भी अत्यन्त हिंसा और लम्पटता न थी । द्वापर में हिंसा, असन्तोष, कूठ और द्वेष अधर्म के चार चरणों की प्रबलता हो गई जिनकी वजह से धर्म के चरण—तपस्या, सत्य, दया और दान अर्धक्षीण हो गए और कलियुग में अधर्म के चारों चरण अपने बल की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं ।^१

इस प्रकार पुराणों को देखने से पता लगता है कि इनमें भी अर्हिसा का सिद्धान्त पूर्ण विकसित एवं समृद्ध है तथा इसे संन्यासी और ब्राह्मणों तक ही सीमित न रखकर सभी वर्णों के लिए आवश्यक कहा गया है, यह मुनिव्रत ही सिर्फ न रहकर साधारण

१. कृते प्रवर्तते धर्मशब्दतुष्ट्यात्तद्वैषुंतः ।

सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोनूप ॥१८॥

सन्तुष्टाः कृष्णा भैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षावः ।

आत्मारामाः समदृशाः प्रायशः शमणा जनाः ॥१९॥

त्रेतायां धर्मपादानां तुयाशो हीयते शनैः ।

अधर्मपादैरनूत्तर्हिसासन्तोषविग्रहैः ॥२०॥

तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिर्हिसा न लम्पटाः ।

त्रैविंगिकाश्रयी बृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नुप ॥२१॥

तपस्सत्यदयादानेष्वर्धं ह्रसति द्वापरे ।

हिंसातुष्ट्यनूत्तद्वेषधर्मस्याधर्मनक्षणैः ॥२२॥

यशस्त्विनो महाशासाः स्वाध्यायाध्ययने रताः ।

आद्या कुदुम्बिनो हृष्टा वर्णाः कर्त्राद्वृजोत्तराः ॥२३॥

कली तु धर्महेतुना तुयाशोऽधर्महेतुभिः ।

एषमानैः कीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनडुक्षति ॥२४॥

भागवतपुराण, द्वितीय खण्ड, स्कन्ध १२, प० ३.

धर्म का प्रमुख अंग बन गया है, जैसा कि हमलोगों ने महाभारत में देखा है। कहीं-कहीं यह अपने में सभी धर्मों को समाविष्ट करती हुई दीखती है और शुकदेव जी ने जो समयानुसार धर्म या अधर्म की शक्ति की बृद्धि या क्षय का जो प्रसग उपस्थित किया है उससे विभिन्न युगों में हिंसा अथवा अहिंसा की गति-विधि का एक अन्दाज़-सा लगता है।

भाषण दर्शन :

उपनिषदों में प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्तों का सारस्वरूप 'तत्त्वमसि' मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है, त्वं यानी जीव और तत् यानी ब्रह्म, एक है, अर्थात् दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इस सिद्धान्त के विवेचन तथा स्पष्टीकरण के लिए जौपनिषदिक काल के बाद विभिन्न दार्शनिकों ने प्रयास किए जिनके फलस्वरूप अन्य मतों के जन्म हुए, जैसे सार्थक, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा तथा वेदान्त जिन्हे षड्दर्शन कहा जाता है। राघाकृष्णन् ने कहा है—

"भारत में हम बौद्धकाल में दार्शनिक चिन्तन की एक महती लहर उमड़ती हुई पाते हैं । बौद्ध तथा जैन धर्मों के विप्लव ने, वह विप्लव अपने आप में चाहे जैसा भी था, भारतीय विचारधारा के क्षेत्र में एक विशेष ऐतिहासिक युग का निर्माण किया । वास्तविक तथा जिज्ञासा-भाव से निकला हुआ संशयवाद विश्वास को उसकी स्वाभाविक नींवों पर जमाने में सहायक होता है। नींव को अधिक गहराई में ढालने की आवश्यकता का ही परिणाम महान् दार्शनिक हलचल के रूप में प्रकट हुआ, जिसने छः दर्शनों को जन्म दिया जिनमें काव्य तथा धर्म का स्थान विश्लेषण और शुद्ध समीक्षा ने ले लिया ।"

इससे लगता है कि षड्दर्शनों का जन्म ई० पूर्व छठी शती में ही हुआ। इन दर्शनों में सिर्फ तात्त्विक विवेचन ही नहीं बल्कि ज्ञान-मीमांसा एवं नैतिक विचार-विमर्श को भी स्थान मिला है,

१. भारतीय दर्शन—राघाकृष्णन्, भाग २, हि० अनु०—नन्दकिशोर गोमिल,
पृ० १५.

और इनकी नैतिक समस्याओं में हिंसा-अहिंसा का प्रश्न भी एक रहा है।

योग—इसके अनुसार योग में आठ अंग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एव समाधि। और अहिंसा सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह—ये यम के ही रूप हैं।^१ ये महाव्रत हैं जो जाति, देश, काल, समय तथा परिस्थितियों में ही सीमित नहीं रहते। इसी प्रकार शौच, सन्तोष, तप आदि नियम हैं। किन्तु यम और नियम के अभ्यास के समय वितर्क या विरोधी बातें यानी कुविचार मन में आते हैं और ये कुविचार हिंसा या अन्य कुकर्म अथवा पाप करने को प्रेरित करते हैं। हिंसा की जाती है, कराई जाती है तथा करने को अनुमोदित होती है, अर्थात् कोई व्यक्ति स्वतः हिंसा करता है, दूसरे को आज्ञा देकर हिंसा करवाता है और हिंसामय कार्य देखकर चुप रह जाता है, उसका विरोध नहीं करता। ये लोभ, क्रोध और मोह के कारण होती है। इनमें तीन स्तर होते हैं—मृदु, मध्य और तीव्र। इस प्रकार कृत, कारित एव अनुमोदित, तथा लोभ, क्रोध एव मोह के आधार पर होने के कारण हिंसा ह प्रकार की होती है। चूंकि ये तीन स्तरों (मृदु, मध्य एव तीव्र) की होती हैं, इसलिए $6 \times 3 = 27$ प्रकार हुए। फिर मृदु, मध्य एव तीव्र के भी अलग-अलग तीन-तीन स्तर हो सकते हैं; जैसे—मृदु-मृदु, मृदु-मध्य, मृदु-तीव्र; मध्य-मृदु, मध्य-मध्य, मध्य-तीव्र और तीव्र-मृदु, तीव्र-मध्य, तीव्र-तीव्र। इन सबके आधार पर हिंसा ८१ प्रकार की होती है। इस तरह अहिंसा के प्रतिष्ठान से वैर का सर्वथा त्याग हो जाता है।

१. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि ॥२६॥

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यपरिग्रहा यमा ॥३०॥

जातिदेशकालसमयानवच्छन्नान् सार्वभौमा महाव्रतम् ॥३१॥

शीघ्रमन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ॥३२॥

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदित लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् ॥३४॥

पर्वहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैरत्यागः ॥३५॥ योगसूत्र, अ० २.

इस प्रकार योग सूत्र में हिंसा-अहिंसा के बहुत ही सूक्ष्म रूपों पर विचार किया गया है। ऐसे हिंसा के २७ प्रकार तो सामान्यतौर से समझ में आ जाते हैं किन्तु उसके बाद के बताए हुए प्रकार जिन्हें व्यास बढ़ाकर ८१ हो नहीं बल्कि असंख्य तक ले जाते हैं, वे सिर्फ विचारों की दौड़ान मात्र ही कहे जा सकते हैं।

सांख्य तथा भीमांसा—सांख्य उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जो यह मानता है कि यज्ञों में की गई हिंसा भी दोषपूर्ण है। इसमें भी उतने ही दोष हैं जितने कि अन्य समयों या जगहों पर की गई हिंसाओं में होते हैं। भीमांसा उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है जो कहता है—“बैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति” अर्थात् यज्ञों में की गई हिंसा, हिंसा नहीं होती। इस संबंध में ‘साख्य-तत्त्वकीमुदी’ में एक बहुत ही रोचक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। समस्या है दुखत्रय—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक से छुटकारा पाने की। इसके समाधान के लिए तीन साधन हैं—लौकिक उपाय—जैसे अन्न से बुझक्षा, जल से प्यास, औषधि से ज्वर, इन्द्रियनिग्रह से काम, दान से लोभ, दया से क्रोध आदि दूर होते हैं। शास्त्रीय उपाय—वेदों के अनुसार यज्ञ करना और शास्त्र-जिज्ञासा से अभिप्राय है प्रकृति तथा पुरुष का विवेकज्ञान।^१ इनमें लौकिक उपाय दुख की ऐकान्तिक तथा आत्मन्तिक निवृत्ति नहीं कर सकते और यही बात बेदोक्त यज्ञादि कर्मकाण्ड के साथ भी है। क्योंकि ये अणुद्धि (मल) तथा न्यूनाधिक विषमता से युक्त हैं। अतः प्रकृति-पुरुष का विवेकज्ञान ही थ्रेयस्कर है, मुक्तिदायक है।^२

बैदिक यज्ञ वर्ष या पुण्य उत्पन्न करने के साथ ही साथ अघर्ष या पाप भी पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये हिंसायुक्त होते हैं और यही इनकी अविणुद्धि का कारण है। सर्वप्रथम कारिका २ में आए हुए ‘आनुश्रविक’ शब्द के अर्थ की समस्या उठती है। ‘आनुश्रविक’

१. दुखत्रयाभिभाताज् जिज्ञासा तदग्रातके हेतौ ।

दृष्टे साऽप्यार्था चेनैकान्तात्यन्ततोऽभावाद् ॥१॥

नाख्यकारिका १.

२. दृष्टदात्रा॒ इा॑, स त्वावदु॒ दु॒खत्रया॑ न्यूनपूल्ता॑ ॥

तर्तुद्वृत्रात थ्रेयान् व्यक्ताव॒ व्यतीव॒ विज्ञानाद् ॥२॥ सा॑ का० २.

तो पूरी श्रुति को कहा जाता है क्योंकि यह सुनी गई है। लेकिन ऐसा समझने से तो प्रकृति और पुरुष का विवेकज्ञान जो बेदों पर ही आधारित है, दोषपूर्ण हो जायगा। अतः यद्यपि 'आनुश्रविक' का सामान्य अर्थं पूर्ण श्रुति से है, यहाँ पर सिर्फ कर्मकाण्ड यानी वैदिक यज्ञादि ही समझना चाहिए।

वैदिक यज्ञों के विषय में भाष्यकार ने कहा है—'स्वल्पः संकरः, सपरिहारः' यानी यज्ञ में जो संकर दोष है, वह स्वल्प है, कम मात्रा में है; जिसका परिहार हो सकता है, यदि परिहार की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अविशुद्धि भी अवश्य है। इसके अलावा वैदिक विचारधारा एक और तो प्रस्तुत करती है—'न हिस्यात् सर्वभूतानि'—किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी ओर कहती है—'अग्निष्ठोमीयं पशुमालभेत्'—अग्नि और सोम के लिए पशु ले आओ। ये दोनों बातें विरोधात्मक हैं।

किन्तु भीमासकों का कथन है कि 'न हिस्यात् सर्वभूतानि' सामान्य नियम है और 'अग्निष्ठोमीयं पशुमालभेत्' विशेष नियम है और इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि जहाँ पर विशेष नियम लागू होता है वहाँ पर सामान्य नियम लागू नहीं होता। यदि विशेष होता तो विशेष नियम सामान्य को प्रभावित करता।

किन्तु ऐसा कहना भीमांसकों के पक्ष में सहायक नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ तक सिर्फ अविरोध की बात है तो इन दोनों नियमों के भी दो-दो अर्थं हो सकते हैं और दोनों में कोई विरोध नहीं हो सकता, जैसे—

'न हिस्यात् सर्वभूतानि' सिर्फ यही व्यक्त करता है कि हिंसा अनर्थकारिणी है, यह ऐसा नहीं कहता कि हिंसा यज्ञ के लिए अनुपयोगी है। ठीक इसी तरह 'अग्निष्ठोमीयं पशुमालभेत्' इतना बताता है कि हिंसा यज्ञ के लिए उपयोगी है, न कि यह अनर्थकारिणी है। ऐसा होने पर दोनों ही वाक्यों के दो-दो अर्थ होगे—

न हिस्यात् सर्वभूतानि—१. हिंसा अनर्थकारिणी है।

२. हिंसा यज्ञ के लिए अनुपयोगी है।

अग्निष्ठोमीयं पशुमालभेत—१. हिंसा यज्ञ में उपयोगी है ।

२. हिंसा अनर्थकारिणी है ।

किन्तु दो-दो अर्थ होने से वाक्यों में 'वाक्यभेद दोष' आ जाएगा, जिसे भीमांसक भी मानते हैं । यदि वाक्यभेद दोष को न भी माना जाए तो भी इन दोनों अर्थों में कोई भेद नहीं है—हिंसा यज्ञ के लिए आवश्यक है और हिंसा पापजनक है । और ऐसा सिद्ध हो जाने पर यह भी सिद्ध हो जाता है कि आवश्यकरूप से हिंसा आदि का होना यज्ञादि कर्मकाण्डों में अविशुद्धि का कारण है ।^१

वेदान्त-सिद्धान्ततः: (अद्वैत) वेदान्त यह मानता है कि ब्रह्म एक है, द्वूसरा नहीं, और उसी ब्रह्म के अनेक रूप या अंश हें तथा ब्रह्म सत्यं जगन् मिथ्या . . . अर्थात् ब्रह्म ही केवल सत्य है, और जो भी है असत्य है । ऐसी हालत में हिंसा-अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि हिंसा करने वाला तथा हिंसित होने वाला दोनों ही ब्रह्म ही के अश हैं । साथ ही यदि सब कुछ सिवाय एक ब्रह्म के असत्य ही है तो हिंसा या अहिंसा जो भी इस जगत् में होता हो सब कुछ असत्य ही होगा । किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में अद्वैत वेदान्ती लोग भी हिंसा-अहिंसा को मानते हैं । अतः ब्रह्मसूत्र (३. १. २५) की व्याख्या करते समय शक्राचार्य ने हिंसा एव यज्ञ के सम्बन्ध का विवेचन किया है । सूत्र है—

'अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ॥२५॥' अ० ३, पाद १.

अर्थात् वैदिक यज्ञ—अग्निष्ठोम आदि अशुद्ध है, क्योंकि इनमें पशु-हिंसा होती है । अतः इसके करने वाले दुःखी जीवन प्राप्त करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है । इसको भाष्यकार शंकर यों कहते हैं—

'पशु-हिंसा आदि के योग से यज्ञकर्म अशुद्ध है, उसका फल अनिष्ट हो सकता है, इसलिए अनुशासी जीवों का जीहि आदि रूप से जन्म यदि मुख्यार्थ हो सकता है तो उसमें गौणी कल्पना अर्थं (प्रयोजन) रहित होगी, ऐसा जो कहा गया है, उसका

१. साम्यतत्त्वकोडुर्दा, का० १-२;

साम्यतत्त्वकोप्तुदोप्रभा—डा० शाश्वा प्रसाद मिथ ।

परिहार किया जाता है—नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म-अधर्म के विज्ञान का हेतु शास्त्र है, यह धर्म है और यह अधर्म है, इसके विज्ञान में शास्त्र ही कारण है, क्योंकि वे दोनों—धर्म और अधर्म अतीन्द्रिय हैं और उनका देश, काल और निमित्त अनियत है। जिस देश, काल और निमित्त में जिस धर्म का अनुष्ठान होता है वही धर्म अन्य देश, अन्य काल और अन्य निमित्त में अधर्म हो जाता है। इसलिए शास्त्र के बिना धर्म और अधर्म का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। हिंसानुग्रह आदि जिसका स्वरूप है, ऐसा ज्योतिष्टोम धर्मरूप से शास्त्र द्वारा निश्चित हुआ है, वह अशुद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? परन्तु 'न हिस्यात् सर्वभूतानि' (सब भूतों की—किसी भी जीव की हिंसा न करो) यह शास्त्र ही भूतविषयक हिंसा अधर्म है, ऐसा बतलाता है। सत्य है, वह तो उत्सर्ग है। और 'अग्निष्ठोमीय पशुमालभेत' (अग्नि और सोम के लिए पशु का वध करे) यह अपवाद है। उत्सर्ग और अपवाद का विषय व्यवस्थित है। इसलिए वैदिक कम विशुद्ध है, क्योंकि गिष्ट उसका अनुष्ठान करते हैं और वह निन्दा करने के योग्य नहीं है। इसलिए स्थावर रूप से जन्म जो प्रतिकूल है, वह उसका फल नहीं है।^१

अर्थात् शकर भी यह मानते हैं कि वेदों द्वारा निर्देशित यज्ञ में की जाने वाली हिंसा अधर्ममूलक या पापजनक नहीं है।

बैष्णव धर्म—वैष्णव धर्म के आधार ग्रन्थ गीता, विष्णुपुराण, भागवतपुराण आदि हैं, जिनमें आये हुए विचार हमने पहले ही प्रस्तुत किये हैं। इसके प्रधान आचार्यों में रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी, माधवाचार्य द्वैतवादी, विष्णुस्वामी और वल्लभ शुद्धाद्वैतवादी, निम्बाक द्वैताद्वैतवादी तथा चैतन्य महाप्रभु अचिन्त्यभेदाभेदवादी आदि के नाम आते हैं।

रामानुज (१०३७-११३७ ई०) ने 'थ्रीभाष्य' में ब्रह्मसूत्र (३. १. २५) की व्याख्या अपने ढंग से की है। इनके सामने भी

१. ब्रह्मसूत्र-व्याकरणाभ्य, अनु०—यतिवर भोलेश्वारा, भाग २, पृ० १६६६-१७००.

'न हिंसात् सर्वभूतानि' तथा 'अग्निष्ठोमीयं पशुमालभेत' दो पक्ष हैं। ये कहते हैं कि ऐसा कहा जा सकता है कि यज्ञ में की गई हिंसा, स्वतत्रलूप में की गई हिंसा से भिन्न है क्योंकि इनमें प्रथम तो घर्मों-पदेशानुसार होती है और दूसरी किसी लोभ या मोह के कारण है। किन्तु बात ऐसी नहीं, क्योंकि यज्ञ में जो हिंसा होती है वह भी इस लोभ या फलप्राप्ति के कारण होती है कि आगे चलकर यज्ञकर्ता को स्वर्ग या स्वर्ग का आनन्द मिले। क्योंकि कहा है—

'स्वर्गकामो यजेत'=स्वर्गकामी यज्ञ करे। तै० स० २.५.५.

अतः यज्ञ में की गई हिंसा और स्वतत्रलूप से अन्यत्र की गई हिंसा में कोई अन्तर नहीं है। ऐसी बात वहाँ भी पाई जानी है जहाँ कहा गया है—'सर्ववर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमरिमित सुखम्' आश्वलायन धर्मसूत्र—२. १. २. २.

अपने धर्म के पालन में सभी वर्णों को परम सुख की प्राप्ति होती है, यानी धार्मिक क्रिया-कर्मों के पालन में सुख की अभिनावा रहती ही है। इस लोभ के कारण धार्मिक कर्मों का पालन अशुद्ध है और हिंसा आदि पापकर्मों के कारण ही धार्मिक आदि स्थावर योनि में जीव जन्म पाता है। जैसा कि मनु ने कहा है—

शरीरज्ञं कर्मदोषेवार्थाति स्थावरतां नरः। मनुस्मृति—१२.६.

किन्तु रामानुज के अनुसार बात ऐसी नहीं है। यज्ञ में जो हिंसा होती है उसकी विशेषता कुछ और है। बलि देने के समय पशु को स्वर्ग में भेजने की कामना करते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हे मार नहीं रहे हैं, तुम्हे सुनहली देह के साथ, सहज ढग से वहाँ भेज रहे हैं जहाँ दुष्कर्मी नहीं बल्कि बड़े-बड़े कर्मयोगी अनेकों प्रकार की कठिनाइयों को छोलने के बाद जाते हैं; इस राह पर सूर्य तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे।^१

यज्ञ में की गई हिंसा उस प्रकार की है जैसे किसी डाक्टर के द्वारा की गई चीर-फाड़। डाक्टर धात्र को चीरते समय धात्र-प्रस्त

१. न वा उ वै तन्नियने न रिष्यति देवानदंवं पर्यामि गुणेभिः।

यत्र यन्ति सुकृतो नापि उद्भूतस्तत्र त्वा देव. सविता दधातु ॥ तै० शा०

व्यक्ति को कठट अवश्य होता है लेकिन उसका उद्देश्य उस व्यक्ति को दुःख से छुटकारा दिलाकर सुखी बनाना होता है। ठीक उसी तरह यज्ञ में बलि देकर पशु को स्वर्ग में भेजा जाता है जोकि अधिक सुखकर होता है। अतः चौकि वैदिकी हिंसा का उद्देश्य दुःख देना नहीं बल्कि सुख देना है, वह दोषपूर्ण या अशुद्ध नहीं कही जा सकती।^१

वल्लभाचार्य, जिनके जन्म का समय राधाकृष्णन् ने १४०१ई० तथा बलदेव उपाध्याय ने १४७६ई० बताया है,^२ ने अपने अणु-भाष्य में गृह्यसूत्र (३.१.२५) की व्याख्या करते हुए यही माना है कि यज्ञ में की जानेवाली हिंसा दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि यह देव-स्वीकृत है। देवता लोग भी अन्न की हवि देते हैं जिससे वीर्य पैदा होता है (छा० उप० ५.७.२)। इसके अलावा शास्त्रों ने भी इसकी शुद्धि हेतु संस्कारकर्म बताए हैं। यदि दोनों में से किसी को भी न माना जाये तब जीवन पर्यन्त होने वाले विभिन्न कार्य किस प्रकार सम्पन्न होंगे ? अतः हिंसा होने के कारण यज्ञ अशुद्ध और अनिष्टकारी नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक परम्परा पर दृष्टि डालने से ऐसा लगता है कि अहिंसा का सिद्धान्तरूप में प्रारम्भ उपनिषदों में होता है किन्तु वेदों में भी इसकी जलक कही-कही दिल जाती है। ब्राह्मणों में हिंसायुक्त यज्ञ की प्रधानता मिलती है। स्मृति (मनुस्मृति) में यद्यपि वैदिक कर्मकाण्डों पर जोर दिया गया है, अहिंसा के सिद्धान्त को भी पहले की तुलना में आगे बढ़ाया गया है। सूत्रों में अहिंसा की रूपरेखा बहुत ही क्षीण-सी दीखती है क्योंकि घर्मसूत्रों के कुछ स्थलों को छोड़कर सभी गृह्यसूत्र या घर्मसूत्र उन्हीं कर्मों के विधान देते हैं जो हिंसायुक्त हैं। गीता में हिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन अच्छी तरह हुआ है। इसमें यज्ञ को हिंसारहित बताते हुए उसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। महा-

१. श्रीभाष्य—सा० आर० डौ० करमरकर, भाग ३, पृ० ७६६-७६६।

२. Indian Philosophy—Radhakrishnan, Vol. II, p. 759;
भारतीय दर्शन—पंडित बलदेव उपाध्याय, पृ० ५१४।

भारत और पुराणों में तो अहिंसा का सिद्धान्त पूर्ण विकसित मालूम पड़ता है। इनमें हिंसायुक्त यज्ञ की काफी भत्स्ना की गई है किन्तु परिस्थिति विशेष जैसे, आत्म-रक्षा, समाज-रक्षा, राष्ट्र-रक्षा आदि के लिए छट भी मिलती है, यानी हिंसा को क्षम्य समझा गया है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत वेदान्त आदि ब्राह्मण दर्शनों में 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' को अपनाया है लेकिन सांख्य ने इसकी कड़ी आलोचना की है, हिंसापूर्ण यज्ञ को इसने अशुद्ध माना है। वैष्णव परम्परा के रामानुज एवं वल्लभ आदि आचार्यों ने हिंसायुक्त होने पर भी वैदिक यज्ञादि को शुद्ध और दोषरहित माना है यद्यपि अन्य प्रकार की हिंसा को घृणित एवं त्याज्य बताया है।

बौद्ध परम्परा :

बौद्ध परम्परा की मूलभित्ति बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन है, जिसके जन्मदाता गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म ई० पूर्व ६ठी शती में हुआ था। वह आध्यात्मिक असतोष या असतुलन का युग था। उस समय अध्यात्म-चिन्तन से ज्यादा वैदिक यज्ञों पर और उनके विधि-विधानों पर बल दिया जा रहा था। देवता की भक्ति के बदले धर्मशास्त्रों के प्रति ज्यादा झुकाव था। जो व्यक्ति यज्ञादि के नियमों में प्रवीण होता था उसका कर्म-काण्ड के क्षेत्र में या यो कहें कि धर्म के क्षेत्र में एकाधिपत्य सा होता था। अतः इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ जिसने वेद, यज्ञादि कर्म-काण्ड तथा हिंसा का पूर्ण रूपेण विरोध किया।¹

बौद्ध धर्म के दो रूप मिलते हैं: १—शुद्ध धार्मिक रूप, जिसमें आचार मार्ग को बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास है, और २—दार्शनिक रूप, जिसमें आचार की शिक्षा की गहराई में रहने वाले, सूक्ष्म दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन एवं विकास किया गया है। इसके दो आधार स्तम्भ हैं—सुत्पिटक तथा विनयपिटक। 'सुत्पिटक' में दीप्तिनिकाय, मञ्जिसम-

1. History of Philosophy--Eastern and Western (Ed. Radha-krishnan), p. 154.

निकाय, संयुत निकाय, अंगुतर निकाय तथा खुदक निकाय हैं। खुदक निकाय में ही 'धर्मपद' है, जिसमें बुद्ध द्वारा प्रस्तुत उपदेशात्मक ४२३ गाथाएँ सकलित हैं तथा 'जातक' जो बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्धित ५५० कथाओं का संग्रह है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा खुदक पाठ, उदान, इतिवृत्तक, सुतनिपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, चेरगाथा, चेरीगाथा, निहेस, पटिसम्भवामग्ग, अवदान, बुद्धवंश तथा चरितापिटक हैं। पातिमोक्ष (भिक्षु एवं भिक्षुणी पातिमोक्ष), खन्धक तथा परिवार विनयपिटक के तीन विभाग हैं, इनमें से खन्धक महावग्ग और चूलवग्ग के रूप में विभाजित होता है। पुण्यलप्तज्ञति, धातुकथा, धर्मसगणि, विभंग, पट्ठान, पकरण, कथावस्तु तथा यम अभिधर्मपिटक के रूप में संहोष्णे जाते हैं। इन सबके अलावा 'मिलिदप्तम' जिसकी रचना नागसेन ने की थी, को बाँद्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

बौद्ध परम्परा में मन, वचन तथा कर्म से अन्य प्राणियों को कष्ट न देने को अहिंसा की सज्जा दी गई है।^१ अहिंसा के पथ पर चलने वाला न स्वयं किसी को दुःख देता है और न किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करता है,^२ वह बड़े-बड़े जीवों को ही नहीं बल्कि ऐकेन्द्रिय पेड़ पौधों को भी कष्ट नहीं पहुँचाता।^३ इसमें अहिंसा को एक अच्छा स्थान मिला है लेकिन इसे वह श्रेष्ठतम स्थान नहीं मिला है जो कि मित्रता को दिया गया है, यद्यपि 'अहिंसा' और 'मित्रता' दोनों ही एक-दूसरे पर आधारित हैं। इसके अनुसार जितने भी आचार हैं, भले ही वे एक भिक्षु के लिए हों अथवा एक गृहस्थ के लिए, उन सब में मित्रता ही श्रेष्ठ है, जिसे व्यापक ढंग से निभाने के लिए ही अन्य आचार आचरित होते हैं।

दीघनिकाय—इस निकाय के 'ब्रह्मजाल सत्त' में भिक्षुओं को उपदेश देते हुए बुद्ध ने तीन प्रकार के शीलों—आरम्भक, मध्यम

१. संयुतनिकाय, हिन्दी अनु०—भिक्षु जगदीश काश्यप तथा भिक्षु धर्मरक्षित, पट्ठा भाग, पृष्ठ ७१.

२. परमाद २५. ६—१०

३. विनयाटक, हिन्दी अनुवाद—राहुल साकृत्याशन, पृष्ठ २०७.

तथा महा की चर्चा की है, जिन्हें अपनाना भिक्षुओं के लिए अत्यन्त आवश्यक समझा है। इन शीलों के अन्तर्गत अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, नशे का त्याग आदि को स्थान दिया है।^१ अहिंसा

१. आरम्भिक शील—भिक्षुओ ! वह छोटा और गोण शील कौन-सा है, जिसके कारण अनाढ़ी मेरी प्रशंसा करते हैं ? (वे ये हैं)—अमण गौतम जीवहिंसा (प्राण्यातिपात) को छोड़ हिंसा से विरत रहता है। वह दड़ और शृङ्खल को त्यागकर उज्जावान, दयालु और सब जीवों का हित चाहनेवाला है। . . . अमण गौतम चोरी (अदतादान) को छोड़कर चोरी से विरत रहता है। . . . व्यधिचार छोड़कर अमण गौतम निकृष्ट स्त्री-संभोग से सर्वथा विरत रहता है। . . . कठोर भाषण को छोड़ अमण गौतम कठोर भाषण से विरत रहता है। वह निर्दोष, मधुर, प्रेमपूर्ण, जंचनेवाला, शिष्ट और बहुजनप्रिय भाषण करनेवाला है। भिक्षुओ ! अथवा अमण गौतम किसी बीज या प्राणी के नाश करने से विरत रहता है . . . दलाली, ठगी और झूठा सोना-चांदी बनाने (निकाति) के कुटिल काम से, हाथ-पैर काटने, वध करने, बाधने, लूटने-पीटने और डाका डालने के काम से विरत रहता है।

मध्यमशील—भिक्षुओ ! अथवा अनाढ़ी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं—जिस प्रकार कितने अमण और ब्राह्मण (गृहस्थों के द्वारा) अद्वापूर्वक दिये गये भोजन को खाकर इस प्रकार के सभी बीज और सभी प्राणी के नाश में लगे रहते हैं, जैसे मूलबीज (जिनका उगना मूल से होता है), स्कन्धबीज (जिनका प्ररोह गाठ से होता है, जैसे ईश), फलबीज और पांचवा अश्रवीज (ऊपर से उगता पौधा)। उस प्रकार अमण गौतम बीज और प्राणी का नाश नहीं करता।

महाशील—जिस प्रकार कितने अमण और ब्राह्मण अद्वापूर्वक दिये गये भोजन को खाकर इस प्रकार की हीन (नीच) विद्या से जीवन बिताते हैं, जैसे . मूषिक-विष, अग्नि-हवन, दर्ढी-होम, तुष-होम, कण्ठ-होम, तण्डुल-होम, छृत-होम, तैल-होम, मुख में धी लेकर कुल्ले से होम, घघिर-होम . . . अमण गौतम इस प्रकार की हीन विद्या से निर्दित जीवन नहीं बिताता।

दीघनिकाय, हिन्दी अनु०—रा० सांकृत्यायन तथा ज० काश्यप, पृ० २-३.

का सम्बन्ध सिफेर मानव मात्र के ही प्राणाधात या कष्ट से नहीं, वर्षिक जीव, बीज आदि को भी विनष्ट होने से बचाने से है। अतः भूमध्यीज, स्कन्धभीज, फलभीज एवं अग्रभीज आदि को नाश से बचाने वाले को ही श्रमण या भिक्षु कहा गया है। कठोर बचन न बोलकर प्रेमपूर्ण सर्वजनप्रिय भाषण देना भी अहिंसा की श्रेणी में लिया गया है। आगे चलकर “सामञ्चकल सुत्त” में “भिक्षु होने का प्रत्यक्षफल” शीषंक के अन्तर्गत फिर से इन्हीं वातों को प्रकाशित किया गया है। वही आरभिमक शील के अन्तर्गत अहिंसा, अस्त्रेय आदि की अलग-अलग गणना करके इन सबों की सख्त्या २५ बतायी गई है। मध्यशील और महाशील के अलावा इन्द्रियों का संवर (संयम), स्मृति, सम्प्रजन्य और सन्तोष आदि को भी शील की कोटि में रखा गया है।^१

‘सेविङ्ग-सुत्त’ में वाशिष्ठ माणव को ‘ब्रह्मा की सलोकता का मार्ग’ प्रदर्शित करते हुए बुद्ध ने १—मैत्री भावना, २—करुणा भावना, ३—मुदिता भावना एवं ४—उपेक्षा भावना पर बल दिया है। बुद्ध कहते हैं—^२

“वह (भिक्षु) मैत्रीभाव युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके विहरता है; दूसरी दिशा०, तीसरी दिशा०, चौथी० इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े बेड़े सम्पूर्ण मन से, सबके लिए, मिथ्रभाव (मैत्री) युक्त, विपुल, महान् = अप्रमाण, बैर-रहित, द्रोह-रहित चित्त से सारे ही लोक को स्पर्श करता-विहरता है। जैसे वाशिष्ठ ! बलवान् शख्सघमा (जॉस बजाने वाला) थोड़ी ही मिहनत से चारों दिशाओं को गुंजा देता है। वाशिष्ठ इसी प्रकार मित्र-भावना से भावित, चित्त की मुक्ति से जितने प्रकार में काम किया गया है, वह वही अवशेष = खत्म नहीं होता।”

“उपेक्षा” का मतलब बैर, द्रोह आदि की उपेक्षा से है। इस प्रकार यहीं पर मैत्री को प्रधानता देकर अहिंसा को ही प्रश्रय दिया गया है।

१. दीघनिकाय, पृ० २४-२८.

२. दीघनिकाय, पृ० ६०-६२.

संयुत निकाय—संयुत निकाय के ‘मत्स्लका सुत’ में राजा प्रसेनजित के कहने पर कि ‘अपने से प्यारा कोई नहीं है’ बुद्ध कहते हैं—

सभी दिशाओं में अपने मन को दीड़ा, कहीं भी अपने से प्यारा दूसरा कोई नहीं मिला, वैसे ही, दूसरों को भी अपना बड़ा प्यारा है, इसलिए, अपनी भलाई चाहने वाला दूसरे को मत सतावे।^१

आगे चलकर ‘ब्राह्मण सयुत’ के अहिंसक सुत में भारद्वाज ब्राह्मण के द्वारा अपने को अहिंसक घोषित करने पर, अहिंसक शब्द को पारिभाषित करते हुए बुद्ध ब्राह्मण से कहते हैं—

जैसा नाम है वैसा ही होवो, तुम सच में अहिंसक ही होवो, जो शरीर से, बचन से और मन से हिंसा नहीं करता वही सच में अहिंसक होता है, जो पराए को कभी नहीं सताता।^२

सातवें परिच्छेद के ‘लक्षण सयुत्ता’ में गृद्धकूट पर्वत पर विहार करने वाले लक्षण और महामीदगल्यायन के बीच हुए वातालिप के सन्दर्भ में बुद्ध के द्वारा यह बताया गया है कि हत्या करने अथवा हिंसा करने के क्या परिणाम होते हैं।

कथानक इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है—एक समय गृद्धकूट पर्वत पर से उत्तरते हुए महामीदगल्यायन ने कुछ देखकर मुस्करा दिया, इससे लक्षण के मन में आशंका हुई और उन्होंने मुस्कराने का कारण पूछा, तब अपने मुस्कराने का कारण वे बुद्ध के समक्ष कहते हैं—

‘आउस ! गृद्धकूट पर्वत से उत्तरते हुए मैंने हड्डियों के एक कंकाल को आकाश मार्ग से जाते देखा। उसे गीध भी, कौए भी और चील भी झपट-झपट कर नोचते थे, टुकड़े-टुकड़े कर देते थे, और वह आर्तिस्वर कर रहा था।’ तब बुद्ध कहते हैं—

‘भिक्षुओ ! पहले मैंने भी उस सत्त्व को देखा था, किन्तु किसी को नहीं कहा। यदि मैं कहता तो शायद दूसरे नहीं मानते। जो मुझे नहीं मानते उनका यह चिरकाल तक अहित और दुःख

१. संयुत निकाय, पहला भाग, पृष्ठ ७१.

२. संयुत निकाय, पहला भाग, पृष्ठ १३२.

के लिए होता। भिक्षुओं ! वह सत्त्व इसी राजगृह में योहत्या करने वाला था। इस पाप के फलस्वरूप वह……… लाखों वर्ष तक नरक में पचता रहा। उस कर्म के अवसान में उसने ऐसा आत्मभाव प्रतिलाभ किया है ।^१

इस प्रकार 'गोधातक सुत्त' में गाय मारने वाले, विष्णुसाकुणीसुत्त में चिड़िमार, निच्छवौरद्विभिसुत्त में भेड़ों को मारने वाले कसाई, अतिसूकरिकसुत्त में सूबर मारनेवाले कसाई, सत्तिमागवीसुत्त में मृगमार (- बहेलिया), उस्काराणिकसुत्त में अन्यायी न्यायाधीश, सूचिसारथीसुत्त में सारथी, सूचकसुत्त में सूचक तथा आमटक सुत्त में गांव के दुष्ट पंच के वर्णन हैं। यानी ये सभी हिंसक हैं और हिंसा के परिणाम स्वरूप इन्हें अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है।

यज्ञ—जहाँ तक यज्ञ की बात है, बुद्ध ने हिंसायुक्त यज्ञ का विरोध किया है और हिंसारहित यज्ञ को हितकर एवं उचित बताया है। जब उन्हें राजा प्रसेनजित के यहाँ होने वाले हिंसायुक्त यज्ञ की खबर भिक्षुओं के द्वारा मिलती है तो वे कहते हैं कि यज्ञ में हिंसा करने के फल अच्छे नहीं होते महर्षि लोग, जो सुमार्ग पर चलने वाले हैं वैसे यज्ञों के निए निर्देश करते हैं, जिनमें भेड़, बकरे और गायें आदि नहीं कटते।^२

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग, पृष्ठ ३०१-३०२.

२. अश्व-मेव, पुरुष-मेव, मम्यक् पाश, बाजपेय,

निरग्न और ऐसी ही बढ़ी-बड़ी करामातें,

सभी का अच्छा फल नहीं होता है।

भेड़, बकरे और गायें तरह-तरह के जहा मारे जाते हैं,

सुमार्ग पर आँढ़ महर्षि लोग ऐसे यज्ञ नहीं बताते हैं।

जिस यज्ञ में ऐसी तूलें नहीं होती हैं, सदा अनुकूल यज्ञ करते हैं,

भेड़, बकरे और गौवें तरह-तरह के जहा नहीं मारे जाते हैं,

सुमार्ग पर आँढ़ महर्षि लोग ऐसे ही यज्ञ बताते हैं,

बुद्धिमान पुरुष ऐसा ही यज्ञ करे, इस यज्ञ का महाफल है,

इस यज्ञ करनेवाले का कल्याण होता है, अहित नहीं,

यह यज्ञ महान होता है, देवता प्रसन्न होते हैं।

संयुक्त निकाय, प्रथम भाग, पृ० ७२.

अप्रमाद—रजकण और महापृथ्वी के बीच के अन्तर को दिखाते हुए बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को अपनी सत्ता को रजकण तथा ससार की अन्य सत्ताओं को महापृथ्वी के समान समझकर अपने में 'प्रमाद' नहीं लाना चाहिए। भिक्षुओं को चाहिए कि वे सदा अप्रमत्त होकर विहार करे (क्योंकि प्रमाद ही सब अनिष्टों की जड़ है) ।^१ इतना ही नहीं, संयुक्त निकाय के दूसरे भाग में 'अप्रमाद' की व्यापकता एवं महानता बताते हुए वे कहते हैं—

'भिक्षुओ ! जितने जगम प्राणी हैं सभी के पैर हाथी के पैर में चले आते हैं । बड़ा होने में हाथी का पैर सभी पैरों में अग्र समझा जाता है । भिक्षुओ ! वैसे ही जितने कुशल धर्म हैं सभी का आधार = मूल अश्माद ही है । अप्रमाद उन धर्मों में अग्र समझा जाता है' (पद सूत्त-४३ ५. २) ।

"भिक्षुओ ! कूटागार के जितने धरण हैं सभी कूट की ओर झुके होने हैं । कूट ही उनमें अग्र समझा जाता है । भिक्षुओ ! वैसे ही जितने कुशल धर्म हैं"^२ (४३. ५. ३) ।

मैत्री-भावना—मैत्री-भावना में जो शक्ति है, वह व्यक्ति को सब तरह से सुरक्षित रखती है । जिस प्रकार, जिस कुल में अधिक पुरुष और कम स्त्रियाँ हैं, उस कुल को चोर-डाकुओं से भय नहीं होता, अथवा जैसे स्वतः तीक्ष्ण बर्छी को किसी द्वेदन-भेदन का भय नहीं होता, ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति में मैत्री-भावना चैतन्य है, जगी है उसे किसी भी स्थान पर और किसी भी प्राणी से डर नहीं होता । अतः बुद्ध कहते हैं—

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग, पृ० ३०७.

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, पृ० ६४०-६४१.

“भिक्षुओ ! इसलिए, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए—मैत्रीचेतो-विमुक्ति मेरी भावित होगी” ॥^१

कल्याणमित्त सुन्न में कल्याणमित्रता को भोक्ता के गुभागमन का संक्षण बताया है और कहा है कि जिस प्रकार आकाश में लालिमा देखने से सूर्योदय की आशा हो जाती है, उसी प्रकार कल्याणमित्रता आ जाने पर अष्टांगिक मार्ग से लाभान्वित होने की आशा हो जाती है—

“भिक्षुओ ! अष्टांगिक मार्ग के लाभ के लिए एक धर्म बढ़े उपकार का है। कौन एक धर्म है ? जो यह ‘कल्याण मित्रता’ ॥^२

इस प्रकार संयुक्त निकाय में अहिंसा, हिंसा का परिणाम, हिंसा-रहित यज्ञ, अप्रभाद, एवं मैत्री-भावना के विवेचन अहिंसा के सिद्धान्त की अच्छी तरह पुष्टि करते हैं ।

सुन्ननिषात—इसके ‘मेत्तसुन्न’ में सभी प्राणियों के प्रति मित्रता के भावप्रदर्शन को ब्रह्मविहार कहा गया है, जिसे वैदिक साहित्य-नुसार ब्रह्म-ज्ञान या ब्रह्म-साक्षात्कार कहा जाये तो शायद अनुचित न होगा । यहाँ कहा गया है कि शान्तिपद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अस्थन्त क्रज्जु बने; उसके बचन प्रिय एवं विनीत हो, वह सरल एवं सतोषी हो; वह छोटा से छोटा कोई ऐसा कार्य न करे, जिससे उसे जानी लोग दोषी ठहरायें । सभी प्राणियों के मुख एवं कल्याण की कामना करे । वह सबा सोचे—‘जंगम या स्थावर, दीर्घं या महान्, मठ्यम या हृस्थ, अणु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्स्थमान जितने भी प्राणी हैं, वे सभी सुखपूर्वक रहें’ । वह किसी की बंधना तथा अपमान न करे । सभी प्राणियों को वह उस प्रकार देखे जैसे एक मां अपने एकलौते पुत्र को देखती है । वैर-बाधा से रहित हो, ऊपर-नीचे-तिरछे सभी स्थानों के प्राणियों की

१. संयुक्त निकाय, पहला भाग, पृ० ३०६-३०७.

२. संयुक्त निकाय, दूसरा भाग, पृ० ६३३-६३५.

रक्षा का ध्यान रखे । वह सङ्घे रहकर, चलकर, बैठकर, सोकर, जागकर सब तरह से सभी प्राणियों को एक समान देखे, प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखे । यही “ब्रह्मविहार” है और इसे ही अपनाकर व्यक्ति काम, तृष्णा आदि से ऊपर उठकर जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाता है, यानी निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।’

धर्मपद—जेतवन में विहार करते समय एक दिन बुद्ध ने छः वर्गीय भिक्षुओं के द्वारा सत्रह वर्गीय भिक्षुओं का पीटा जाना देखा, तब उन भिक्षुओं को समझाते हुए उन्होंने कहा कि भिक्षुओ ! सब को अपने ही समान समझो, क्योंकि दण्ड और मृत्यु सबके लिए

१. करणीयमत्थकुसलेन यं तं सन्तं पदं अमिसमेच्च ।

सको उजू च सूजू च सुचो चस्स मुदु अनतिमानी ॥१॥

सन्तुस्सको च सुभरो च अप्पकिच्चो च सल्लहुक्कुत्ति ।

सन्तिन्द्रियो च निपको च अप्पगभो कुलेसु अनुगिढो ॥२॥

न च खुदं समाचरे किञ्च येन विज्ञु परे उपवदेय्यु ।

सुखिनो वा लेमिनो होन्तु सब्दे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ॥३॥

ये केचि पाण्मूत्रित्य तसा वा धावरा वा अनवसेसा ।

दीधा वा ये महन्ता वा मज्जमा रस्सकाणुकथूला ॥४॥

दिट्ठा वा येव अहिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे ।

मृता वा संभवेसी वा सब्दे सत्ता भवन्ति सुखितत्ता ॥५॥

न परो परं निकुञ्जेय नातिमञ्जेय कत्वचि नं कञ्चि ।

ब्यारोसना पटिष्ठसञ्जा नाञ्जमञ्जस्स दुक्खमिच्छेय् ॥६॥

माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एकपुत्तमनुरक्षे ।

एवंपि सब्दभूतेमु भानसं भावये अपरिमाणं ॥७॥

मेत्तं च सब्दलोकस्मि भानसं भावये अपरिमाणं ।

उद्धं अघो च तिरियं च असांबाधं अवेरं असपत्त ॥८॥

तिद्धं चरं निसिन्नो वा सवानो वा यावतस्स विगतमिद्धो ।

एतं सर्तं अषिट्ठेय ब्रह्ममेतं विहरं इष्वमाह ॥९॥

दिट्ठं च अनुपगम्म सीमवा दस्सनेन संपन्नो ।

कामेसु विनेय् येषं न हि जातु गव्यसेय् पुनरेतीति ॥१०॥

सुसनिपात, उरगवग्ग, मेत्तसुत ।

कष्टकर होते हैं।^१ सबको अपना जीवन प्रिय होता है। उसी तरह एक दिन उन्होंने बहुत से लड़कों को एक सौप को मारते हुए देखा तो उन्हें समझाते हुए कहा कि जो सुख चाहनेवाले प्राणियों को अपने सुख के लिए मारते हैं, वे मरने के पश्चात् भी सुखी नहीं होते। इसके विपरीत जो अन्य प्राणियों को अपने सुख के लिए नहीं मारता है, वह मरकर सुख प्राप्त करता है।^२ अतः न किसी को मारना चाहिए और न मारने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो व्यक्ति अंहिसापूर्ण सम्मित जीवन यापन करता है उसे अच्युत पद की प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त कर वह कभी भी दुःखी नहीं होता।^३ जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता वह अंहिसक ही आयं कहला सकता है।^४ हिंसा करने वाला कभी भी आयं कहलाने के योग्य नहीं होता और जो चर-अचर किसी भी प्राणी का घात नहीं करता, उन्हे कष्ट नहीं पहुंचाता या मारने के लिए प्रेरणा नहीं देता यानी जो किसी भी प्रकार की हिंसा से विरत है, वही ब्राह्मण है।^५ इस प्रकार 'बुद्ध-धर्म-शासन' में रहता हुआ

१. सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्छुनो ।

अत्तान उपमं कत्वा न हनेय् न चातये ॥१॥ धम्मपद, दण्डवग्गो ।

सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसा जीवितं पियं ।

अत्तान उपमं कत्वा न हनेय् न चातये ॥२॥ " " "

२. सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिसति ।

अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं ॥३॥

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिसति ।

अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं ॥४॥ " " "

३. अंहिसका ये भूतयो निच्चयं कायेन सबुता ।

ते यन्ति अच्युतं ठान यत्थ गन्त्वा न सोचरे ॥५॥ धम्मपद, कोघवग्गो ।

४. न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति ।

अंहिसा सब्बपाणानं अरियोति पच्चति ॥१५॥

धम्मपद, धम्मट्ठवग्गो ।

५. निधाय दण्डं सूतेयु तसेमु थावरेसु च ।

यो न हन्ति न चातेति तमहं ब्रह्मि ब्राह्मणं ॥२३॥

धम्मपद, ब्राह्मणवग्गो ।

प्रसन्नचित्त तथा राग-द्वेष मे विरत मैत्रीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सुखमय परमपद यानी निवाण को प्राप्त करता है।^१

बिनय-पिटक—विनय-पिटक मे भिक्षु-भिक्षुणियों के आचार पर प्रकाश डाला गया है। यानो एक भिक्षु या भिक्षुणी को साधना-पूर्ण जीवन यापन करने के निमित्त कौन-कौन से कर्म करने चाहिए तथा कौन-कौन से नहीं।

“जो भिक्षु जानकर मनुष्य को प्राण से मारे, या (आत्म-हत्या के लिए) शस्त्र खोज लाए, या मारने की तारीफ करे, मरने के लिए प्रेरित करे—अरे पुरुष ! तुम्हे क्या (है) इस पापी दुर्जीवन से ? (तेरे लिए) जीने से मरना अच्छा है; इस प्रकार के चित्त-विचार से, इस प्रकार के चित्त-सकल्प से अनेक प्रकार से मरने की जो तारीफ करे, या मरने के लिए प्रेरित करे तो वह भिक्षु पाराजिक होता है—(भिक्षुओं के साथ) सहवास के अयोग्य होता है।”^२

यदि कोई भिक्षु जमीन खोदे वा खुदवाये, वृक्ष काटे वा कटवाये, जान बूझकर प्राणियों का घात करे, क्रोधित होकर दूसरे भिक्षुओं को पीटे तो इन सभी दोषों या अपराधों के लिए वह पाचित्तिय है।^३ ऐसे ही विधान भिक्षुणियों के लिए भी बताए गये हैं।^४

१. मेत्ताविहारी यो भिक्षु पसन्नो बुद्धसासने ।

मधिगच्छे पदं सन्तं सखारूपसमं सुखं ॥६८॥

सिंच भिक्षु ! इमं नावं नित्ता ते खहमेस्सति ।

छेत्वा रागच दोसच ततो निब्बाणमेहिसि ॥१०४॥

धर्मपद, भिक्षुवग्नो ।

२. बिनय-पिटक, हिं अनु०—राहुल साकृत्यायन, पृष्ठ ६.

३. वही, पृष्ठ २३.

४. वही, पृष्ठ २४, ४२, ५६, ६१ तथा ६३.

एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा को रोकने की दृष्टि से बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा है—^१

“भिक्षुओ ! ताल के पत्र की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो !”

“भिक्षुओ ! बाँस के पौधों की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो !”

वयोग्नि पत्ते कट जाने पर पौधे सूख जाते हैं, जिसकी वजह से एकेन्द्रिय जीव की हिंसा होती है।

चमनिषेध के सम्बन्ध में एक कथा प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक भिक्षु एक उपासक से उसकी गाय के बछड़े को मरवाता है और बछड़े का चर्म लेकर अपने आश्रम को लौटता है। यह बात बुद्ध को मालूम होती है कि सिर्फ चर्म-लोभ के कारण ही भिक्षु ने प्राणी-हिंसा की है, तब वे भिक्षुओं को उपदेश देते हैं—

“भिक्षुओ ! प्राण-हिंसा की प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। जो प्रेरणा करे उसको धर्मानुसार (दड) करना चाहिए। भिक्षुओ ! गाय का चाम नहीं धारण करना चाहिए। जो चर्म धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्षुओ ! कोई भी चर्म नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुक्कट दोष हो !”^२

किन्तु इन सभी निषेधों के अपवादस्वरूप बुद्ध ने विशेष अवस्थाओं, जैसे किसी अत्यन्त कष्टदायक रोग की अवस्था आदि में औषध-स्वरूप मांस या चर्बी या खून के प्रयोग को क्षम्य अथवा दोषरहित बताया है।^३ इसके अलावा अमनुष्यवाले रोग (एक प्रकार का राग भी तो इन्होंन साक कहा है—

१. विनय-पिटक, पृष्ठ २०७.

२. वही, पृष्ठ २१०.

३. भिक्षुओ ! अनुमति देना हैं चर्बी को द गाई की (जैसे कि) रीछ की चर्बी, नद्दी की चर्बी होम ती चर्बी, मुग्रर की चर्बी, गदहे की चर्बी, काल (पूर्वाल्प) में लेकर काल में तका काल से, तेल के साथ मिलाकर

“भिक्षुओ ! अनुमति देता है अमनुष्यवाले रोग में कच्चे मांस और कच्चे खून की ।”^१

जहाँ तक मांस-मछली के भक्षण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में शुद्ध का कथन है—

“भिक्षुओ ! जान-बूझकर (अपने) उद्देश्य से बने मास को नहीं खाना चाहिए । जो खाए उसे दुक्कट का दोष हो । भिक्षुओ ! अनुमति देता हैं (अपने लिए मारे को) देखे, सुने, सदेह-युक्त—इन तीनों बातों से शुद्ध मछली और मास (के खाने) की ।”^२

अर्थात् भिक्षु यदि देखता है या सुनता है अथवा उसे आशंका होती है कि मास या मछली जो उसको भेट की गई है, वह उसी के निमित्ता मारी और तैयार की गई है तो ऐसी हालत में वह उस मास या मछली को नहीं खा सकता । यदि खायेगा तो दोष का भागी होगा । लेकिन, यदि वह भिक्षाटन के लिए जाता है और भिक्षास्वरूप, गृहस्थ उसे अपने लिए तैयार मांस या मछली में से कुछ दे देता है तो वैसी हालत में भिक्षु का मास या मछली का लेना और खाना दोषपूर्ण नहीं समझा जायेगा । कारण, यदि वह इनकार करेगा दिये हुए मांस को लेने से तो गृहस्थ को उसके लिए अन्यवस्तु की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वह परेशान होगा । इस तरह गृहस्थों के लिए भिक्षुओं को भिक्षा

सेवन करने की । भिक्षुओ ! यदि विकाल से ग्रहण की गई हो, विकाल से पकाई और विकाल से खिलाई गई हो (और) भिक्षुओ ! उनका सेवन करे तो तीनों दुक्कटों का दोष हो । यदि भिक्षुओ ! काल से लेकर विकाल से पका, विकाल से मिला उनका सेवन करे तो दो दुक्कटों का दोष हो । यदि भिक्षुओ ! काल से लेकर काल से पका, विकाल से उनका सेवन करे (तो) एक दुक्कट का दोष हो । यदि भिक्षुओ ! काल से ले काल से पका काल से मिला उनका सेवन करे तो दोष नहीं ।

विनय-पिटक, पृ० २१६.

१. वही, पृ० २१८, वात आदि रोग के लिए ।

२. वही, पृ० २४५.

देना एक समस्या बन जाएगी और वह कष्टकर होगी। अतः भिक्षु को गृहस्थ के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि मांस-मछली भी ग्रहण करने में दोष नहीं है, यदि वह वस्तु भिक्षु के निमित्त न बनी हो।

विशुद्धिमग्ग—आचार्य बुद्धघोष ने 'विशुद्धिमग्ग' नामक पुस्तक में बुद्ध के प्रवचनों के आधार पर यह दर्शाने की कोशिश की है कि बीदमत में निवाण प्राप्त करने का कौन-सा मार्ग है और उस पर किस प्रकार अप्रसर हुआ जा सकता है? उस मार्ग को ही उन्होंने 'विशुद्धिमार्ग' कहा है। 'विशुद्धिमार्ग' को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं—

"विशुद्धि, सब मलों से रहित अत्यन्त परिशुद्ध निवाण को जानना चाहिए। उस विशुद्धि का मार्ग—विशुद्धिमार्ग है। निवाण की प्राप्ति का उपाय मार्ग कहा जाता है।"

विशुद्धिमार्ग कही विषयना, कही ध्यान और प्रका, कही कम, कही शील^३ और कही स्मृति-प्रस्थान आदि के अनुसार बताया गया है। 'जीव हिंसा आदि (करने) से विरत रहने वाले, या (उपाध्याय आदि की) सेवा-टहल करनेवाले की चेतना आदि धर्म (मानसिक अवस्थाएँ) शील है।

'प्रतिसम्भिदा' के अनुसार शील के चार स्तर होते हैं—चेतना, चेतसिक, संबर एव अनुलंघन। इनमें से दो का सम्बन्ध जीवहिंसा की विरति से है, जैसा कि कहा है—^३

"जीव-हिंसा आदि से विरत रहने वाले, या व्रत-प्रतिपत्ति (व्रताचार) पूर्ण करनेवाले की चेतना ही चेतना-शील है।"

"जीव-हिंसा आदि से विरत रहने वाले की विरति (अलग होने का विचार) चेतसिकशील है।"

-
१. विशुद्धिमार्ग—आचार्य बुद्धघोष, हि० अनु०—भिक्षु धर्मरक्षित, पहला भाग, पृ० ३.
 २. सध्यदा सामाजिक, पञ्चवा सुसमाहितो। आरद्धांशरयों पर्वतस्तो श्रोध तरात उत्तरं ४ समुत्त निकाय, २. २. ५.
 ३. विशुद्धिमार्ग, पहला भाग, पृ० ८.

आगे चलकर ब्रह्मविहारों का विवेचन करते हुए मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा की भावनाओं को प्रस्तुत किया है। मैत्री-भावना 'अमा' पर आधारित होती है। अतः 'अमा' को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह सबसे बड़ा बल है तथा इसे धारण करने वाला ब्राह्मण कहलाता है।^१ और जो द्वेष से दूषित होता है वह हिंसा करता है। अतः इन गुण-अवगुणों को देखते हुए मैत्री-भावना को अपनाना चाहिए। किन्तु यदि कोई व्यक्ति मैत्री-भावना का प्रारम्भ अपने वैरी के साथ करता है तो वह असफल रहेगा, क्योंकि वैरी को याद करते ही उसके प्रति जगी हुई वैर-भावना बाधा स्वरूप आगे आ जायेगी। अतः उसे अपनी मित्रता का प्रारम्भ अपने प्रियजनों से करके, मध्यस्थजनों से होते हुए अन्त में वैरी तक पहुँचना चाहिए, जैसे—

“भिक्षुको……………अत्यन्त प्रिय सहायक के ऊपर,
अत्यन्त प्रिय सहायक के बाद मध्यस्थ पर, मध्यस्थ से वैरी
व्यक्ति पर मैत्री-भावना करनी चाहिए………॥”^२

करुणा के विषय में भी यही क्रम बताया गया है, किन्तु 'अंगुत्तरट्ठकथा' में करुणा-भावना बढ़ाने का जो क्रम दिया गया है, वह इसके विपरीत-सा लगता है।

इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा का सही-सही पालन करनेवाला ही विशुद्धिमार्गी होता है।

बोधिचर्यावितार—आचार्य शान्तिदेवविरचित 'बोधिचर्यावितार' में कहा गया है कि बोधिसत्त्व को सभी प्राणियों का हित चाहने वाला होना चाहिए,^३ क्योंकि एक प्राणी का घात करके भी मनुष्य हीन बन जाता है और जो अनेक जीवों का अहित करता है अथवा

१. खन्तिवल बलानीक तमह भूमि ब्राह्मण। धर्मपद, २६. १७.

२. विशुद्धिमार्ग, पहला भाग, पृ० २६५.

३. चित्तोत्तरादसमुद्राश्च सर्वसत्त्वमुखावहान् ।

सर्वसन्विहितावानाननुमोदे च शासनाम् ॥३॥

तृ० परिच्छेद, बोधिचित्तपरिग्रह ।

उन्हें कष्ट पहुँचाता है उसके विषय में तो कहना ही क्या ?^१ उसे हमेशा हँसमुख रहना चाहिए, किसी पर भाँहे टेढ़ी नहीं करनी चाहिए यानी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों की कुशलता का ख्याल रखना चाहिए तथा संसार के सभी प्राणियों से मित्रवत् व्यवहार करना चाहिए।^२ इसके 'क्षान्तिपारमिता' में द्वेष और क्षमा पर प्रकाश ढालते हुए कहा गया है कि द्वेष सबसे बड़ा पाप है तथा क्षमा सबसे बड़ा तप। जिसका दिल द्वेष से दूषित है, उसे कभी भी न शान्ति मिलती है और न सुख। उसे नीद तक नहीं आती और धैर्य तो उससे बिल्कुल ही दूर हो जाता है। द्वेष से सिर्फ़ दूसरों को ही कष्ट नहीं पहुँचता, बल्कि स्वयं उसके पालने वाले को भी उससे अनेक दुःख प्राप्त होते हैं।^३ इस प्रकार 'बोधिचर्यावितार' में क्षमा और मित्रता के माध्यम से अंहिसा के सिद्धान्त को प्रश्रय मिलता है।

बौद्ध-परम्परा में अंहिसा को मैत्री-भावना के पालन में एक सबल साधनस्वरूप प्रमुखता मिली है। यशसबधी हिसा को इसने सही या धर्मानुकूल नहीं माना है। यद्यपि इसने मानव से एकेन्द्रिय जीव पर्यन्त हिसा-अंहिसा का विचार किया है, परिस्थिति के

१. एकस्थापि हि सत्त्वस्य हित हत्वा हतो भवेत् ।

अशेषाकाशपर्यन्तवासिना किम् देहिनाम् ॥१०॥

चतुर्थं परिच्छेद, बोधिचित्तप्रमाद ।

२. एवं वशीकृतस्वात्मा नित्यं स्मितमङ्गो भवेत् ।

त्यजेद् भूकृटिसंकोचं पूर्वाभाषी जगत्सुहृत् ॥७१॥

पंचम परिच्छेद, संप्रजन्य-ज्ञापण ।

३. न च द्वेषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः ।

तस्मात्क्षान्ति प्रयत्नेन भावेद्विविधैर्वैः ॥२॥

मन. शमं न गृह्णाति न प्रीतिसुखमङ्गते ।

न निद्रा न धृति याति द्वेषशल्ये हृदि स्थिते ॥३॥

पूजयत्यथं मानैर्यन् येऽपि चैनं समाश्रिता ।

तेऽप्येन हनुमिच्छन्ति स्वामिन द्वेषदुर्भगम् ॥४॥

षष्ठ परिच्छेद, क्षान्ति-पारमिता ।

अनुसार कहीं-कहीं हिंसा को काम्य भी मान लिया है, जैसे दवा स्वरूप चर्बी और लून का प्रयोग। इसके अलावा भिक्षुओं के द्वारा गृहस्थों से भिक्षास्वरूप मांस का भी ले लेना अहिंसा-सिद्धान्त की दृढ़ता में कुछ कमी-सी ला देता है, यद्यपि गृहस्थों की सुविधा का ध्यान रखते हुए यह विधान किया गया है।

सिक्ख-परम्परा :

सिक्ख परम्परा का प्रारम्भ सिक्ख धर्म के साथ होता है, जो ससार का एक नया धर्म है। यद्यपि इसने अपने से प्राचीन धर्मों की विभिन्न विशेषताएँ ग्रहण की हैं, इसने मानव कल्याण को महत्व देते हुए अपने को सकीर्ण भावनाओं एवं अन्धविश्वासों से काफी दूर रखा है। इसमें दस धर्म-पथ-प्रदर्शक हो गए हैं जिन्हें गुरु विशेषण से सम्मानित एवं सम्मोधित किया जाता है।

सिक्ख धर्म का सबसे प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ ‘श्री गुरुग्रन्थ साहब’ है, जिसमें गुरु नानक, गुरु अज्ञाद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अजुनदेव एवं तेज बहादुर के उपदेशों के साथ-साथ रामानन्द, कबीर, रविदास, नामदेव, शेख फरीद, जयदेव, सूरदास, पीपा, घन्ना, सैण, त्रिलोचन, परमानन्द, वेणी, भीखन आदि के भक्ति-काव्य संकलित हैं। गुरु गोविन्द सिंह की हिन्दी, पजाबी तथा फारसी भाषाओं में प्रस्तुत की गई रचनाएँ जिस ग्रन्थ में सगृहीत हैं उसे दसमग्रन्थ कहते हैं। उसमें जाप, अकाल-स्तुति, वचित्र-नाटक, ज्ञान-प्रबोध, जफरनामा आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। भाई नन्दलाल, भाई देशा सिंह, भाई प्रह्लाद सिंह आदि के रहितनामे एवं प्रेमसुमार्ग, सर्वलोहग्रथ, जन्मसाखी, पन्थप्रकाश, गुरु-विकास आदि भी सिक्ख साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

सिक्ख धर्म में मुक्ति के चार मार्ग दिखाए गए हैं—(१) कर्म मार्ग (२) योग मार्ग (३) ज्ञान मार्ग एवं (४) भक्ति मार्ग। कर्म को विश्लेषित करते हुए इसे दो विभागों में विभाजित किया गया है—वन्धनप्रद कर्म और मोक्षप्रद कर्म। वन्धनप्रद कर्म में कर्मकाण्डयुक्त कर्म, अहकार कर्म और मेंगणी कर्म आते हैं। मोक्ष-

प्रद कर्म में—हरिकीर्तन कर्म, अध्यात्म कर्म और हुकुमरजाई कर्म समझे जाते हैं।

यद्यपि कर्मों को गुरुओं ने प्रधानता दी है, वैदिक कर्मकाण्ड का विरोध किया है, जिसमें योग या यज्ञ के नाम पर हिंसाएँ की जाती हैं। इस सम्बन्ध में योग और योगी की व्याख्या करते हुए नानक ने कहा है—

“जोग न हिंसा जोग न डडे,
जोग न भस्म चढ़ाइए।
जोग न मुँडी मुँड मुँडाइए,
जोग न जिमी बाइए।
अजन माहि निरंजन रहिए,
जोग जुगति तड पाइए।”^१

अर्थात् न हिंसा करने, न भस्म लगाने, न सिरमुड़ा लेने को ही योग कहा जा सकता या इस तरह के कर्म करने वालों को ही योगी समझा जा सकता है। योगी तो उसे कहते हैं जो निम्नलिखित विचार का होता है—

“गल्ली जोग न होई।
एक दृष्टि कर समसर जागे
जोगी कहीये सोई।”^२

अर्थात् जिसकी दृष्टि एक है, जो सब को समान रूप से देखता है, ऐसा समता-भाव रखनेवाला ही वास्तविक योगी होता है। इतना ही नहीं बल्कि अंहिसा के सिद्धान्त को प्रमुखता देते हुए उसे अपने प्रथम धर्मोपदेश में ही गुरुओं ने स्थान दिया है, जो इस प्रकार है—

१. ‘प्राज’ (दैनिक पत्रिका), गुरुनानक विशेषाक, २३ नवम्बर १९६६,
पृ० १४.

२. वही।

“नानक नाम चढ़दी कला ।
तेरे भाणे सबर्त का भला ॥”^१

‘सबर्त का भला’ का अर्थ होता है सबकी भलाई, जो अहिंसा के सिद्धान्त को अपनाए बिना हो ही नहीं सकती । अहिंसा और सबकी भलाई ये दोनों तो बैसे ही हैं जैसे एक सिक्के के दोनों रुख । जब तक दूसरों के हित की बात ध्यान में नहीं आएगी तब तक अहिंसा की ओर प्रवृत्ति न होगी और जब तक अहिंसा का भाव मन में नहीं आएगा तब तक दूसरों का उपकार नहीं हो सकता । ये दोनों सिद्धान्त एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं ।

आपस के प्रेम भाव को जो अहिंसा की पुष्टि करता है, प्रकाशित करते हुए कहा गया है—

“आवहु भंजे गलि मिलहि,
मेरी अङ्कु सहेलङ्गि आहि ।
मिल के करहि कहाणियाँ,
समरथ्य कन्त कीआहि” ॥ (श्री राग)^२

प्रेम के सिद्धान्त की महत्ता को ऊंचा उठाते हुए गुरु गोविन्द सिंह कहते हैं—

“साच कहुँ सुनि लेहु सबहि,
जिन प्रेम कियो तिनही प्रभु पायो ॥”^३
(अकाल स्तुति)

अर्थात् मेरा उद्घोष सब कोई सुन ले कि बिना प्रेम किए हुए कोई व्यक्ति प्रभु या परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता । और अजुंनदेव ने तो विश्व को ही अपना समझ रखा है—

“ना को बैरी न ही बेगाना,
सगल सङ्गि हम को बन आई ॥”^४

१. सिक्ष धर्म की रूपरेखा, पृ० १.

२. वही, पृ० २.

३. वही, पृ० ३.

४. वही, पृ० २.

वे कहते हैं न कोई मेरा शत्रु है और न कोई मित्र ही। मेरे लिए सभी समान हैं, मेरी तो सबसे बनती है।

सिवख परम्परा में पाँच धर्मगत चिन्हों को महत्वपूर्ण समझा गया है—कड़ा, कछहरा, कृपाण, केश एवं कङ्गा। कृपाण सामान्यतः हिंसासूचक माना गया है। अतः कोई ऐसा समझ सकता है कि सिवख धर्म में हिंसा की प्रवृत्ति बलवती है। किन्तु जहां तक कृपाण की बात है, वह अहिंसा के पोषण के निमित्त रखा जाता है। उससे काम वहाँ लिया जाता है जहाँ अन्याय न्याय को दबाता है। सिवख धर्म अन्याय को चुप-चाप सह लेने की राय नहीं देता। यह ईसाई मत की तरह प्रतिपादन नहीं करता कि कोई एक गाल पर एक तमाचा मार देता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यह उस चोट को सहने को कभी भी तैयार नहीं होता जो किसी अनुचित कारण से पहुँचाई गई हो। इसके अनुसार दैवी प्रवृत्ति या शुभ प्रवृत्ति को फैलाने के लिए राक्षसी या अशुभ प्रवृत्ति को मिटाना आवश्यक है, चाहे वह हिंसात्मक तरीके से ही क्यों न हटाई जाए। कृपाण ही से मही,^१ लेकिन दुष्टजन को दबाना या दूर करना तो आवश्यक है ताकि मज्जन सचाई के मार्ग पर चल सकें और धार्मिक एवं नैतिक विचारों का विकास हो। इसीलिए गुरुओं ने कहा है कि बिना शस्त्र के कभी भी नहीं रहना चाहिए, तथा हिंमत के साथ अन्याय का सामना करना चाहिए।

जहाँ तक खान-गान की बात है, इस परम्परा में विशेष भोजन को दो नामों से जाना जाता है—कड़ाह प्रसाद तथा महा प्रसाद। महा प्रसाद में मास आदि आते हैं। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि शिकार से प्राप्त मास ग्रहण करना चाहिए और यदि शिकार से मास न मिल सके तो झटके से मारे गए पशु का मांस खाना भी दोषरहित है। इस सम्बन्ध में गुरु गोविन्द सिंह के वचन का हवाला दिया जाता है। मासभक्षी सिवख कहते हैं कि गुरु साहब ने अपने हाथ से काटे गए पशु के मांस को ग्रहण करने

१ कच्छ, कृपाण न कबहूँ त्यागी ।

सम्मुख लै न रण ते भागी ॥ रहितनामा—भाई नन्दकाल ।

को कहा है। लेकिन गुरु साहब के कहने का वास्तविक अर्थ क्या था उसे गौण करके रसलोलुपतावश सिक्खों (गृहस्थ) ने उनके बचनों का अपने अनुसार अर्थ लगाया या समझा है। यदि उन्होंने कहा भी तो उसके पीछे कोई और राज था। वे असल में यह चाहते थे कि यदि किसी की प्रकृति इतनी बलवती हो जाती है कि वह मांस खाए बिना अपने को रोक नहीं सकता है तो ऐसी हालत में वह स्वयं किसी पशु का वध करके उसका मांस भक्षण करे, ताकि पशु की हत्या करते समय उसके मन में दया भाव जग सके। इस सम्बन्ध में सदन कसाई की कथा प्रसिद्ध है। सदन को राजा से आज्ञा मिली मांस प्रस्तुत करने की। लेकिन जब वह मास प्राप्त करने के लिए बकरे को मारने चला तब रात होने वाली थी। अतएव उसने सोचा कि बकरे को जान से मार देने पर उसका पूरा मांस खर्च न हो सकेगा और वह खराब हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि उसका एक अंग ही काटा जाए। इस विचार से वह बकरे के निकट गया। किन्तु सदन को देखते ही बकरा हँस पड़ा। बकरे को हँसते हुए देखकर सदन बहुत ही आश्चर्यित हुआ क्योंकि उस दिन तक उसने कभी बकरे को हँसते हुए नहीं देखा था, यद्यपि उसने बकरे आदि अनेक पशुओं का वध किया था। फिर उसने बकरे से हँसने का कारण पूछा। तब बकरे ने उत्तर स्वरूप कहा कि मेरा-तेरा अदला-बदला पूर्वं जन्मों में होता आ रहा है। कभी तुम बकरा बनते हो तो मैं कसाई और कभी मैं बकरा तो तुम कसाई। हम दोनों बहुत दिनों से एक-दूसरे की हत्या करते आ रहे हैं लेकिन इस बार जो तुम सोच रहे हो यह तुम्हारा एक नया उपक्रम होगा। यह सुनकर सदन को ज्ञान हो गया कि संसार में जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है और ऐसा सोचकर उसने अपने विचार को बदल दिया। आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध भक्त बन गया और आजीवन अर्हिसा के पथ पर चलता रहा। हो सकता है कि यह कथा मनगढ़त ही हो, लेकिन सामान्यतः भी ऐसा देखा जाता है कि मांस-मछली खाना तो बहुत से लोग पसन्द करते हैं परन्तु जीव-जन्मतुओं की हत्या अपने हाथ से करना नहीं चाहते हैं। कारण, किसी जीव को मारते समय उनके दिल में दया आ जाती है।

इसके बावजूद भी गुरुग्रन्थ साहब में कहा गया है—

“जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत ।
जे रत पीवें मांसा तिन क्यों निर्मल चीत ॥”

अर्थात् रक्त या खून लग जाने से वस्त्र गन्दा हो जाता है, उस में दाग लग जाती है, पिर कैसे माना जाए कि रक्तयुक्त मांस खाने से या मांस के साथ लगे हुए खून को पीने से किसी व्यक्ति का मन मंला नहीं होता ? यानी मांस खाने से चिंता अवश्य ही दूषित होता है। इसलिए मासादि ग्रहण करना दोषपूर्ण है। इस प्रकार सिक्ख परम्परा में विशुद्ध सात्त्विक भोजन करने का विधान है, जिससे अर्हिसा के नियम का पालन होता है। इस सम्बन्ध में कबीरदास जी का कहना है कि लोग इतना जुर्मं क्यों करते हैं कि दूसरे जीवों की जान तक ले लेते हैं। वे खिचड़ी क्यों नहीं खाते जिसमें ढाला गया नमक अमृत के समान होता है। खुदा जब उनके कमों का लेखा-जोखा करेगा तब वे क्या जवाब देगे ?^१ मत-लब यह कि जितनी भी वे हत्याएं करते हैं उन सबका सही हिसाब ईश्वर के आध्यात्मिक कार्यालय में लिखा होता है और हिसक को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है।

१. कबीर जो किया सो जुलुम है,
कहता न वो हलाल ।
दफ्तर लेखा मार्गिए,
तब होएगो कौन हवाल ।
खब खाना खोचटी जान अमृत लोण,
हेरा रोटी कारणे गला कटावे कौन ।

गुरुग्रन्थ साहब, पृ० १३७४.

कबीर जो किया सो जुलुम है,
ले जवाब छुदाए ।
दफ्तर लेखा निकसे, मार मुए मुँह खाए ।

गुरुग्रन्थ साहब, पृ० १३७५.

पारसी परम्परा :

पारसी परम्परा के जन्मदाता महर्षि जरथुस्त्र हो गए हैं, जिन्हें ग्रीक लोगों ने जोरोष्टर के नाम से सम्बोधित किया है। उनका जन्म ईसा पूर्व दसवीं शती में ईरान के राजा कह-पिशतस्प के शासन काल में हुआ था, किन्तु आधुनिक इतिहासज्ञों के मत में उनका आविभाव ईसा पूर्व दसवीं शती से ई० पू० छठी शती के बीच में हुआ था। उनके जन्म के विषय में भी विद्वानों के बीच मतभेद नहीं है, लेकिन उनके कर्म-स्थानों में बैक्ट्रिया, पूर्व मेडिया, ईरान और परसिया के नाम आते हैं। चूंकि महात्मा जरथुस्त्र के द्वारा चलाई गई धार्मिक परम्परा का सबसे ज्यादा प्रसार परसिया में हुआ था, अतः उसे पारसी परम्परा के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता' है, जिसके सम्बन्ध में ऐसी धार्मिक धारणा है कि इस धर्म के सर्वोच्च एव सर्वशक्तिमान आराध्य अहुरामजदा ने स्वयं अपने हाथों से उसे जरथुस्त्र को दिया था।

अवेस्ता के अनुसार आदमी के प्रधानतः तीन कर्तव्य होते हैं—

१. अपने शत्रु को मित्र बना लेना।
२. दानव को मानव बनाना या दानवी प्रवृत्ति रखने वालों के भीतर मानवी प्रवृत्ति भर देना।
३. अज्ञानी को ज्ञानी बनाना।

शत्रु को मित्र बनाना निःसन्देह अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित है। शत्रु के साथ यदि हिंसाजनक व्यवहार होगा तो कभी भी वह मित्र नहीं बन सकता। लेकिन शत्रु को किसी प्रकार का कष्ट न देते हुए उसके प्रति प्यार व्यक्त करना, सद्भाव प्रकट करना अहिंसा की परिधि के ही अन्दर आता है। प्यार एव सद्भाव व्यक्त करने के बजाय यदि कोई अपने शत्रु के प्रति वैर-भाव व्यक्त करता है और अहिंतकर व्यवहार करता है तो उसे हिंसक कहना ही पड़ेगा। जरथुस्त्र ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति किसी के

विकास में बाधा उपस्थित करता है या किसी जीव का घात करके प्रसन्न होता है उसे अहुरामजादा निकृष्ट कोटि में रखते हैं।^१ यहाँ तक कि किसी से बदला लेने की भावना भी उनकी नजर में गलत है, क्योंकि दूसरे से बदला लेने में भी तो अनेक प्रकार के अहित होने की संभावना रहती है।^२ इतना ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से जो अहुरामजादा के दरबार को सुशोभित करते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—बोहुमानु (सद्प्रवृत्ति), अश-बहिस्त (शुद्धता और पवित्रता), क्षत्रवर (शक्ति और अधिकार), स्पेन्दर्मंद (प्रेम), हौरवतल (स्वास्थ्य), अमेरेलल (अमरता) तथा फायर (अग्नि)।^३ इससे साफ जाहिर होता है कि इस परम्परा में प्रेम का स्थान बहुत ही ऊँचा है। इसीलिए कहा गया है कि एक पारसी ईश्वर के साथ-साथ आदमी को भी प्यार करे। आदमी आपस में एक दूसरे को प्यार करें।^४ दान की महत्ता को प्रकाशित करते हुए यह परम्परा कहती है कि दान से सभी प्रकार के पापों का प्रायशिच्छत हो सकता है।^५ दूसरे शब्दों में दान से सभी पाप मिटाये जा सकते हैं। सारांशतः पारसी परम्परा के आचार में ये सब आते हैं—सद्कर्म करना, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना, दूसरों का भला सोचना, सत्य बोलना, दान देना, दयावान एवं विनम्र होना, ज्ञान प्राप्त करना, क्रोध को वश में करना, पवित्र बनना, माता-पिता, शिक्षक, वृद्ध एवं वयस्क लोगों के प्रति आदर का भाव रखना, आनन्ददायक मधुर वचन बोलना, धैर्य रखना, सबके प्रति मैत्री भाव रखना, सतोष करना, अयोग्य कर्म करने पर लज्जित होना।^६ इन बातों से निःसन्देह अंहिंसा के विवेयात्मक रूप की पुष्टि होती है।

१. गाणा, हा० ३४. ३.

२. पहलवी टेक्स्ट्स।

३. Glimpses of World Religions, p. 134.

४. Ibid., p. 139.

५. Ibid.

६. Ibid., pp. 139-140.

अहिंसा के निषेधात्मक रूप के संबंध में, जो जीव की जान न लेने एवं मांस आदि ग्रहण न करने से संबंधित होता है, यहाँ पर श्री जे० बन का विचार व्यात्यय है। वे कहते हैं—निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि पारसी-परम्परा में मांसाहार का विरोध किया ही गया है। फिर भी इतनी बात अवश्य है कि महात्मा जरथुस्त्र मांसाहार करना या पशुओं को मारना नहीं पसन्द करते थे। कारण, मांसाहार के संबंध में पूछने पर उन्होंने साफ असहमति व्यक्त की और अपने शास्त्र का भी हवाला देने को तैयार हुए, पर समयाभाव में मैं उसे नहीं देख सका। खैर ! इतनी बात तो है ही कि पारसी शास्त्र में उन पशुओं के प्रति सद्भाव व्यक्त किया गया है और उनके प्रति सद्व्यवहार बरतने को कहा गया है जो मनुष्य के लिए हितकर है। किन्तु जो मनुष्य के लिए घातक हैं, जिनसे मनुष्य को डर होता है कि कहीं वे उसकी जान-माल को हानि न पहुँचा दें, उन्हें वह मार सकता है। अतः सेंद्रान्तिक रूप से यह माना गया है कि हितकर पशुओं को अच्छी तरह पालना, उनके प्रति स्नेह रखना सुकर्म है और उन्हें मारना, कष्ट देना आदि दुष्कर्म है। ठीक इसके विपरीत हिंसक या घातक पशुओं को मारना सुकर्म है तथा उन्हें प्रश्रय देना दुष्कर्म है।¹ अवेस्ता के तेरहवें अध्याय में तो कुत्ते की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति सद्व्यवहार करने को कहा गया है, जिसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है कि एक घर्मप्रणेता का एक कुत्ते के संबंध में इतना लिखना ठीक नहीं लगता।²

जैन धर्म में सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव व्यक्त किया गया है और उसे देखते हुए पारसी धर्म में व्यक्त किया गया अहिंसा का भाव संकुचित प्रतीत होता है। यह केवल जीवों की उपयोगिता पर विचार करता है, उनकी जान पर या उनके दैहिक

1. *Din-I-Dus or Religion of Spiritual Atoms, Zoroastrian Unveiled—Jehangirji Bana, p. 615.*

2. *Avesta—Arthur Henry Bleek, Fargard XIII, Introduction.*

कष्ट पर नहीं। महात्मा जरथुस्त्र ने सबके प्रति प्रेम एवं भित्रता का भाव रखने को कहा है। हो सकता है उनका मतलब केवल मानव जाति से ही हो, सम्पूर्ण जीव-जन्तुओं से नहीं। या हो सकता है उनके अनुयायियों ने बाद में चलकर उनके प्रवचनों को अपने लाभ-हानि को देखते हुए विश्लेषित किया हो। कारण, एक महात्मा मात्र मानव-हित की बात को ध्यान में रखकर अन्य जीवों की अवहेलना करे, यह महात्मोचित आचरण के अन्दर नहीं आता।

यहूदी परम्परा :

जातिगत उत्पत्ति के दृष्टिकोण से यहूदी लोग सेमीत्स (Semites) थे। वे बहुत दिनों तक क्रमशः सौल (Saul), डेविड (David) तथा सोलोमन (Solomon) की छत्रछाया में स्वतंत्र रूप से आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहे। सोलोमन के शासन-काल में उनका प्रसिद्ध शहर जेरुसलम (Jerusalem) अपने उत्थान की ओटी को छू रहा था। उसी समय यहवेह (Yahveh) के प्रति अगाध श्रद्धा के रूप में एक मन्दिर की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप तत्कालीन धार्मिक प्रवाह बहुदेवतावाद से मुड़कर एक सज्जनात्मक धर्म-चेतना की ओर चला। यहूदी परम्परा के प्रारम्भ में चट्टानों, पशुओं (भेड़ आदि), गुफाओं और पवंतों की देवी-देवताओं, सर्पों आदि की पूजा होती थी। लेकिन धीरे-धीरे यहवेह को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया जिससे यहूदी धर्म में दृढ़ता और एकता की भावना का आगमन हुआ। किन्तु शीघ्र ही उसपर मिथ्रवालों ने आक्रमण कर दिया जिसके परिणामस्वरूप यहूदी लोग गुलाम बन गए और उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यतिक्रम आ गया। बाद में मोजेज (Mozes) नामक एक यहूदी ने ही उन्हें फिर से स्वतंत्र किया और उनके सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक जीवन को प्रकाशित किया। उस समय से मोजेज ही उनका धर्म-गुरु बना और उसने ही उनके धार्मिक नियमों का प्रतिष्ठापन किया।

यहूदी धर्म-साहित्य के प्राचीन धर्मग्रन्थ (Old Testament) के पाँच विभाग, जिन्हें पेन्टाक्यूच (Pentateuch) की संज्ञा दी गई है, प्रधान हैं। उनमें न मात्र सामाजिक नियम ही हैं, बल्कि इतिहास, काव्य एवं दर्शन के भी विभिन्न रूप मिलते हैं। सबं प्रथम मोजेज के द्वारा रचित नियम की पुस्तक का पाठ एक प्रसिद्ध पडित एज्ञा (Ezra) ने ईसा पूर्व ४४४ में किया था। मोजेज के द्वारा प्रतिपादित धार्मिक नियमों की रूपाति आज भी दस धर्मादेश (Ten Commandments) के रूप में देखी जाती है। इनमें से छठा आदेश है—किसी को मत मारो। इतना ही नहीं बल्कि आगे सातवें से दसवें तक क्रमशः कहा गया है—व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, पढ़ोसी के खिलाफ गलत धारणा मत बनाओ एवं पढ़ोसी की स्त्री, नौकर, नौकरानी, बैल, गधे आदि को लोलुपता की दृष्टि से कभी भी न देखो।¹ इन नियमों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि यहूदी परम्परा में अर्हता के निषेधात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही रूपों पर प्रकाश डाला गया है।

खासतौर से बन्धुत्व के भाव को यहूदी धर्म में विभिन्न प्रकारेण विवेचित किया गया है। इसमें कहा गया है—बन्धुत्व का प्रेम जाति एवं धर्म की सीमाओं से ऊरर है, इमलिए अपने पढ़ोसी को प्यार करो, उसके प्रति मन में धृणा का भाव मत रखो, न प्रतिकार का विचार मन में लाओ और न उससे ईर्षा ही करो। जब भाईचारे का भाव मन में स्थापित हो जाता है तो सहज ही धृणा का भाव दूर हो जाता है। सभी लोग एक ही पिता के पुत्र हैं ऐसा समझकर सबसे प्यार करो। पढ़ोसी से प्यार करना ही सबसे बड़ा न्याय है और पढ़ोसियों या साथियों से धृणा करना ईश्वर से धृणा करना है। अतएव, यदि तुम्हारा भाई—पढ़ोसी निर्वन है, पतन की अवस्था में है तो उसे गरीबी से मुक्त करो, यदि वह काई आगन्तुक या प्रवासी ही है तो क्या; वह तुम्हारे साथ रह सकता है। तुम अपने पढ़ोसियों के साथ बैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम स्वयं अपने प्रति चाहते हो। उनके साथ वाचिक रूप से भी गलत

व्यवहार न करो। अपने संगी-साथियों की किसी भी प्रकार की सेवा करना सुकर्म या सुकृति है।^१

इस प्रकार यहूदी धर्म ने मानवता के प्रति सम्मान, ईमानदारी, ज्ञानचयं, सत्य, भक्ति आदि को ईश्वर के प्रति प्रेम या विश्वास के परिचायकों में स्थान दिया है। क्योंकि ये सब सदाचार हैं। इसके विपरीत क्रोध, विलास, गरीब, कमज़ोर, विषवा स्त्री एवं अनाथ बच्चों को सताना, व्यापार में बेईमानी, लाभ के लिए नीच आचरण को अपनाना, कर्जदारों के प्रति रुट्टता प्रदानित करना आदि दुराचार हैं। यहाँ तक कि दया और प्रेम को इसमें ईश्वर का ही रूप माना गया है।^२

इस प्रकार यहूदी परम्परा का अंहिसा-सिद्धान्त अपने विवेयात्मक रूप में प्रेम और दया को प्रधानता देता है। कारण, यहूदी लोग मिश्र के द्वारा पराजित होने के बाद से स्वतंत्रता के पहले तक गरीबी का जीवन व्यतीत करते रहे और आपस के संगठन के आधार पर ही मोजेज ने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की। इसी बजह से दया और प्रेम (संगठन) को कायम रखना उनके लिए अनिवार्य भी था।

ईसाई-परम्परा :

ईसाई-परम्परा के जन्मदाता महात्मा ईसा मसीह थे, जिनके नाम से ईस्त्री सन् प्रचलित है। उनका आविभव आज से प्रायः १६७१ वर्ष पूर्व गैलिली के नाजरेथ शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम मेरी और प्रतिपालक पिता का नाम जौसेफ था। जीवन के प्रारम्भ में महात्मा मसीह ने, जिनका घरेलू नाम जेसस था, अपने बंशगत व्यवसाय बढ़ईगिरी की ओर हाथ बढ़ाया, किन्तु बाद में पैलेस्टाइन के एक प्रसिद्ध संस्कार प्रतिपादक जॉन के विचारों से प्रभावित होकर धार्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनकी मातृभाषा हेब्रय मिश्रित सिरियन थी, जिसमें मौखिक रूप

1. G. W. R., p. 157.

2. Ibid., p. 158.

से ही उन्होंने अपना उपदेश दिया। फिर भी उनके उपदेशों की जानकारी के बे पाँच लोत हैं—

१. गॉस्पेल्स तथा नवी टेस्टामेंट (Gospels and the writings of New Testament)
२. एपोक्राइफा (Apocrypha)
३. फिलो की कृतियाँ (Works of Philo)
४. एनॉक का पन्थ (Book of Enoch)
५. डेनियल का ग्रन्थ (Book of Daniel)

ईसा से पूर्व प्रचलित धर्मदिशों में ये सब उपदेश प्रसिद्ध थे— व्यभिचार मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, गलत साक्षी मत बनो एव माता-पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखो। इन नैतिक नियमों को ईसा ने स्वीकार किया, इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन इन सभी का विश्लेषण उन्होंने अपने ढग से किया। उन्होंने सर्व साधारण को सूचित करते हुए कहा कि यद्यपि पहले से ऐसा कहा गया है कि किसी की हत्या न करो अन्यथा जो किसी की हत्या करेगा वह निर्णयात्मक दोष का भागी होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बिना किसी कारण ही अपने भाई से नाराज हो जाता है वह निर्णयात्मक दोष का भागी बन जाता है। अतएव यदि तुम किसी बेदी पर कुछ चढ़ाने जा रहे हो यानी कोई पूजा-पाठ करने जा रहे हो और इस बात से तुम्हारा भाई सहमत नहीं है तो पहले अपने भाई की सहमति ले लो फिर पूजा-पाठ प्रारम्भ करो।^१ कारण, ऐसा न करने से आपस का प्रेम भग हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक परेशानियाँ आ सकती हैं। आगे चतुर्थ धर्मदिश को सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि 'जैसे को तैसा' का सिद्धान्त बिलकुल गलत है। औस्त के बदले आँख और दाँत के बदले दाँत निकाल लेने से समस्या का वास्तविक समाधान नहीं मिल सकता। ऐसा करने से शान्ति मिल जाए यह भी नहीं कहा जा सकता। अतएव किसी भी दुर्बंधार का प्रतिकार न करो। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मार देता है तो दूसरा भी गाल उसके सामने

1. Bible, Matthew V.

कर दो।^१ यदि कोई तुम्हारा कोट लेना चाहता है तो तुम अपना अंगरखा (Cloak) भी दे दो। यदि कोई तुम्हें अपने साथ एक मील चलने को बाध्य करता है तो उसके साथ दो मील तक जाओ। जो कुछ भी तुमसे कोई मागता है उसका स्वामित्व तुम उसे दे दो और फिर उस व्यक्ति से उधार मांग लो, उसे लौटाओ नहीं। पुनः आपस के प्रेम को प्रकाशित करते हुए उन्होंने पंचम धर्मादेश में कहा है कि पुराने सिद्धान्त पर ध्यान मत दो, जो कहता है—‘पङ्कोसी को प्यार करो और शत्रु से घृणा करो’। बल्कि शत्रु को प्यार करो, जो तुम्हें शाप दे उसे वरदान दो; जो तुम्हारा बुरा करे उसका भला करो; और जो तुम से ईर्ष्या करता है तुम पर किसी प्रकार का अभियोग लाता है, उसके लिए दुआ करो। तभी तुम अपने उस पिता (ईश्वर) की सच्ची सन्तान बन पाओगे, जो स्वर्ग में रहता है और सूर्य को समान रूप से बुरी या भली प्रकृति वालों को धूप प्रदान करने को और बादल को समान रूप से न्यायी या अन्यायी को जल देने को प्रेरित करता है।^२ इस प्रकार ईसाई-परम्परा में जन-जीवन के प्रेम को ईश्वर-प्रेम का रूप दिया गया है, जो अनियंत्रित है जिसमें न कोई गाँठ है, और न कोई सीमा ही है।^३ सचमुच प्रेम ही अहिंसा है या अहिंसा ही प्रेम है। प्रेम के बिना अहिंसा और अहिंसा के बिना प्रेम की कल्पना की ही नहीं जा सकती। प्रेम भी वही होता है जहाँ प्रतिकार या द्वेष की भावना का लोप होता है। इसीलिए ईसाई-परम्परा में माना गया है कि जहाँ पर बिनब्रता एवं विश्व-बन्धुत्व के भाव पाए जाते हैं वही पर ईश्वरीय राज्य होता है।^४ ईश्वर की सेवा का अर्थ होता है पूरे मानव समाज के ईश्वर की सेवा, मात्र किसी एक घर्म द्वारा प्रतिपादित ईश्वर की ही नहीं। ईश्वरीय राज्य पर तो गरीबों एवं अवहेलितों का अधिकार होता है। धनी वर्ग से इस ईश्वरीय राज्य के सम्बन्ध को दिखाते हुए ईसा ने कहा है कि एक ऊँट का सूई

1. Bible, Matthew V.

2. Ibid.

3. G.W.R., p. 172.

4. Ibid., p. 170.

के छिद्र में प्रवेश करना संभव मान लिया जा सकता है लेकिन एक घनी व्यक्ति का ईश्वरीय-राज्य में स्थान पाना बिल्कुल संभव नहीं है।^१ इन बातों से ईसा मसीह ने अहिंसा के आर्थिक एवं मामाज़िक रूप पर प्रकाश डाला है।

दान को भी इस परम्परा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि आध्यात्मिक प्यार दान का ही साररूप है^२ यानी दान के द्वारा ही आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जिस प्रकार जहाँ आध्यात्मिक या दैवी ज्ञान एवं प्यार होता है वहाँ ईश्वर होता है, ठीक उसी तरह वास्तविक आस्था एवं दान में भी ईश्वर का वास होता है। या यो कहा जाए कि सच्ची आस्था एवं सही दान ही ईश्वर है तो कोई अनुचित न होगा। ईश्वर, आस्था एवं दान को अलग नहीं किया जा सकता। कारण, ईश्वर से अलग होने के बाद या तो इन दोनों का अस्तित्व ही नहीं रह जाता और यदि रहता भी है तो अपूर्ण या असफल रूप में। यदि कोई ईश्वर को जानने का दावा करता है और वह दान के महत्व को नहीं जानता है इसका मतलब है कि वह ईश्वर को अधूरा ही जानता है। वह ईश्वर को आंठों से ही जानता है दिल से नहीं, अर्थात् उसे केवल किताबी ज्ञान की प्राप्ति हो सकी है हादिक ज्ञान की नहीं। क्योंकि दान ही तो उस आस्था का सार है, जिसके द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है।^३

ईसा ने अपने अनुयायियों को समझाते हुए ऐसा भी कहा है—‘मेरा मास ही वास्तविक मास है और मेरा खून ही शुद्ध पेय है। जो मेरा मास खाता है और मेरा खून पीता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें रमता हूँ’^४। इससे यह नहीं समझा जा सकता कि मसीह मास आदि ग्रहण करने के पक्ष में थे। उन्होंने मास तथा खून का व्यवहार प्रतीकात्मक ढंग से किया है। उनके व्यवहार में

1. G. W. R., p. 182.

2. True Christian Religion, p. 420.

3. G. W. R., p. 422.

4. Bible, John VI, 53-5, 56.

मांस शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक श्रेय (Spiritual good) एवं खून का अर्थ है सत्य (Truth) । कहीं-कहीं पर उन्होंने अपने मांस को रोटी और खून को मदिरा कहा है ।^१ किर भी ईसाई परम्परा में मासादि अधिकाशतः खाया जाता है जो आर्थिक या शारीरिक लाभ से सम्बन्ध रखता है, धर्म से नहीं ।

इस प्रकार ईसाई-परम्परा अंहिसा के निषेधात्मक पक्ष से प्यार, दान, आदि विषेधात्मक पक्ष पर अधिक बल देती है ।

इस्लाम-परम्परा :

इस्लाम का केन्द्र स्थान अरब है । इससे पहले वहाँ पर बहु-देवतावाद (Polytheism) एवं घोर मूर्तिपूजन (Gross idolatry) से लेकर दृढ़ अदेवतावाद (Rigid atheism) का प्रसार था । किन्तु मुहम्मद साहब, जिनका जन्म मक्का में अब्दुल्ला और अम्ना के पुत्र के रूप में २० अप्रैल ५७१ ई० को हुआ था, ने वहाँ के जन-जीवन को अपने एक नए धार्मिक-विचार से प्रकाशित किया और उन्होंने की दी गई ज्ञान-ज्योति इस्लाम के नाम से जानी गई । इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों की जानकारी प्रमुखतः चार ग्रन्थों से होती है—

१. कुरान (The Quran), २. सुन्ना (The Sunna),
३. इज्म (The Ijma), ४. किअस (The Qias) ।

इस धर्म ने ईश्वर में विश्वास करने, धर्म-पथ प्रदर्शकों के विचारों पर आस्था रखने, गरीबों और कमज़ोरों के प्रति दया-भाव व्यक्त करने की सीख दी है ।^२ इसमें गाली (abuse), क्रोध (anger), लोभ (avarice), चुगली खाना (back-biting) खून-खराबी (blood-shedding), रिश्वत लेना (bribery), झूठा अभियोग (calumny), बेईमानी (dishonesty),

1. True Christian Religion, p. 746.

2. G.W.R., pp. 201-202.

मदिरा-पान (drinking), ईर्षा (envy), चापलूसी (flattery), लालच (greed), पालपड (hypocrisy), असत्य (lying), कृपणता (miserliness), अभिमान (pride), कलङ्क (slandering), आत्म-हत्या (suicide), अधिक व्याज लेना (usury), हिंसा (violence), उच्छ्रुतता (wickedness), युद्ध (warfare), हानिप्रद कर्म (wrong-doings) आदि को हमेशा ही त्याज्य समझा है और ठीक इसके विपरीत भाईचारा (brotherhood), दान (charity), स्वच्छता (cleanliness), ऋग्याचर्य (chastity), अमा (forgiveness), मैत्री (friendship), कृतज्ञता (gratitude), विनम्रता (humility), न्याय (justice), दया (kindness), श्रम (labour), उदारता (liberality), प्रेम (love), कृपा (mercy), संयम (moderation), सुशीलता (modesty), पड़ोसीपन का भाव (neighbourliness), हृदय की शुद्धता (purity of heart), सदाचार (righteousness), धैर्य (steadfastness), सत्य (truth), विश्वास (trust) को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है।¹

इससे साफ जाहिर होता है कि इस्लाम-परम्परा ने उन तत्त्वों की अवहेलना की है जिनसे हिंसाभाव की उत्पत्ति या वृद्धि होती है और उन तत्त्वों को अपनाया है जिनसे अहिंसाभाव की पुष्टि होती है एवं अहिंसा सिद्धान्त का विकास होता है।

दान देने के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए कुरान में कहा गया है कि दान तो तब सही रूप लेता है जब कोई बिना किसी हिच-किचाहट के या बिना किसी को कोई कष्ट दिए ही किसी को कुछ देता है। यदि दान देने में किसी प्रकार की परेशानी ली गई या महसूस की गई तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि किसी से मधुर संभाषण किया जाए तथा उसके प्रति क्षमा भाव रखा जाए, कारण, तुदा स्वयं घन, बैमव का सर्वोच्च अधिष्ठाता होते हुए भी सरल

1. G. W. R., p. 203.

एवं विनाश है।^१ कुरान का श्रीगणेश ही खुदा को उदार एवं दयावान कहकर सबोधित कर किया गया है।^२ फिर भी कुरान ऐसा एलान करता है कि खुदा किसी को बिना किसी उचित कारण के मारने के लिए हेदायत करता है और यदि कोई किसी की हत्या बिना सही कारण के ही कर देना है तो खुदाई कानून के अनुसार आगे वह भी (जिसकी हत्या होती है यानी हिस्त) हिस्क की हत्या करने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन ऐसा वह स्वेच्छा से नहीं कर सकता, उसे खुदाई कानून का सहारा तो लेना ही पड़ेगा।^३

किन्तु किसी जीव की हत्या करने के लिए उचित कारण क्या हो सकता है? यह एक समस्या-सी उठ खड़ी होती है। इसके संबंध में कुछ जानकारी वहाँ से हो सकती है जहाँ पर मौदुदी (Maududi) ने ईश्वर, आत्मा, मनुष्य एवं विभिन्न जीवों के अधिकारों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि खुदा ने आदमी को अन्य सभी जीवों पर अधिकार देकर उसे सम्मानित किया है। आदमी अन्य जीवों को अपने काम में ला सकता है, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता। खुदा की ओर से उसे इतनी छूट नहीं मिली है कि वह चाहे जिस कदर भी उन्हे परेशान करे। यदि अन्य जीवों को आदमी अपने काम में लाता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उन्हे कम से कम कष्ट हो। उदाहरणस्वरूप आदमी अपने भोजनार्थ पशुओं की हत्या कर सकता है लेकिन खेल के लिए या अन्य किसी प्रसन्नता के लिए वह ऐसा नहीं कर सकता। और इसमें भी हत्या करने के एक विशेष तरीके को अपनाना चाहिए जिसे जभ (Zabih) कहते हैं, क्योंकि इस तरीके से मारने पर जीव को कम कष्ट होता है। जगली हिस्क पशुओं की हत्या करने के लिए भी यह परम्परा छूट देती है क्योंकि हिस्क पशुओं से मनुष्य का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसमें पशुओं को कम

1. Quran, Tr. E. H. Palmer, Part I, Chapter II, 265, p. 42.

2. "विस्मिल्लाह रहिमानुर्रहीम" कुरान १. १.

3. Quran, Part II, Chapter VIII, 35, p. 4.

भोजन देना और उनपर चढ़ना, सामान लादना, पक्षियों को पिज़रे में बन्द करके रखना आदि का विरोध किया गया है। यहां तक कि इस्लाम वृक्षों को भी काटने के लिए नहीं कहता, क्योंकि वे कल देते हैं।¹

परन्तु खुदा, जिसे समदृष्टि वाला माना जाता है, मनुष्य के प्रति इतना उदार और अन्य जीवों के प्रति इस तरह निर्मम कैसे बन गया कि उसने आदमी को अन्य पशुओं को अपने काम में लाने के लिए इस कदर स्वतंत्र कर दिया। इससे तो इस्लाम का खुदा एकांगी और पक्षपाती दीखता है। या हो सकता है कि इस धर्म के अनुयायियों ने अपनी सुविधा को देखकर खुदा का हवाला देते हुए कुरान के धर्मदेशों को अपने अनुमार विश्लेषित कर लिया हो या उसमें कुछ वृद्धि ही कर दी हो। अन्यथा यह कितना अस्वाभाविक है कि जो खुदा भले पशुओं के उस दर्द को महसूस कर सकता है जो भूख से पैदा होता है वह पशुओं की उस पीड़ा को समझ नहीं सकता जो भोजन के लिए मनुष्यों के द्वारा की गई उनकी हत्या से होती है।

ताओ एवं कनफ्यूशियस :

चीन में तीन धर्मों का प्रसार है—बौद्ध, ताओ और कनफ्यूशियस। ताओ धर्म के प्रणेता लाओत्से (Lao-Tze) हो गए हैं जिनका प्रादुर्भाव चुद्रेण (Chu-Jhren) गाँव में ईसा पूर्व सन् ६०४ में हुआ था। उनका पहला नाम 'ली' था। 'ली' का अर्थ होता है कर्कन्धा या बेर (Plum)। ऐसा नाम उन्हें इसलिए दिया गया कि उनका जन्म कर्कन्धा-वृक्ष के नीचे हुआ था। वे बड़े ही चमत्कारी व्यक्ति थे। अपने समय के राजनीतिक एवं मामाजिक भ्रष्टाचार से ऊबकर वे चीन को ही छोड़ने वाले थे लेकिन लोगों ने उनसे पुस्तक लिखने के लिए आग्रह किया। फिर उन्होंने करीब पाँच हजार शब्दों की 'ताओ-तेह-किंग' नामक एक पुस्तक लिखी

1. Towards Understanding Islam—Sayyid AbulA'la Maududi,
pp. 186-187.

जिसके दो भाग हैं—ताओ और तेह। इन्हीं दो भागों में लाओत्से के वास्तविक उपदेश प्राप्त होते हैं।

लाओत्से ने जीवन की सरलता पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। जीवन को सही ढंग से व्यतीत करने के लिए उन्होंने जो राह दिखाई है उसके ये सब सबल प्रधान हैं :

१. कार्य करना पर उसके कर्त्तापिन पर विचार न करना ।
२. कर्म करना पर उससे उत्पन्न दुःख-दर्द को महसूस न करना ।
३. भोजन ग्रहण करना पर उसके अच्छेन्तुरे स्वाद पर विचार न करना ।
४. छोटे को भी बड़ा समझना ।
५. थोड़े को भी अधिक समझना ।
६. हिंसा से उत्पन्न धाव पर प्यार का मरहम और दया की पट्टी लगाने का भाव रखना ।

यहीं तक कि राजनीतिक जीवन में भी खून-खराबी हो, इसका लाओत्से ने विरोध किया है। उनका कथन है कि जो बादशाह जनता की निमंम हत्या में विश्वास करता है या दूसरों की हत्या में आनन्द लेता है, वह कभी-भी एक सफल एवं कुशल शासक नहीं समझा जा सकता।¹

कनफूशियस परम्परा अपने जन्मदाता कनफूशियस के नाम से ही प्रसिद्ध है। कनफूशियस का जन्म चुफु (Chufu) गाँव में शु-लियांग-हो (Shu-Liang-Ho) के पुत्र के रूप में ईसा पूर्व सन् ५५१ में हुआ था। उनका वास्तविक नाम कंग-फु-त्जे-कंग (K'ung-fu-tze-Kung) था। किन्तु प्रथम पाश्चात्य यात्री, जिसने यूरोप से चीन की यात्रा की थी, ने उनके नाम का सही उच्चारण न करने के कारण लैटिन (Latin) भाषा में उसे कनफूशियस (Confucius) के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कोई नया धर्म या नीति नहीं दी किन्तु पहले से आते हुए

1. Great Asian Religions, p. 154.

धार्मिक, दार्शनिक, नीतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों को अपने ढांग से इस तरह विश्लेषित किया कि उनके द्वारा किए गए विश्लेषण ने ही एक नई परम्परा को जन्म दे दिया, जैसे वैदिक परम्परा में शंकराचार्य के द्वारा किया गया उपनिषदों का विवेचन ही अपने आप में एक दर्शन बन गया है। फिर भी कनफ्यूशियस साहित्य में पाँच ग्रन्थ आते हैं :

१. प्रमाण साहित्य (Book of Records) ।
२. लघु-गान साहित्य (Book of Odes) ।
३. परिवर्तन साहित्य (Book of Changes) ।
४. वसन्त एवं शरद साहित्य (Spring and Autumn Annals) ।
५. इतिहास (Book of History) ।

कनफ्यूशियस के विचारों में श्रेष्ठजन (Superiors) की कल्पना की गई है और उनमें अच्छे गुणों का होना आवश्यक बताया गया है। इसी सिलसिले पर कहा गया है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए तीन बातें आवश्यक हैं¹ :

१. जब तक शारीरिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हे मांस ग्रहण करने में स्वतंत्र नहीं होना चाहिए।
२. युवापन में, जब जवानी मदमाती हुई हो, युद्ध करने की प्रवृत्ति पर रोकथाम रखनी चाहिए।
३. बृद्धावस्था में अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।

इससे लगता है कि कनफ्यूशियस ने मासादि ग्रहण करने का पूर्णतः विरोध नहीं किया है। यदि कोई इस पर नियंत्रण करता भी है तो मात्र एक उम्र विशेष तक ही, जीवन के पूरे समय तक नहीं।

किन्तु अपने शिष्यों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए कनफ्यूशियस ने यह भी कहा है—‘जीवन के प्रवाह में प्यार की

बाढ़ सा दो और मैत्री का संचार करो ॥ । जो लोग अच्छे होते हैं वे सबको प्यार करते हैं, दूसरों की अच्छाई को देखते तथा अपनी ही तरह दूसरों का भी उत्थान चाहते हैं । एक श्रेष्ठ व्यक्ति पीड़ितों की सहायता करता है लेकिन घनवानों के लिए घन-वैभव की बाधि नहीं करता । चार ममुद्रों के आस-पास जितने भी लोग हैं ये सब उसके भाई हैं । यदि तुम दान करते हो तो दिल का दान (Charity of heart) करो, यानी मात्र दानी कहलाने के लिए किसी को कुछ मत दो बल्कि जिसे तुम कुछ देते हो उसके प्रति हार्दिक सहानुभूति रखो । सब एक-दूसरे को प्यार करो । जो श्रेष्ठ होता है वह सबके प्रति सहानुभूति रखता है । वह दूसरों की महानता या विशिष्टता को देखकर द्वेष नहीं करता । वह निम्न आचरण के व्यक्ति को देखकर धृणा नहीं करता । बल्कि वह अपने आपके आन्तरिक रूप का अध्ययन करता है अर्थात् वह अपने मे देखता है कि क्या वे कलुषित भाव उसमें भी हैं जो दूसरों में वह देख रहा है । वह उत्तेजक बातों पर ध्यान नहीं देता, सबके प्रति विनम्र भाव रखता है लेकिन चापलूसी करना पसन्द नहीं करता । वह अपने से निम्नस्तरीय लोगों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता और न उच्चस्तरीय लोगों से पक्षपात ग्रहण करने का भाव रखता है ।^३

इन बातों को देखने से मालूम होता है कि भले ही कनफ्यूशियस ने निषेधात्मक अंगिहिसा पर उतना जोर नहीं दिया हो, लेकिन विधेयात्मक अंगिहिसा पर अधिक बल दिया है और खास तौर से सामाजिक समानता को तो उसने अपनाया ही है ।

सूफी सम्प्रदाय :

सर्वप्रथम 'सूफी' शब्द सन् ८१५ई० में प्रकाश में आया । विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग-अलग अर्थ लगाए हैं । अबू नसर अल-सराज ने अपनी पुस्तक 'किताब अल-लुमा' में 'सूफी' शब्द पर विचार करते हुए बतलाया है कि 'सूफी' शब्द अरबी 'सूफ' शब्द

1. G. W. R., p. 233.

2. G. W. R., pp. 233-234.

से निकला है जिसका अर्थ 'ऊन' है।^१ हुजवीरी ने कहा है कि सूफी शब्द 'सफा' से निकला है।^२ किन्तु अधिकांश लोग 'सूफी' शब्द की उत्पत्ति 'सूफ' से ही मानते हैं, क्योंकि ऊन का व्यवहार पैगम्बरों के द्वारा बहुत दिन पहले से ही होता आ रहा है। इस परम्परा के जन्म के बारे में विश्वास किया जाता है कि महात्मा मुहम्मद ही इसके भी जन्मदाता थे। कारण, इसका विकास इस्लाम से ही हुआ है। मुहम्मद साहब को दो प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक को उन्होंने कुरान के माध्यम से व्यक्त किया और दूसरे को अपने हृदय में धारण किया। कुरान का ज्ञान सब लोगों के लिए प्रसारित किया गया लेकिन अपनी हादिक ज्योति को कुछ अपने चुने हुए शिष्यों में प्रतिष्ठापित कर दिया। उनका किताबी ज्ञान (कुरान का ज्ञान) 'इल्म-ई-सफिन' (Ilm-i-Safina) और हादिक ज्ञान 'इल्म-ई-सिन' (Ilm-i-Sina) था। वह हादिक ज्ञान रहस्यपूर्ण था जिसे धारण करने वाले रहस्यकारी सूफी कहलाए।^३ इवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मारुफ अल-करखी ने सूफी मत को परिभाषित करते हुए कहा है—'परमात्मा विषयक सत्यासन्य का ज्ञान और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग ही सूफी मत है।'^४ ऐसी स्थिति में तो हिंसा-अहिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। कारण, जहाँ किसी वस्तु के प्रति लोभ, किसी व्यक्ति के प्रति राग या किसी वस्तु के प्रति हेय भाव और किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव होता है, वही हिंसा होने की समावना होती है। लेकिन ससार से पूर्णतः सन्धास ले लेने पर तो ऐसी समस्या ही उठ खड़ी नहीं होती है।

इतना ही नहीं, सूफी प्रेम की आवाज सबसे ज्यादा बुलन्द करते हैं। वे परमात्मा को प्रियतम मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सांसारिक प्रेम के माध्यम से प्रियतम के निकट पहुँचा जा सकता

१. सूफीमत-साधना और साहित्य—रामपूजन तिवारी, पृ० १६६.

२. वही, पृ० १७१.

३. G. W. R., p. 258.

४. सूफीमत-साधना और साहित्य, पृ० २१२.

है। मानवीय प्रेम तो आध्यात्मिक प्रेम का साथन है।^१ प्रेम ईश्वर के सार का भी सार है और ईश्वर-पूजन का यह सर्वोच्च रूप है।^२

इस तरह जहाँ प्रेम को अपनाया गया है वहाँ हिंसा हो सकती है, ऐसा सौचना गलत नहीं तो और क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सूफी परम्परा में भी अहिंसा के सिद्धान्त को अच्छा प्रश्रय मिला है।

शिन्तो-परम्परा :

शिन्तो (Shinto) जापान का वह धर्म है जिसकी उत्पत्ति जापान में ही हुई थी। इससे जापान की धार्मिक भूमिका का पता लगता है, क्योंकि जिस समय शिन्तो मत का प्रादुर्भाव हुआ उस समय जापान में अन्य किसी बाहरी धर्म का आगमन नहीं हो पाया था। उस समय जापानी लोग प्रकृति की पूजा करते थे। परन्तु बाद में वहाँ बीदू धर्म ने भारत से जाकर अपनी जड़ जमा ली।

शिन्तो का शब्दिक अर्थ होता है देव-मार्ग अर्थात् देवताओं तक पहुँचाने वाला या उनकी सञ्जिकट्टा प्राप्त कराने वाला मार्ग (The way of the gods)। शिन्तो शब्द के अन्त में जो 'तो' लगा है वह चीन के ताओ (Tao) का प्रभाव है। 'शिन्तो' वास्तव में चीनी शब्द है जिसका समानार्थक जापानी में 'कामी नो मीची' (Kami no michi) होता है। इसका भी अर्थ होता है अच्छजन तक ले जाने वाली राह।^३

इस परम्परा के प्रधान प्रन्थ कोजिकी (The Kojiki), निहोंगी (The Nihongi), मन्यो शिउ (The Manyo-shiu), तथा येन्गी शिकी (The Yengi shiki) हैं जिनका रचना-काल क्रमशः सन् ७१२ ई०, सन् ७२० ई०, द्वी एवं एवीं शती के बीच

१. वही, पृ० ३१६.

२. G. W. R., p. 266.

३. Shintoism—A. C. Underwood, p. 14.

तथा सन् ६०१-६२३ ई० है। कोजिकी को जापानियों का बाइबल 'The Bible of the Japanese' कहते हैं। इसकी भाषा जापानी एवं चीनी मिश्रित है।^१

शिन्तो धर्म के मठ आदि में सरलता को प्रमुखता दी गई है। इसके कर्म-काण्ड में कोई जटिलता नहीं दिखाई पड़ती। इसमें पूजन आदि के समय किए गए अर्पण को सम्मान का रूप दिया गया है और जो चीजें देवों को अपित करने की समझी जाती हैं वे हैं—चावल, रोटी, फल, शाक-भाजी, सामुद्रिक बनस्पति, सूअर के बच्चे, खरगोश तथा चिढ़ियों का मांस।^२ इससे लगता है कि पूजा-पाठ में मांसादि के व्यवहार को शिन्तो-परम्परा में गलत नहीं समझा गया है।

बाद के दिए गए धर्मदिश इस प्रकार हैं :

१. ईश्वरी इच्छा का उल्लंघन न करो।
२. अपने पितृजन के प्रति अपनी कृतज्ञता को न भूलो।
३. राज्य-शासन का विरोध न करो।
४. देवों के उदाहर सद्गुणों को न भूलो जिनसे आपदाएँ दूर होती हैं, बीमारी नष्ट होती है।
५. यह भी नहीं भूलो कि सासार एक परिवार है।
६. अपनी शक्ति का सही अन्दाज करो।
७. दूसरों के क्रोधित हो जाने के बावजूद भी तुम स्वयं क्रोधित न हो।
८. काम में आलस्य मत करो।
९. धर्मोपदेशों पर दोषारोषण मत करो।
१०. विदेशी धर्मोपदेशों के प्रभाव में मत आओ।^३

इन उपदेशों में यह कहा गया है कि यह संसार एक परिवार है। जब संसार को कोई व्यक्ति परिवार के रूप में देखता है तब इसका

1. Ibid; Vide also, pp. 15-16.

2. G. W. R., p. 278.

3. G. W. R., p. 280.

मतलब होता है कि वह सभी सोचों को अपने भाई-बच्चु के रूप में देखता है, फिर तो न कोई इच्छा या द्रेष हो सकता है और न हिंसा ही। इससे भी आगे बढ़कर कोष को रोकने के लिए आदेश दिया गया है। जले ही कोई दूसरा नाराज हो जाए लेकिन स्वयं नाराज न होना चाहिए। यहाँ भी हिंसा की जड़ पर कुठाराघात किया गया है।



द्वितीय अध्याय

आहिंसा-सम्बन्धी जैन साहित्य

जैन साहित्य के दो भेद किये जा सकते हैं—(१) महावीर के पहले का साहित्य एवं (२) महावीर से बाद का साहित्य। महावीर से पूर्व जो जैन साहित्य था, वह अभी उपलब्ध नहीं है किन्तु उसके प्रमाण मिलते हैं। इसमें कोई शका की गुजाइश भी नहीं दीखती कि महावीर से पहले जैन-साहित्य था, क्योंकि महावीर से पहले भी तीर्थंकर हो चुके हैं और उनके विचारों से भी हम परिचित हैं। चूँकि उस साहित्य का निर्माण महावीर से पूर्व हुआ, अतः वह 'पूर्व' नाम से ही सम्बोधित हुआ और उसका समावेश दृष्टिवाद नामक बारहवें अग्र में हुआ। पूर्व चौदह थे।^१

महावीर से बाद का साहित्य वह है जिसमें महावीर के प्रवचन या सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं। महावीर ने अपने धार्मिक या दाशनिक सिद्धान्तों को न तो सकलित किया और न कोई साहित्यिक रूप ही उन्हे दिया। किन्तु उनके शिष्यों तथा अन्य आचार्यों ने उनक उपदेशों को सकलित करके उन्हे एक साहित्यिक रूप दिया और इसी आधार पर उस साहित्य को दो विभागों में विभाजित किया जाता है—(१) अग-प्रविष्ट जिनकी रचना (सुकलन) गणधर यानी महावीर के शिष्यों के द्वारा हुई, (२) अग-बाह्य जिनकी रचना अन्य आचार्यों के द्वारा हुई। किन्तु समय की दौड़ में धीरे-धीरे वह साहित्य लुप्त होने लगा, तब जैन श्रमणों ने तीन बार महासम्मेलन करके उसे फिर से सकलित किया तथा मिटने से बचाया।

१. भारतीय संस्कृत में जैनधर्म का योगदान—डा० हीरालाल जैन,
पृष्ठ ५१, ५२.

जैन आगमिक साहित्य के अंग, उपांग, मूलसूत्र, प्रकीर्णक आदि विभिन्न भाग हैं, जिनमें जैन-विचारधारा दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक आदि अपने भिन्न-भिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। जैनाचार यद्यपि सम्पूर्ण जैन साहित्य में पल्लवित एवं पुष्टि होता है, इसके मूलस्रोत अंग हैं। अंग बारह हैं—आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकश्रुत तथा दृष्टिवाद (लुप्त)। इनमें से निम्नलिखित अहिंसादि आचारकर्मों पर विशेष प्रकाश ढालते हैं।

आचारांग :

आचारांग समग्र जैन आचार की आधारशिला है। उपलब्ध समग्र जैन साहित्य में आचारांग का प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीनतम है, यह इसकी प्राकृत-भाषा, तंत्रिष्ठ शैली एवं तदगत भावों से सिद्ध है।^१ प्रधानतौर से यह दो श्रुतस्कन्धों में विभाजित हुआ है, जिनमें से प्रथम गणधर रचित तथा दूसरा स्थविर रचित है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में ६ अध्ययन हैं—शस्त्रपरिज्ञा, लोकविजय, शीतोष्णीय, सम्यक्त्व, लोकसार, धूत, महापरिज्ञा जो अब उपलब्ध नहीं है, विमोक्ष तथा उपधानश्रुत। ये अध्ययन उद्देशकों में विभक्त हैं जिनकी सख्त्या ४४ है, और ये उद्देशक ब्रह्मचर्य कहे जाते हैं। 'ब्रह्मचर्य' शब्द का प्रयोग सयम यानी समता अर्थात् अहिंसा के लिए किया गया है। दूसरे श्रुतस्कन्ध में, जिसे नियुक्तिकार ने 'आचाराग्र' कहा है, पांच चूलाएँ हैं, जिनमें १७ अध्ययन हैं। विषय की दृष्टि से प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययन निम्न प्रकार से हैं—

प्रथम अध्ययन : प्रथम उद्देशक—सुधर्मा स्वामी ने जम्बु स्वामी से वार्तालाप करते हुए इस उद्देशक में आत्मा का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया है, साथ ही कर्म-बन्धन के कारणों एवं फलों की भी चर्चा की है। इसके ग्यारहवें सूत्र में हिंसा के कारण को बताते हुए कहा है कि बहुत से संसारी जीव अपने को दीर्घायु बनाने, यश

१. प्राकृत और उसका साहित्य—डा० मोहनसाह येहता, पृष्ठ ४.

प्राप्त करने, पूजा-याठ सम्पन्न करने, जन्म-मरण आदि से मुक्ति पाने के हेतु हिंसा आदि दुष्कर्म करते हैं।^१

तृतीय उद्देशक—इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार पृथ्वीकाय जीवों की हिंसा होती है और साथु को उस हिंसा से कैसे बचना चाहिए।

तृतीय उद्देशक—इस उद्देशक में बताया गया है कि अप्काय में भी चेतना होती है, इसे भी स्पर्शादि से पीड़ा पहुंचती है। अतः मुनि को अप्काय जीवों की रक्षा का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि और जीवों के लिए।

चतुर्थ उद्देशक—इसमें तेजस्काय की हिंसा को त्यागने का विषान किया गया है क्योंकि अप्काय की तरह तेजस्काय भी चेतनायुक्त होता है और उसे भी कष्ट की अनुभूति होती है। अग्निकाय यानी तेजस्काय के आरम्भ का निषेध करते हुए कहा गया है—

“अग्निकाय के आरम्भ से होने वाले अनर्थ को जानकर बुद्धि-मान पुरुष इस बात का निषेध करे कि प्रमाद के कारण मैं पहले अग्निकाय के आरम्भ को करता रहा हूँ, इस समय उसका परित्याग करता हूँ।”^२

पचम उद्देशक—इस उद्देशक में वनस्पतिकाय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवाजीव को अच्छी तरह जान लेता है तथा मुनिधर्म को अग्रीकार करके यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं वनस्पतिकाय का आरम्भ-समारम्भ नहीं करूँगा, वह वनस्पति-काय के आरम्भ से निवृत्त समझा जाता है और ऐसे त्यागपूर्ण जीवन की साधना सिफं जैन मार्ग मे ही सभव है। ऐसे त्यागी पुरुष को अनगार की सज्जा दी गई है।^३

१. इमस्स चैव जीवियस्स परिवंदणमाणणपूयणाए जाइमरणमोयणाए दुक्षपठिद्वायहेऽ ॥१॥ सूत्र १४ एवं १५ भी देखें।

२. आचारांग—हि० मनु० आत्मारामजी, प्रथम भाग, पृष्ठ १२६.

३. तं णो करिस्सामि समृद्धाए, मत्ता महर्म, प्रभयं, विदिता, तं जे णो करए, एसोवरए, एत्योवरए, एस पण्णारेलि पत्रुच्चर्दै ॥४०॥

बाढ़ उद्देशक—इसमें वायुकाय जीवों की चर्चा की गई है तथा कहा गया है कि उनकी हिंसा करने से बचना चाहिए।^१

सप्तम उद्देशक—अन्य उद्देशकों की तरह इसमें वायुकाय का वर्णन हुआ है। वायुकायिक जीवों की हिंसा भी उसी प्रकार हुखदायी होती है, जैसे अन्य प्राणियों की हिंसा। अतः इस तथ्य को समझने वाला व्यक्ति वायुकायिक जीवों की रक्षा करता है। जो अपने सुख-दुःख को जानता और समझता है वही अन्य प्राणियों के सुख-दुःख को भी जानता है। जो अन्य जीवों यानी जगत् के सुख-दुःख को जानता है वह अपने सुख-दुःख को भी जानता है। इसालए मुनि को चाहिए कि अपने तथा अन्य सभी के सुख-दुःख को एक तरह समझे और ऐसा समझते हुए सभी प्राणियों को रक्षा करे।^२

इस प्रकार प्रथम अध्ययन में षट्कायों की सजीवता पर बल देते हुए यह निर्देशित किया गया है कि मुमुक्षु को यह जानना चाहिए कि षट्काय के आरम्भ-समारम्भ से बन्धन होता है, अतः किसी भी प्रकार के आरम्भ-समारम्भ से उसे बचने का प्रयास करना चाहिए।

द्वितीय अध्ययन—इस अध्ययन के नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें लोकविजय प्राप्ति के साधन का ज्ञान कराया गया है। लोक का अथ कथाय यानी राग-द्वेष होता है, जिसका सम्बन्ध इन्द्रियों से होता है। लेकिन भाव-लोक पर विजय प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति स्वतः द्रव्य-लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। राग-द्वेष के अभाव में इनसे उत्पन्न होने वाली कोई भी क्रिया नहीं होती। इस अध्ययन में छः उद्देशक हैं। इसके दूसरे उद्देशक में अहिंसा के सिद्धान्त पर जोर दिया गया है।^३

तृतीय अध्ययन—शीत और उष्ण के अर्थं क्रमशः ठण्डा और गर्म होते हैं किन्तु इस अध्ययन में ये परीषहो के दो रूपों में आए हैं,

१. आचारार्थ—आत्मारामजी, प्रथम भाग, पृष्ठ १६३, १६५.

२. वही, पृष्ठ १७५.

३. सूत्र ८१.

अथत् जो परीषह सुखद हैं वे शीत कहलाते हैं तथा जो दुःखद हैं वे उष्ण । अतः साधक को शीत एव उष्ण दोनों प्रकार के परीषहों को समान दृष्टि से देखना चाहिए । इसमें चार उद्देशक हैं ।

चतुर्ब अध्ययन— तत्त्वार्थ की श्रद्धा करने को सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन कहते हैं ।^१ यहाँ पर कहा गया है कि सम्यक्त्व को अच्छी तरह सम्पादित करके ही कोई व्यक्ति मुक्ति पा सकता है । इस अध्ययन में भी चार उद्देशक हैं । इसके द्वासरे उद्देशक में यज्ञादि से सम्बन्धित ब्राह्मण-वचन को अनार्य-वचन कहा गया है ।^२

पंचम अध्ययन— चूँकि सम्यग्दर्शन के लिए सम्यक्चारित्र की आवश्यकता होती है, सम्यक्चारित्र को सार का सार बताते हुए इस अध्ययन में यह सम्पादित किया गया है कि लोक का सार धर्म, धर्म का सार ज्ञान, ज्ञान का सार सयम और सयम का सार निर्वाण है ।^३ इसमें छः उद्देशक हैं तथा इसके प्रथम उद्देशक में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रयोजनवश या निष्प्रयोजन जीवों की हिसाकरता है, वह सदा छः काय जीव-जन्मतुओं में जन्म-मरण धारण करता रहता है तथा मोक्ष नहीं पाता ।

षष्ठ अध्ययन— धूत का अर्थ होता है शुद्धि, जो दो प्रकार की होती है—द्रव्य-धूत यानी शरीरादि का मैल दूर करके शरीर की शुद्धि प्राप्त करना और भावधूत यानी मन के मैल को दूर करना । इस अध्ययन में राग-द्वेष आदि मन के मैल को त्यागकर मन की शुद्धि करने को कहा गया है ।

सप्तम अध्ययन— यह अध्ययन विचिक्षा होने के कारण लुप्त समझा जाता है ।

१. आचारांग—आत्मारामजी, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६८.

२. वही, पृष्ठ ३८७.

३. सोगस्स सारां धम्मो धम्मपि य नाणुसारियं विति ।

नाणुं संबमसारं संबमसारं च निभवाणुं ॥

आचारांग—आत्मारामजी, प्रथम भाग, पृष्ठ ४०५.

अष्टम अध्ययन—इस अध्ययन में आचार एवं त्यागमय जीवन का वर्णन है। इसमें आठ उद्देशक हैं। षष्ठि उद्देशक में एकत्व की भावना को प्रधानता देते हुए निर्देशित किया गया है—

“जिस भिक्षु का इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और न मैं भी किसी का हूँ। इस प्रकार वह भिक्षु एकत्व भावना से सम्यक्तया आत्मा को जाने। क्योंकि आत्मा में लाघवता को उत्पन्न करता हुआ वह तप के सम्मुख होता है। अतः वह सम्यक्तया समभाव को जाने। जिससे वह आत्मा का विकास कर सके।”^१

मात्रम् अध्ययन—इसमें भगवान् महावीर के तपपूर्ण जीवन का वर्णन है। इसके चार उद्देशकों में क्रमशः महावीर के विहार, शश्या, परीषह एवं आतक आदि की चर्चा है।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध—इसकी पाच चूलाओं में अन्तिम चूला आचार-प्रकल्प अथवा निशीथ को आचाराग से किसी समय पृथक् कर दिया गया, जिससे आचारांग में अब केवल चार चूलाए ही रह गई हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में आने वाले विविध विषयों को एकत्र करके शिष्यहितार्थ चूलाओं में संग्रहीत कर स्पष्ट किया गया है। इनमें कुछ अनुकूल विषयों का भी समावेश कर दिया गया है। इस प्रकार, इन चूलाओं के पीछे दो प्रयोजन थे—उक्त विषयों का स्पष्टीकरण तथा अनुकूल विषयों का प्रहण।^२ तुलनात्मक दृष्टि से द्वितीय श्रुतस्कन्ध की अपेक्षा प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीन और मौलिक है। अग्रने मौलिक रूप में सिर्फ प्रथम स्कन्ध ही था लेकिन भद्रबाहु ने आचाराग पर निर्युक्ति लिखने के समय बाद वाला भाग यानी द्वितीय श्रुतस्कन्ध उसमें बढ़ा दिया।^३ इसकी प्रथम चूला में सात अध्ययन हैं—पिंडेषणा, शश्येषणा, ईर्या, भाषाजात, वस्त्रेषणा, पात्रेषणा और अवग्रहप्रतिमा। ईर्या नामक तृतोय अध्ययन में साधु-साध्वी के गमनागमन सम्बन्धी शुद्धि-अशुद्धि पर विचार प्रकट किये गये हैं

१. वही, पृष्ठ ५१५.

२. प्राकृत और उसका साहित्य—डा० मोहनबाल मेहता, पृष्ठ ६.

३. प्राकृत साहित्य का इतिहास—डा० जगदीशचन्द्र जैन, पृष्ठ ४५.

तथा बताया गया है कि चलते समय किसी प्रकार की हिंसा न हो इस पर साधु-साध्वी को पूरा ध्यान देना चाहिए।^१

इसी तरह द्वितीय चूला में भी सात अध्ययन हैं—स्नान, निषीधिका, उच्चार-प्रस्तवण, शब्द, रूप, परकिया और अन्योन्य-क्रिया। उच्चार-प्रस्तवण—मल-भूत्र त्याग की विधि को अँहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित किया गया है।^२

तृतीय चूला, जो 'भावना' नाम से सम्बोधित हुई है, में महावीर के चरित्र तथा महावतों की पांच भावनाओं की चर्चा हुई है और चतुर्थ चूला विमुक्ति का विषय मोक्ष है।

सूत्रकृतांग :

सूत्रकृतांग शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है—

"स्वपरसम्यार्थसूत्रक सूत्रा, साऽस्मिन् कृतमिति सूत्रकृतांगम्" अर्थात् स्वसमय—स्वागम और परसमय—परागम के भेद और स्वरूप को विश्लेषित करना सूत्रा है, और वह सूत्रा जिसमें रहे, वह सूत्र-कृतांग है।^३ इसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, नियतिवाद, अज्ञानवाद, जगत्कर्तृत्ववाद एवं लोकवाद आदि के खण्डन-मण्डन प्रस्तुत किये गये हैं। समवायांग तथा नन्दी सूत्र में इसका परिचय इसकी विशालता को साबित करता है। इसमें स्वमत, परमत, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, सवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष आदि के विषय में निर्देश है; नवदीक्षितों के लिए बौधवचन है, १८० क्रियावादी मतों, ८४ अक्रियावादी मतों, ६७ अज्ञानवादी मतों और ३२ विनयवादी मतों—इस प्रकार सब मिलाकर ३६३ अन्य दृष्टियों अर्थात् अन्य-यूथिक मनों की चर्चा है।^४ यह दो श्रुतस्कन्धों में विभाजित है, जिनमें क्रमशः १६ तथा ७ अध्ययन हैं। इसके अन्तिम अध्ययन का

१. आचारांग—आत्मारामजी, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०६८

२. वही पृ० १२६१.

३. प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, पृष्ठ १६६.

४. प्राकृत भाषा का साहित्य—डा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ ७-८.

नाम "नालन्दीय" है क्योंकि इसमें नालन्दा में घटने वाली घटनाओं के बर्णन है ।

इसके प्रथम शुतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन तथा प्रथम उद्देशक में हिंसा को हानिप्रद एवं त्याज्य बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति प्राणियों को मारता है अथवा मारनेवालों को आज्ञा देता है वह उन प्राणियों के साथ अपना वैर बढ़ाता है ।^१ इसके अलावा इस अध्ययन में अहिंसा के रूप पर भी प्रकाश डाला गया है ।^२

द्वितीय अध्ययन में हिंसा तथा अहिंसा दोनों के ही फल बताये गये है । जो व्यक्ति आरम्भ में आसक्त है तथा प्राणियों को दण्ड देना तथा हिंसा करना पसन्द करता है वह नरक में चिरकाल तक पड़ा रहता है ।^३ जो आदमी घर में रहकर भी श्वावक धर्म को पालता है, प्राणियों की हिंसा नहीं करता तथा सबको समान समझता है यानी समता के सिद्धान्त का पालन करता है वह देवलोक में स्थान प्राप्त करता है ।^४

तृतीय अध्ययन में शाक्य आदि मतानुगामियों को असद्यमी घोषित करते हुए कहा गया है कि ये लोग हिंसा करते हैं, क्षून् बोलते हैं, मैथुन तथा परिग्रह करते हैं ।^५ आगे चलकर इसका विरोध किया गया है कि सिफं पीड़ा देना ही दोष है, क्योंकि अन्य मतवालों ने मात्र पीड़ा देने को ही हिंसा कहा है ।^६

ऐसे विचार वालों को पाश्वस्थ, मिथ्यादृष्टि एवं अनार्थ कहा गया है क्योंकि मात्र पीड़ा देना ही दोष हो ऐसी बात नहीं; नैतिक

१. संयं तिवायए पाणे, अदुवाऽन्नाहि घायए ।

हण्ठंतं बाझ्णुबाणाइ, वरं बद्दुइ अण्णणो ॥३॥

२. सूत्र १०.

३. उद्देशक ३, सूत्र ६.

४. उद्देशक ३, सूत्र १३.

५. पाण्णाइवाते बहुंता, मूसावादे असंज्ञता ।

अदिन्नादाणे बहुंता, भेद्यो य परिग्रहे ॥८॥ उद्देशक ४.

६. उद्देशक ४, सूत्र १२.

दोष तो बहुत से हैं, जिनमें से हिंसा या पीड़ा देना एक है। जो व्यक्ति ऊपर, नीचे, तिरछा रहने वाले जीवों की हिंसा से निवृत्त रहता है उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है।^१

पंचम अध्ययन में भी निर्देशित किया गया है कि वे अज्ञानी जीव जो अपने जीवन की रक्षा के लिए अन्य जीवों को दुःख देते हैं, उनकी हिंसा करते हैं, नरक में जाते हैं, जहाँ उन्हें अत्यन्त पीड़ा भोगनी पड़ती है। अतः जो विद्वान् व्यक्ति हैं उन्हें नरक की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए अपने को सभी हिंसापूर्ण कार्यों से बचाना चाहिए तथा सभी में श्रद्धा रखते हुए कर्तायों का ज्ञान करना चाहिए और उनसे बचाना चाहिए।^२

सप्तम अध्ययन में यह बताया गया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, तृण, वक्ष, बीज और त्रस तथा अण्डज, जरायुज, स्वेदज और रसज सभी के अपने-अपने शरीर हैं और इन सब में सुख प्राप्त करने की कामना रहती है। इसलिए इन प्राणियों की हिंसा करने वाले बार-बार इन्हीं जीवों के रूप में जन्म लेते और मरते हैं।^३ आगे चलकर अग्निकाय के आरम्भ से बचने के लिए कहा गया है।^४

अष्टम अध्ययन में कहा गया है कि जो कपटी या छली हैं वे अपने सुख के लिए दूसरों का छेदन-भेदन करते हैं, वे असंयमित जीवन व्यतीत करते हुए मन, वचन और काय से इस लोक और परलोक दोनों के लिए ही जीवहिंसा करते हैं। जिसके कारण हिंसित जीव उन्हें भी दूसरे जन्मों में वैसे ही कष्ट देते और मारते हैं जैसे वे

१. चदेशक ४, सूत्र २०.

२. चदेशक १, सूत्र ३-५.

चदेशक २, सूत्र २४.

३. पुदवी य शाऊ श्रगणी य वाऊ, तणु रुक्ष वाया य तसा य पाणा।

जे धृष्टया जे य जराऊ पाणा, संसेयया जे रसयामिहाणा ॥१॥

एयाहं कायाहं पवेदिताहं, एतेषु जाणे पढिलेह सार्यं।

एतेणु करण य शायदर्शे, एतेषु या विष्परियासुविति ॥२॥

४. सूत्र ५-७.

इन्हें कष्ट पहुँचाये अथवा मारे रहते हैं।^१ अतएव साधु किसी जीव को पीड़ा न दे और बाहर एवं भीतर से इन्द्रियों का दमन करता हुआ संयमित जीवन-पापन करे।^२

नवम अध्ययन में बताया गया है कि जो साधु है उसे हिंसा का पूर्णरूपेण परित्याग कर देना चाहिए। उसे बोल-चाल, पाखाना-पेशाब-स्थाग आदि जीवन के सभी क्रिया-कर्मों को करते हुए अहिंसा का व्यान रखना चाहिए।^३

दशम अध्ययन में कहा गया है कि साधु किसी प्रकार का आरम्भ न करता हुआ संयमित जीवन पालन करे, त्रस और स्थावर प्राणियों को पीड़ा न पहुँचावे, क्योंकि हिंसा से पाप होता है, और सबको अपने समान समझे। इसके अलावा इस अध्ययन में कूरतापूर्ण काम को पाप कहा गया है और इस पाप से बचने के लिए भाव-समाधि निर्देशित की गई है। इसलिए विचारशील पुरुष भाव-समाधि में रत रहकर किसी जीव के प्राणधात से अपने को बंचित रखे। साधु न हिंसायुक्त कथा कहे और न हिंसायुक्त कार्य करे, क्योंकि हिंसा सर्वदा दुःखदायी होती है।^४

एकादश अध्ययन में भी अहिंसा का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी प्राणी को कष्ट न दे, यही अहिंसा का सिद्धान्त है और यही उत्तमज्ञान भी है।^५ इसमें अनन्दान, जलदान की भृत्यना भी की गयी है। क्योंकि जो ऐसे दान की प्रशंसा करते हैं वे बघ-क्रिया को बढ़ाते हैं और जो दान कर्म को रोकते हैं वे प्राणियों की वृत्ति पर आधात करते हैं।^६

१. वही।

२. सूत्र २०.

३. सूत्र १५, १६, २५, २७ और ३१.

४. सूत्र १, २, ३, ५, ६, ७, ८, १०, १२, १३ तथा २१.

५. एवं चुणालिणो सार्व, च न हिंसति कंचण।

अहिंसा समयं पैद, एतावंतं विजाणिया ॥१०॥

६. सूत्र १६, २०.

द्वादश एवं ब्रयोदश अध्ययन में बताया गया है कि तत्त्वदर्शी पुरुष छोटे-बड़े सभी प्राणियों को समान समझते हैं तथा किसी को दण्ड नहीं देते।^१

चतुर्दश अध्ययन में फिर से साधु के प्रति उपदेश घोषित करते हुए कहा गया है कि वह मन, वचन और काय से सबकी रक्षा करे, इतना ही नहीं साधु ऐसी कोई बात भी न बोले जो दुःखदायी हो यद्यपि वह सत्य ही क्यों न हो। यदि साधु किसी सिद्धान्त की व्याख्या करता है तो उस समय किसी बात को छपाये नहीं, मुरु से जैसा ज्ञान प्राप्त हो ठीक वैसा ही ज्ञान दान करे बरना ये सभी पाप के कारण हैं और साधु को पाप का भागी बना सकते हैं।^२

उपासक वशांग :

इसमें दस अध्ययन हैं जिनमें क्रमशः आनन्द, कामदेव, चुलनी-प्रिय, सुरादेव, चुलशतक, कुण्डकोलिक, सदालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीप्रिय और शालिनीप्रिय इन दस उपासकों की कथाएँ हैं। इन कथानकों में यह बताया गया है कि किस प्रकार अनेकों विघ्न-बाधाओं के आने पर भी ये साधक अपनी साधना में लीन रहे और सफलता प्राप्त की। सभी अध्ययनों में प्रथम अध्ययन काफी महत्त्व-पूर्ण है क्योंकि इसमें श्रावक के व्रतों के वर्णन हैं। श्रावक के बारह व्रत होते हैं—१. अद्विसा, २. सत्य, ३. अस्त्रेय, ४. स्वदारसतोष, ५. परिप्रहपरिमाण, ६. दिशापरिमाण, ७. उपभोग-परिभोग-परिमाण, ८. अनर्थदण्डविरमण, ९. सामायिक, १० देशावकाशिक, ११ पौष्ट्रोपवास तथा १२. अतिथिसंविभाग। ये व्रत 'आनन्द गाथापति' के द्वारा भगवान् महावीर के सामने एक-एक करके घारण किये गये हैं और इसी क्रम से इनके वर्णन हैं। इसके अष्टम अध्ययन में श्रावक महाशतक की पत्नी रेवती की मांस-मदिरा-लोलुपता तथा उसके परिणामस्वरूप उसके नरक में जाने और विभिन्न प्रकार की व्यथा भोगने का वर्णन है।^३ साथ ही यह भी

१. सूत्र १८.

२. सूत्र १६, २१, २६.

३. सूत्र २३६-२५३.

बताया गया है कि श्रावक को संलेखना व्रत धारण कर लेने के बाद उस सत्य या तथ्यपूर्ण बात को भी किसी से नहीं कहना चाहिए जो अनिष्ट को सूचित करती हो अथवा अप्रिय हो। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाशतक के जीवन में मिलता है। अपनी पत्नी रेवती के द्वारा शृंगार भरी बातें करने पर वह कोषित होकर अपने अवधिज्ञान के आधार पर यह मविष्यवाणी करता है कि सात दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी और वह नरक में जायेगी तथा ८४ हजार वर्षों तक वहाँ दुःख भोगेगी। जिस समय महाशतक ने ऐसी घोषणा की वह संलेखना की स्थिति में था। अतएव महावीर ने गौतम को भेजकर उसे अपने किये कर्म की आलोचना तथा प्रायशिक्त करने को आदेश दिया, और महाशतक ने प्रायशिक्त किया।^१ उपासकदण्डांग में श्रावकों के आचरण एवं व्रतों की पूर्ण विवेचना मिलती है जिसमें अहिंसा को सब तरह से प्रधानता मिली है।

प्रश्नव्याकरण :

प्रश्नव्याकरण का अर्थ है—स्वसमय-स्वसिद्धान्त और परसमय-अन्य सिद्धान्त सबधी प्रश्नोत्तर के रूप में नाना विद्याओं, मन्त्र-तन्त्र एवं दार्शनिक बातों का निरूपण। पर इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस शुताग में विषय-विवेचन का अभाव है।^२ स्थानाग तथा नंदीसूत्र में भी प्रश्नव्याकरण का परिचय मिलता है लेकिन वर्तमान में प्राप्त प्रश्नव्याकरण उमसे बिल्कुल भिन्न है। अभी इसमें दस अध्ययन मिलते हैं जिनमें से प्रथम पाच में क्रमशः हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परियह इन पाच पापों या आत्मवद्वारों के वर्णन हैं तथा शेष पांच में क्रमशः अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरियह इन पांच व्रतों या संवरों के वर्णन मिलते हैं।

इसके प्रथम अध्ययन के प्रारम्भ में ही सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा है कि अब प्राणिवध का स्वरूप, नाम, फल तथा

१. सूत्र २३६-२६१.

२. प्राकृत भाषा भीर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, पृष्ठ १७८.

किस प्रकार यह किया जाता है और ऐसे कौन-से लोग हैं, जो हिंसा करते हैं आदि बातें बतलाइ जायेंगी।^१ अतएव वे कहते हैं कि ज्ञानविमुख लोग पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति-काय तथा त्रसकाय जीवों को विभिन्न प्रयोजनों के निमित्त मारते हैं और साथ ही वे उन जीवों के नाम भी प्रस्तुत करते हैं। शक, यज्ञ, शबर-भील, बबंर आदि अनायं जातियाँ हैं जो म्लेच्छ देश में रहती हैं तथा हिंसादि कूरकमों के करने में प्रसन्न होती हैं और बाद में वे महादुःखदायी नरक का वर्णन करते हैं जिसमें हिंसा करने वाले लोग अनेक वर्षों तक कष्ट भोगते हैं और जन्म-मरण के चक्र में घूमते रहते हैं।

इसके बाद अध्ययन अथवा प्रथम सबरद्वार में निर्वाण, निवृत्ति, समाधि आदि अर्हिसा के साठ पर्यायवाची नाम बताए गए हैं।^२ फिर यह भी निर्देशित किया गया है कि किस प्रकार उन व्यक्तियों को प्रवृत्ति करनी चाहिए, जो अर्हिसा-व्रत का पालन करना चाहते हैं। अतः अर्हिसा की पाँच भावनाओं को प्रस्तुत किया गया है, जिनके अनुसार आचरण करने से अर्हिसा व्रत का पूर्णरूपेण पालन होता है।^३

निरथावलिका :

इस उपाग में दस अध्ययन है, जिनमें श्रेणिक राजा तथा उनकी रानी चेलना तथा पुत्रों—काल, सुकाल, महाकाल एवं कुणिक की कथा प्रस्तुत करके यह बताया गया है कि युद्ध में हिंसा करने वाले मारे जाने पर नरक में जाते हैं। इसके प्रथम अध्ययन में दिखाया गया है कि राजकुमार काल अपने ज्येष्ठ भ्राता कुणिक से युद्ध करता हुआ मारा जाता है और इसके परिणामस्वरूप वह चौथी पक्प्रभा पृथ्वी के हेमाभ नामक नरक में दस सागरोपम स्थिति में पैदा होता

१. जारिस्थो जं रणमा, जह य कओ जारिसं फलं देह।

जे वि य करेति पावा, पाणावहं तं शिसामेह ॥३॥

२. प्रश्नव्याकरण सूत्र—हि० अनुवाद पं० येवरचन्द्र बाडिया, पृष्ठ १५७-१५८.

३. वही, १६६-१७७.

है।^१ यद्यपि बशननाग के पौत्र एवं उसके बालभित्र के युद्ध में भाग लेने के बाद स्वर्ग में जाने की चर्चा भी हुई है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि युद्ध से अलग होकर उन दोनों ने ही संघारा आदि करके समाधि ली, फिर स्वर्ग गए।^२ यहाँ पर स्पष्टतः नहीं किन्तु अस्पष्टदंग से इस सिद्धान्त का विरोध किया गया है कि युद्ध में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं।

उत्तराध्ययन :

इस मूलसूत्र में ३६ प्रश्नों (अथवा विषयों) के उत्तर संकलित हैं जो महावीर के द्वारा उनके अन्तिम चातुर्मासि के समय (किन्तु उनसे न पूछने पर ही) दिये गये थे, जो कि इसके ३६ अध्ययन के रूप में हैं, और इसी कारण से इसका नाम उत्तराध्ययन है। यह एक धार्मिक काव्य है। इसमें विनय, परीष्ठह, अकाममरण, प्रवृज्या, यज्ञ, समाचारी, मोक्षमार्ग, तपोमार्ग, कर्मप्रकृति, लेश्या आदि के वर्णन हैं जो उपमा, रूपक एवं सवार्दों की बहुलता के कारण अत्यन्त रोचक हैं। डा० विण्टरनित्ज ने इसकी तुलना महाभारत, घम्मपद एवं सुतनिपात आदि के साथ की है। भद्रबाहु तथा जिनदासगणि ने इस पर क्रमशः नियुक्ति एवं चूणि लिखी है। शान्तिसूरि, नेमि-चन्द्रसूरि, लक्ष्मीवल्लभ, जयकीर्ति, कमलसंयम, भावविजय, विनय-हंस और हर्षकुल ने क्रमशः शिष्यहिता आदि विभिन्न टीकाएँ लिखी हैं। शार्पेण्टियर तथा जैकोबी ने क्रमशः इसका संशोधन एवं अनुवाद किया है।

इसके छठे अध्ययन में कहा गया है कि अज्ञानी जन दुःख भोगने वाले हैं, इसलिए पञ्चित लोगों को चाहिए कि मोह-जाल से निकल कर सत्य की स्थोर करें तथा प्राणियों में मैत्री की भावना रखें। चूंकि सभी प्राणियों को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय मालूम होता है, सबको अपनी आत्मा से प्यार होता है, वे किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करें।^३

१. सूत्र १६, १०६.

२. निरयावलिका, प्रथम अध्ययन, पृष्ठ ६५.

३. समिक्षा पंडित तम्हा, पासचाइपहे बहु।

प्रप्यणा सच्चमेतेज्ज्वा, मैर्सि शूएसु कप्पए ॥२४

अध्ययन सात में अज्ञानी, हिंसक, मृषावादी एवं मांसभक्षक आदि को नरकायु को प्राप्त करनेवाला बताया गया है।^१

अध्ययन आठ में साधु के कर्त्तव्य पर प्रकाश ढालते हुए कहा गया है कि साधु को चाहिए कि सब प्रकार के परिप्रह एवं क्लेश का त्याग करे, सभी जीवों की रक्षा करे। अपने को साधु घोषित करने के बाद भी जीववध (यानी जीववध आदि के कुपरिणाम) से अनभिज्ञ न रहे अन्यथा नरकगमी होना पड़ेगा। तीर्थीकरों ने प्राणिवध के अनुमोदन को भी दुःखमय बन्धन का कारण बताया है, अतः हिंसा-विरत होना ही साधु के लिए श्रेयस्कर होता है। जो व्यक्ति प्राणियों का धात नहीं करता, वह छः काय और पाँच समिति को धारण करनेवाला होता है और उससे पाप वैसे अलग हो जाते हैं, जैसे ऊँची जगह से पानी। अतएव साधु मन, वचन और शरीर से ससार के त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा न करे।^२

अज्ञात्यं सञ्चश्चो सञ्चं दिस्स पाणे पियायए।

न हणे पाणिणो पाणे भयवेताओ उवरए ॥६॥

१. हिसे बाले मुसावाई अदाणुम्भि विलोवए ॥५॥

आउयं नरए कंखे जहाएसं व एसए ॥७॥

२. सञ्चं गंधं कलहं च विष्पजहे तहाविहं भिक्खू ।

सञ्चेसु कामजाएसु पासमाणो न लिष्पर्दि ताई ॥४॥

सुमणानुएगे बदमाणा पाणुबहं भिया भयाणेता ।

संदा निरयं गच्छति बाला पावियाई दिट्ठीहि ॥७॥

न हु पाणुबहं अणुजाणे मुच्छेज्ज कयाइ सञ्च दुखलाएं ।

एवारिएहि भक्षायं जेर्हि इमो साहूधम्भो पन्नतो ॥८॥

पाणे य खाइवाएज्जा से सभीए ति दुखर्दि ताई ।

तपो से पावयं कम्भं निजज्ञाइ उदगं व थालाड ॥९॥

जगनिस्तिर्दि भूएर्हि तसनामेर्हि चावरोहि च ।

नो तेसिमारमे दंडं मणुसा वयसा कायसा चेव ॥१०॥

अध्ययन नव, ग्यारह तथा बारह में क्रोध, मरन एवं प्रमाद आदि को नरक का कारण एवं शिक्षा प्राप्त करने में बाधास्वरूप बताया गया है तथा हिंसा को पापसंचय का मूल स्रोत। अतएव इन्द्रिय-दमन करनेवाले लोग षड्काय जीव की हिंसा से वंचित रहते हैं।^१

अध्ययन अठारह में कंपिलपुर के राजा तथा अनगार की कहानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनेक मृगों की हत्या करने वाला राजा अनगार के सामने नतमस्तक होकर खड़ा होता है और क्षमा याचना करता है। तब अनगार निम्नलिखित शब्दों में राजा को उपदेश देता है :

“हे पाण्डिव ! तुम्हे अभय है। अब तू भी अभयदाता बन। इस नाशवान् भसार में, जीवों की हत्या में क्या आसक्त हो रहा है।”^२

अथर्व जीवहिंसा न करने वाला अभय-दाता हो जाता है।

अध्ययन उन्नीस में माता-पिता एवं पुत्र-स्वाद में माता-पिता के द्वारा कहा गया है कि मित्र या शत्रु जो भी हो जीवन पर्यन्त उनके साथ समता का भाव रखना तथा हिंसा से विरत रहना बहुत ही कठिन व्यापार है। आगे के सूत्रों में यह भी मिलता है कि समता का निभाना तभी सभव है जब व्यक्ति ममत्व, अहंकार, सर्वसंग आदि का त्याग कर दे यानी सुख-दुःख, जीवन-मरण सबको बराबर देखे।^३

१. अध्ययन ६, सूत्र ५४; अध्ययन ११, सूत्र ३,७; अध्ययन १२, सूत्र १४, ३६-४१.

२. सूत्र ११.

३. समया सब्बमूरेसु सत्तुमित्तेसु वा जगे ।

पाणाइवायविर्द्द जावजीवाए दुक्करं ॥२६॥

णिम्ममो णिरहंकारो णिस्संगो चत्तगारवो ।

समो य सब्बमूरेसु तसेसु यावरेसु य ॥६०॥

साभालामे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा ।

समो णिदापससासु तहा माणावमाणशो ॥६१॥

अध्ययन बीस यह बताता है कि अनगार वही होता है, जो क्षमावान, दमितेन्द्रिय तथा निरारभी होता है और जो इस अनगार प्रवज्या को धारण कर लेता है वह अपने और पराये सभी पर समान भाव रखता है ।^१

अध्ययन इकीस में अर्हसा, सत्य, वस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये पाच महाव्रत हैं । अतः सभी प्राणियों पर दया करने वाले, कठोरतापूर्ण बातों को सहनेवाले, क्षमावान, सयमी, ब्रह्मचर्य धारण करनेवाले, समाधिस्थ होनेवाले एवं इन्द्रियों पर अपना अधिकार रखनेवाले मुनि को सब प्रकार के सावद्य योगों को त्यागकर विचरना चाहिए ।^२

अध्ययन बाईस में राजा अरिष्टनेमि की प्रसिद्ध कथा है, जिनके मन में, अपनी शादी में काटेजाने के लिए बैंधे हुए अनेक पशुओं की चित्कार सुनकर विराग पैदा हो गया । उन्होंने ऐसा सोचकर कि मेरी वजह से इतने पशुओं का काटा जाना मेरे लिए परलोक में बहुत ही अहितकर होगा, पशुओं को बन्धन से मुक्त करवा दिया और स्वयं मुनिव्रत को धारण किया । उनके मुनि बनने की खबर पाकर उनकी होनेवाली भार्या कुमारी राजीमती भी मुनिव्रत को धारण करके साढ़वी बन गई ।^३

अध्ययन पचीस में जयघोष नामक एक अनगार और विजयघोष नामक एक वैदिक याज्ञिक में हुए वातलाप को प्रस्तुत किया गया

१. सूत्र ३१, ३२, ३५ ।

२. अर्हस सच्चं च अतेषाणं च ततो य बन्धं अपरिग्रहं च ।

पठिवज्जिया पञ्च महावयाणि, चरिज्ज घटम् जिणादेसिय विदु ॥१२॥

सब्वेहि भूएहि दयाणुकंपी खतिक्षमे संजय बंभयारी ।

सावज्ज जोगं परिवज्जयतो चरिज्ज भिक्षु सुसमाहि इंदिए ॥१३॥

३. सोऽल्पं तस्म वयणं बहुपाणिविणासण ।

चितेह से महापणो साणुक्कोसे जिएहित ॥१८॥

जइ मज्ज कारण ए ए हम्मति सुबू जिया ।

न मे एवं तु णिस्सेसं परलोगे भविस्सई ॥१९॥

है, इसमें विजयवोद ने 'यज्ञ' और 'ब्राह्मण' पर प्रकाश ढालते हुए कहा है—

"जो त्रस और स्थावर प्राणियों को संक्षेप या विस्तार से जानकर त्रिकरण-त्रियोग से हिंसा नहीं करता, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ॥२३॥"

"सभी वेद पशुओं के बध के लिए हैं और यज्ञ पापकर्म का हेतु है। ये वेद और यज्ञ, यज्ञकर्ता दुराचारी का रक्षण नहीं कर सकते क्योंकि कर्म अपना फल देने में बलवान है ॥३०॥" १

अध्ययन छब्बीस में 'प्रतिलेखना' की विवेचना करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिलेखना के समय प्रमाद करता है, वह पृथ्वीकाय, अट्काय, तेजस्काय, वायुकाय, बनस्पतिकाय एव त्रस्काय जीवों की विराघना करता है और ठीक इसके विपरीत जो विना प्रमाद के प्रतिलेखना करता है, वह इन षट्कायों की रक्षा करनेवाला होता है।^२ जहाँ तक भोजन-ग्रहण करने या त्यागने की बात है, एक धैर्यवान साधु या साध्वी के लिए १. रोग होने पर, २. उपसर्ग आने पर, ३. ब्रह्मचर्य रक्षार्थ, ४. प्राणियों की दया के लिए, ५. तप करने के लिए तथा ६. शरीर से संबंध छोड़ने के लिए भोजन त्याग देना संयम-उल्लंघन नहीं समझा जा सकता।^३

अध्ययन उनतीस में अपरिग्रह को प्रकाशित करते हुए कहा गया है कि 'क्षमा' करके जीव परीष्ठहों पर अधिकार पा जाता है।^४

१. सूत्र २६, ३०; सम्पूर्ण अध्ययन भी देखें।

२. पुढ़वी प्रात्ककाए तेऽवाऽवणस्सङ्ग तसाण ।

पङ्क्लेहणापमतो छण्हं पि विराहयो होइ ॥३०॥

पुढ़वी प्रात्ककाए तेऽवाऽवणस्सङ्ग तसाण् ।

पङ्क्लेहणा धारतो छण्हं संरक्षयो होइ ॥३१॥

३. सूत्र ३५.

४. खंतीए ण भंते जीवे कि जणयइ ? खंतीए ण परीसहे जिणेइ ॥४६॥

आगे चलकर क्षमा के बादि स्रोत तथा इससे (क्षमा से) मिलने-वाले फल को फिर निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया गया है—

“क्रोध पर विजय प्राप्त करने का क्या फल है ? क्रोध से क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, क्रोधबद्ध कभीं का बन्ध नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्म क्षम हो जाते हैं।”^१

अध्ययन बत्तीस में राग और द्वेष को हिंसा का कारण बताते हुए यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार अलग-अलग इन्द्रियों का हिंसा-अर्हिंसा से अलग-अलग सम्बन्ध है ।

आँखों का सम्बन्ध रूप से होता है, इगलिए जो रूप सुन्दर होता है, वह राग पैदा करता है और जो रूप सुन्दर नहीं है, वह द्वेष पैदा करता है । अतः जो सुरूप या कुरूप में समभाव रखते हैं वे बीतरागी होते हैं । किन्तु जो रूप (सुरूप) की आशा में पड़ जाता है वह जीव त्रस और स्थावर जीवों को कष्ट पहुँचाता है, उनकी हिंसा करता है ।^२

कानों का सबध शब्द से है अतएव प्रिय शब्द राग और अप्रिय शब्द द्वेष के कारण बन जाते हैं । शब्द (प्रिय शब्द) की आशा करनेवाला अनेक जीवों को परिताप देता है; उनकी हिंसा करता है ।^३

प्राण का विषय गन्ध है इसलिए सुगन्ध से राग और दुर्गन्ध से द्वेष पैदा होता है । बीतरागी दोनों में समता का भाव रखते हैं ।

१. सूत्र ६७.

२. चक्षुस्स स्वं गहणं वर्यंति तं रागहेऽ तु मणुन्माहु ।

तं दोसहेऽ यमणुन्माहु समो य जो तेसु स वीयरागो ॥२२॥

रुवाणुगासाणुगं य जीवे चराचरे हिंसइ गोगस्वे ।

चित्तोहि ते परितावेह बाले पीलेह अतट्ठगुरु किलिट्ठे ॥२७॥

३. सहस्र सोयं गहणं वर्यंति सोयस्स सहं गहणं वर्यंति ।

रागस्स हेऽ समणुन्माहु दोसहस्र हेऽ यमणुन्माहु ॥३६॥

सहणुगासाणुगं य जीवे चराचरे हिंसइ गोगरुवे ।

चित्तोहि ते परियावेह बाले पीलेह अतट्ठगुरु किलिट्ठे ॥४०॥

जो सुगन्ध के वश में आ जाता है वह अनेक त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा करता है।^१

जीभ का विषय रस है, अतः प्रिय रस राग और अप्रिय रस द्वेष के कारण हैं; जो बीतरागी है वह दोनों प्रकार के रसों में समता का भाव रखता है। किन्तु रस के वशीभूत व्यक्ति त्रस एवं स्थावर जीवों को पीड़ा पहुँचाता है तथा उनकी हिंसा करता है।^२

शरीर का ग्राह्य विषय स्पर्श है, इसलिए सुखदायक स्पर्श राग और दुःखदायक स्पर्श द्वेष पैदा करता है। जो बीतरागी हैं, वे दोनों प्रकार के स्पर्शों को बराबर समझते हैं। लेकिन जो सुखद स्पर्श की आशा में रहता है वह अनेक चराचर जीवों की हिंसा करता है।^३

अध्ययन चौतीस में लेश्या के प्रकारों तथा कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है--

“पाचों आस्त्रबों में प्रवृत्त, तीन गुप्तियों में अगुप्त, छः काय की हिंसा में रत, तीव्र आरम्भ वर्तनेवाला, क्षुद्र, साहसी, निर्दय, नृशंस, इन्द्रियों को खुली रखनेवाला, दुराचारी पुरुष कृष्ण लेश्या के परिणाम वाला होता है।”^४

१. धाणुस्स गधं गहणं वयंति तं रागहेऽनु मणुन्नमाहु ।

तं दोसहेऽ धमणुन्नमाहु समो य जो तेसु स बीयरागो ॥४८॥

गंधाणुगासाणुगए य जीवे चराचरे हिंसइ णोगरुवे ।

चिरोहि ते परितावेई बाले पीलेइ अतट्ठगुरु किलिट्ठे ॥५३॥

२. जिब्माए रसं गहणं वयंति त रागहेऽ तु मणुन्नमाहु ।

तं दोसहेऽ धमणुन्नमाहु समो य जो तेसु स बीयरागो ॥६१॥

रसाणुगासाणुगए य जाव चराचरे हिंसइ णोगरुवे ।

चिरोहि ते परितावइ बाले पीलेइ अतट्ठगुरु किलिट्ठे ॥६६॥

३. फासस्स कायं गहण वयंति त रागहेऽ तु मणुन्नमाहु ।

तं दोसहेऽ धमणुन्नमाहु समो य जो तेसु स बीयरागो ॥७४॥

४. सूत्र २१, २२.

इसके विपरीत जो नम्र, चयलता रहित, निष्कपट, विनीत, प्रियषमी एवं हितैषी जीव है, वह तेजो लेश्या के परिणाम को पाता है।^१

अध्ययन छत्तीस में कहा गया है कि मिथ्या दर्शन, हिंसा तथा निदान में अनुरक्त जीव इन्हीं भावनाओं के साथ मरकर दुर्लभबोधि होते हैं और जो सम्यग्-दर्शन, अतिशुक्ल लेश्या तथा निदान रहित कार्य करने वाला होता है, वह इन भावनाओं के साथ मर कर परलोक में सुलभ-बोधि होता है।^२

आवश्यक :

जैन आगम के मूलसूत्रों में आवश्यक सूत्र का भी स्थान है। इसमें नित्य कर्मों का प्रतिपादन करने वाले छः आवश्यक क्रियानुष्ठानों के विवेचन हैं—सामायिक, चतुर्विशतिस्तत्व, बंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। यही छः इसके अध्याय हैं। चूंकि ये छः क्रियानुष्ठान आवश्यक समझे गये हैं, इस ग्रन्थ का नाथ भी आवश्यक सूत्र रखा गया है।

इस ग्रन्थ में यह बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति दिनभर के किए पापों को दिन के अन्त में और रात में किए हुए पापों को रात के अन्त में स्मरण कर दुःख प्रकट करता है और सभी जीवों से अमा भाँगकर फिर आगे उन पापों को न दुहराने की प्रतिज्ञा करता है।

आवश्यक सूत्र का प्रथम अध्याय सामायिक है। 'राग-द्वेष रहित समभाव को सामायिक कहते हैं।'^३

१. सूत्र २७, २८।

२. मिच्छादंतणरता सणियाणा हु हिसगा।

इय जे मरति जीवा तेर्सि पुण दुलहा बोही ॥२५८॥

सम्भृतणरता अर्णियाणा सुमक्लेसमोगाढा।

इय जे मरति जीवा तेर्सि सुलहा भवे बोही ॥२५९॥

३. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, भाग २, डा० जगदोशचन्द्र जैन व डा० मोहनसाम मेहता, पृष्ठ १७४।

आवश्यकसूत्र—हि० अनु० अमोक्षक चूषि, पृष्ठ ७८।

इसका चौथा अध्याय 'प्रतिक्रमण' है। प्रतिक्रमण कहते हैं उस शुभ स्थिति वा गति को जिसमें प्रमादवश च्युत होकर पायी हुई गति से ऊपर उठकर व्यक्ति आता है। अर्थात् अपने प्रमाद और अपनी गलती का उसे ज्ञान हो जाता है और उन्हें वह त्यागना चाहता है। इस अध्याय में अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रतिक्रमण-विषि पर प्रकाश ढालते हुए किया गया है।

इसके अन्त में कहा है—

खामेमि सब्वं जीवे सब्वे जीवा खमंतु मे ॥

मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सब जीव मुझे भी क्षमा प्रदान करें।

दशवैकालिक :

दशवैकालिक जैन आगमों के मूलसूत्रों में है। इसमें दस अध्याय हैं—दुमपुष्पित, श्रामण्यपूर्विक, कुल्लिकाचार-कथा, षड्जीवनिकाय, पिण्डैषणा (जिसमें दो उद्देश हैं), महाचार-कथा, वाक्यशुद्धि, आचारप्रणिष्ठि, विनयसमाधि (जिसमें चार उद्देश हैं) तथा सभिक्षु। इसका पाठ विकाल यानी सन्ध्या समय किया जाता है, इसलिए इसे दशवैकालिक कहते हैं। इसके कर्ता शश्यभव हैं। अपने पुत्र को कम समय में ही शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए शश्यंभव ने दशवैकालिक की रचना की थी। दशवैकालिक में दो चूलिकाएँ भी हैं—रतिवाक्य तथा विविक्तचर्या, जिनके रचयिता शश्यभव नहीं माने जाते।

दशवैकालिक के दुमपुष्पित नामक अध्याय में धर्म को सभी मंगलों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस धर्म के तीन रूप हैं—अहिंसा, संयम तथा तप। इस धर्म के पालन करने वाले साधु आहार आदि की गवेषणा वैसे ही करते हैं जैसे ऋमर पुष्पों को बिना कोई कष्ट दिए हुए रस का पान करते हैं। अर्थात् गवेषणा के कारण उनके द्वारा गृहस्थों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता।^१

१. अम्मो मगलमुक्तिकट्ठं, भहिसा संजमो तयोऽस्तु ॥ १ ॥

जहा दुमस्तु पुण्ड्रेतु, भमरो भावियह रसं ॥ २ ॥

श्रामण-पूर्विक में यह बताया गया है कि श्रामण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यदि समदृष्टि से विचरने वाले साधु का मन पूर्वभूक्त विषय को याद करके विचलित हो तो उसे ऐसा सोचना चाहिए कि वे भ्रमण वस्तुएं मेरी नहीं हैं और न मैं ही उनका हूँ और ऐसा सोचकर उसे राग-द्वेष से अपने को अलग कर लेना चाहिए।^१

कुलिकाचार नामक अध्याय में उद्देशिक, क्रीत, नित्यपिण्ड, रात्रिभूक्त, स्नान-हस्तपादादि ५२ अनाचीर्ण बताए गए हैं, अर्थात् वे ५२ कर्म साधुओं के लिए अनाचरणीय हैं। इसी सिलसिले में कहा है—

“इन ५२ अनाचीर्णों का सेवन नहीं करने वाले, हिंसादि पांचों आश्रवों के त्यागी, मनादि तीनों गुप्तियों से गुप्त, पृथिव्यादि षट्काय के रक्षक, पांचों इन्द्रियों का निग्रह करने-वाले, बाईस परीष्वह प्राप्त होने पर धैर्य धारण करने वाले, माया कपटरूप ग्रन्थि रहित और संयम को देखने वाले होते हैं।”^२

षट्जीवनिकाय में बताया गया है कि कोई व्यक्ति षट्काय—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय का न स्वयं आरम्भ करे, न किसी से आरम्भ करवाये और न आरम्भ करने वाले का अनुमोदन करे और इसे जीवन पर्यन्त निभाये।^३

एमेए समणा मुक्ता, जे लोए संति साहुणो ।

विर्हगभाव पुक्षेसु, दाण्डभत्तेसर्गेश्या ॥३॥

१. समाइ पेहाए परिव्यंतो, सियामणो निस्सरई बहिदा ।

न सा महं नो वि भाहंपि तीसे, इच्छेव तामो विणौज्ज्ञ राग ॥४॥

२. पंचासव परिन्नाया, तिगुता छमु संजया ।

पंचनिमाहणाधीरा, निमग्ना उज्जुदंसिणो ॥५॥

३. इच्छेसि छण्हं जीवनिकायाणु-नेव सय दंड समारम्भेज्जा, नेवन्नेहि दंड समारम्भेज्जा, दंड समारम्भेवि अन्नेन समणु जागेज्जा, जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाए काएणं न करेमि, न कारबेमि, करंतपि धन्नं न समणु जाणामि, तस्य भंते ! पष्ठिकमायि निवामि गरिहामि धन्याणु बोसिरामि ॥६॥

आगे इन षट्कायों की रक्षा के लिए (अहिंसादि) पंच महाव्रत का उपदेश दिया गया है।^१

पिण्डैषणा नामक अध्याय में उन विधियों को बताया गया है, जिनका पालन एक साधु को उस समय करना चाहिए जब वह गोचरी के लिए जाता है।^२

महाचारकथा में साधुओं के अठारह स्थानों को निरूपित किया गया है तथा इन स्थानों में प्रथम स्थान अहिंसा का माना गया है। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। अतएव घोर प्राणिवध हमेशा त्याज्य है। चूंकि सभी प्राणी जीना चाहते हैं, किसी भी जीव का जाने-अनजाने घात नहीं करना चाहिए।^३

भाषाशुद्धि नामक अध्याय में भाषा की शुद्धि का विवेचन किया गया है। शुद्धि से मतलब यहाँ पर व्याकरण की शुद्धि नहीं बल्कि भावशुद्धि से है। यानी उन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिनके सुनने से सुननेवालों को कष्ट हो। सत्य होने पर भी जो बात अन्य प्राणियों को दुःख देनेवाली हो उसे नहीं बोलना चाहिए।^४

१. सूत्र ११-२२.

२. पुराणो जुगमायाए, पेहमाणो महिचरे ।

वज्जंतो बीय हरियाइ, पाणेय दगमटृयं ॥३॥

शोवायं विसमं लाणु, विजज्ञल परिवज्जए ।

संक्षेण न गच्छेज्जाए, विजज्ञमाणे परकमे ॥४॥ सूत्र ५-८ भी देखें ।

सिद्धा य समणाट्ठाए, गुम्बिणी कालमासिणी ।

उट्टिया वा निसीयज्जाए, निसन्न वा पुण्ट्ठए ॥४०॥

तं भवेऽभत्ताणात्तु, सजयाण श्रकपियं ।

दितिय पडियाइक्षेऽन, न मे कप्पइ तारिसं ॥४१॥

पण्मं पिजज्ञमाणो, दारगं वा कुमारियं ।

तं निक्षिवितुं रोयंतं, आहारे पाणमोयण ॥४२॥

३. सूत्र ८-११ और सूत्र २७-४६.

४. सूत्र ११.

आचारप्रणिति नामक आठवें अध्याय के प्रारम्भ में ही फिर से कहा गया है कि जितने भी काय हैं यानी षट्काय, सबमें जीव हैं। अतः मन, वचन और काय से कभी भी इनकी हिसा नहीं करनी चाहिए।^१

इस प्रकार दशवैकालिकसूत्र के विभिन्न अध्यायों में अर्हिसा के विवेचन एवं विवरण, खासतौर से साधु के जीवन से संबंधित, मिलते हैं।

प्रवचनसार :

प्रवचनसार आचार्य कुद्दकुन्द की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें तीन श्रुतस्कन्ध हैं—१. ज्ञानाधिकार जिसमें आत्मा और ज्ञान का एकत्व और अन्यत्व तथा संवज्ञत्व की सिद्धि, अशुभ, मोहक्षय आदि का विवेचन है, २. ज्ञेयाधिकार जिसमें द्रष्ट्य, गुण, पर्याय आदि की व्याख्याएँ हैं और ३. चारित्राधिकार जिसमें श्राण का स्वरूप तथा मुनि के लक्षण आदि बताए गए हैं। इसपर अमृतचन्द्रसूरि और जयसेन ने सस्कृत टीकाएँ लिखी हैं। इसमें सब मिलकर २७५ गाथाएँ हैं।

प्रवचनसार के प्रथम अध्याय ज्ञानाधिकार में मुनि के लक्षणों को बताते हुए कहा गया है कि मुनि जीवादि नव पदार्थों को जाननेवाला, अपने और पर के भेद को अच्छी प्रकार जाननेवाला, शुद्धोपयोगवाला, पांच इन्द्रियों और मन की इच्छा को रोकनेवाला, छः काय जीवों की हिसा न करनेवाला और अतरंग तथा बाह्य बारह प्रकार के तप बन से दृढ़ होता है।^२

१. पुढिविगमगणिमार्य, तणुष्वस्वसंबीयगा ।

तसाय पाणा जीवति, इह मुत्तं महेसिरणा ॥२॥

तेसि अच्छण्गोएण, निच्चन्द्रं होयब्बयं सिया ।

मणुसा काय वक्केण, एव भवद् संजए ॥३॥

२. सुविदिवपयत्प्रसुत्तो संजमत वसंजुदो विगदराणो ।

समणो समसुहुक्ष्मो भणिषो मुद्दोवस्तो ति ॥४॥

द्वितीय अध्याय ज्ञेयतस्त्वाधिकार में बताया गया है कि जीव यदि अपने या दूसरे के प्राणों का घात करता है तो उसे ज्ञानाभरणादि आठ कर्मों का बन्ध प्राप्त होता है।^१ आगे चलकर अशुभोपयोग का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। जीव अशुद्ध चैतन्य हो, इन्द्रियविषय तथा क्रोधादि से प्रस्त हो, मिथ्या ज्ञास्त्र का सुननेवाला हो, अशुभ ध्यान में रत मनवाला तथा दूसरों की शिकायत करनेवाला, साथ ही (उप्र) हिसादि करने में लीन और बीतराग आदि के पथ के विपरीत (उम्मार्ग पर) चलनेवाला हो तो निश्चय ही उसे अशुभोपयोग की प्राप्ति होती है।^२

तृतीय अध्याय चारित्राधिकार में द्रव्यर्लिंग और भावर्लिंग की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि परमाणु मात्र के परिग्रह से रहित, लोच करनेवाले, हिसा आदि पापों से विरत, शरीर की सजावट से विमुख मुनीश्वर को द्रव्यर्लिंग होता है। इसी अध्याय में श्रामण्य पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि मुनि जो कुछ भी करे यत्नपूर्वक करे ताकि किसी प्रकार की हिसा न हो।^३

१. पाणावार्ष जीवो मोहपदेसेहि कुण्डि जीवाणु ।

जदि सो हवदि हि बंधो लालाव रणादिकम्भेहि ॥५७॥

२. विसयकसामोगादो दुस्सुदिदुच्चित्तदुठगोट्ठजुदो ।

उग्नो उम्मग्नपरो उवग्नोगो जस्स सो घमुहो ॥६६॥

३. जघजादरूवजादं उप्याहिदकेसमंसुगं सुदुः ।

रहिदं हिंसादीदो भृप्णिङ्कम्भ महवदि लिंग ॥५॥

अधिवासे व विवासे द्वैदवहूणौ भवीय सामण्ये ।

समण्णो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिवंधाणि ॥१३॥

अपयत्ता वा चरिता सयणासणाठाणाचंकमादीसु ।

समण्णस्स सब्दकले हिसा सा संततिय त्ति मदा ॥१६॥

मरदु व जियदु व जीवो अपदाकारस्स णिच्छिदा हिसा ।

पयदस्स णात्य वंधो हिसामेत्तेण समिदस्स ॥१७॥

अयदाचारो समणो छस्स वि कायेसु वषकरो त्ति मदौ ।

चरदि जादं जदि णिच्चं कमल व जले णिरुवलेवो ॥१८॥

आगे चलकर मुनि का आहार, सेवावृत्ति तथा षट्कार्यों की हिंसा पर प्रकाश ढाला गया है।^१ इस तरह प्रवचनसार अपने विभिन्न सूत्रों में श्रमण के चारित्र में अंहिसा का स्थान कितना महत्वपूर्ण है यह प्रस्तुत करता है।

समयसार :

समयसार के बंधाधिकार में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति तैलादि लगाकर धूलिवाली जगह में खड़ा होकर ताड़वृक्ष, बेले का वृक्ष तथा बांस के पिछ को काटता है तो उसे रजबघ होता है, लेकिन यदि तैलादि के बिना वही आदमी अस्त्रशस्त्र से व्यायाम करता है या केले के वृक्ष या ताड़ के वृक्ष आदि को काटता है तो उसे रजबन्ध नहीं लगता क्योंकि रजबन्ध तो चिकनाहट में होता है जैसे तेल की चिकनाहट।^२

१. एवं स्तु तं भसं पर्पदिपुण्णोदरं जहावद् ।

चरणं भिक्षेण दिवा ण रसादेवकर्णं ण मषुमंसं ॥२६॥

समस्तु बृद्धवग्नो समसुहदुक्षो पसंसर्णिदसमो ।

समस्तो द्विकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥४१॥

दंसणणाणचरित्तेमु हीमु ब्रुगवं समृद्धिद्वौ जो दु ।

एयगगदो ति भदो सामण्णं तस्य पदिपुण्ण ॥४२॥

चकुणुदि जो वि णिच्चं चादुव्वण्णस्स समणं संवस्स ।

कायविराघणुरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से ॥४६॥

सूत्र ५०-५१ भी देखें ।

२. वह एगाम कोपि पुरिसो खोहभतो दु रेणवहूलम्भि ।

ठाणम्भि ठाइदूण य करेह सत्येहि वायामं ॥२३७॥

खिदियि निदियि य तहा तालीतलक्यसिवं सर्पिडीयो ।

सचित्ताचित्ताणं करेह दब्बाणुमुवधायं ॥२३८॥

उवधायं कुञ्जंतस्स तस्य एणाचिहर्णि करणेहि ।

णिच्छयदो चित्तिज्जदु कि पचययो दु रयबंधो ॥२३९॥

बी सो दु खोहभावो तम्भि एरे तेण तस्य रयबंधो ।

णिच्छयदो विष्णेयं ण कायचेट्ठाहि सेसाहि ॥२४०॥

एवं निष्ठादिट्ठी बट्टंसो बहुविहासु चेट्ठासु ।

रायाहि उवधोगे कुञ्जंदो चिप्पइ रयेण ॥२४१॥

फिर कहा है कि जो यह मानता है या समझता है कि मैं दूसरे जीवों को मारता हूँ अथवा दूसरे जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ, तो यह उसका मोह है, अज्ञान है, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं समझते। अपना आयुकर्म कीण होने पर ही कोई जीव मरता है और यह आयुकर्म एक जीव से दूसरे जीव का हरा नहीं जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। अतएव यह मानना कि एक जीव दूसरे को मार देता है, बिल्कुल ही अज्ञानता है।^१ जो जीव यह मानता है कि मैं परजीवों को दुःखी अथवा सुखी करता हूँ तो वह मोह और अज्ञान के वशीभूत है।^२

इस प्रकार समयसार में कर्म की प्रधानता दिखाई गई है।

नियमसार :

नियमसार के चौथे अध्याय व्यवहार-चारित्र में शरीरधारी, बीज आदि किसी भी प्रकार के जीव का घात करने या कष्ट

बह पुण सो चेव णारी णोहे सञ्चम्हि प्रदणिये सत्ते ।
रेण बहुलम्मि ठाणे करेह सत्येह वायामे ॥२४२॥

एवं सम्मादिट्ठी वट्टंतो बहुविहेमु जोगेमु ।
अकरंतो उवधोगे रागाई ण लिप्पह रयेण ॥२४६॥

१. जो मण्णादि हिसामि य हिसिज्जामि य परेह सत्तेहि ।
सो मूढो मण्णाणी ग्याणी एतो दु विवरीदो ॥२४७॥
आउक्षयेण मरणं जीवाणं जिणवरेह पण्णाल ।
पाउ ण हरेति तुमं कह ते मरणं कयं तेति ॥२४८॥
आउक्षयेण मरण जीवाण जिणवरेह पण्णाल ।
पाउ न हरति तुह कह ते मरण कयं तेहि ॥२४९॥

२. जो मण्णादि दुहिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।
सो मूढो मण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥२५३॥

पहुँचाने से विरत होना अर्थात् अहिंसा को प्रथम प्रत लक्षाया गया है। इस अध्याय में समितियों तथा गुप्तियों के भी विवेचन मिलते हैं।^१

अध्याय आठ प्रायशिक्षा में उपदेश दिया गया है कि साधु को चाहिए कि वह क्रोध को कमा से, मान को विनाश्ता से, धोखे को सीधेपन से तथा लोभ को सन्तोष से जीते।^२

अध्याय नौ परमसमाधि में परमसमाधिस्थ के लक्षण को बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति सभी प्रकार की हिंसा से—मनसा, वाचा, कर्मणा—विरत है और अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण

१. कुस जौणिजीवमग्नाण-ठाणाइसु जाणऊण जीवाण ।
तस्सारंभणियत्तण-परिणामो होइ पठमबद्द ॥५६॥
गाणा ५७ भी देखें ।
पासुणमग्नेण दिवा अवलोगतो जुगप्तमाणु हि ।
गच्छह पुरदो समणो इरियासमिदी हवे तस्स ॥५७॥
पेसुण्ठाहासकन्क सपरिणिव्यप्यप्यसंसियं बयणु ।
परिचिता सपरहिंद भासासमिदी बदंतस्स ॥५८॥
कदकारिवाणुमोदणुर्हाँदं तह पासुणं पसत्यं च ।
दिण्णं परेण भत्तं समभुत्ती एसासमिदी ॥५९॥
पोत्पडकमंडलाहं गहणविसग्नेसु पयत्परिणामो ।
आदावणिणिक्षेवणसमिदी होहि त्ति णिहिंदठा ॥६०॥
पासुणमूमिपवेसे गूढे रहिए परोपरोहेण ।
उच्चारादिच्छागो पइठा समिदी हवे तस्स ॥६१॥
बंधणछेवणमारणमाकुंचण तह पसारणादीया ।
कायकिरियाणियत्ती णिहिंदठा कायमुत्ति त्ति ॥६२॥
कायकारियाणियत्ती कालसम्बो सरीरने गुत्ती ।
हिंसाइणियत्ती वा सरीरमुत्ति त्ति णिहिंदठा ॥६३॥
२. कोहू लक्ष्या माणे समद्वेणलक्ष्येण भावं च ।
संक्षेपेण च लोहू लक्ष्यि चुए चहुविहक्षण ॥६४॥

रखता है, वह परमसमाधिस्थ है। जो सभी चर-अचर जीवों को समान देखता है, वही परमसमाधिस्थ है।^१

इस प्रकार नियमसार में समिति, गुप्ति तथा परमसमाधि के संबंध में नियम निर्धारित करते समय सर्वदा हिंसा को त्याज्य तथा अहिंसा को मुक्तिदायक, परम सुखदायक तथा ग्राह्य बताया गया है।

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय :

इसे 'जिनप्रवचनरहस्य-कोश' एवं 'आवकाचार' के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्राप्त पद्यों की संख्या २२६ है और इसके रचयिता अमृतचन्द्रसूरि हैं। इस पुस्तक में 'पुरुष' अर्थात् आत्मा के उद्देश्य की सिद्धि के साधनों पर प्रकाश ढाला गया है। इसीलिए इसका नाम 'पुरुषार्थसिद्ध्युपाय' रखा गया है।

इसके सम्यक्चारित्र व्याख्यान में हिंसा का विवेचन करते हुए कहा गया है कि हिंसा का सर्वथा त्याग सकलचारित्र और एक देश का त्याग देशचारित्र कहा जाता है।^२ सकलचारित्र का पालन करनेवाला मुनि और देशचारित्र का पालन करनेवाला आवक समझा जाता है।^३ हिंसा, अनूत, स्तेय, अब्रहाचर्य, परिग्रह—ये पाँच पाप हिंसा के गर्भ में ही पाए जाते हैं।^४ हिंसा के दो प्रकार हैं : आत्म-घात यानी स्व-हिंसा और पर-घात

१. विरदी सञ्चावज्जे तिगुत्तिपिहिंदिदिषो ।

तस्स सामाइगं ठाह इदि केवलिसासणे ॥ १२५ ॥

जो सभो सञ्चमूदेसु थावरेसु तसेसु वा ।

तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ १२६ ॥

२. हिंसातोऽनृतवचनात्स्तेयादङ्गहतः परिग्रहतः ।

कात्स्थर्यैकदेशविरतेऽन्नारित्रं जायते द्विविष्म ॥ ४० ॥

३. निरतः कात्स्थर्यनिवृत्ती भवति यतिः समयसारभूतोऽय ।

या त्वेकदेशविरतनिरतस्तस्थामूपासको भवति ॥ ४१ ॥

४. आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।

अनूतवचनादि केवलमूदाहृते गिर्व्यकोपाय ॥ ४२ ॥

यानी पर-हिंसा ।^१ कथाय से हिंसा होती है। कथाय पहले मन में जाप्रत होता है जिससे आत्मा का यानी अपना धात होता है यद्यपि बाद में पर-धात यानी पर-हिंसा होती है। राग, द्वेष सबसे पहले किसी के मन में आता है फिर उसके परिणामस्वरूप वह किसी दूसरे को कष्ट देता है। इससे ज्ञात होता है कि पर-हिंसा करने के पहले वह अपना धात कर लेता है। फिर व्यक्ति पर-हिंसा करता है। हिंसा का विचार मन में लाते ही उसके फल का भागी हो जाता है भले ही वह समय या परिस्थिति के कारण वैसा सोचे हुए के अनुसार कर सके या नहीं^२। यदि कोई व्यक्ति किसी को कष्ट देना चाहता हो किन्तु उपक्रम करने के बाद कष्ट के बदले संयोगवश उसे मुख मिल जाता है तो भी कोशिश करने वाला हिंसा के फल का ही भागी होगा।^३ हिंसा को त्यागने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह यत्नपूर्वक मद्य, मास, शहद और ऊमर, कठमर, पिपल, बड़, पाकर के फल का त्याग करें, क्योंकि इनसे हिंसा का भाव मन में जगता है।^४ इसी तरह हिंसा के फल आदि के विवेचन मिलते हैं।

मूलाचार :

मूलाचार के कर्त्ता वट्टकेराचार्य हैं। इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती, फिर भी इसकी रचनाशीली के आधार पर इसे भगवती-आराधना के समकालीन माना जाना है।

१. यस्मात्सक्षयः सन् हस्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।
पश्चात्जापेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणा तु ॥ ५७ ॥
२. ग्रविधायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।
कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥ ५१ ॥
३. हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे ।
इतरस्य पुनर्हिंसा विशत्यहिंसाफलं नान्यत् ॥ ५७ ॥
४. मद्यं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति घर्मम् ।
विस्मृतघर्मा जीवो हिंसामविशक्त्वाचरति ॥ ६२ ॥
५. एतोक्त ६३-१०८.

इसके मूलगुणाधिकार में हिंसा-त्याग, सत्य आदि पाँच महाव्रतों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मार्गणास्थान, कुल, आयु, योनि इन सभी में प्राणियों को जानते हुए कायोत्सर्ग आदि कर्मों में हिंसा को त्यागना ही अहिंसा महाव्रत है।^१ इसके अलावा समिति और आवश्यक कर्म भी इस अधिकार में वर्णित हैं।

बृहत्प्रत्याख्यान अधिकार में सामायिक के लिए प्रत्याख्यान-विधि बताते हुए प्रत्याख्यान करनेवाले के मुख से कहलाया गया है—

जो कुछ मेरी पापक्रिया है, उस सबको मन, वचन, काय से मैं त्याग करता हूँ और समताभावरूप निविकल्प, निर्दोष सब सामायिक को मन, वचन, काय व कृतकार्गत-अनुमोदित से करता हूँ। जीवघातरूप हिंसा, छूठ व धन, अदत्तादान (चोरी)।—इन सभी पापों को मैं छोड़ता हूँ। शत्रु-मित्र आदि सब प्राणियों में मेरी तरफ से समभाव है, किसी से बेर नहीं है। इसलिए सब तृष्णाओं को छोड़कर मैं समाधिभाव को अगीकार करता हूँ, मैं क्रोधादि भाव छोड़ शुभ-अशुभ परिणामों के कारणरूप सब जीवों के ऊपर क्षमा-भाव करता हूँ और सभी जीव मेरे ऊपर क्षमाभाव करें। मेरा सब प्राणियों पर मैत्रीभाव है, किसी से मेरा बेरभाव नहीं है।^२

सक्षेपप्रत्याख्यानाधिकार में भी सामायिक करने वाले के प्रत्याख्यान-वचन प्रस्तुत किए गए हैं।^३

समाचाराधिकार में 'समाचार' को परिभाषित किया गया है। रागद्वेष से रहित जो समता का भाव है, वही समाचार है, या अतिचाररहित जो मूलगुणों का अनुष्ठान है या समस्त मुनियों का

१. या० ४, ५, १७.

२. मूलाचार—सं० पं० मनोहरसाह शास्त्री, पृष्ठ १८-२०, २७.

३. या० ११०.

समान तथा हिंसारहित जो आचरण है या सभी क्षेत्रों में हानि-नाभ रहित कायोत्सर्गादि के परिणामरूप जो आचरण है, वही समाचार है।^१ आगे आर्यकायों के गणधरों की विशेषता दिखाते हुए कहा है कि उन्हें प्रियधर्म या अमाधर्म को अपनानेवाला होना चाहिए।^२

पंचाचाराधिकार में सम्यगदर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार के कृत, कारित एवं अनुमोदित अतिचारों पर प्रकाश ढाला गया है।^३

मूलाचार के पंचम अधिकार में वैदिकधर्म की आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें यज्ञादि कर्मों में पशुओं की बलि देकर हिंसा की जाती है और इस हिंसा को भी धर्म का अंश माना जाता है। यह आलोचना चार विभागों में विभक्त है—१. लौकिक मूढ़ता—चाणक्यनीति, चावकि के उपदेश तथा यज्ञादि में हिंसा को धर्म मानना आदि, २. वैदिक मूढ़ता—ऋग्वेद, सामवेद, मनुस्मृति आदि को मानकर अग्नि-होम आदि करना, ३. सामायिक मूढ़ता—बौद्ध (यद्यपि यह वैदिक धर्म से भिन्न है), नैयायिक, वैशेषिक, जटाधारी, सांख्य, शैव, पाण्डुपत, कापालिक आदि को मानना तथा ४. देव मूढ़ता—ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि में देवत्व मानना।^४ इसमें समिति, एषणा, गुप्ति, भावनाएँ, रात्रि-भोजन आदि के भी वर्णन हैं।^५ इतना ही नहीं, यह अधिकार अहिंसा को प्रधानता देते हुए कहता है कि हिंसा के दोष से रहित यदि कोई अयोग्य वचन भी है, तो वह भावसत्य समझा जायेगा।^६ और अन्त में फिर एक बार यह षट्कायों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है।^७

१. गा० १२३.

२. गा० १८३.

३. गा० २०६, २०७, २०८, २३८, २३९.

४. गा० २५७-२६०, २६२-६४.

५. गा० २८८, २८९, २९५, ३००, ३०४, ३०५, ३१८-३२६, ३३१,
३३८, ३५३, ३८३.

६. गा० ३१३.

७. गा० १६, १७.

पिण्डशुद्धि अधिकार में मुनियों के आहार-संबंधों ४६ दोष उल्लिखित हैं।^१

षडावश्यकाधिकार में छः आवश्यकों के बर्णन हैं। इसके अनुसार जो साधु सभी समय मोक्ष प्राप्ति की कामना से मूलगुणों को धारण किये रहता है तथा सभी जीवों में समता का भाव रखता है वह सर्वसाधु है।^२ आगे सामायिक का विस्तार करते हुए कहा है—‘सब कामों में राग-द्वेष छोड़कर समभाव व द्वादशांग मूलों में अद्वान होना उसे तुम उत्तम सामायिक जानो।’^३

द्वादशानुप्रेक्षाधिकार में अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आस्व, संवर, निंजंरा, धर्म, बोधि—इन अनुप्रेक्षाओं के स्वरूप पर विचार किया गया है। राग और द्वेष की भत्संना करते हुए कहा गया है कि राग से अशुभ एव मलिन, विनावनी वस्तुओं में अनुराग होता है और मोह जीव को बाध्य करता है कि वह अपना असली रूप भूल जाये। राग, द्वेष, क्रोध आदि आस्व हैं जिनसे कर्म आते हैं। ये कुमारों पर प्रेरित करनेवाली अति बलवान शक्तियाँ हैं।^४ इसके अलावा यह अधिकार कहता है कि सब जीवों के हितकारी तथा तीर्थीकर द्वारा उपदेशित धर्म को माननेवाला पुण्यवान होता है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, तप आदि मुनि के धर्म होते हैं; शाति, दया, क्षमा, वैराग्य आदि जैसे-जैसे बढ़ते हैं, जीव वैसे-वैसे मोक्ष के निकट बढ़ता जाता है।^५

अनगारभावाधिकार में लिङ्गशुद्धि, व्रतशुद्धि, वसतिशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, उज्ज्ञनशुद्धि, वाक्यशुद्धि और ध्यानशुद्धि को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि इन शुद्धियों

१. अधि० ६, गा० ४२४, ४४१, ४६६.

गापाएं ४७०-४७१ भी देखें।

२. अधि० ७, गा० ५१२.

३. अधि० ७, गापा ५२३ तथा ५१८ से ५३४ तक देखें।

४. अधि० ८, गा० ७२८, ७२९, ७३१ तथा ७५७.

५. अधि० ८, गा० ७५०; घ० ८, गापाएं ७५२ तथा ७५३ भी देखें।

को धारण करनेवालों के सभी पाप मिट जाते हैं। जो सच्चे साधु या अनगार या मुनि होते हैं वे अर्हिसा, सत्य आदि पाँच महावतों को धारण करते हैं तथा हिमा, असत्य आदि को छोड़ते हैं। वे स्वयं सब कुछ सहते हैं तथा अन्य सभी प्राणियों को सब तरह से बचाते हैं।^१

समयसाराधिकार में शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया है। मुनि के लिए कहा गया है कि यदि वह सम्यक् चारित्र पालना चाहता है तो वह भिक्षाटन करके भोजन करे, वन में रह दुःख को सहे, मैत्रीभाव का चितवन करे। साधु के लिए आवश्यक है कि मयूरपिण्डी रखे क्योंकि अत्यन्त छोटे द्वीन्द्रिय, जीव आदि चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते, अतः अपनी उपयोगी जगहों को वह मयूरपिण्डी से साफ कर सकता है। साधु चारित्र को भंग नहीं करता, व्यवहारशुद्धि के निमित्त प्रायशिच्छत करता है, वह अर्हिसादि व्रतों को कभी नहीं छोड़ता। साधु के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के कारण हुए परिग्रह से दूर रहने का विधान है। उमे पृथ्वीकाय आदि षट्कायों की रक्षा करनी चाहिए।^२

इसके विपरीत जो साधु अर्हिसादि मूलगुणों को छेदकर वृक्षमूलादि योगों को ग्रहण करता है उसके कर्मों का क्षय नहीं होता। त्रस-स्थावर जीवों को मारकर अपनी शक्ति बढ़ानेवाले साधु को नरक गति मिलती है। यदि एक या दो हरिणों को मारने से सिंह नीच-पापी समझा जा सकता है तो अनेक जीवों को अपने अधः कर्मों से नाश करनेवाला साधु तो महापतित ही समझा जाना चाहिए। जो साधु षट्कायों की हिंसा करक अधः-

१. प्रचि० ६, गा० ७६६, ७७०, ७७६, ७८०, ८०१-८०४, ८५३, ८५६ तथा ८६७-८७१।

२. गा० ८६५, ६११; गाथाएं ६१२-६१४ और ६६६ तथा १००७-१०१२ भी देखें।

कर्म से भोजन करता है, वह जिह्वा के वश होनेवाला मुनि नहीं बल्कि श्रावक है।^१

शीलगुणाधिकार में गुण के भेदरूप १८ हजार शील बताए गए हैं।^२ उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि मुनि के दशषमं हैं और जो मुनि मन करण से रहित, शुद्ध भाषा सहित, पृथिवीकाय-संयमसहित, क्षमा गुण युक्त तथा शुद्ध चारित्रवाले हैं उनका पहला शील मनोयोग स्थिर रहता है। हिंसादिअतिक्रम, कायविराघना, आलोचनाशुद्धि इनके क्रम से गुणा करने पर गुणों की संख्या चौरासी लाख होती है। तथा—

“हिंसा से रहित, अतिक्रमणदोष करने से रहित, पृथिवी-काय तथा पृथिवीकायिक की पीड़ा-विराघना से रहित, स्त्री की संगति से रहित, आकंपित दोष के करने से रहित, आलोचन की शुद्धि से युक्त सम्यमी, धीर, वीर मुनि के पहिला गुण अहिंसा होता है।”^३

पर्याप्ति अधिकार—अन्तिम अधिकार में सज्जा, लक्षण, स्वामित्व, संख्यापरिमाण, निवृत्ति और स्थितिकाल—पर्याप्ति के इन छः भेदों के बारें हैं।

रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन :

इसके प्रथम अध्ययन में ‘देवतामूढ़’ को पारिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति वर पाने की इच्छा से आशातृष्णा के वश तथा रागद्वेष से द्रूषित होकर देवताओं की पूजा-आराघना करता है वह ‘देवतामूढ़’ है। जो हिंसायुक्त सांसारिक व्यवहारों में लीन और आदर—सत्कारों के पीछे पड़े हुए हैं वे ‘पाषण्डमूढ़’ हैं। किन्तु जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध हैं वे अव्रती होते

१. अधि० १०, गा० ६१८-६२१, ६२५, ६२७, ६५७.

२. अधि० ११, गा० १०१६, १०१७.

३. अधि० ११, गा० १०२०-१०२३ तथा १०३२, १०३३.

होते हुए यानी अर्हिसादिव्रत न करते हुए भी नरक-तिर्यञ्च आदि वर्ति को प्राप्त नहीं करते ।^१

तृतीय अध्ययन में बताया गया है कि जब मोह रूपी अन्धकार पूर हो जाता है, तब सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान के प्रकाश में साथ राग-द्वेष की निवृत्ति के लिए 'चरण' यानी अर्हिसादि सम्यक्चारित्र को अपनाता है, क्योंकि रागद्वेष की निवृत्ति हिंसा आदि की निवर्तना से होती है, और हिंसा, कूठ, चोरी, मैथुन तथा परिश्रद्ध रूपी पापों को त्यागना ही सम्यक्चारित्र होता है ।^२ आगे इस अध्ययन में अणुव्रत के सक्षणों को प्रस्तुत किया गया है ।^३ इतना ही नहीं यह अध्ययन अर्हिसा व्रत को पालनेवाले कुछ प्रसिद्ध सोगों के नाम भी प्रस्तुत करता है, जैसे—मातंग, घनदेव, वारिष्ठेण, नीली, जय, घनश्री, सत्यघोष, तापस, आरक्षक, शमश्रुनवनीत आदि ।^४

चतुर्थ अध्ययन भी अर्हिसादि पाँच महाव्रतों के सक्षण बताता हुआ दिग्नक्षत तथा उसके अतिचार पर प्रकाश ढालता है ।^५

पंचम अध्ययन में देशावकाशिकव्रत, सामायिकव्रत, प्रोष्ठघोषवास आदि के विधानों की चर्चा हुई है। समय की मुक्तिपर्यन्त जो

१. वरोपसिप्त्याऽऽशावान् राग-द्वेषमसीमसाः ।

देवता यदुपासीत देवतामूढपुच्छते ॥ २३ ॥

सम्यग्व्याप्तरक्ष-हिंसानां संसाराऽवर्तनाश् ।

पापण्डिनां पुरस्कारो जैवं पापण्ड-मोहनम् ॥ २४ ॥

सम्यग्व्याप्तेनशुद्धा नारक-तिर्यक्-नपुंसक-स्त्रीत्यानि ।

दुष्कृत-विकृताऽल्पायुर्दितां च व्रजन्ति नाऽन्यवर्तिकाः ॥ ३५ ॥

२. कारिका ४४-४६.

३. कारिका ५२-५४.

४. मातंगो घनदेवश्च वारिष्ठेणुस्तुतः परः ।

नीली क्याश्च उम्माप्ताः पूजाऽतिशयमुलमम् ॥ ६४ ॥

घनश्री-सत्यघोषी च तापसाऽरक्षकावपि ।

उपाख्येयास्तुतास्मभूनवनीतो यथाकमम् ॥ ६५ ॥

५. कारिका ७२, ७४-८१, ८४.

सभी जगहों पर हिंसा, असत्य आदि पाँच प्रकार के पापों का त्याग करता है, वह सामायिक व्रत का पालन करनेवाला होता है। यह सामायिकव्रत अहिंसादि व्रतों के परिपूरक हैं, अतः गृहस्थों को लित्य इसकी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। सामायिक की अवस्था में गृहस्थ भी मुनि की तरह ही होता है।^१ प्रोष्ठोपवास व्रतवानें को उपवास के दिन हिंसादि पाँच पापों को, वस्त्रालंकरण आदि शरीर-सजावट को, कृष्णादि कर्मों को त्याग देना चाहिए।^२

षष्ठ अध्ययन में सल्लेखना-विधि बताते हुए कहा गया है कि सल्लेखना व्रत को करनेवाला व्यक्ति स्नेह, वैर, संग तथा परिग्रह को त्यागकर निर्मल मन से स्वजनों तथा परिजनों को कोमल बाणी में उनसे की गई गलतियों के लिए क्षमा करे तथा अपने अपराधों के लिए भी उन लोगों से क्षमा याचना करे। साथ ही किए, करवाए तथा अनुमोदित पापों की आलोचना करते हुए जीवन पर्यन्त पाँच महाव्रतों को पालने की प्रतिज्ञा करे।^३

सप्तम अध्ययन के अनुसार जो श्रावक मूल, फल, शाक, शास्त्रा, करीर, कन्द और बीज को कच्चे नहीं खाता है, वह सचित्त-विरत होता है। जो श्रावक रात में अल्प या अल्प से बनी हुई भोज्य वस्तुएं, खाद्य (खाने योग्य दूसरी वस्तुएँ), लेह्य, चटनी, शर्वत आदि ग्रहण नहीं करता, वह दयाभावयुक्त 'रात्रिभुक्तविरत' यानी छठे पद का धारक होता है। जो श्रावक प्राणपीड़ा के कारणरूप सेवा, कृषि, वाणिज्य तथा आरम्भादि से अलग है, वह "आरम्भ-त्यागी" श्रावक कहा जाता है।^४

इस प्रकार रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन (रत्नकरण्ड-श्रावकाचार) में श्रावकों के लिए सभी धार्मिक विधि-विधानों के विवेचन मिलते हैं।

१. कारिका ६७, १०१, १०२.

२. कारिका १०७.

३. कारिका १२४, १२५.

४. कारिका १४१, १४२, १४४.

इस प्रकार जैन धर्म में अर्हिसा-संबंधी सामग्री प्रायः इन्हीं
ग्रन्थों में मिलती है, और इन्हीं ग्रन्थों को दार्शनिक या धार्मिक
दृष्टि से महत्वपूर्ण भी समझा गया है। वैसे इन ग्रन्थों के अलावा
भी अन्य ग्रन्थ हैं, जिनमें हिंसा-अर्हिसा का विवेचन हुआ है। किन्तु
सामान्यतौर से यह देखा जाता है कि अन्य ग्रन्थों ने इस अध्याय
में प्रस्तुत ग्रन्थों में प्राप्त सिद्धान्तों को ही दुहराया है अथवा खुछ
घटाया-बढ़ाया है।



दृष्टीय अध्याय जैन दृष्टि से अहिंसा

जिस प्रकार सामान्य दृष्टि से अहिंसा को समझने के लिए यह आवश्यक समझा जाता है कि पहले इसका ज्ञान किया जाए कि हिंसा क्या होती है, और जब हिंसा का ज्ञान हो जाता है तो स्वतः अहिंसा का स्वरूप भी सामने आ जाता है। उसी प्रकार जैन दृष्टिकोण से भी अहिंसा पर प्रकाश ढालने के लिए यह आवश्यक-सा मालम होता है कि पहसे जैन दृष्टि से हिंसा को समझने का ही प्रयास किया जाए।

हिंसा की परिभाषा :

तत्त्वार्थसूत्र में उमास्वाति ने हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा है—

“प्रमत्तप्रोगात् प्राणव्यपरोपमं हिंसा”^१

अर्थात् प्रमादवश जो प्राणघात होता है, वही हिंसा है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि प्राण क्या है ?

जीव जब प्राण घारण करता है तब प्राणी कहलाता है। भगवती सूत्र में कहा गया है कि जीव आभ्यन्तर श्वासोच्छ्वास तथा बाह्य श्वासोच्छ्वास लेने के कारण प्राण कहा जाता है। क्योंकि इसके अनुसार जीव के छः नाम हैं (प्राण, भूत, जीव, सत्त्व आदि) जो विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। कालभेद की दृष्टि से प्राण को यों समझा जा सकता है—समय काल का वह छोटा अंश होता है जिससे आगे काल का कोई विभाजन नहीं हो सकता। असंख्य समय के मिलने से एक आवलिका बनती है। ३७७३ आवलिकाओं का एक श्वास होता है और इतनी ही आवलिकाओं का एक निःश्वास

१. तत्त्वार्थसूत्र—उमास्वाति, अध्याय ७, सूत्र ८.

अथवा उच्छ्वास । एक श्वास तथा निःश्वास मिलकर यानी ७५४६ आवलिकाओं का एक प्राण होता है । इस प्रकार यह गणना घड़ी तक जाती है । इस तरह प्राण को विभिन्न रूपों में समझने का प्रयास किया गया है । सामान्यतौर से इतना कहा जा सकता है कि जिस शक्ति में हम जीव को किसी न किसी रूप में जीवित देखते हैं वह शक्ति प्राण है, जिसके अभाव में कोई भी शरीर गतिहीन हो जाता है । यह शरीरधारी जीव की भिन्न-भिन्न शक्तियों के रूप में देखा जाता है । इसी बजह से प्राण के दस भेद किए गए हैं : १. स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, २. रसनेन्द्रिय बल प्राण, ३. ध्याणेन्द्रिय बल प्राण, ४. चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण, ५. श्रोत्रेन्द्रिय बल प्राण, ६. काय बल प्राण, ७. वचन बल प्राण, ८. मन बल प्राण, ९. श्वासोच्छ्वास बल प्राण, १०. आयुष्य बल प्राण । परन्तु सभी जीवों में प्राण बराबर नहीं होते । एकेन्द्रिय जीव चार प्राणों का धारक होता है—स्पर्शनेन्द्रिय, काय, श्वासोच्छ्वास तथा आयुष्य; द्विन्द्रिय में छः प्राण पाए जाते हैं—उपर्युक्त चार और दो—रसनेन्द्रिय तथा वचन; त्रीन्द्रिय में सात—पूर्वोक्त छः तथा ध्याणेन्द्रिय; चतुरिन्द्रिय में आठ—पूर्वोक्त सात एवं चक्षुरिन्द्रिय; असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय में नौ—पूर्वोक्त आठ और श्रोत्रेन्द्रिय का और सभी पञ्चेन्द्रिय में दस प्राण होते हैं—इनमें पूर्वोक्त नौ के अलावा मनोबल भी होता है । प्राण के दो रूप होते हैं—भावप्राण और द्रव्यप्राण, जैसे श्रोत्रेन्द्रिय का जो बाहरी रूप होता है वह द्रव्यप्राण है और सुनने की शक्ति है वह भावप्राण है ।

जीव के उपर्युक्त किसी भी प्राण का घात करना हिंसा है । यदि कोई प्राण के द्रव्य रूप का घात करता है अथवा भाव रूप का घात, दोनों हिंसा के क्षेत्र में ही आयेंगे । इसलिए अहिंसा की परिभाषा उपर्युक्त तरीके से की गई है । इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि हिंसा में सर्वप्रथम मन का व्यापार होता है, फिर वचन और काय का । क्योंकि प्रमाद के वश में हुए व्यक्ति के मन में प्रतिशोष की भावना जगती है, जो हिंसा करने के उद्देश्य को जन्म देती है, फिर वह कष्टदायक वचन का प्रयोग करता है और यदि इससे भी जागे बढ़ता है तो उस जीव का प्राणघात करता है, जिसके प्रति उसके मन में प्रमाद जाग्रत हुआ रहता है । इसी को अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है—

यस्तदुपावयोगात्माजानां द्रव्यभावहपाणाम् ।
व्यपरोपणस्य करनं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥

इसे श्री नाथराम प्रेमी निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट करते हैं :

“जिस पुरुष के मन में, वचन में व काय में क्रोधादिक कषाय प्रकट होते हैं, उसके शुद्धोपयोगरूप भावप्राणों का घात तो पहिले होता है क्योंकि, कषाय के प्रादुर्भाव से भावप्राण का व्यपरोपण होता है, यह प्रथम हिंसा है, पश्चात् यदि कषाय की तीव्रता से, दीर्घ-श्वासोच्छ्वास से, हस्तपादादिक से वह अपने अंग को कट पहुँचाता है अथवा आत्मघात कर लेता है तो उसके द्रव्य प्राणों का व्यपरोपण होता है, यह दूसरी हिंसा है । फिर उसके कहे हुए ममंभेदी कुवचनादिकों से व हास्यादि से लक्ष्यपुरुष के अन्तरंग में पीड़ा होकर उसके भावप्राणों का व्यपरोपण होता है, यह तीसरी हिंसा है । और अन्त में इसके तीव्रकषाय व प्रमाद से लक्ष्यपुरुष को शारीरिक अंगघेदन आदि पीड़ा पहुँचायी जाती है सो परद्रव्यप्राण-व्यपरोपण होता है, यह चौथी हिंसा है । सारांश—कषाय से अपने-पर के भावप्राण व द्रव्यप्राण का घात करना यह हिंसा का लक्षण है ।”^१

हिंसा का स्वरूप :

इन परिभाषाओं से यह साफ जाहिर होता है कि हिंसा के दो रूप होते हैं—भावहिंसा और द्रव्यहिंसा । मन में कषाय का जाग्रत होना भावहिंसा है और मन के भाव को वचन और क्रिया का रूप देना द्रव्यहिंसा कहलाती है । इन दोनों के चार विकल्प माने गये हैं । दशवैकालिकचूणि में कहा गया है—

“सा य मणवयणकाएहि जोएहि दुप्पउत्तोहि जं पाणव-द्रव्यवणं कज्जद सा हिंसा, तत्य भंगा चत्तारि-द्रव्यतोवि एगा हिंसा भावओवि, एगा हिंसा द्रव्यओ न भावओ, एगा भावओ न द्रव्यओ, अण्णा ण द्रव्यओ न भावओ, ………”^२

१. पुष्पार्चिदपुण्य—पनु० नाथराम प्रेमी, पृष्ठ ३१, सूत्र ४३.

२. दशवैकालिकचूणि—बिनदासगणि, प्रथम अध्ययन, पृ० २०.

बर्थात् मन, वचन, काय के तुष्ट्रयोग से जो प्राणहनन होता है, वही हिंसा है। इसके बार भंग हैं—

१. भावरूप में और द्रव्यरूप में,
२. भावरूप में पर द्रव्यरूप में नहीं,
३. भावरूप में नहीं किन्तु द्रव्यरूप में और
४. न भावरूप में और न द्रव्यरूप में।

जैसे कोई व्यक्ति सर्प को मारने के उद्देश्य से ढंडा लेता है और सर्प को मार डालता है, यह हिंसा के भावरूप और द्रव्यरूप हुए। क्योंकि यहाँ पर मारनेवाले के मन में सर्प को मारने का भाव आया और उसने उसे ढंडे से मार भी डाला। यदि व्यक्ति ने सर्प को मारने के लिए ढंडा उठाया और सौंप भाग गया अर्थात् सर्प का प्राणधात वह नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति में भावहिंसा तो हुई किन्तु द्रव्यहिंसा नहीं हुई। संयोगवश यदि एक व्यक्ति पुआल से अन्न को अलग करने के लिए कटे हुए धान के पौधों को पीट रहा हो और उस पीटने के सिलसिले में पौधों के नीचे बैठा हुआ सर्प अनजाने चोट खाकर मर जाये तो यहाँ पर भावहिंसा नहीं किन्तु द्रव्यहिंसा हुई। धान पीटनेवाले व्यक्ति के मन में सर्प को मारने की कोई भी भावना नहीं थी। लेकिन किसी सर्प को देखकर यदि एक व्यक्ति यह सोचकर कि यह भी एक जीव है, जो स्वच्छन्द विचर रहा है, न उसे मारने को सोचता है और न मारता ही है तो यहाँ न भावहिंसा हुई और न द्रव्यहिंसा ही। प्रवचनसार में हेमराज पांडेय ने इसके अध्याय ३ गाथा १६ की व्याख्या करते हुए हिंसा के दो रूप—अंतरंग और बहिरंग बताये हैं। ज्ञानप्राण का धात करनेवाली अशुद्धोपयोग रूप प्रवत्ति अंतरंग हिंसा है और बाह्य जीव का धात करनेवाली बहिरंग हिंसा है।

सूत्रकृतांग, उपासकदसांग आदि में हिंसा की परिभाषा नहीं मिलती किन्तु अहिंसा-सम्बन्धी जो चर्चाएँ हुई हैं, उनसे यह मालूम हो जाता है कि हिंसा के कौन-कौन से रूप होते हैं। सूत्र-कृतांग के प्रथम खण्ड में हिंसा का निषेध करते हुए “तिविहेण”

शब्द का प्रयोग हुआ है।^१ “तिविहेण”—त्रिविषेन यानी तीन विषयों से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सामान्य तौर से व्याख्याकारों ने इन तीन विषयों को मन, वचन और काय माना है। उपासकदर्शांग में—मनसा, वचसा, कायसा का स्पष्ट ही प्रयोग हुआ है।^२ मन, वचन और काय से हिंसा का विषेष करना यह साधित करता है कि मन, वचन और काय से हिंसा होती है, अर्थात् हिंसा के भाव रूप और द्रव्य रूप होते हैं। कुछ जैन विचारकों ने हिंसा को दूसरी तरह से भी विभाजित किया है तथा चार रूप दिखाये हैं—

१. संकल्पी—सौन्च-विचार कर पहले से मारने का उद्देश्य बनाकर किसी के प्राण का हनन करना।

२. आरंभी—चौके-चूल्हे के काम में यानी भोजनादि तंयार करने में जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कहते हैं।

३. उद्योगी—खेती-बारी, उद्योग आदि करने में जो प्राणातिपात होता है।

४. विरोधी—समाज, राष्ट्र आदि पर हुए शत्रुओं या अत्याचारियों के आक्रमण का विरोध करने में जो हिंसा होती है, उसे विरोधी हिंसा कहते हैं।^३

हिंसा की उत्पत्ति एवं भेद :

हिंसा की उत्पत्ति कषायों के कारण होती है। ये कषाय चार होते हैं—क्रोध, मान, माया, लोभ। इन्हीं कषायों के कारण संरंभ, समारंभ तथा आरभ हिंसा होती है। हिंसा करने का जो विचार मन में आता है, उसे संरभ कहते हैं; हिंसा करने के लिए जो उपक्रम होते हैं उन्हें समारभ कहते हैं; और प्राणघात तक की क्रियाओं को आरम्भ कहा जाता है। इस प्रकार चार कषाय तथा संरंभ आदि तीन से हिंसा के बारह भेद हो जाते हैं। चूंकि हिंसा मन,

१. सूत्रकृतांग, प्रथम खण्ड, तृतीय अध्ययन, उद्देशक ३, गाया १३, १६.

२. उपासकदर्शांग, द्वितीय खण्ड, प्रथम अध्याय, गाया १३.

३. अहिंसा वर्णन—उपाध्याय अमरसूति, सं० ५० शोभाचन्द्र मारिल्ला, पृष्ठ १०१.

वचन और काय से होती है, जैसा कि हमलोगों ने पहले ही देखा है तो पहले के बारह भेद के भी तीन-तीन भेद हो जायेंगे। अर्थात् $12 \times 3 = 36$ भेद हुए। किन्तु मन, वचन और काय जिन्हें तीन योग माना जाता है, के भी तीन-तीन भेद होते हैं—हिंसा स्वयं करना, अन्य व्यक्ति से करवाना तथा हिंसा करनेवाले का अनु-मोदन करना। ये तीन 'करण' कहलाते हैं। इस प्रकार पहले के ३६ और तीन करण के गुण से हिंसा के १०८ भेद माने जाते हैं।^१

हिंसा के विभिन्न नाम :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के निम्नलिखित ३० नाम बताये गये हैं—^२

१. पाणवहं—प्राणवधः—जीवघातः अर्थात् जीवों का घात करना।
२. उम्मूलणा सरीरओ—उन्मूलना शरीरतः—शरीर से वृक्ष को उखाड़ने की तरह जीव की उन्मूलना।
३. अवीसभो—अविश्रम्भः—अविश्वास, प्राणघात करने में जीव के प्रति विश्वास नहीं होता।
४. हिंसविहिंसा—हिंस्यविहिंसा—प्राणियों के प्राणों का विनाश।
५. अकिञ्चं—अकृत्य—अकरणीय।
६. घायणा—घातना—घात करना।
७. मारणा—मारण अर्थात् मृत्यु का हेतु।
८. वहणा—हननम्—वध, हनन।
९. उद्वणा—उपद्रवणम्—उपद्रव।
१०. निवायणा—निपातना—त्रिपातना—त्रयाणा मनोवाककायाना अथवा देहयुक्तेन्द्रियाणा जीवस्य पातना—मन, वचन, काया इन तीनों से अथवा शरीर, आःयु और इन्द्रिय इन तीनों से जीव को रहित करना।
११. आरभसमारभो—आरभसमारंभ।

१. अहिंसा-दर्शन, पृष्ठ १३५-१३६.

२. प्रश्नव्याकरण, प्रथम श्रुतस्कन्ध (शाश्वतद्वारा), अध्ययन १, सूत्र २.

१२. आउयकम्मसुवद्वो भेदा णिट्ठण गालणा य संबट्टण
संखेवो—आयुकम्म का उपद्रव, भेद, निष्ठापन, गालना
(गलाना), संप्रवतंक, संक्षेप ।
१३. मच्चू—मृत्यु ।
१४. असंजमो—असंयम ।
१५. कठगमह्न—कठकमह्न—कठकेन सेन्येन कलिजेन आक्रम्य
मह्न कठकमह्न ।
१६. वोरमण—व्युपरमण—प्राण को शरीर से अलग कर देना ।
१७. परभवसंकामकारओ—परभवसंकारमणकारकः—परभव यानी
नरक-नियोदादि चतुर्गंति संसार में परिभ्रमण कराने वाली ।
१८. दुर्गतिप्रवाओ—दुर्गतिप्रपातः—नरकादि दुर्गतियों में गिराने
वाली ।
१९. पावकोवो—पापकोपश्च—पापकोप अर्थात् पाप प्रकृतियों को
पोषण करनेवाली अथवा पाप और कोपरूप ।
२०. पावलोभो—पापलोभश्च—पापागमनद्वारलक्षण—पाप को लाने
वाली ।
२१. छविलेओ—छविच्छेद—प्राणियों के शरीर का छेदन करनेवाली ।
२२. जीवियंतकरणो—जीवितान्तकरणः—जीवन का अन्त करने
वाली ।
२३. भयंकरो—भयदायकः—भयंकर ।
२४. अणकरो—ऋणकरः—पापरूपी ऋण को करनेवाली ।
२५. वज्जो—वज्यः त्याज्यः, वज्जमिव वज्जं गुरुत्वात् महामोह-
हेतुत्वात्—विवेकी पुरुषों द्वारा वजित अथवा वज्ज-सा भारी,
महामोह का कारण ।
२६. परितावणअण्हओ—परितापनाश्रवः—परितापनारूप आश्रव,
प्राणियों को ताप देनेवाला आश्रय ।
२७. विणासो—विनाशः—विनाश ।
२८. निजवणो—निर्यापिना—शरीर से प्राण को पृथक् करनेवाली ।
२९. लुपणा—लोपना—प्राणी के प्राण का लोप करना ।
३०. गुणाणं विराहण—गुणानां विराधना—ज्ञान, दर्शन, चारित्र
आदि जीव के गुणों की विराधना ।

हिंसा के विविध रूप :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में ही हिंसा के विविध रूपों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो निम्न प्रकार से हैं—^१

१. पावो—पापः—पाप प्रकृतियों के बन्ध का कारण होने से पापरूप ।
२. चंडो—चण्डः—क्रोध का प्रचण्ड रूप होने के कारण चण्ड कहलाती है ।
३. रुदो—रौद्रः—रौद्ररूप से परिवर्तित होने की वजह से रौद्ररूप ।
४. खुदो—क्षदः—क्षुद्रजन द्वारा आचरित अथवा द्रोहकारी ।
५. साहसिओ—साहसिकः—अविचारशील व्यक्तियों के द्वारा किये जाने के कारण अथवा सहसा किये जाने के कारण साहसिक रूप ।
६. अणायरिओ—अनार्य—अनार्य जनों के द्वारा विहृत होने के कारण अनार्य रूप ।
७. णिगिधणो—निघृणः—कहणा पापजुगुप्ता इति—निर्दया अर्थात् दवारहित व्यक्तियों के द्वारा सेवित होने के कारण यह निर्दया रूप हुई ।
८. णिस्ससो—नृशस—कूर ।
९. महब्भओ—महाभय—महाभय को देनेवाली ।
१०. पइभओ—प्रतिभयः—प्रतिप्राणी को भय देनेवाली ।
११. अतिभओ—अतिभयः—मरणान्त भयजनक होने के कारण अतिभय ।
१२. बीहणओ—चित्त को उद्वेग पहुचानेवाली या भयोत्पादक ।
१३. तासणओ—त्रासनकः—त्रासनक, अकस्मात् भय देनेवाली ।
१४. अणज्जो—अन्यायः—अन्यायरूप अथवा अनार्य द्वारा आचरित ।
१५. उद्वेयणओ—उद्वेगजनक, चित्त में विप्लव पैदा करनेवाली ।
१६. णिरवयक्षो—निरपेक्ष—दूसरे प्राणियों के प्राण की उपेक्षा करनेवाली ।

^१. प्रश्नव्याकरण, प्रथम श्रुतस्कन्ध (आश्रवद्वार), प्रथम अध्ययन, सूत्र १.

१७. णिद्वमो—निर्धर्म—श्रुतचारित्र रूप धर्म से वर्जित ।
१८. णिष्पिवासो—निष्पिष्पासः—प्राणियों के प्रति स्नेहरहित ।
१९. णिष्कलुणो—निष्कर्षण—दया भाव से रहित ।
२०. निरयवासानिधनगमो—निरयवासनिधनगमः—निरयवास, नरकवास ही जिसका अन्तिम फल है ।
२१. मोहमहब्भयपयट्टओ—मोहमहाभयप्रवर्तकः—मोह अज्ञानरूप महाभय को देनेवाली ।
२२. मरणवैमणस्सो—मरणवैमनस्य—मृत्यु का कारण होने से प्राणियों में दीनता आती है अतः यह मरण वैमनस्य रूप है ।

स्वाहिता और पर्वहिता :

हिता करने से प्रायः समझा जाता है दूसरों को पीड़ा पहुँचना । एक व्यक्ति क्रोधित होकर दूसरे को मारता है तो निश्चित ही उसे कष्ट पहुँचता है जिसे मार पड़ती है । मार खानेवाले व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुँचती है और इसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है । इस प्रकार वह शारीरिक कष्ट पाने के साथ-साथ मानसिक पीड़ा भी पाता है । और उस पक्ष को जो दूसरे को मारने वाला होता है, सभी कष्टों से मुक्त समझा जाता है । यानी दूसरे को मारने में मारनेवाले को कोई कष्ट नहीं होता ।

किन्तु ऐसा सोचना सर्वथा गलत है । जब व्यक्ति के मन में कथाय का जागरण होता है तब वह क्रोधित होता है और दूसरे को मारता-पीटता है, गालियाँ देता है । ऐसी स्थिति में उसके मन और तन दोनों में ही विकृति आ जाती है । उसके मन की शान्ति लुट जाती है, वह तरह-तरह की योजनाएँ बनाता है और शारीर में तो तनाव आ ही जाती है । फिर वह दूसरों को कष्ट पहुँचाता है । इन दोनों ही स्थितियों में से प्रथम तो मारने वाले का आत्मघात करती है और दूसरी परघात करती है । तात्पर्य यह कि क्रोधादि मानसिक विकार से पहले मारनेवाले की आत्मा का घात होता है और बाद में वह दूसरों को कष्ट पहुँचाता है । इन दोनों स्थितियों के लिए ही स्वाहिता तथा पर्वहिता का प्रयोग होता है अर्थात्

क्रोधादि से सर्वप्रथम अपना आत्मघात होता है। फिर परघात या परहिंसा होती है।¹

षट्कायों की हिंसा :

आचारांग सूत्र के 'शस्त्रपरिज्ञा' अध्ययन में षट्कायों की हिंसा का वर्णन मिलता है—

पृथ्वीकाय—विषय-कषायादि क्लेशों से पीड़ित, ज्ञान-विवेक से रहित दुलंभबोधि प्राणी इन व्यष्टित, पीड़ित एवं दुःखित पृथ्वी-कायिक जीवों को खान खोदने आदि अनेक तरह के कायों के लिए परिताप देते हैं, उन्हें विशेष रूप से सतप्त करते हैं, दुःख एवं सक्लेश पहुँचाते हैं। . . . कुछ विचारक अपने आपको अनगार, त्यागी एवं जीवों के संरक्षक होने का दावा करते हुए भी अनेक तरह के शस्त्रास्त्रों से पृथ्वीकाय का आरम्भ-समारम्भ करके जीवों की हिंसा करते हैं। आरम्भ-समारम्भ एवं पृथ्वी के शस्त्र से वे पृथ्वीकाय के जीवों का ही नहीं अपितु इसके आश्रय से रहे हुए पानी, बनस्पति, द्विन्द्रिय-त्रीन्द्रिय आदि जीवों का भी घात करते हैं। . . . कुछ लोग इस जीवन के लिए, प्रशसा पाने के हेतु, मान-सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा की अभिलाषा से जन्म-मरण से छुटकारा पाने तथा दुःखों का उन्मूलन करने की अभिलाषा रखते हुए पृथ्वीकाय के जीवों का घात करनेवाले शस्त्र का स्वयं प्रयोग करते हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और शस्त्र का प्रयोग करनेवाले का अनुमोदन—समर्थन करते हैं।²

१. यस्मात्सक्षायः सन् हन्त्यात्मा प्रवधमात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायते न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥ ४७ ॥

—पृथ्वार्थसिद्ध्युपाय ।

२. घटे लोए परिजुण्णे दुस्सबोहै अविजाण्णे ।

अस्स लोए पवहिए तत्व-तत्व पूढ़ो पास आतुरा परितार्वेति ॥ १४ ॥

अण्णमारमो त्ति एमे पवयमाणा जमिणा विरुव्वर्वेहि सत्येहि पुढविकम्म समारभेणुं पुढविसत्यं समारभेमाणा पण्णे परुगस्वे पाणे विहिसह ॥ १५ ॥

बोवियस्स परिवण, माणुण, पूपणाए, जाइ-मरणमोवणाए, दुक्ख-

अप्काय—जो व्यक्ति अज्ञानी तथा प्रमादशसित होता है वह प्रशंसा, मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा, जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा पाने के लिए तथा जीवन की अनेक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अप्कायिक प्राणियों का स्वयं आरम्भ-समारम्भ करता है, दूसरों से कराता है तथा उन व्यक्तियों की प्रशंसा करता है वा अनुमोदन करता है, जो अप्कायिक प्राणियों का आरम्भ-समारम्भ करते हैं। भगवान् महावीर ने माना है कि अप्काय में अप्काय जीवों के पिण्ड होते हैं। इन्होंने अप्काय—जल को सजीव मानते हुए यह भी कहा है कि उसमें द्वीन्द्रिय आदि जीव भी रहते हैं।

अग्निकाय—‘.....भगवान् ने परिज्ञा—विशिष्ट ज्ञान से यह प्रतिपादन किया है कि प्रमादी जीव इस क्षणिक जीवन के लिए प्रशंसा, मान-सम्मान एव पूजा पाने के हेतु, जन्म-मरण से छुटकारा पाने की अभिलाषा से, तथा शारीरिक एव मानसिक दुखों के विनाशार्थ स्वयं अग्नि का आरम्भ करते हैं, दूसरे व्यक्ति से कराते हैं और करनेवाले को अच्छा समझते हैं।’..... यह अग्नि समारंभ अष्ट कर्मों की गौठ है, यह मूह का कारण है। यह मृत्यु का कारण है और यह नरक का भी कारण है। फिर भी विषय-मोगों में मूर्च्छित—आसक्त व्यक्ति अग्निकाय के समारम्भ से निवृत्त नहीं होता। वह प्रस्त्यक्ष रूप से विभिन्न शस्त्रों के द्वारा अग्निकायिक जीवों की

पदिष्याय हैउं से सथमेव पुढिसत्यं समारंभइ, अण्णोहि वा पुढिसत्यं समारंभावेह, अण्णो वा पुढिसत्यं समारंभते समण्णाणाह ॥१६॥
आचाराग सूत्र—आत्मारामजी, प्र० श्रुतस्कंष, प्र० अध्ययन, उद्देशक २,
पृष्ठ ७३-७४, ७७-७८, ८२-८३.

१. तत्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता हमस्स चेव जीवियस्स परिवदण-
माणुण-पूयणाए-जाइ-मरण नौवणाए दुक्ष पदिष्याय हैउं से सथमेव
उदयसत्यं समारंभति, अण्णोहि वा उदयसत्यं समारंभावेति, अण्णो उदय-
सत्यं समारंभते समण्णाणाणति । - ॥२४॥

इह च ललु भो । अण्णाणारण उदय जीवा वियाहिया ॥२५॥

सत्यं चेत्यं अण्णोहि पासा, पुढी सत्यं पवेहयं ॥२६॥

आचाराग—आत्मारामजी, प्र० श्र०, प्र० अ०, उद्द० ३.

हिंसा करता हुआ अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करता है।अग्निकाय के आरम्भ में विभिन्न जीवों की हिंसा होती है,पृथ्वी के आश्रय में तथा तृण, काष्ठ, गोबर, कूड़ा-करकट के आश्रय में निवसित विभिन्न तरह के अनेक जीव और इसके अतिरिक्त आकाश में उड़नेवाले जीव-जन्तु, कीट-पतंग एवं पक्षी आदि जीव भी कभी प्रज्वलित आग में आ गिरते हैं और उसके (आग के) संस्पर्श से उनका शरीर संकुचित हो जाता है और वे मूर्छित होकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं।^१

सूत्रकृतांग में कहा है कि आग जलानेवाला पुरुष जीवों की हिंसा करता है और जो आग बुझाता है वह अग्निकाय जीवों की हिंसा करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अग्निकाय जीव का धात करने से बचे।^२

वायुकाय—इस निःसार जीवन की सुख-सुविधा, प्रशसा, तथा जन्म-मरण के कष्ट से निवारण के लिये प्रमाद के वशीभूत हुआ व्यक्ति वायुकाय जीवों का नाश करता है। जो जीव उड़ते हैं वे वायु के चक्र में आ जाने से मूर्छित होकर नीचे आ जाते हैं, उनके शरीर में संकोच आ जाता है और उनके प्राणान्त हो जाते हैं। इस प्रकार वायुकाय जीवों का आरम्भ होता है। जो इस आरम्भ से निवृत्त न हो पाते हैं वे अपरिज्ञात कहे जाते हैं और जो निवृत्त हो जाते हैं वे परिज्ञात।^३

वनस्पतिकाय—मनुष्य शरीर जिस तरह जन्म धारण करता है, बढ़ता है, चेतना धारण करता है, छेदन-भेदन से मुक्षा जाता है,

१. आचारांग सूत्र—आत्मारामजी, प्र०ष्ठ०, प्र०ष्ठ०, उद्दे० ४, सूत्र ३७-३८.

२. सूत्रकृतांग, प्रध्ययन ७, सूत्र ५-७.

३. तत्त्व खलु भगवया परिणाम पवैश्या, इमस्स नेव जीवियस्स परिवदण्ण-माण्णणपूर्यणाए-जाईमरण्णमोयणाए दुक्खपठिवायहेऽ से सयमेव वाउसत्यं समारंभति, अण्णोहि वा वाऊसत्यं समारंभेति, अण्णो वाऊसत्यं समारंभते समणुजाण्णति, तं ॥५६॥ आचारांग, प्र०ष्ठ०, उद्दे० ७, सूत्र ५६ तथा ६०.

आहार ग्रहण करता है, परिवर्तनशील, चय-उपचय वाला, तथा अनित्य एवं अशाश्वत है ठीक उसी तरह वनस्पतिकाय का शरीर भी होता है यानी वनस्पतिकाय भी इन सभी गुणों को व्याख्या करनेवाला होता है। किन्तु प्रमादवश व्यक्ति अपने मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा, अन्य सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी हिंसा विभिन्न रूपों में करता है, कराता है तथा करनेवाले का अनुमोदन करता है।^१

त्रसकाय—विषयकषायादि के वशीभूत आत्म एवं अस्वस्थ चित्तवाले व्यक्ति अपने अनेक प्रकार के स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त विभिन्न त्रसकाय जीवों को कष्ट पहुँचाते हैं। त्रसजीव पृथ्वी, पानी, वायु के अधिकृत सभी स्थानों पर पाये जाते हैं। प्रमादी जीव पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, विभिन्न दुःखों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से त्रसकाय जीवों की हिंसा करते हैं, दूसरे से कराते हैं और करनेवालों का अनुमोदन भी करते हैं।^२

'इस समार में अनेक जीव देवी-देवताओं की पूजा के लिए, कई चर्म के लिए या मांस, खून, हृदय, पित, चरबी, पंख, पूँछ, केश, शृग-सींग, विषाण, दन्त, दाढ़, नाखून, स्नायु, अस्थि, मज्जा, आदि पदार्थों के लिए, प्रयोजन या निप्प्रयोजन से अनेक प्राणियों का वध करते हैं, कुछ व्यक्ति इस दृष्टि से भी सिह, सर्प आदि जन्मुओं का वध करते हैं कि उन्होने मेरे स्वजन स्नेहियों को मारा है, यह मुझे मारता है तथा भविष्य में मारेगा।'^३

१. आचाराग सूत्र—आत्मारामजी, प्र०शु०, प्र०प्र०, उ० ५, सूत्र ४६; तथा "से बेमि इमपि जाइष्मयं, एयंपि जाइष्मयं, इमपि बुद्धिष्मयं, एयंपि बुद्धिष्मयं, इमंपि चित्तमतयं, एयंपि चित्तमतयं इमंपि छिण-मिलाइ, एयंपि छिणएं मिलाइ, इमपि आहारं, एयंपि आहारग, इमपि आणिच्चयं, एयंपि आणिच्चयं, इमपि असासय एयंपि असासय, इमंपि चमोवचइयं एयंपि चमोवचइयं, इमपि विपरिणामघमयं, एयंपि विपरिणामघमयं ॥४७॥ वही, सू० ४७.

२. आचारांग सूत्र, प्र०शु०, प्र०प्र०, उद्द० ६, सूत्र ५१-५३.

३. वही, सूत्र ४५.

आचारांग के अलावा सूत्रकृतांग,^१ प्रश्नव्याकरण सूत्र,^२ दशवैकालिक सूत्र^३, प्रबचनसार^४ मूलाचार^५ आदि में षट्कायों की हिंसा की चर्चाएँ मिलती हैं।

हिंसा के विभिन्न कारण :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के निम्नलिखित कारणों के उल्लेख हैं—^६

पृष्ठ्वीकाय—करिसण—कृषि, पृष्ठी को जोतना; पोक्खरणी—पुष्टकरणी यानी तालाब; वावि—वापी, वावडी, वध्यणि—क्यारी, नाली; कूव—कूप; सर—सरोवर; तलाग—तालाब या तड़ाग; चिह—दीवाल के निमित्त; वेहय—वेदी; खाइय—खाई; आराम—आराम के निमित्त या बगीचा; विहार—मठ, थूभ—स्तूप; पागार—प्राकार, कोट के निमित्त; द्वार—द्वार के निमित्त; गोउर—गोपुर; अट्टालग—अटारी, चरिया—चरिका नगर और कोट के बीच का मार्ग; सेतु—पुल; सकम—ऊँची-नीची भूमि को पार करने का मार्ग; पासाय—प्रासाद, राजमहल; विकर्ष—विकर्ष, एक प्रकार का राजमहल; भवण—भवन; घर—गृह; सरण—सामान्य, तृण आदि का मकान; लेण—पर्वतवर्ती पाषाणगृह, पर्वत काटकर बनाये जानेवाले मकान; आवण—दुकान; चेहय—चैत्य के निमित्त; देवकुल—देवालय; चित्तसभा—चित्रसभा; पवा—प्याऊ; आयतन—यज्ञशाला, देवस्थान; आवसह—अवसथ—तापसों के आश्रम, मठ; भूमिघर—भूमिगृह; मंडवाण—मण्डप; तथा भायण—भडोवगरणस्स अट्ठाय—मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बत्तियों के लिए अज्ञानी जीव पृष्ठ्वीकाय जीव का घात करते हैं।

१. सूत्रकृतांग, द्वितीय खण्ड, अध्ययन ७, सूत्र १, २, ३, ८, १०, १६, १८.

२. प्रश्नव्याकरण सूत्र, प्र०थ०, आश्रवद्वार, अध्ययन १.

३. दशवैकालिक सूत्र, चतुर्थ अध्ययन, षट्जीवनिकाय ।

४. प्रबचनसार, अध्याय ३, गाणा ४६.

५. मूलाचार, पंचाचारधिकार, गाणा २०५-२२५.

६. प्रश्नव्याकरण सूत्र, प्र०थ०, आश्रवद्वार, अध्याय १.

अप्काय—मजजण—स्नान; पाण—पान; भोयण—भोजन बनाना; वत्थघोवण—कपड़े घोना तथा सोयमहएहिं—शौच आदि कायी में अप्काय की हिंसा होती है।

अग्निकाय—पयण—भोजन पकाना; पयावण—पकवाना, जलावण—जलाना और विदंसणेहिं—प्रकाश के लिए।

बायुकाय—सुप्प—सूप से अन्नादि साफ करना; वियण—हवा करना पखे से; तालपट—ताल के पंखे से; पेहुण—मोर के पंख से; मुह—मुख; करयल—हाथ; सागपत्त—शाकवृक्ष के पत्ते से और वत्थमाइहिं—वस्त्रादि से बायु के जीवों की हिंसा होती है।

बनस्पतिकाय—अगार—घर बनाना; पटियार—खेती या बगीचे की रक्खा के लिए बाड़ बनाना, या परिचार—जीविका; भक्खभोयण—खाने के लिए भोजन आदि बनाना; सयण—शयन; आसण—आसन; फलग—फलक—काठनिमितवस्तु; मूसल—धान कूटने का मूसल; उक्खल—ऊखल; तत—बीणा; वितत—वितत—नगारा आदि; आतोज्ज—आतोद्य, ढोल आदि; वहण—वहन—पोत, नौका आदि यान पात्र; मंडव—मण्डप; विहि भवण—विविध भवन; तोरण—तोरण; विटंग—विटंक—कबूतर रखना; देवकुल—देवस्थान; जालय—झरोखा; अद्वचंद—अद्वचन्द्रकार की बारी, सोपान विशेष; णिज्जूहग—निर्यूहक—द्वार के उद्धवंभाग में बाहर की ओर लगे हुए घोड़ा आदि के आकार का काष्ठ विशेष; चदसालिय—चन्द्रशाला—प्रासाद के ऊपर की शाला; वेतिय (वैइय)—वेदिका; णिस्सेणि—निःश्रेणी—निसेनी—सीढ़ी; दोणि—छोटी नौका; चंगेरी—तृणादि से बना हुआ पात्र; खील—कील—खूटी; मेढक—खम्भा; सभा—सभा; पवा—प्रपा—प्याऊ; आवसह—आवसथ—मठ—तापसाश्रम; गंध—गंध; मल्ल—मालादि, अनुलेवण—अनुलेपन चंदनआदि, अबर—अम्बर—वस्त्र; वरयुग, युग—झूसरा—जुवारी; णगल—लांगल—हल या हल की कील, मेइय—मेतिक—मेड़ा, वरवर—जोते गये खेत की मिट्टी को बराबर करने के निमित्त बनी हुई पटिया; कुलिय—कूलिक—हल विशेष—बीज बोने के लिए हल में बैंधी हुई नली। संदण-स्यदन—एक प्रकार का रथ; सीया—शिविका—पालकी; रह—रथ; सगड़—शक्ट—गाड़ी; यान—वाहन; जोग—

युग—छोटी गाड़ी, जम्पान विशेष; अट्टालग—अट्टालक—
अट्टालिका; चरिका—नगर और कोट के मध्य का मार्ग; द्वार—द्वार;
गोडर—गोपुर—नगर का बड़ा दरवाजा; फलिहा—परिघा; आलग—
आंगला बेड़ा; जत—यंत्र—यानी पानी आदि निकालने के लिए बना
हुआ अरब्धघट आदि; शूलिया—शूलिका—शूलारोपण काठ; लउड—
लगुड़—लकुट, लाठी; मुसड़ि—मुसडी—शस्त्र विशेष (बन्दूक);
सयग्नी—शतघ्नी—शस्त्र विशेष जिससे एक ही बार में सौ व्यक्ति
मारे जा सकते हैं (तोप आदि); बहुपहरण—अनेक प्रहरण—बहुत
प्रकार के शस्त्रादि—खग, तोमर, तीर आदि; वरणवस्तुण्णकए—
विभिन्न प्रकार के गृह-उपकरण आदि। इस प्रकार के अनेक कारणों
से प्रमादी तथा अज्ञानी लोग वनस्पतिकाय जीवों की हिंसा करते हैं।

त्रसकाय—जो महामूर्ख हैं तथा दयाहीन भी हैं, वे ऊपर कथित
तथा अन्य प्रकारों से जीव को मारते हैं। वे क्रोध, मान, माया,
लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, वैदिक क्रियाओं के अनुष्ठान के
लिए, जीवन, काम, अर्थ, धर्म आदि के लिए स्वतन्त्र, परतत्र,
प्रयोजनवश, निष्प्रयोजन विभिन्न अवस्थाओं में एव विभिन्न
प्रकारों से त्रस तथा स्थावर प्राणियों का धात करते हैं।

हिंसा के स्तर :

हिंसा होती है, इसमें तीन चीजे प्रधान समझी जाती हैं—१.
हिंस्य यानी जिसकी हिंसा होती है, २. हिंसक जो हिंसा करता है
और ३. हिंसा होने के कारण। अतः इन तीनों पर विचार करने से
यह सही-सही जाना जा सकता है कि हिंसा के स्तर भी होते हैं
अथवा नहीं।

हिंसा किसी जीव की होती है। जैन दूषिकोण से जीव छः
प्रकार के होते हैं : पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय,
वायुकाय और त्रसकाय। चूँकि जीव सभी में है, अतः किसी की
भी हिंसा हो, चाहे वह पृथ्वीकाय या वनस्पतिकाय या त्रसकाय
हो हिंसा बराबर ही होगी, ऐसा मत तेरहपूर्थी श्वेताम्बर मतानु-
यायियों का है। किन्तु जीव सभी बराबर हैं ऐसा नहीं कहा जा
सकता। क्योंकि एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जीव होते हैं।

इसका मतलब यह कि एकेन्द्रिय जीव से द्वीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय से चतुरन्द्रिय तथा चतुरन्द्रिय से पचेन्द्रिय जीव अधिक चेतना तथा अधिक विकसित होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सभी जीवों को बराबर-बराबर इन्द्रियाँ ही प्राप्त होतीं। किन्तु बात ऐसी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवों में अन्तर है और जब जीवों में अन्तर है तो उनकी हिसा में भी अन्तर होगा ही।

सूत्रकृताग में हस्तितापसों की चर्चा है। जब आद्रंकुमार महावीर से मिलने को प्रस्थान करते हैं तो राह में अनेक मत वाले मिलते हैं और अपने-अपने मतों की प्रधानता दिखाते हैं; उसी सिलसिले में हस्तितापस भी आते हैं और कहते हैं—

“…… बुद्धिमान् मनुष्यों को सदा अल्पत्व और बहुत्व का विचार करना चाहिये। जो कन्दमूल, फल आदि को खाकर अपना निर्वाह करनेवाले तापस हैं, वे बहुत से स्थावर प्राणियों को तथा उनके आश्रित अनेक जगम प्राणियों का नाश करते हैं। गुलर आदि फलों में बहुत से जगम आदि प्राणी निवास करते हैं। इसलिये गुलर आदि फलों को खानेवाले तापस उन अनेक जगम जीवों का विनाश करते हैं। तथा जो लोग भिक्षा से अपनी जीविका चलाते हैं वे भी भिक्षा के लिए इधर-उधर जाते-आते समय अनेक कीड़ी आदि प्राणियों का मर्दन करते हैं तथा भिक्षा की कामना से उनका चित भी दूषित हो जाता है। अतः हम लोग वर्षभर में एक महान् हाथी को मारकर उसके मास से वर्ष भर अपना निर्वाह करते हैं और शेष जीवों की रक्षा करते हैं। अतः हमारा धर्म आचरण करने से अनेक प्राणियों की रक्षा और एक प्राणी का विनाश होता है इसलिए यह धर्म सबसे श्रेष्ठ है”^१

यदि हिसा का स्तर हिसित जीवों की संख्या पर निर्भार होता तो एक व्यक्ति जो दो-चार ईख तोड़कर चूस डालता है वह और

१. सबच्छरेण्यिय एशमणि, वाणेण मारेत महागयं तु।

सेसाणु जीवाणु दयट्ठयाए, वासं वयं वित्ति पकप्ययामो ॥ ५२ ॥

सूत्रकृतांग (स० अम्बिकादत्तजी ओझा), द्वितीय श्रुतस्कन्ध, वर्ष प्रथम, पृ० ३७२-३७३.

दूसरा व्यक्ति जो एक आदमी की हत्या कर देता है, बराबर समझा जाता, बल्कि इस तोड़नेवाला ही अधिक अपराधी समझा जाता क्योंकि वह चार इस तोड़ता है और आदमी की हत्या करनेवाला सिफं एक ही व्यक्ति यानी एक ही जीव की हिंसा करता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि इस उखाड़नेवाले के बजाय आदमी की हत्या करनेवाला कम दोषी ठहराया गया हो।

हिंसा भावप्रधान है, यद्यपि हिंसा के प्रधानतौर से दो रूप माने गये हैं—भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। अथवा हिंसक की भावना के आधार पर यह जाना जाता है कि हिंसक कहाँ तक दोषी है अथवा निर्दोष। और यह भी सर्वविदित है कि हिंसा की मूलभित्ति कषाय है—क्रोध, लोभ, मान, माया। कषाय के होने से ही हिंसा होती है और न होने से हिंसा नहीं होती है। कषाय की मात्रा जितना ही अधिक होगी हिंसा का स्तर उतना ही ऊँचा होगा और कषाय की मात्रा जितनी ही कम होगी हिंसा का स्तर उतना ही नीचा होगा।

इस प्रकार हिंसा के स्तर को निर्धारित करने के दो साधन हुए—जीव का आपसी अन्तर तथा कषाय की मात्रा। किसी एकेन्द्रिय जीव की हत्या होती है तो हत्या के समय उस जीव की ओर से न किसी प्रकार की दुखद भावना व्यक्त होती है और न कोई प्रतिकार ही होता है। अतः उसकी हत्या में हत्यारे वा हिंसक के मन में कोई विशेष प्रमाद नहीं आता। किन्तु जैसे-जैसे एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय की ओर बढ़ते हैं वैसे-वैसे हिंसक के मन में पैदा होनेवाले कषायों की मात्रा बढ़ती जाती है। यदि किसी पचेन्द्रिय की हत्या करना कोई चाहता है तो वह जीव बचने का प्रयास करता है, हत्या करनेवाले को भी मारना चाहता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, चिघाड़ता है, अतएव मारनेवाले को उस जीव की हत्या करने के लिए अपने दिल को अधिक कठोर बनाना पड़ता है, अधिक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी बात एकेन्द्रिय जीव की हत्या में नहीं होती। इसका ज्वलन्त उदाहरण हमें नेमिनाथ (बाईसवें तीर्थंड्कुर) के जीवनचरित्र में मिलता है। जब नेमिनाथ की शादी हुई, बारात प्रस्थान के पहले उन्हें सभी औषधियों से मिले

हुए जल से स्नान कराया गया^१ और काफी सजधज के साथ बारात ने प्रस्थान किया। किन्तु प्रस्थान के समय ही उन्होंने बाड़ों और पिंजरों में बन्द भयाकुल तथा दुःखित पशु-पक्षियों का आरंभाद सुना और पूछने पर सारथि से उन्हें जात हुआ कि वे पशु-पक्षी इसलिये बाड़ों में बन्द थे कि उनकी शादी की खुशी में उन सबों को मारकर उनके कुटुम्बियों तथा मित्रों को मास भक्षण कराया जाएगा। यह बात नेमिनाथ के हृदय को छु गयी और उन्होंने सभी पशु-पक्षियों को बाड़ों से निकलवा कर स्वतंत्र कर दिया और अपनी शादी रोक दी तथा घरबार त्याग कर सीधे जंगल की ओर चल पड़े।^२ जिस समय नेमिनाथ को विभिन्न औषधियों से मिश्रित जल से स्नान कराया गया, उस समय निश्चित ही असर्ण अप्काय जीवों तथा अन्य छोटे-छोटे जीवों की हिंसा हुई होगी किन्तु उन्होंने स्नान कर्म को रोका नहीं और न कहणाजनक कोई बात ही कही। लेकिन बाड़ों में बन्द पशुओं को देखकर उनके मन में कहणा की एक धारा-सी वह चली और आरंभाद करते हुए सभी पशु-पक्षियों को बाड़ों एवं पिंजरों से मुक्त करवा दिया और स्वयं मुनि धर्म अपना लिया। इसका कारण और कुछ नहीं कहा जा सकता सिर्फ इसके कि पचेन्द्रिय पशुओं की छटपटाहट, कहणकर्नदन आदि से ये प्रभावित हुए और एकेन्द्रिय अप्काय जीवों का विनाश उन पर कोई प्रभाव नहीं ढाल

१. सबोसहीहि एहिमो, कयकोडयमंगलो ।

दिव्वजुपसपरिहिमो, आभरणेहि विभूसिमो ॥ ६ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन २२.

२. ग्रह सो तत्य निजंतो दिस्स पाणे भयदृदुए ।

बाडहि पंचरेहि च, सन्निहृदे सुङ्गित्सए ॥ १४ ॥

ग्रह सारही तथो भणाइ, एए भद्रा उ पाणिणो ।

तुज्जं विवाहकञ्जमि, भोयावेउं वहूं जणं ॥ १७ ॥

सोक्तुं तस्स वयणं, बहूपाणिविणासणं ।

चितेह से महापने, साणुक्कोसे जिएहिउ ॥ १८ ॥

वह मज्ज कारणा एए, हम्मंति सुबहू जिया ।

न वे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥ १९ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १२.

सका। इससे साफ जाहिर होता है कि पंचेन्द्रिय की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा और चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय एवं एकेन्द्रिय की हिंसा क्रम से छोटी हिंसाएँ हैं। इसीलिये त्रसकाय की हिंसा का सर्वप्रथम निषेध किया जाता है।

सूत्रकृतांग में उदक पेढालपुत्र तथा गौतम (महावीर के शिष्य) के बीच प्रत्याख्यान-सबंधी बातलिप हुई है। प्रत्याख्यान करने वाला कहता है—“राजा आदि के अभियोग को छोड़कर (गायापति और प्रहृणविमोक्षण न्याय से) त्रस प्राणी को दण्ड देने का त्याग है।” इस प्रत्याख्यान में, जैसा कि उदक पेढालपुत्र का कथन है “त्रस” शब्द के साथ “भूत” भी रहना चाहिये, क्योंकि सिर्फ त्रस कहने से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि भूत जीव का त्रस या वर्तमान या भविष्य का। क्योंकि जो अभी त्रस है, वह हो सकता अगले जन्म में स्थावर हो जाये या जो पूर्वजन्म में स्थावर था वह इस जन्म त्रस है। अतः “भूत” शब्द को “त्रस” के साथ जोड़ देने पर यानी त्रसभूत कहने से यह बोध हो जाता है कि वर्तमान समय का ही त्रस, भूत और भविष्य का नहीं। और इससे प्रत्याख्यान का सही-सही पालन हो जाता है। किन्तु गौतम के मत में “त्रस” के साथ “भूत” का जोड़ना आवश्यक नहीं होता क्योंकि “त्रस” मात्र कहने से ही वर्तमान के त्रसजीव का बोध हो जाता है। इनके अनुसार प्रत्याख्यान करनेवाला सिर्फ वर्तमान के त्रसकाय की हिंसा का

१. आचसो । गोयमा भृत्य खलु कुमारपुत्रिया नाम समणुनिमंथा तुम्हाण पवयरणं पवयमाणा गाहावइ समणोवासगं उवसपन्नं एवं पचचक्षावेति-
णण्णुत्य अभिघोण्णु गाहावइचोरग्नहणुविमोक्षणयाए तसेहि पाण्णेहि
णिहाय दंडं, एवं एह पचचक्षंताणं दुष्पचचक्षायं भवइ, एवं एहं
पचचक्षावेमाणाणं दुष्पचचक्षावियवं भवइ, एवं ते परं पचचक्षावेमाणाण
प्रतिवरति सयं पतिष्ठणं, कस्स णंतं हेत ? ससारिया खलु पाणा यावरावि
पाण्णा तसत्ताए पच्चायंति, तसावि ।

सूत्रकृतांग (सं० अस्मिकादत्त घोषा), दूसरा श्रुतस्कन्ध, सप्तम घट्ययन,
पृष्ठ ३८५.

त्याग करता है, भूत और भविष्य के त्रसकाय प्राणियों की हिंसा का नहीं।

प्रत्याख्यान करनेवाला अभियोग यानी राजा की आज्ञा, गण की आज्ञा, गणतन्त्रात्मक राज्य की आज्ञा, बलवान की आज्ञा, माता-पिता आदि की आज्ञा तथा आजीविका के भय को छान में रखते हुए हिंसा करता है, यानी इन आज्ञाओं की वजह से यदि उसे हिंसा करनी पड़ती है तो उसका प्रत्याख्यान भग नहीं होता। इस संबंध में दूसरी बात है “गाथापतिचोर-ग्रहणविमोक्षण न्याय” जो इस प्रकार है—किसी गृहस्थ के छँटे बेटे ये और किसी जुमं के कारण छहों को राजा की ओर से मृत्यु दण्ड मिला। तब वह गृहस्थ राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने अपने वंश की रक्षा के लिए सिर्फ एक पुत्र को मारने के लिए तथा अन्य पाँच को छोड़ देने के लिए निवेदन किया। किन्तु राजा ने उसकी बात न मानी। तब उसने क्रम से चार, तीन, दो और एक को छोड़ देने के लिए कहा। अन्त में राजा ने उसके पाँच पुत्रों को तो फाँसी की सजा दे ही दी लेकिन सिर्फ एक को छोड़ दिया। यद्यपि सजा के भागी सभी थे और फाँसी सभी को पड़नी चाहिये थी। किन्तु गृहस्थ की वंशवृद्धि के लिए कम से कम एक पुत्र का जीवित रहना अत्यन्त आवश्यक था। ठीक उसी प्रकार घट्काय की हिंसा से बचना उचित है, किन्तु यदि ऐसा न हो सके तो कम से कम स्थूल प्राणातिपात से या त्रसकाय की हिंसा से तो बचना ही चाहिये।

उपासकदर्शांग में आनन्द गाथापति के द्वारा अहिंसाव्रत धारण करने की चर्चा मिलती है। वे भगवान् महावीर के समक्ष कहते हैं कि ब्रतो मे श्रेष्ठ अहिंसाव्रत के रूप मे स्थूल-प्राणातिपात को दो करण तथा तीन योग से करने का त्याग करता हूँ। यहाँ भी पहले स्थूलकाय यानी त्रसकाय की हिंसा का त्याग किया गया है।

१. तए ए से पाण्डे गाहावई समणस्स भगवान्नो महावीरस्स अंतिए तप्पदमयाए धूलगं पाणाइवायं पञ्चकस्ताह, जावज्जीवाए दुविहं तिविहेण न करोमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा ॥१३॥

—उपासकदर्शांग सूत्र, प्र० अष्टम्यन ।

इस प्रकार सूत्रकृतांग तथा उपासकदशांग को देखने से पता सगता है कि स्थूल प्राणातिपात का हिंसा की दृष्टि से अधिक महत्व है वजाय सूक्ष्म प्राणातिपात के। इसका मतलब है कि हिंसा में स्तर होता है। अतः ऐसा कहा जाता है कि स्थूलकाय की हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है क्योंकि उसमें कषाय की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात् हिंसक को अपने दिल-दिमाग को अधिक कठोर और कूर बनाना पड़ता है। किन्तु यहाँ पर ऐसी भी आशंका उपस्थित की जा सकती है कि मछ्ये को मछली मारने में या कसाई को अनेकों पशुओं को मारने में किसी विशेष प्रमाद की आवश्यकता नहीं होती। वे सब स्वाभाविक ढंग से नित्य अनेक प्राणियों का बध करते हैं। लेकिन यह एक विशेष जाति की बात है। मछ्ये का लड़का बचपन से ही अपने घर में अपने परिवार के लोगों के द्वारा अनेक मछलियों का प्राणघात देखता है, वैसे ही एक कसाई का लड़का अपने पिता, चाचा, काका, भाई-बन्धु के द्वारा रोज बहुत से पशुओं का प्राणान्त देखता है। अतः मछ्ये और कसाई के बच्चों का यह एक स्वभाव सा बन जाता है और हिंसा करने में उन्हें प्रमाद-विशेष की जरूरत नहीं होती है। किन्तु किसी भी बात को सही-सही जानने के लिए एक सामान्य स्थिति की जरूरत होती है, अर्थात् जो एक सामान्य व्यक्ति है वह बिना किसी प्रमाद के हिंसा कर ही नहीं सकता। प्रमाद या कषाय ही हिंसा की जननी है और इसकी मात्रा ही हिंसा के स्तर को निर्धारित करती है।^१

हिंसा करने वाले कुछ विशेष लोग तथा जातियाँ

प्रश्नध्याकरण सूत्र में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा जातियों के बर्णन मिलते हैं जिन्हें हिंसा करने में आनन्द मिलता है और हिंसा करना जिनका स्वभाव-सा बन गया है :—

१. धर्महिंसा-दर्शन, पृ० १११-१२५.

सोबरिव—सौकरिक—सूबर का शिकार करनेवाला; मच्छवंष—मत्स्यवंष—मछलियों को मारनेवाला; साउणि—शाकुनिक—पक्षियों को मारनेवाला; बाह—व्याघ—मृगादि का शिकार करनेवाला; कूरकम्भा—कूरकर्मा—कूरकर्म उत्तरनेवाला; सर-दह-दीहिय-सलिला-सयसोसग—सरोवर, झील, पोखर, तालाब और तलैया के पानी को बाहर निकालकर उनके जीवों को मर्दन करनेवाला; विसगर-स्सदायव—अनादि में विष मिलाकर देनेवाला; जिसमें तृण उगे हुए हों ऐसे खेत में निर्दयता के साथ आग लगानेवाला आदि लोग हिसक होते हैं।

इनके अलावा कुछ म्लेच्छ जातियाँ भी होती हैं, जो हिंसा-प्रिय होती हैं—सक—शक—शकदेशवासी; जवण—यवन; सबर—शबर-देशोत्पन्न भील; बब्दर—बब्दर; काय—काय—इस नाम के देश विशेष में जन्मे हुए लोग; मुरुंड—मुरण्ड—मुरण्डदेश में पैदा हुए लोग; उद—उद—अनायों की एक जाति; भगड—भटक; तित्तिय—तित्तिक देश के लोग; पक्कणिय—पक्कणिक; कुलक्ष्मा—कुलक्ष्मानाम के अनायं देश के लोग; गोड—गोड; सिहल—सिहलद्वीप में उत्पन्न लोग; पारस—पारस; कोचंघ—कोच; दविल—द्राविड़; विल्लल—विल्लव; पुलिंद; असेस—अशेष; डोब—डोब; पोक्कण; गंधहारण—गन्धहारक; बहलीय—बहलीक; जल्ल; रोम; मास; बउस—बकुश; मलय—मलय; चुच्चुक; चूलिय—चूलिक; कॉकणग—कॉकणक; भेय—भेद; पराहव—पराहव; मालव; महूर; आभासिय—आभायिक; अणकक; चीण—चीन; ल्हासिक—लूहासिक; लस; खासिक; नेहर—निष्ठुर; महाराष्ट्र; मोष्टिक; आरब; डोविलक; कुहण; केकय; हूण; रोमक; रूस; मरुक; चिलात देशवासी, जलचर, स्थलचर, पैरों में नस्त भारण करनेवाला, सौप, खेचर पक्षी, संडासी के समान चोंच वाला पक्षी, ये सभी जीवों की हिंसा करके ही अपना जीवन निर्वाहि करते हैं। ये सभी तथा असंशी सभी जीवों की हिंसा करते हैं और ऐसा पाप-जनक कार्य करके प्रसन्न होते हैं।^१

१. क्यरे ते ? जे ते सोबरिवा मच्छवंषा साउणि बाहा कूरकम्भा बाउरिवा दीविय-बंधुप्पदोग-तप्पगल-बाल-बीरस्तगायसुदम-बन्धुरा-कूड-स्त्रिया-

जैन दृष्टिकोण से ये सब जातियाँ हिंसा में प्रवृत्ति तथा प्रेम रखनेवाली हैं। यद्यपि वर्तमान काल में इनमें से अधिकतर के नाम तथा स्थान पाना मुश्किल है, हो सकता है इनके नामादि बदल गये हों और समयानुसार इनके आचार-विचार में अन्तर आ गये हों। हो सकता है प्रश्नव्याकरण सूत्र की रचना के समय ये सभी जातियाँ विद्यमान रही हों। अभी भी बहुत-सी ऐसी जातियाँ मिलती हैं जिनका जीवन निर्वाह पशु-पक्षियों की हिंसा पर ही होता है, कारण, वे मांसादि खुद ही खाते हैं और चर्म आदि बैचकर अन्य आर्थिक समस्याओं का समाधान कर लेते हैं।

हिंसा के फल :

किसी भी कर्म का फल अवश्य ही होता है, चाहे वह सुफल हो या कुफल। वैसे ही हिंसा के भी फल होते हैं जिन्हें निम्नलिखित शब्दों में आचारांग में प्रस्तुत किया गया है—

हृषा हरिएसा उणिया यविदंसगपापहृत्या वणचरणा लुदगा-
महृषाया पोवधाया एणीयारा पएणीयारा सरवह दीहिय-तलाग-पल्लग-
परिगालण-मलण सोतबंधण सञ्जिलासय सोसगा विसगरस्स य दायगा
उत्तरुवत्तरदविगिरिण्यपक्षीवका कूरकम्मकारी ॥२१॥

इमेया, वहवे मिलक्कुवाई-के ते ? सक-जवण-सवर-बब्बर-काय-
मुहंडो-द-महण-तितिय-पक्षणिय-कुलक्ष-गोड-सिहल-पारस-कोचंघ-दविल-
विलसस-पुर्लिंद-परोस-डोंब-गंधारण-बहिक्षि-जल्ल-रोम-मास-बरस-मलया-
चुंचुया-य चूलियग-कौंकणग-कणग-सेया-मेया-पणहृ-मालव-महृ-याभा-
सिय-यणक्ष-चीण-साचिय-खस-सासिया-नेल्लुर-मरहृ-मुट्ठिय-पारव-
दोविलग कुहण-केक्य-टूण-रोमग-दह-महया-चिलायविसयवाई य
पावमहणो ॥२२॥ जलयर बलयर-सणुप्पय-झोरण-साहयर-संदासतोङ-
बीबोवचायजीवी सण्णी य असण्णिणो पजजले प्रपञ्जले य-अमुभलेस्स
परिणमे एए अण्णो य एवमाई करेति पाणाइवायकरणं। पावा पावाभि-
गमा: पावमाई पावरही पाणुवहकयरही पाणुवहक्षाणुद्गाणा पाणुवहकहासु
अभिरमन्ता तुद्वा पाव करेतु हुलिय बहुप्यगार्द ॥२३॥

प्रश्नव्याकरण सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध, आधवद्वार, अध्ययन १.

“पृथ्वीकाय के आरंभ-समारंभ में लगे हुए व्यक्ति को यह सावध प्रवृत्ति अनागत काल में अहितकर तथा बोध की अवरोधक होती है। परन्तु जो मध्य जीव-पृथ्वीकाय का आरंभ करना पाप है, ऐसा भगवान् या अनगारों से सुनकर, सम्यग्ज्ञान, दर्शन आदि के द्वारा भली-भाँति ज्ञान लेता है, उसको यह ज्ञान हो जाता है कि पृथ्वीकाय का आरंभ भविष्य में अहित और अबोधि के लाभ का कारण है। अतः ऐसे किन्हीं ज्ञानी पुरुषों को यह परिज्ञात हो जाता है कि पृथ्वीकाय का समारंभ ग्रन्थि है अर्थात् अष्ट कर्मों की गाँठ है, मोहरूप है, मृत्यु का कारण है और नरक का कारण है”।^१

इसी तरह अप्काय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय तथा वायुकाय की हिंसा के फल होते हैं।^२

सूत्रकृतांग में भी कहा है कि जो व्यक्ति विभिन्न आरंभों में रत रहता है, जीवों को दंड देता है, हिंसा करता है वह अनेक वर्षों के लिए नरक आदि पापलोकों में स्थान पाता है, यदि बचपन की तपस्या से वह देवता का स्थान पा जाता है तो वहाँ भी वह नीच तथा असुरसंज्ञक देवता ही होता है।^३

१. तं से अहिंसाए, तं से अबोहिए, से तं संबुजसमाणे आयाणियं समुट्ठाय सोच्चा खलु भगवदो यणगाराणं इहमेगेति एतायं भवति, एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु भारे, एस खलु णरए………॥१७॥

आचारांग सूत्र — आत्मारामजी, प्र० श्रुतस्कंष, प्रथम अ०, उद्देशक २.

२. आचारांगसूत्र, प्र० अ०, प्र० अ०, उ० ३, सूत्र २४; उ० ४, सूत्र ३७; उ० ५, सूत्र ४६; उ० ६, सूत्र ५३ तथा उ० ७, सूत्र ५६.

३. जे इह आरंभनित्सया आत्मदंडा एगतलूसुणा ।
गंता ते पावलोगयं चिररायं आसुरियं दिसं ॥६॥

प्र० अ०, अ० २, उ० ३; तथा अ० ५, उ० १, सूत्र ३-५; अष्टयन ७, सूत्र ३, १० भी देखें।

प्रश्नब्याकरण सूत्र में हिंसा के फल के विषय में कहा गया है कि हिंसा के फल को न जाननेवाले व्यक्ति हिंसा करके महाभयवाली, दीर्घकाल तक कष्टों से परिपूर्ण, विश्रामरहित, विभिन्न पीड़िओं से भरी हुई नरक और तिर्यञ्च योनि को बढ़ाते हैं, यानी पाप कर्म (हिंसा) के फलस्वरूप वे नरक और तिर्यञ्च गति को प्राप्त करते हैं तथा अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हैं ।^१

उपासकदण्डाग सूत्र के आठवें अध्ययन में महाशतक गाथापति तथा उनकी पत्नी रेवती की कथा में रेवती का चरित्र बहुत कूर और कामोत्तेजक दिखाया गया है । वह अपने सुख के निमित्त गाथापति की अन्य बारह पत्नियों की हत्या शस्त्र तथा विष का प्रयोग करके करती है । जब नगर में हिंसा बन्द करने का आदेश घोषित होता है तब वह अपने मायके से प्रतिदिन दो बछड़े मँगवाने और उन्हें मारकर खाने लगती है । अपने पति को बहुत प्रकार के कामोत्तेजक व्यवहारों से तंग करती है । इन सब कारणों के फलस्वरूप उसे नरक जाना पड़ता है । उसके पति उससे कुद्द होकर कहते हैं—

तू सात दिन के अन्दर अलस रोग से पीड़ित होकर कष्ट भोगती हुई मर जायेगी और लोलुपाञ्चुत नरक में उत्पन्न होगी; वहाँ ८४ हजार वर्ष की आयु प्राप्त करेगी ।^२

निरयावलिका में गौतम के पूछने पर कालकुमार के विषय में कहते हैं—‘कालकुमार ऐसे आरंभकर (युद्ध करते हुए मरकर) यावत् ऐसे अशुभ दुष्कृत्य कर्म के भार से भारी हुआ मृत्यु के समय

१. तस्सव पावस्स फलविवाग घयाणमाणावद्वृति महब्यं अविस्सा-
मवेयण दीहकालबहुदुखसंकर्द गुरवतिरिक्ष्वांसिं ॥२४॥

प्रश्नब्याकरण सूत्र, प्र० शु०, आश्रवद्वार, प्रथम अध्ययन; तथा अतिम सूत्र भी देखें ।

२. तएण सा रेवई गाहावइणो अंतो सत्त-रत्स्स ग्रलसएणं वाहिणा
ग्रमिभूया गट्ठ-दुहट्ठ-वसट्टा कालमासे कालं किञ्चचा इमीसे रयणप्रभाए
पुढ़कोए लोलुपच्छुए नरए चदरासीइ-वास-सहस्स-टिहएसु नेरइएसु
नेरइयत्ताए उववन्ना ॥२५॥

मरकर चौथी पंकप्रभा पृथ्वी के हेमाभ नरकावास में यावत् नैरयिक रूप से उत्पन्न हुआ' अर्थात् युद्ध में दूसरों को मारते हुए मरने के कारण कालकुमार नरक का भागी हुआ।

उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि अज्ञानी, हिंसक, मृषावादी, लुटेरे, महारम्भी, मासभक्षक आदि उसी प्रकार नरकायु का इन्तजार करते हैं, जिस प्रकार बकरा पालनेवाला मेहमान का इन्तजार करता है। क्रोध करने से जीव नरक में जाता है तथा मान, क्रोध, प्रभाद आदि से शिक्षा प्राप्त नहीं होती। वे ब्राह्मण जिनमें क्रोध, मान, हिंसा, मृषा आदि हैं जाति और विद्या से हीन होते हैं। कुश, यूप, तृण, काष्ठ और अग्नि तथा प्रातःकाल, सायकाल जल का स्पर्श करके प्राणियों का घात करना पाप का सचय करता है। हिंसा करनेवाला लेश्या का परिणामी होता है।^१

प्रबचनसार में हिंसा के फल पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जो राग, द्वेष भावों के वशीभूत हो स्वजीव तथा परजीव का

१. त एय खलु गोवमा । काले कुमारे एरिसएर्हि भारभेहि जाव एरिसएर्हि अमुभकडकमपमपमारेणं कालमासे कालकिञ्चना चउत्थीए पंकप्रभाए पृथ्वीए हेमामे नरए जाव नेरइवत्ताए उवक्लनो ॥१०६॥ अध्ययन १.
२. हिंसे बाले मुसावाई अदाणम्भि विलोबए ॥५॥
भुज्वनाणे सुरं मंसं परित्वृद्धे परंदमे ॥६॥

अपकक्षकरमोई य तुंदिल्के चियबोहिए ।
मारयं द्वरए कंचे जहाएसं व एकए ॥७॥ अध्ययन ७

तथा अध्ययन ६, सूत्र ५४; अध्ययन ११, सूत्र ३.

कोहो य माणो य वहो य जैसि मोसं अदसं च परिग्नहं च ।
ते माहणा जाइविज्जाविहृणा ताइं तु खेत्ताइ सुपावयाई ॥१४॥ अ. १२.
कुसं च जूवं सणुकट्ठमग्नि सायं च पायं उदगं फुसंता ।
पाणाई सूयाई विहेड्यंता मुज्जो वि मंदा पगरेह पावं ॥१६॥ अ. १२.
तथा अध्ययन ३४, सूत्र २१, २२, २८.

धात करता है, वह निश्चय ही ज्ञानावरणादि आठ क्रमों से प्रकृति-स्थित्यादि बन्धन में पड़ता है। जिस जीव का अशुद्ध चैतन्य विकार-परिणाम, इन्द्रियविषय तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यंत गाढ़ हो मिथ्या शास्त्रों का सुनना, आर्त-रौद्र अशुभ घ्यानरूप मन, पराई निंदा आदि चर्चा, इनमें उपयोग सहित हो, हिंसादि आचरण करने में महाउद्धमी हो और बीतराग सर्वज्ञकथित मार्ग से उलटा जो मिथ्यामार्ग उसमें सावधान हो, वह परिणाम अशुभोपयोग है^१ इसी प्रकार मलाचार आदि में भी कहा है कि हिंसा पाप है, दोष-आत्मवद्वार है^२ हिंसा, असत्य आदि आत्मबों से पापकर्म आता है तथा जीवों का नाश होता है। जिस प्रकार छिद्रवाली नाव जल में डूब जाती है, उसी प्रकार हिंसादि आत्मबों से जीव संसारसागर में डूब जाता है।^३

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के कार्य में हिंसारूपता यानी कषाय—प्रमाद, क्रोधादि नहीं आये तो वह हिंसा का फल नहीं देगा यद्यपि उसके कार्य से किसी जीव का धात ही क्यों न हो गया हो और ठीक इसके विपरीत यदि किसी के परिणाम में हिंसारूपता आ जाती है यानी कर्ता कषायवश हो जाता है तो उसे हिंसा का फल भोगना पड़ता है, भले ही उसके द्वारा किसी का धात नहीं हुआ हो। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति बाहु हिंसा कम करता है, किन्तु परिणाम यानी हिंसाभाव में अधिक लिप्त रहता है तो उसे तीव्र कर्मबध का भागी होना पड़ता है और जो व्यक्ति बाह्य हिंसा तो अचानक अधिक कर जाता है लेकिन हिंसाभाव में कम लिप्त रहता है तो उसे मंद कर्मबध का भागी होना पड़ता है। यदि दो व्यक्ति मिलकर हिंसा करते हैं तो दोनों में जिसका कषायभाव तीव्र होगा वह हिंसा के अधिक फल का

१. प्रवचनसार, अ. २, गाथा ४७, ६६.

२. मूलाचार, बृहत्प्रत्याख्यानसंस्तरत्त्वाधिकार, गाथा ४१;

पंचाचाराधिकार, गाथा २३८, २३९;

द्वादशानुप्रेक्षाधिकार, गाथा ७३६.

भागी होगा ।” इसी में आगे कहा गया है—‘किसी ने हिंसा करने का विचार किया परन्तु अवसर न मिलने से उस हिंसा के करने के पहिले ही उन कथाय-परिणामों के द्वारा (जिनसे हिंसा का संकल्प किया गया था) बंधे हुए कर्मों का फल उदय में आ गया, पश्चात् इच्छित हिंसा करने को समर्थ हो सका ऐसी अवस्था में हिंसा करने से पहिले ही उस हिंसा का फल भोग लिया जाता है। इसी प्रकार किसी ने हिंसा करने का विचार किया और इस विचार द्वारा बंधे हुए कर्मों के फल के उदय में आने की अवधि तक वह उक्त हिंसा करने को समर्थ हो सका तो ऐसी दशा में हिंसा करते ही उसका फल भोगना सिद्ध होता है। किसी ने सामान्यतः हिंसा करके पश्चात् उसका उदय काल में फल पाया अर्थात् कर चुकने पर फल पाया। किसी ने हिंसा करने का आरम्भ किया था, परन्तु किसी कारण हिंसा करने में शक्तिवान् नहीं हो सका, तथापि आरंभनित वध का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा; अर्थात् न करने पर भी हिंसा का फल भोगा जाता है। प्रयोजन केवल इतना ही है कि कथायभावों के अनुसार फल मिलता है।’^३

ऐसा भी होता है कि हिंसा एक व्यक्ति करता है परन्तु फल भोगनेवाले अधिक होते हैं, यह तब होता है जब किसी के द्वारा की गई हिंसा को देखकर अन्य बहुत से लोग उसका अनुमोदन करते हैं और प्रसन्न होते हैं। कभी-कभी हिंसा बहुत से लोग करते हैं किन्तु उसके फल का भागी एक ही व्यक्ति होता है, जैसे युद्ध में

१. ग्रविधायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाध्यपरो हिंसा हिंसाफलभाजनं न स्थात् ॥५१॥

एकस्थालर्गहिंसा ददाति काले फलमनलभू ।

मन्दस्थ्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपक्वे ॥५२॥

एकस्थ सैव तोष दिशति फलं सैव मन्दमन्दस्थ ।

द्रवति सहकारिणांरपि हिंसा वैचित्रयमत्र फलकाले ॥५३॥

— पुरुषार्थसिद्धगुणाय

२. प्रागेव फलति हिंसाऽकियमाणा फलति फलति च कुतापि ।

धारम्यकर्तुमकृतापि फलति हिंसातुभावेन ॥५४॥ वही

लड़नेवाले बहुत से सैनिक हिमा करते हैं लेकिन उस हिमा के फल का भागी सिर्फ आदेश देनेवाला सेनानायक या राजा होता है।'

हिसा के पोषक तत्व :

हिसा, असत्य, स्त्रेय, अब्रहाचर्य तथा परिग्रह—ये पाँच आम बद्धार माने गये हैं। यद्यपि इन पाँचों की गणना अलग-अलग होती है, इनमें हिसा पाप सत्य का बहुत बड़ा मात्रन है और अन्य चार अन्ततोगत्वा इसी की पुष्टि करते हैं। किस प्रकार अन्य चार हिसा का पोषण करते हैं, इसका एक अब्द्धा विश्लेषण "पुरुषार्थ-सिद्ध्युपाय" में मिनता है। इसमें साफ-साफ कहा गया है—

हिसातोऽनृतवचनात्स्तेयादब्रह्मतः परिग्रहतः ।

कात्स्न्यकैश्चिरतेष्वारित्र जायते द्विविष्टम् ॥४०॥

निरतः कात्स्न्यनिवृत्ती भवति यात समवसारभूतोऽय ।

या त्वेकदेशविरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवति ॥ ४१ ॥

आत्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्सञ्चेष्व हिसेतत् ।

अनृतवचनादि केवल मुदाहृत शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

अर्थात् हिसा, असत्य, चोरी, कुशीलता (अब्रहाचर्य) तथा परिग्रह को सब तरह से सब स्वान पर त्यागने को सकलचारित्र तथा एक देशविशेष पर त्याग करने को देशवारित्र कहते हैं। यद्यपि शिष्यों को समझाने के लिए इन्हे भेद करके कहा जाता है, वास्तव में आत्मा के शुद्धोपयोगरूप परिणामों का घात होने के कारण ये सभी हिसा होते हैं।^३ आगे विश्लेषण करके यह बताया जाता है कि किस प्रकार ये हिना की पुष्टि करते हैं—

असत्य—असत्य के चार भेद होते हैं—१. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अस्तित्व को नास्ति कहता, २. नास्ति को अस्ति कहना ३. जो वस्तु विद्यमान हो उसकी जगह पर कोई

१. एकः करोति हिसा भवन्ति फन्नागिनो बहवः ।

बहवो विद्याति हिसा हिसाप्तमभूम इत्येहः ॥५५॥—पुरुषार्थविद्युपाय ।

२. पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, ख्लोक ४०-४२.

अन्यवस्तु बताना, ४. इस असत्य के अन्दर तीन भेद होते हैं—
१. गहित, २. सावद्य अर्थात् पापसहित और ३. अप्रिय।^१

गहित : दुष्टता अथवा चुगलीरूप, हास्ययुक्त, कठोर, मिथ्या-
अद्वानपूर्ण, प्रलापरूप तथा अन्य जो शास्त्र विरुद्ध हैं।

सावद्य : छेदने, भेदने, मारणे, शोषणे अथवा व्यापार, चोरी आदि
के बचन हैं वे सब पापजनक हैं क्योंकि इनसे हिंसादि
पाप प्रवृत्तियों का सृजन होता है।

अप्रिय : जो शब्द किसी जीव की अप्रीति, भय, खेद, वैर, शोक,
कलह आदि पैदा करनेवाला है वह सब अप्रिय है।

चंकि ये सभी बचन कषाययुक्त होते हैं यानी ये प्रमादसहित
होते हैं और प्रमाद ही हँसा का कारण है, अतः ये सब बचन भी
हिंसा ही हुए। कभी पाप की निन्दा करते हुए मुनिजन उपदेश
देते हैं और ये बचन पापियों के लिए अत्यन्त कष्टदायक होते हैं,
किन्तु उनके बचनों में प्रमाद नहीं होता। अतः वे अनूत या असत्य
भाषण के दोष से बच जाते हैं।

स्तेष—चोरी भी हिंसा ही है^२ क्योंकि इसमें भी प्राणवध
होता है और यह भी कषाय के कारण ही होती है। अन्य जीव

१. वही, एसोक ६२-६५.

पैशून्यहासयर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च ।

अन्यदपि यदुत्सूत्रं तस्सर्वं गहितम् ॥६६॥

छेदनभेदनमारणक्षण्यावाणिज्यचौर्यवचनादि ।

तस्सावद्यं यस्मात्प्राणिवधादा, प्रवर्तन्ते ॥६७॥

घरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककलहकरम् ।

यद्यपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रिय लेयम् ॥६८॥

सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्प्रमत्योगीकहेतुकष्टं यत् ।

अनूतवचनेऽपि तस्मान्नियतं हिंसा समवतरति ॥६९॥

हेतौ प्रमत्योगे निदिष्टे सकलवितपवचनानाम् ।

हेयानुष्ठानादेनुवदन भवति नासत्यम् ॥१००॥—पुरुषार्द्धसिद्धुपाप ।

२. अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्योगाद्यत् ।

तत्प्रत्येयं स्तेषं संब च हिंसा वस्य हेतुत्वात् ॥१०२॥

का प्राणधात करने के निमित्त चोरी करनेवाले के मन में प्रमाद का प्रादुर्भाव होता है। प्रमाद के कारण सर्वप्रथम उसका स्वतः भाव-प्राण हिंसित होता है और चोरी प्रकट होने पर उसके द्रव्यप्राण का धात होता है। फिर जिसके इष्ट वस्तु की चोरी होती है, उसके भावप्राण का धात होता है और कभी-कभी उसका द्रव्यप्राण भी हिंसित हो जाता है, क्योंकि चोरी की गई वस्तु उसके द्रव्यप्राण का पोषक होती है। जिस प्रकार इन्द्रिय, श्वासोच्चवासादि जीवन के अन्तःप्राण हैं, उसी प्रकार घन, सम्पदादि बाह्यप्राण हैं यानी बाह्यप्राण के पोषक हैं। अतः चोरी से बाह्यप्राण की हिंसा तो होती ही है, अन्तःप्राण की हिंसा की भी सम्भावना रहती है और कभी-कभी तो हो भी जाती है। ऐसा कहना कि जहाँ-जहाँ चोरी होती है वहाँ-वहाँ हिंसा होती है, सही नहीं है। प्रमादवश चोरी ही हिंसा की श्रेणी में आती है। इसीलिए वीतराग सर्वज्ञ को चोरी का दोष नहीं लगता, यद्यपि वे द्रव्यनोकमं वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, जोकि सामान्य ढग से अदत्तादान यानी चोरी है, क्योंकि मोहनीय कर्म के अभाव में उनमें प्रमत्तायोगरूप कारण का भी अभाव होता है।

अब्रह्मचर्य—पुरुष, स्त्री और नपुंसक—ये तीन वेद हैं यानी तीन जातियाँ हैं, और इनके रागभावरूप उत्तोजना से जोड़े का सहवास और मैथुन यानी संभोग होता है, जो अब्रह्म कहा जाता है। इस अब्रह्म के सब स्थानों में हिंसा की संभावना रहती है और होती है; जैसे—स्त्री की योनी, नाभि, कुच, कांख आदि। इन स्थानों में सर्वदा सम्मूर्छन पंचेन्द्रिय जीव पैदा होते रहते हैं। अतः मैथुन में द्रव्य प्राणों का विनाश तो होता ही है। काम भाव

मर्यादाम य एते प्राणा एते बहिष्करा: पुंसाम् ।

हरति स तस्य प्राणान् यो यस्य जनो हरत्यर्थान् ॥१०३॥

हिंसायाः स्तेयस्य च नाभ्यातिः सुषट एव सा यस्मात् ।

प्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः ॥१०४॥

नातिव्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगीकारणविरोधात् ।

यदपि कम्मानुश्वरणे नीरागाणामविद्यमानस्वात् ॥१०५॥

—पुरुषार्थसिद्धगुपाय ।

के कारण स्त्री-गुरुष के भाव प्राणों का घात और मैथुन के कारण शारीरिक शियलता होने से द्रव्य प्राणों का घात होता है। मैथुन के कारण योनि में अनेकों जीव उस प्रकार मरते हैं, जिस प्रकार तिलों की बनी हुई नली में तपा हुआ लोहा डालने से तिल जलकर बिनष्ट हो जाते हैं। रागादि की तीव्रता या अधिकता के कारण हिंसा होती है और काम-तीव्रता के बिना काम-कीड़ा होती नहीं, बतः काम-कीड़ा हिंसा है।^१

कुछ विरोधी मतवालों का कथन है कि चूंकि मात्र पीड़ा देना ही हिंसा है, मैथुन को हिंसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यह क्रिया अन्य जीव को बिना कष्ट पहुँचाये भी की जाती है। जैसे—

“पिंग नामक पक्षिणी बिना हिलाये जलपान करती है
इसीलिये किसी जीव को उसके जलपान से दुःख नहीं होता
और उसकी तृप्ति भी हो जाती है, इसी तरह समागम की
प्रार्थना करनेवाली स्त्री के साथ समागम करने से किसी जीव
को दुःख नहीं होता है और अपनी तृप्ति भी हो जाती है,
इसलिये इस कार्य में दोष कहाँ से हो सकता है ?”^२

ऐसे विचार वालों को जैनमतानुसार पाश्वस्थ, मिथ्यादृष्टि एवं अनार्य कहा गया है, क्योंकि मात्र पीड़ा देना ही दोष नहीं होता बल्कि बहुत से नैतिक दोष हैं जिनमें हिंसा एक है।

परिग्रह—“मोह के उदय से भावों का ममत्वरूप परिणमन होना मूर्च्छा है और मूर्च्छा ही परिग्रह है।”^३

१. यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिषीयते तदन्नह्य ।

घवतरति तत्र हिंसा वशस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥१०७॥

हिस्यन्ते तिसनाल्पा तप्तायसि विनिहिते तिला यद्वत् ।

बहवो जीवा योनी हिस्यन्ते मैथुने तद्वत् ॥१०८॥

यदपि क्रियते किञ्चन्मदनोद्वेकादनङ्गरमणादि ।

तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तिरत्त्वात् ॥१०९॥—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ।

२. सूत्रकृतांग, प्रथम युत्सक्ष्य, य० ३, उद्देश्य ४, सूत्र १२.

३. या मूर्च्छानामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहो द्युषेः ।

मोहोदयादुदीणों मूर्च्छा तु ममत्वपरिणामः ॥१११॥—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय ।

चूंकि परिग्रह का लक्षण मूच्छा है, यदि कोई व्यक्ति मूच्छा का सद्भाव रखता है तो वह परिग्रही होगा ही, भले ही वह नग्न ही क्यों न रहता हो। जहाँ-जहाँ मूच्छा होगी वहाँ-वहाँ परिग्रह होगा ही। यदि कोई ऐसा कहता है कि मूच्छा का संबंध केवल अन्तरंग परिग्रह से है, क्योंकि मूच्छा अन्तरंग परिणामों में से है तो उसका ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मूच्छा की उत्ताति में बाह्य पदार्थ कारण होते हैं। अतः बाह्य पदार्थों में परिग्रहत्व पाया जाता है। किन्तु वीतराग पुरुष के द्वारा बाह्य पदार्थ ग्रहण करने में परिग्रहत्व नहीं पाया जाता, क्योंकि उनमें मूच्छा नहीं पायी जाती। इस प्रकार परिग्रह प्रवानतौर से दो हैं—१. अंतरंग और २. बहिरंग। अन्तरंग परिग्रह के चौदह भेद होते हैं—मिथ्यात्व, स्त्री, पुरुष, नपुसक, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ। बहिरंग के दो भेद होते हैं—१. अचित और २. सचित। ये सभी परिग्रह कभी भी हिसारहित नहीं होते।¹

१. मूच्छालक्षणकरणात् सुषटा व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य ।

सप्रथ्यो मूच्छविन् विनापि किल शेषसंगेभ्यः ॥११२॥

यद्योवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोपि बहिरंगः ।

भवति नितश्च यतोऽसौ षष्ठे मूच्छान्निमित्तत्वम् ॥११३॥

एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्येति चेदभवेन्नैवम् ।

यस्मादकथायाणां कर्मग्रहणे न मूच्छास्ति ॥११४॥

अतिसंक्षेपाद्विविषः स भवेदान्यन्तररूप बाह्यश्च ।

प्रथमश्चतुर्दशविषो भवति द्विविषो द्वितीयस्तु ॥११५॥

मिथ्यात्ववेदरागास्तर्थैव हास्याद्यश्च वद्वाचाः ।

चत्वारश्च कथायाऽचतुर्दशान्यन्तरा ग्रन्थाः ॥११६॥

अथ निश्चित्तसचित्तो बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदी द्वौ ।

नैवः कदापि संयः सर्वोऽप्यतिवर्त्ते हिसां ॥११७॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय ।

अंहिसा :

अंहिसा का सही-सही अवलोकन निम्नप्रकारे रहे हो सकता है—

अंहिसा के विभिन्न नाम—प्रश्नब्याकरण सूत्र में अंहिसा के साथ नाम मिलते हैं।^१ इन नामों का सम्बन्ध भाषागत व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं बल्कि इनके अर्थ एवं कार्य के आधार पर है। इस प्रन्थ के मूल में तो मात्र इन नामों की चर्चा या गिनती मिलती है, किन्तु ज्ञानविमलसूरिजी, धासीलालजी आदि इसके व्याख्याकारों ने इन नामों की सार्थकता पर प्रकाश डाला है जो इस प्रकार है—

१. निवाण—निवर्ण—मोक्ष : अंहिसा को निवाण की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह निवाण यानी मोक्ष का कारण होती है या यों कहें कि यह मोक्षदायिनी होती है।
२. निवृई—निवृति—स्वास्थ्य : निवृति यानी स्वास्थ्य की प्राप्ति तब होती है जब कर्मों का आत्यतिक अभाव हो जाता है और यह स्वस्थता की स्थिति मन की प्रसन्नता, निश्चिन्तता तथा दुःखों की पूर्ण निवृति की स्थिति होती है जोकि पूर्णरूपेण अंहिसा पर ही आधारित होती है। अतः अंहिसा को निवृति कहा जाता है।
३. समाही—समाधि—समता : चूंकि अंहिसा समता का कारण होती है अतः इसे समाधिरूप कहा जाता है, क्योंकि कारण में कार्य निहित होता है।
४. संती—शान्ति : शान्ति वही होती है जहाँ पर द्रोह का अभाव होता है और अंहिसा के साथ द्रोह बिल्कुल नहीं होता, अनः इसे शान्ति कहते हैं यानी यह शान्तिप्रदायिनी होती है।

१. १. निवाण मोक्षस्तदेतुत्वात्, २. निवृतिः स्वास्थ्यं दुष्यनिरहितस्त्वात्,
३. समाधिः समताशक्तिकारणात्, ४. शान्तिः परद्रोहविरतिः;

५. किती—कीर्ति—यश : अहिंसा के पथ पर चलनेवाले लोग सन्त, महात्मा, महापुरुष आदि नामों से सम्बोधित होते हैं, वे सर्वप्रिय एवं पूज्य होते हैं, उनकी कीर्तिद्वजा आकाश को छूती है, अर्थात् अहिंसा से यश की प्राप्ति होती है। अतः अहिंसा का एक नाम कीर्ति भी है।
६. कंती—कान्ति—प्रसन्नता : अहिंसा को कान्ति कहने हैं क्योंकि यह कान्ति, तेज, प्रताप, सौन्दर्य एवं शोभा प्रदान करती है।
७. रहय (रई) —रति : आनन्ददायिनी होने के कारण अहिंसा रति कहलाती है।
८. विरहय (विरई) —विरति—विराग : यह सावद्यकमों से विराग पैदा करती है, अतः इसे विरति कहते हैं।
९. सुयंग—श्रुतांग : यह श्रुतांग कहलाती है, कारण श्रुत ही इसके अंग हैं यानी श्रुतज्ञान ही इसका आधार है।
१०. तित्ती—तृप्ति—सन्तोष : इससे सभी प्राणियों को सन्तोष की उपलब्धि होती है यानी यह सन्तोष का कारण है। अतः इसे तृप्ति नाम से भी सम्बोधित करते हैं।
११. दया—प्राणिरक्षा : इसके कारण सभी जीवों की प्राणरक्षा होती है, इसलिए इसे दया भी कहते हैं।
१२. विमुक्ती—विमुक्ति—मुक्ति : अहिंसा संसार के सभी वध एवं बन्धनों से मुक्ति दिलानेवाली होती है, अतः इसे विमुक्ति कहते हैं।
१३. संती—क्षान्ति : यह क्रोधादि समस्त कषायों का निश्चह करने वाली है, इस वजह से इसे क्षान्ति कहते हैं।

५. कीर्तियशः स्थाति:, ६. कान्ति: शोभाकारणस्वात्, ७. रति: सर्वेषां रागहेतुत्वात्, ८. विरतिनिवृतिः, ९-१०. श्रुतं श्रुतज्ञानं तदेव अंग कारणं यस्याः सा 'पठमं नाणं तथो दया' इति पाठात्, तृष्णः सन्तोष-स्वस्य हेतुत्वात् तृष्णः, ११. दया देहिरक्षा, १२. विमुक्त्यते प्राणी सकल-वधबन्धनेभ्यो यथा सा विमुक्तिः, १३. क्रोधनिश्चहः तज्जनिताऽहिंसाऽपि,

१४. सम्मताएहणा—सम्यकत्वाराधना : सम्यकत्व की आराधना अहिंसा पर ही आधारित होती है, अतः इसे सम्यकत्वाराधना नाम से पुकारते हैं।
१५. महन्ती—महती : धर्म के क्षेत्र में इसकी मर्वश्रेष्ठता ही इसका नामकरण महन्ती कराती है।
१६. बोधी—बोधि—सर्वज्ञी : यह सर्वज्ञ प्रनियादित धर्म की प्राप्ति करानेवाली है अतः इसे बोधि कहा जाता है।
१७. बुद्धि—बुद्धि : यह सफलता देनेवाली है।
१८. धिती—धृति : अहिंसा चित्त को धृति यानी धैर्य देनेवाली है, इसलिए इसे धृति कहते हैं।
१९. समिद्धी—समृद्धि : यह समृद्धि यानी आनन्द की जननी है, इसी कारण इसे समृद्धि नाम मिला है।
२०. रिद्धी—ऋद्धि : ऋद्धि यानी लक्ष्मी अर्थात् धन देनेवाली होने के कारण अहिंसा ऋद्धि कहलाती है।
२१. विद्धी—वृद्धि : इसके कारण पुण्य प्रकृति की वृद्धि होती है यानी पुण्यवृद्धि होती है, अतः इसे वृद्धि कहते हैं।
२२. ठिई (ठिती)—स्थिति : शाश्वत स्थिति यानी मोक्ष प्रदान करनेवाली है, इसलिए इसे ठिती वा स्थिति कहते हैं।
२३. पुट्टी—पुष्टि : अहिंसा पुण्य का उपचय या सचय करती है यानी पुण्य की पुष्टि करती है, अतः इसे पुष्टि कहते हैं।
२४. नंदा—नन्दा : यह स्व या पर सभी जीवों को आनन्ददात करती है, इसलिए यह नन्दा कहलाती है।
२५. भद्रा—भद्रा : यह अपने और पराये का भी कल्याण करती है, इसलिए इसे भद्रा नाम से सम्बोधित करते हैं।

१४. सम्यग्गतीतिहर्यं स्याद्गादे सम्यग्वाचो वातस्य आराधना—सेवना,
१५. महन्ती सर्वधर्मनिष्ठानानां मध्ये वृहती यदुत्तं, १६. सर्वज्ञधर्मप्राप्तिः
अहिंसा, १७. साफल्यकारणत्वात्, १८. धुतिश्चत्तदाद्यं, १९. आनन्द-
हेतुत्वात्, २०. लक्ष्मीहेतुत्वात्, २१. पुण्यप्रकृतिसम्भावनात्, २२. साध-
पर्यवसितमोक्षस्थितिहेतुत्वात्, २३. पुण्योपचयकारणत्वात्, २४. नन्दयति
स्वं परं वा इति नन्दा, २५. कल्याणं स्वस्य परेवां वा करोतीति भद्रा,

२६. विशुद्धी—विशुद्धि : पाप का क्षय करके जीव को विशुद्ध या निर्मल (जिना किसी मल के) बना देती है। इस कार्यदक्षता के कारण यह विशुद्धि नाम से पुकारी जाती है।

२७. लद्धी—लब्धि : इसके प्रभाव से ही केवलज्ञान एवं केवलदर्शन आदि लब्धियाँ होती हैं, इसलिए इसे लब्धि कहते हैं।

२८. विसिद्धिद्वारा—विशिष्टदृष्टि : अहिंसा प्रधान दर्शन है, इस कारण इसे विशिष्ट दृष्टि कहा जाता है।

२९. कल्काण—कल्याण : यह कल्याण यानी आरोग्यता तथा मोक्ष प्रदान करने के कारण कल्याण कही जाती है।

३०. मंगल—यह पापों का उपशमन करती है, इसलिए मंगल के नाम से भी सम्बोधित होती है।

३१. प्रमोद—प्रमोद—हर्ष : हर्षोत्पादक होने के कारण अहिंसा प्रमोद कहलाती है।

३२. विभूई—विभूति : सभी प्रकार की ऋद्धियाँ देने के कारण यह विभूति कही जाती है।

३३. रक्खा—रक्खा : इससे जीवों की रक्खा होती है, अतः यह रक्खा कही जाती है।

३४. सिद्धवास—सिद्धावास : इसके अभ्यास से जीव सिद्धों के आवास या निवास में सिद्धगति नामक स्थान पा जाता है (धासी-

२६. पापक्षयोपायत्वेन जीवनिर्मलतास्वरूपत्वात्, २७. लब्धिः केवल-ज्ञानाद्विलब्धिनिभित्तत्वात्, २८. प्रधानदर्शनं स्थाद्वादभित्यर्थः अन्यदर्शनस्याऽपाधान्यमेव यदुक्त, २९. आरोग्य तत्प्रापकत्वा-कल्याणं, ३०. दुरितोपशमकत्वात्, ३१. हर्षोत्पादकत्वात्, ३२. सर्वशूद्धिसंपर्जिमित्तत्वात्, ३३. जीवरक्षणस्वभावत्वात्, ३४. सादृ-पर्यवसितमोक्षगतिनिवासहेतुत्वात् (प्रश्नव्याकरण सूत्र—अ० भा० श्वे० स्था० जैन धार्मोदार समिति द्वारा प्रकाशित, राजकोट, १९६२, पृष्ठ ५६५-६६; प्रश्नव्याकरण सूत्र—अनु० बेवरचन्द्र बांठिया, पृ० १४६; मोहननिवन्धनत्वात् — प्रश्नव्याकरणसूत्र—डानविमलसूरि,

लालजी)। मोक्ष के अक्षय निवास को देनेवाली है (ध्वरचत्वं बाँठिया)।

३५. अणासव—अनाश्रव : अहिंसा कर्म-बन्धन को रोकने वाली है अतः यह अनाश्रव कही जाती है।

३६. केवली-ठाण—केवलि-स्थान : केवलज्ञानी वही होता है जो अहिंसक होता है, केवलज्ञानी इसका आश्रय लेते हैं। अतः यह केवली-स्थान कही जाती है।

३७. सिव—शिव : जो अहिंसक होता है उसे किसी भी उपद्रव का भय नहीं होता है। अर्थात् अहिंसा निरुपद्रव होने का कारण बनती है। इस बजह से इसे शिव कहते हैं।

३८. समई—समिति—सम्यक् प्रवृत्ति : चूँकि यह सम्यक् प्रवृत्तिरूप होती है, अतः इसे समिति कहते हैं।

३९. शील—सील—समाधि : अहिंसा समाधान या समाधि का कारण बनती है अतः यह शील कहलाती है।

४०. संजम—संयम : हिंसा—निवृत्तिरूप है अर्थात् हिंसा—निवारण, जो संयम है, उसका यह साधन है इसलिये इसे संयम नाम से संबोधित करते हैं।

४१. सीलघर—शीलगृह : सदाचार या ब्रह्मचर्य आदि का यह स्थान है यानी चारित्र का यह गृह है, इसलिये इसे शीलगृह कहते हैं।

४२. संवर—आश्रव अर्थात् कर्मों के बन्ध को रोकनेवाली है, अतएव यह संवर नाम से संबोधित होती है।

४३. गुप्ती—गुप्ति : अहिंसाव्रत के पालन से जीवों की अशुभ प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं, अतः इसे गुप्ति कहा जाता है।

संवरद्वारे अहिंसाया नामानि)। ३५. कर्मबन्धननिरोधोपायत्वात्, ३६. केवलीनामहिंसैव तत्रव्यवस्थितत्वात्, ३७. निरुपद्रवहेतुत्वात्, ३८. सम्यक् प्रवृत्तिरूपत्वात्, ३९. समाधानरूपत्वात्, ४०. हिंसोपरत्वात्, ४१. शीलं सदाचारो ब्रह्म वा तस्य यहं चारित्रस्थानं, ४२. संवरश्च प्रतीतानाभवत्वेन, ४३. अशुभाना मनःप्रभूतीना रोचः,

४४. व्यवसाय—व्यवसाय : यह जीव का एक विशिष्ट व्यवसाय या व्यापार है, इसलिये इसे व्यवसाय कहते हैं।

४५. उत्सव-उच्छ्रय : शुभ भावों को उन्नति देने के कारण इसे उच्छ्रय कहा जाता है।

४६. जन्म—यज्ञ : अहिंसा भाव पूजा रूप है, अतः यह यज्ञ नाम से संबोधित होती है। यह व्याख्या ज्ञानविमलसूरि तथा घेरचन्द्र बाँठिया द्वारा की गई है किन्तु धासीलालजी के अनुसार अहिंसा यज्ञ कहलाती है क्योंकि इससे स्वर्गादि सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन भावपूजा का संबंध यज्ञ से तथा अहिंसा से होना सही दिखता है। क्योंकि पूजा यज्ञ का अंग है और भावपूजा भावप्रधान है, जैसा कि अहिंसा भी भावप्रधान है।

४७. आयतण—आयतन—आश्रय : यह गुणों का आश्रय या स्थान है अतः आयतन कहलाती है।

४८. यजण—यतन यह अभयदान देनेवाली होती है, अतः यजना कहलाती है, अथवा प्राणियों की प्राणरक्षा का प्रयत्न करती है, अतः यतना या यतन कहलाती है।

४९. अप्पमाय—अप्रमाद : इससे प्रमाद का परित्याग हो जाता है इसलिये इसे अप्रमाद कहते हैं।

५०. अस्सास—आश्वास : यह पर प्राणियों की लृप्ति का कारण है अथवा कष्ट में इसके द्वारा दूसरों को धैर्य बंधाया जाता है, अतः इसे आश्वास कहते हैं।

५१. वीसाओ—विश्वास अहिंसा अपने को तथा दूसरों को विश्वास दिलानेवाली है अतः इसे विश्वास की संज्ञा दी जाती है।

४४. विशिष्ट : शोभनः अवस्थाय अविकलभावसपन्नत्वात् विशिष्टव्यापारः;

४५. उच्छ्रयो—भावोन्नतित्व, ४६. यज्ञो भावदेवपूजा (ज्ञानविमलसूरि तथा घेरचन्द्र बाँठिया), स्वर्गादिसद्गतिदायकत्वात्,

४७. आयतन—गुणाना आश्रय, ४८. यजन (धासीलालजी) अभयस्य द्वानं यतन वा—प्राणरक्षणप्रयत्नः, ४९. अप्रमादः प्रमादवर्जनं,

५०. आश्वासः परमतृप्तिहेतुत्वात्, ५१. विश्वासो—विसंभः प्राणिनाः,

५२. अभय—अभयः यह संसार के सभी प्राणियों को अभय प्रदान करती है, इसके कारण इसे अभय भी कहते हैं।

५३. अमाधात्र—अमाधातः किसी भी प्राणी का घातरूप न होने से यह अमाधात वा अमारि कहलाती है।

५४. चोक्ष—चोक्षः अहिंसा पवित्र वस्तुओं में भी पवित्र समझी जाती है, अतः इसका नामकरण चोक्षा भी होता है।

५५. पवित्रा—पवित्रा : पवित्र भावना का संचार करती है इसलिए इसे पवित्रा कहते हैं।

५६. सुई—शुचिः अहिंसा भावशुचि यानी भावशुद्धता का कारण है अतः यह शुचि कहलाती है।

५७. पूजा—पूजा अथवा पूता - पवित्रा : यह पवित्र है तथा भाव-पूजा है अतः इसे पूजा या पूता कहा जाता है।

५८. विमल—अहिंसा मिथ्यात्व तथा अविरति आदि मलों से रहित है, इसलिये इसे विमल कहते हैं (धासीलालजी)

५९. प्रभासा—प्रभासा—प्रकाशः यह केवलज्ञानरूप ज्योतिस्वरूप होने से प्रकाशरूप है। इसलिये इसे प्रभास कहते हैं।

५२. अभय—सर्वप्राणिगण्यस्य निर्भयत्वं, ५३. अमाधातः अमारिः (ज्ञान-विश्वरूपि), सब्वरसवि अमाधाओ च सर्वस्यापि सकलप्राणिगण्यस्य अमाधातः—मा-लङ्घीः, सा च द्रेष्टा-धनलङ्घीः प्राणलङ्घीश्च, तस्या घातो इनन् माधातो नमाधातो अमाधातः- अमारिः स्वपदद्वारा प्राणिना प्राणत्राण-करणात् (धा०), ५४ चोक्षा—पवित्रा पवित्रादपि पवित्रा एकार्थशब्दद्वयोपादानात् अत्यर्थं पवित्रा अथवा ५५. पवित्रत् वज्रवत् त्रायते इति पवित्रा (ज्ञा० विश्व० सू०), आत्मनैर्मलहेतुत्वात् (धा०) ५६. शुचिः—भाव-शौचरूपा आह च...., ५७. पूता पवित्रा पूजा वा भावतो देवताया अर्चनं ५८-५९. विमलः प्रभासा च तन्निबन्धनत्वात्, (ज्ञा० विश्व०) मिथ्यात्वाविरत्यादिमलवर्जितत्वात् (५८, धा० ला०); प्रकाशरूपा केवल-ज्ञानस्योतीरुपत्वात्, सर्वप्राणिना मुखप्रकाशकत्वाच्च ५९, धा० ला०),

६०. निम्नलिखित—निम्नलिखित : अहिंसा के प्रादुर्भूत होते ही सभी कर्म-रज हट जाते हैं और जीव निम्नलिखित हो जाता है, अतः इसे निम्नलिखित कहते हैं।

अहिंसा की परिमापा :

सामान्यतौर से किसी भी वस्तु को दो तरह से परिभाषित किया जाता है—व्यावहारिक ढंग से एवं वैज्ञानिक ढंग से। व्यावहारिक परिभाषा के शब्द वस्तु-संबंधी सभी बातों पर प्रकाश नहीं डालते, अतः उन्हें पूर्णतः समझने के लिए उनमें कुछ बातें मिलानी पड़ती हैं, तथा विषय के आधार पर कुछ अनुमान भी करना पड़ता है। किन्तु वैज्ञानिक परिभाषा, जिसे परिभाषा का सही रूप समझा जाता है, वस्तु-संबंधी सभी बातों को अपने शब्दों द्वारा स्पष्ट कर देती है, वस्तु की एक सीमा निर्धारित कर देती है; इसमें न तो परिभाषित वस्तु का कोई अंश क्षूट पाता है और न कोई अनावश्यक बात मिला ही ली जाती है। अहिंसा के साथ भी ऐसी ही बात पाई जाती है अर्थात् इसकी भी व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक परिभाषाये हैं।

आचाराग में कहा है—

सर्वे प्राणा, सर्वे भूया, सर्वे जीवा सर्वे सत्ता,
न हत्या, न अज्ञावेयव्या, न परिघितव्या,
न परियावेयव्या, न उद्देयव्या, एस धर्मे सुद्धे ।

अर्थात्—सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्तों को न मारना चाहिये, न अन्य व्यक्ति के द्वारा मरवाना चाहिये, न बलात्कार से पकड़ना चाहिए, न परिताप देना चाहिये, न उन पर प्राणापहार-उपद्रव करना चाहिये, यह अहिंसारूप धर्म ही शुद्ध है।^१

६०. कर्मजोरहितं....(हान वि०८०), सकलकर्ममलवर्जितत्वात् (चा० ला०) ।

१. आचारांगसूत्र—आत्मारामजी, प्रथम श्रुतस्कंच, चतुर्थ अध्ययन, उद्देशक १, पृष्ठ ३७०.

यद्यपि इस कथन के मूल में 'अहिंसा' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, व्याख्याकार ने वस्तु एवं विषय की स्पष्टता के लिए इसमें 'अहिंसा' शब्द बढ़ा दिया है, क्योंकि इस कथन में जो भी बातें कही गई हैं, वे अहिंसा पर ही लागू होती हैं तथा इसमें जिस शुद्ध धर्म का प्रतिपादन हुआ है, उसे अहिंसा ही माना गया है।

सूत्रकृतांग में पाया जाता है—

सत्त्वार्हं अणुचुत्तोर्हि, मतिमं पठिलेहिया ।
सत्त्वे अशक्तंदुक्षाय, अतो सत्त्वे न हिसया ॥ ९ ॥
एयं सु जाणिणो सारं, जं न हिसति कंचण ।
अहिंसा समयं चेव, एतावतं विजाणिया ॥ १० ॥

अर्थात्—दुद्धिमान सब युक्तियों के द्वारा इन जीवों का जीवपन सिद्ध करके ये सभी दुःख के द्वेषी हैं (यानी दुःख अप्रिय है) यह जाने तथा इसी कारण किसी की भी हिंसा न करे। ज्ञानी पुरुष का यही उत्तम ज्ञान है कि वे किसी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, अहिंसा का सिद्धान्त भी इतना ही जानना चाहिये ।

इस परिभाषा में तीन बातें बताई गई हैं—

१. दुद्धिमान को सभी युक्तियों के द्वारा जीवों के जीवपने को जानना चाहिए,
२. किर यह भी जानना चाहिये कि सभी जीवों को कष्ट अप्रिय होता है तथा
३. इन दोनों बातों को जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए ।

अर्थात् हिंसा करने से बचने का प्रयास आदमी तभी कर सकता है जबकि वह प्रथम दो बातों को जानता हो। इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में कहा है—

१. सूत्रकृतांग सं०—पं० अ० ओझा, प्र० श्रु०, तृतीय खण्ड, अध्ययन ११, पृ० ५०, ५८; प्रथम खण्ड, पृ० १८४, १८६, गाथा १, १० भी देखें।

तिविहेणवि पाण मा हणे, बायाहिते अणियाणसंबुद्धे ।

(तिविहेणवि) मन, वचन और काय इन तीनों से (पाण मा हणे) प्राणियों को न मारना चाहिये ।^१ इस परिभाषा में मन, वचन और कर्म अर्थात् तीन योग की प्रधानता दिखाई गई है ।

तए णं से बाणं दे गाहाकई समणस्स भगवतो महावीरस्स
अंतिए तप्पदमयाए शूलगं पाणाइवायं पच्छक्षाह,
आवज्जोवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि, मणसा
बयसा कायसा ॥ १३ ॥

इसके पश्चात् आनन्द गाथापति ने श्रमण भगवान् महावीर के पास अखिल व्रतों में श्रेष्ठ प्रथम व्रत के रूप में स्थूल प्राणातिपात अर्थात् स्थूल हिंसा का दो करण तीन योग से परित्याग किया । उसने निश्चय किया कि यावज्जोवन मन, वचन और शरीर से स्थूल प्राणातिपात न स्वयं करूँगा और न दूसरों से कराऊँगा ।^२

यहाँ पर अहिंसा को तीन योग तथा दो करण के बीच रखा गया है ।

किन्तु आवश्यकसूत्र में अहिंसा की पूर्ण परिभाषा मिलती है । इसमें कहा है—

करेमि भंते ! सामाइयं सञ्चं सावज्जं जोगं पच्छक्षामि,
आवज्जोवाए तिविहं तिविहेण, मणेण बायाए काएण,
न करेमि न कारवेमि करंतंपि अनं न समनुजाणामि ।

अहो भगवन् ! मैं समभाव में आत्मस्थापन करने के लिए सामाजिक व्रत करता हूँ, इसमें सर्वथा प्रकार से सावद्य योग प्रवृत्ति का यावत् जीवन तक प्रत्याख्यान करता हूँ । तीन करण और तीन जोग कर । इसमें

^१ सत्रकृतांग, प्र० स्त०, अध्ययन २, उद्दे० ३, गाया २१, पृ० २९८.

^२ उपात्तकदशांगसूत्र-अनु० आत्मारामजी प्रा० अध्ययन, स्त० १३,
पृष्ठ २४-२५.

तीन योग सो मन कर, वचन कर और काया कर, तीन करण सो स्वयं कर्तुं नहीं, अन्य के पास कराऊं नहीं, अन्य करते को अच्छा जानूँ नहीं।'

इसके अनुसार किसी भी जीव की तीन योग और तीन करण से हिंसा न करना ही अहिंसा है। यह जैनटटि से अहिंसा की वास्तविक परिभाषा है। इन तीन योग और तीन करण के संयोग से नव प्रकार बन जाते हैं, जो इस प्रकार हैं—

तीन योग (मन, वचन, कर्म), तीन करण (करना, करवाना, अनुमोदन करना)=९ योग करण।

अर्थात्—

१. मन से हिंसा न करना
२. मन से हिंसा न करवाना
३. मन से हिंसा का अनुमोदन न करना

१. वचन से हिंसा न करना
२. वचन से हिंसा न करवाना
३. वचन से हिंसा का अनुमोदन न करना

१. काय से हिंसा न करना
२. काय से हिंसा न करवाना
३. काय से हिंसा का अनुमोदन नहीं करना।

इन नव प्रकारों से किसी भी प्राणी का धात न करना ही अहिंसा है। यहो जैनटटि से अहिंसा का वास्तविक सिद्धान्त है।

नियमसार में प्रथम व्रत अहिंसा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

कुलजोण जीवमण्णाण-ठाणाहसु जाणऊण जोबाण ।
तस्सारं भणियत्तण-परिणामो होइ पढमवदं ॥ ५४ ॥

१. आवश्यकसूत्र—अमोलकऋषि, प्रथम आवश्यक, सूत्र ३, पृष्ठ ७.
२. नियमसार—कुन्दकुन्दाचार्य, स० उग्रसेन, अध्ययन ४, नियम ५३.

जीव के कुल, योनि, मार्ग, स्थान आदि की जानकारी करके उसके आरम्भ से बचना ही प्रथम व्रत है या अहिंसा है ।

इस परिभाषा का ही एक बृहदरूप मूलाचार में मिलता है—

कायेद्वयगुणमरणकुला उजोणिसु सवजीवाणं ।
याक्षं य ठार्णवसु हिसादि विवरणमहिंसा ॥

काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मार्गणस्थान, कुल, आयु, योनि इनमें सब जीवों को जानकर कायोत्सर्गादि क्रियाओं में हिसा आदि का त्याग अहिंसा महाव्रत कहलाता है ।^१

योगशास्त्र में कहा गया है—

न यत्प्रभावयोगेन जीवितव्यपरोपणम् ।
त्रसानां स्थावराणां तदहिंसावतं मतम् ॥

प्रमाद के वशीभूत होकर त्रस (द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय) अथवा स्थावर (पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और बनस्पति काय के) प्राणियों का हनन न करना अहिंसा व्रत है ।^२

ध्यानपूर्वक देखने पर इन सभी परिभाषाओं में कुछ अन्तर अवश्य मिलता है । किसी में अहिंसा के कारण पर तो किसी में जीव के विभिन्न प्रकारों पर तो किसी में हिसा के विभिन्न प्रकारों को दिखाते हुए उनके अपेक्षित बचाव पर प्रकाश ढाला गया है । यह अन्तर इसलिये नहीं है कि ग्रन्थकारों के विचारों में अन्तर है, बल्कि शायद इसलिये है कि आचार्यों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास ही नहीं किया है । एक उपदेश के रूप में जिसने जिस अंश को अधिक महत्वपूर्ण समझा है उसी पर बल दिया है । ऐसा इसलिये कहा जा सकता है कि आगमों में महावीर के ही बचन हैं और यदि आचार्यों ने कुछ बाते कही भी हैं तो महावीर द्वारा उपदेशित सिद्धान्त के आधार पर ही कही हैं ।

१. मूलाचार, मूलगुणाधिकार १, गाथा ५, पृष्ठ ३.

२. योगशास्त्र-सं० मुनि समदर्शी, प्र० प्रकाश, इलोक २, पृष्ठ १०.

अहिंसा के रूप :

अमी हमलोगों ने हिंसा के दो रूप देखे - भाव और द्रव्य, और उन दोनों से बने हुए चार विकल्प भी। ठीक उसी तरह अहिंसा के भी दो रूप होते हैं, भाव अहिंसा यानी मनमें हिंसा न करने की भावना का जाग्रत होना। जैसे कोई व्यक्ति यह संकल्प करता है कि मैं किसी भी जीव का घात नहीं करूँगा। द्रव्य अहिंसा-यानी मन में आये हुए अहिंसा के भाव को क्रियारूप देना अर्थात् उसका बचन और काय से पालन करना, जैसे हिंसा न करने का संकल्प करनेवाला वास्तव में जिस दिन से संकल्प करता है, उस दिन से किसी भी प्राणी की हिंसा न करता है, न कराता है और न करनेवाले का अनुमोदन ही करता है।

भाव और द्रव्य के आधार पर अहिंसा के चार विकल्प इस प्रकार बन सकते हैं —

१. भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा—कोई व्यक्ति मन में संकल्प करता है कि वह स्थूल प्राणी की हिंसा नहीं करेगा और सुचमुच वह ऐसा ही करता भी है तो ऐसी अहिंसा भावरूप तथा द्रव्यरूप दोनों ही हुई।

२. भाव अहिंसा किन्तु द्रव्य अहिंसा नहीं—एक मुनि किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का संकल्प करके यत्नपूर्वक अपनो राह पर चार हाथ भूमि देखते हुए चलता है, फिर भी बहुत से जीवों का अनजाने घात हो जाता है। अतः यहाँ पर भाव अहिंसा तो हुई किन्तु द्रव्य अहिंसा नहीं हुई।

३. भाव अहिंसा नहीं परन्तु द्रव्य अहिंसा—मछली मारने के उद्देश्य से नदी किनारे जाल फैलाये हुए बैठा रहता है, किन्तु संयोगवश कभी-कभी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। अतः यहाँ पर भाव अहिंसा तो नहीं है किन्तु द्रव्य अहिंसा है।

४. न भाव अहिंसा और न द्रव्य अहिंसा—मांसादि के लोभ में पड़ा हुआ आदमी जब मृग आदि जीवों को मारता है तो उसके द्वारा न भाव अहिंसा होती है और न द्रव्य अहिंसा ही।

अहिंसा के प्रकार :

प्रधानतौर से अहिंसा के दो प्रकार होते हैं - १. निषेधात्मक और २. विधेयात्मक। निषेध का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को रोकना, न होने देना। अतः निषेधात्मक अहिंसा का मतलब होता है कि किसी भी प्राणी के प्राणघात का न होना या किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। अहिंसा का निषेधात्मक रूप ही अधिक लोगों के ध्यान में आता है। किन्तु अहिंसा सिफ़ं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं को न करने में ही नहीं होती बल्कि कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं के करने में भी होती है, जैसे दया करना, सहायता करना, दान करना आदि। यही सब क्रियायें विधेयात्मक अहिंसा कहलाती हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, प्रश्नव्याकरण सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि में जो षट्कार्यों को तीन करण तीन योग से घात न पहुँचाने का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है, जिसे हमलोगों ने समझने का प्रयास भी किया है, वही अहिंसा का निषेधात्मक रूप है। अतः अब हमलोग अहिंसा के विधेयात्मक रूप को समझने की कोशिश करेंगे।

दया :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में जहाँ पर अहिंसा के साठ नाम बताये गये हैं, वहाँ पर 'दया' को अहिंसा के ग्यारहवें नाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अहिंसा से प्राणियों का रक्षा होती है, अर्थात् यह जीवों के प्राणों के उपमर्दनकृत्य से रहित होने के कारण दयारूप है।^१ दया के लिए 'अनुकम्पा' 'करुणा' आदि शब्द भी व्यवहृत होते हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने करुणा भावना को परिभाषित करते हुए कहा है-

दीनेवासेषु भीतेषु याचमानेषु जीवितम् ।

प्रतीकारपरा दुः॒खः काल्यमभिधीयते ॥ १२० ॥^२

अर्थात् जो गरीब हैं, या दुःखदर्द से संतप्त हैं, या भयभीत हैं, या प्राणों की भीख मागते हैं, ऐसे प्राणियों के कष्ट निवारण की भावना का होना ही करुणा भावना है।

१. प्रश्नव्याकरण—द्वितीय श्रुतस्कन्ध, अहिंसा अध्ययन, प्रथम संवरद्धार।

२. योगशास्त्र, चतुर्थ प्रकाश।

करुणा या दया के चार विभाग किये जा सकते हैं —

१. द्रव्यदया—जीव मानसिक या वाचिक या कायिक किसी भी प्रकार के कष्ट को इच्छा नहीं करता जैसा कि हमलोगों ने आगमों (आचारांग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन आदि) में अहिंसा संबंधी विवेचन को प्रस्तुत करते हुए देखा है। जो व्यक्ति जानी है, वे अपनी आत्मा को तरह ही दूसरे जीवों की आत्माओं को समझकर किसी अन्य प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाते, और जहाँ तक दूसरों के कष्ट निवारण में वे अपने को सफल बना पाते हैं, वहाँ तक वे द्रव्य-दया के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने, अपने परिवार या समाज, राष्ट्रादि के लिए किसी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट देता है तो वह दया के पथ का पथभ्रष्ट पथिक समझा जाता है।

२. भावदया पौदगलिक सुख जिसे सामान्यतौर से सुख के रूप में लिया जाता है, अनित्य होता है अतः इसकी अनित्यता को ध्यान में रखते हुए जो विकसित प्राणी हैं, वे आत्मिक सुख की प्राप्ति को इच्छा करते हैं। क्योंकि आत्मिक सुख नित्य अथवा शाश्वत समझा जाता है। जब आत्मगुणों का विकास होता है तो आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अतः आत्मिक सुख प्राप्ति हेतु निष्कंटक पथ प्रशस्त करना या आत्मिक सुख के लिए पथ प्रदर्शित करना ही भाव दया है। दूसरे शब्दों में आत्म-गुणों का विकास करना भावदया है। कहा गया है—‘आत्मगुण अविराधना भावदया भण्डार।’

३. स्वदया—स्वदया का अर्थ होता है अपने आप पर दया करना। जीव जड़तत्व में आसक्त होकर नाना प्रकार के सांसारिक कष्टों से ग्रस्त रहता है। किन्तु जब वह इस मोह को जड़ से मिटाने का प्रयास करता है और मिटा पाता है तो जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा पाकर वह परम सुख-शान्ति को प्राप्त करता है। अतः सांसारिक ममता को दूर करने का प्रयास ही स्वदया है। इस प्रकार स्वदया का सही-सही पालन करके प्राणी मुक्ति को प्राप्त करता है।

४. परदया—सामान्यरूप से परदया को ही लोग दया समझते हैं। परदया यानी दूसरों की सुख-प्राप्ति तथा दुःख दूर करने में सहायक होना। अर्थात् परदया का पालन करनेवाला व्यक्ति दूसरों के सुख

को दृढ़ि चाहता है और करता है। साथ ही दूसरों के कष्ट को कम करने वा मिटाने का प्रयास भी करता है।

दान :

तत्त्वार्थसूत्र में दान को परिभाषित करते हुए कहा है—

बनुप्राहार्थ स्वस्यातिसर्गो दानम् ।^१

अर्थात् अनुग्रह के निमित्त अपनी वस्तु का त्याग कर देना ही दान है। पं० सुखलालजी ने इसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा है—

दान का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के लिए अपर्ण करना। यह अपर्ण करनेवाले कर्ता और स्वीकार करनेवाले दोनों का उपकारक होना चाहिये। अपर्ण करनेवाले का मुख्य उपकार तो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इस तरह उसे सन्तोष और समभाव की प्राप्ति हो। स्वीकार करनेवाले का उपकार यह है कि उस वस्तु से उसकी जीवन-यात्रा में मदद मिले, और परिणाम-स्वरूप उसके सद्गुणों का विकास हो।^२

यद्यपि सभी दान सामान्यतौर से एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनमें अपनी-अपनी विशेषतायें भी होती हैं और ये विशेषतायें उनके चार अंगों पर आधारित हैं। यानी, उन चार अंगों की विशेषतायें ही दान की विशेषता होती हैं। दान के चार अंग ये हैं—^३

१. विधि विशेष - देश, काल तथा श्रद्धा के औचित्य को ध्यान में रखते हुए जब उस कल्पनीय वस्तु का त्याग किया जाता है, जिसके लेने से लेनेवाले के सिद्धान्त पर आँच न आये, तब ऐसे दान में विधि-विशेषता समझी जाती है।

२. द्रव्य विशेष - देयवस्तु में उन गुणों का समावेश हो जो लेनेवाले का पोषण करे तथा उसका विकास करे।

१. तत्त्वार्थसूत्र, ७, १३.

२. तत्त्वार्थसूत्र—विवेचनकर्ता पं० सुखलालजी, ७. १३, पृष्ठ २७७.

३. विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषणात्तद्विशेषः ॥ ३४ ॥ तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ७,

३. दाता की विशेषता—दाता के दिल में देनेवाले के प्रति अद्वा हो तथा वस्तु त्याग देने के बाद उसके प्रति दाता के मन में किसी प्रकार असूयाभाव न जगे, कोई विषाद न हो। साथ ही दान करने के बाद दाता किसी फल की आकांक्षा न करे।

४. पात्र की विशेषता—दान लेनेवाला व्यक्ति सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्रादि को धारण करनेवाला तथा सदा सत्यरुपार्थ के लिए जागरूक रहनेवाला हो।

दान के प्रकार :

दान दस प्रकार के होते हैं—

१. अनुकम्पादान—किसी दीन-दुःखी तथा अनाथ को दया करके जो कुछ भी दानस्वरूप दिया जाता है, उसे अनुकम्पादान कहते हैं।

२. संग्रहदान—आपत्ति के समय अपनी सहायता के उद्देश्य से दूसरे को जो कुछ दिया जाता है, वह संग्रहदान कहलाता है। इसमें दाता का स्वार्थ निहित होता है। ऐसे दान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती।

३. भयदान—राजा, मंत्री, पुरोहित, राक्षस, पिशाच आदि के डर से दान करना भयदान कहलाता है।

४. कारण्यदान—पुत्र, पिता आदि प्रियजनों की मृत्यु से शोक पैदा होता है, करुणा होती है, वैसी स्थिति में पुत्र आदि के नाम से कुछ दान कर देना ही कारण्यदान कहलाता है।

५. लज्जादान—लज्जावश जो दान दिया जाय वह लज्जादान होता है। किसी छोटी या बड़ी सभा में बैठे हुए व्यक्ति से कोई याचक याचना कर देता है तब वास्तव में देने की इच्छा न होने पर भी व्यक्ति

१. दसविंश दाणे ५० तं०

अगुकपा १ संगहे २ चेव भये ३ कालुणितेति य

४ लज्जाते ५ गारवेण च ६ अहम्मे उण सचमे ७

धम्मे त अट्ठमे बुचे ८ काहीति त ९ करंति त १० ॥

—स्थानांग सूत्र, अ०१०, उ००३, सूत्र ७४४.

कुछ दे देता है ताकि समाज के लोग उसे कंडूस न करें या कठोर दिलवाला न करें।

६. गौरवदान — यश प्राप्ति के लिए गर्वपूर्वक धन का त्याग करना, गौरवदान कहलाता है।

७. अधर्मदान — जिस दान से धर्म की पुष्टि न होकर अधर्म की पुष्टि होती है, उसे अधर्मदान कहते हैं। हिसा, झूठ, चोरी आदि में रत रहनेवालों को कुछ देना अधर्मदान है।

८. धर्मदान — धर्म के लिए दिया गया दान धर्मदान कहलाता है। समझावी मुनियों को, जिनके लिये सोना और राख में कोई अन्तर नहीं होता, दान देना धर्मदान की श्रेणी में आता है।

९. करिष्यतिदान — भविष्य में प्रत्युपकार पाने के उद्देश्य से किया गया दान करिष्यतिदान कहलाता है।

१०. कृतदान — पहले के किए गये उपकार से उच्छृण होने के लिए जो दान दिया जाता है, वह कृतदान के नाम से संबोधित होता है।¹

१. कृपणेऽनाथदरिद्रे व्यक्तनप्राप्ते च रोगशोकहते ।
यद्यीयते कृपार्थात् अनुकम्पा तदभवेहानम् ॥
अस्युदये व्यक्तने वा यत् किञ्चिद्दीयते सहायतार्थम् ।
तत्संग्रहतोऽभिमतं मुनिभिर्दानं न मोक्षाय ॥
राजारक्षपुरोहितमधुमुखमाविल्लदयडपाशिषु च ।
यद्यीयते भयार्थात्तदभयदानं बुधेऽयम् ।
अस्यर्थितः परेण तु यद्यान जनसमूहगतः ।
परचित्तरक्षणार्थं लज्जायास्तद्भवेहानम् ॥
नटनर्त्तमुष्टिकेम्बो दानं सम्बन्धवन्मुभित्रेभ्यः ।
यद्यीयते यशोऽर्थं गवेण तु तद्भवेहानम् ॥
हिंसादृतचौयोग्यतपरदारपरिग्रहप्रत्येभ्यः ।
यद्यीयते हि तेषां तज्जानीयाद्वर्त्माय ॥

किसी-किसी ने दान के चार प्रकार ही माने हैं—ज्ञानदान, अभय-दान, धर्मोपकरणदान तथा अनुकम्पादान। पढ़ाना, तथा पढ़ने पढ़ाने वालों की सहायता करना ज्ञानदान है। भयभीत प्राणी को दुःख से मुक्त करना अभयदान है। छः काय के आरंभ से रहित पंचमहाव्रतों का पालन करनेवाले साधुओं को दान देना धर्मोपकरणदान कहा जाता है। अनुकम्पा के विषय में तो हमलोगों ने पहले बाले वर्गीकरण में जानकारी की ही है।^१ इन सब में अभयदान श्रेष्ठ है।^२

दान, धर्म के चार प्रकारों में से एक है। धर्म के चार प्रकार हैं—१. दान, २. शील, ३. तप तथा ४. भावना। स्व और पर के हित के लिए उस व्यक्ति को जिसे आवश्यकता है, जो दिया जाता है वह दान कहलाता है।

दान के कई प्रकार होते हैं जैसा कि हमलोगों ने अभी-अभी देखा है—अनुकम्पादान, ज्ञानदान आदि, और इनको पालना ही दान-धर्म होता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित शब्दों से स्पष्ट हो जाती है—

दान के प्रभाव से धन्नाजी और शालिभद्रजी ने अखूट लक्ष्मी पाई और भोग भोगे। शालिभद्रजी सर्वार्थसिद्धि से आकर सिद्धि (मोक्ष) पावेंगे और धन्नाजी तो सिद्ध हो चुके। यह जानकर प्रत्येक व्यक्ति को सुपात्रदान आदि दानधर्म का सेवन करना चाहिए।^३

स मतृणमर्णिमुक्तेभ्यो यदानं दीयते सुपात्रेभ्यः ।

अङ्गयमतुलमनन्तं तदान भवति धर्माय ॥

शतशः कृतोपकारो दर्ता च सहस्रशो ममानेन ।

अहमपि दद्यामि किञ्चित्पत्युपकाराय तदानम् ॥

जैन सिद्धान्त बोल संग्रह—स० मैरोदान सेठिया,
भाग ३, पृष्ठ ४५०.

१. जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, भाग ३, बोल १९७, पृष्ठ १५६-१५७.

२. सूत्रकृतांग, प्रथम न्रुत्स्कृच, अ० ६, गाथा २३.

३. श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, भाग ३, बोल १९६,
पृष्ठ १५४-१५५.

दान की गिनती नौ पुण्यों में भी होती है—

१. अन्नपुण्य—अन्नादि देने से शुभ प्रकृतियों का बंधन।
२. पानपुण्य—दूध आदि पेय वस्तुओं के देने के फलस्वरूप शुभ बन्ध।
३. वस्त्रपुण्य—कपड़े देने के कारण होने वाले शुभबन्ध।
४. लयनपुण्य—निवास के लिये जगह देने के कारण शुभकर्म-बन्ध।
५. शयनपुण्य—विछावन आदि देने से होनेवाला पुण्य।
६. मनःपुण्य—गुणियों, सज्जनों को देखकर खुश होने से जो शुभकर्म-बन्ध होता है, उसे मनःपुण्य कहा जाता है।
७. वचनपुण्य—वचन के द्वारा दूसरों की प्रशंसा करने के फलस्वरूप जो शुभ बन्ध होता है, उसे वचन-पुण्य कहते हैं।
८. कायपुण्य—शरीर से दूसरे व्यक्तियों की सेवा, भक्ति आदि से होनेवाला शुभबन्ध।
९. नमस्कारपुण्य—नमस्कार से जो शुभबन्ध होता है, उसे नमस्कारपुण्य कहते हैं।

पुण्य के इन नौ प्रकारों में प्रथम पाच की गिनती दान के प्रकारों में भी होती है यानी दान पुण्य है या पुण्य-संग्रह का साधन है।^१

दान के फल :

सामान्यतौर से ऐसा समझा जाता है कि दान से पुण्य की प्राप्ति होती है, किन्तु जैन धर्म में इस संबंध में कई विकल्प पाये जाते हैं। भगवतीसूत्र में भगवान् भगवान् तथा उनके शिष्य गौतम स्वामी के बीच हुए दान-विवेचन में निम्नलिखित विकल्पों को प्रस्तुत किया गया है :

१. स्थानाङ्गसूत्र, भाग ५, स्थान ६, सूत्र १०.

(गौतमस्वामी पूछते हैं) हे भद्रन्त ! तथारूपवाले श्रमण या माहन के लिये प्रासुक एषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले श्रमणोपासक को क्या फल प्राप्त होता है ?

(भगवान महावीर के द्वारा दिया गया उत्तर) हे गौतम ! श्रमणोपासक श्रावक को एकान्त निर्जरा होने रूप फल प्राप्त होता है । पाप कर्म उसे नहीं लगता ।

प्र०—हे भद्रन्त ! तथारूपवाले श्रमण वा माहन के लिये अप्रासुक अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले श्रमणोपासक को क्या फल प्राप्त होता है ?

उ०—हे गौतम ! ऐसे श्रमणोपासक श्रावक के कर्मों की निर्जरा अधिक होती है तथा बहुत कम पापकर्म का बंध होता है ।

प्र०—हे भद्रन्त ! तथा प्रकार के विरतिरहित अप्रतिहत और अप्रत्याख्यातं पापकर्मवाले असंयमी के लिये प्रासुक अथवा अप्रासुक, एषणीय तथा अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले श्रावकों को क्या फल प्राप्त होता है ?

उ०—हे गौतम ! ऐसे श्रावक के एकान्ततः पापकर्म का बंध होता है— निर्जरा थोड़ी-सी भी नहीं होती है ।'

किन्तु इन तीन विकल्पों के अलावा भी एक विकल्प अनुकम्पा दान के संबंध में है यानी अनुकम्पादान से क्या फल मिलता है ? यह

१०. उमणोवासगस्त णं भंते । तहारूप समर्णं वा माहणं वा फासुएसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पदिलाभेमाणस्त कि कज्जइ ? गोयमा ! एगं-तसो निर्जरा कज्जइ, नतिथ य से पावे कम्मे कज्जइ । समणोवासगस्त ण भंते ! तहारूप समर्णं वा माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेण असण-पाणखाव पदिलाभेमाणस्त कि कज्जइ ? गोयमा ! बहुतरिया से निर्जरा कज्जइ, अप्यतराए से पावे कम्मे कज्जइ, समणोवासगस्त ण भंते ! तहारूप असंजय अविरथपदिहयपच्चक्षायपावकम्मं फासुएणवा अफासुएणवा एसणिज्जेणवा, अणेसणिज्जेणवा, असणपाण जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नतिथ से काइ निर्जरा कज्जइ ॥ स० १ ॥ भगवती सूत्र—अनु० घासीलालजी — शतक ८, उद्देश्य० ६, पृ० ६६१-६६४.

बहुत ही प्रसिद्ध विकल्प है। इसके संबंध में बहुत लम्बे-लम्बे व्याख्यान तथा बृहद् वाद-विवाद मिलते हैं। भगवती सूत्र के टोकाकार ने ऐसा लिखा है कि यद्यपि इस विकल्प के संबंध में गौतम स्वामी ने प्रचल नहीं किया है और भगवान् महावीर ने भी यहां पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन व्याख्याप्रश्नस्थि में ऐसा उल्लेख है कि—

मोक्षसत्यं जं दाणं तं पइ एसो विही समख्यादो ।
अणुर्हं पाणं पुणं जिणेहि न कयाइ पडिसिद्ध' ॥

अर्थात् मोक्ष प्राप्ति हेतु जो दान किया जाता है, उसके संबंध में भगवतीसूत्र में तीन विकल्प बताये गये हैं, अनुकम्पादान के संबंध में ऐसी बात नहीं है। महावीर ने अनुकम्पादान का कभी भी निषेध नहीं किया। अतः अनुकम्पादान देना चाहिये।

अनुकम्पादान के विषय में तेरापंथ का अपना एक विशेष मत है। इन लोगों के अनुसार अनुकम्पादान से एकान्त पाप होता है, क्योंकि अनुकम्पादान असंयति-दान की श्रेणी में आता है और असंयतिदान से एकान्त पाप होता है। इस मत की पुष्टि पूर्णल्पेण जयाचार्य ने 'भ्रम-विघ्वंसनम्' के दानाधिकार में की है। अपने मत के समर्थन में इन्होंने आगमों को उद्धृत किया है, जिनके विवेचन एवं विश्लेषण अपने मतानुकूल प्रस्तुत किये हैं। परन्तु उन्हीं उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए जवाहिरलालजी ने सद्दर्ममण्डनम् में जयाचार्यजी यानी तेरापन्थ के दान संबंधी मत का पूरा खण्डन किया है तथा यह बताया है कि अनुकम्पादान एकान्त पाप का साधन नहीं, बल्कि पुण्य का साधन है और श्रावक के लिये अनुकम्पादान करना उचित है, घमनिकूल है। इस खण्डन-मण्डन को हम निम्नलिखित ढंग से समझ-जूझ सकते हैं :

प्रथम उदाहरण उपासकदशांगसूत्र के प्रथम अध्ययन से लिया गया है जिसमें गाथापति आनन्द महावीर के पास पाँच अणुव्रत, सात शिक्षा व्रत यानी बारह प्रकार के श्रावकधर्म को पालने का वचन व्यक्त करके कहते हैं कि हे भगवन् ! आज से निर्ग्रन्थ संघ के अलावा दूसरे संघवालों को, अन्य गूढिक देवों को तथा दूसरे गूढिकों द्वारा स्वीकृत चेत्यों की वन्दना करना या नमस्कार करना, उनके बिना बोले ही बोलना, उनको

अशन, पान, स्वाद्य तथा स्वाद्य आग्रहपूर्वक देना नहीं कर्तव्य। किन्तु राजाभियोग, गणाभियोग, सेनाभियोग, देवताभियोग, माता-पिता आदि गुरुजनों के आग्रह, तथा अरण्यादि में वृत्ति के लिये लाचार होने की स्थितियों को अपवादरूप समझें यानी इन अवस्थाओं में पूर्वकथित शपथ का पालन नहीं हो सकेगा। आज से मुझे अमण निर्गन्धों को प्राप्तुक ऐषणिक अशन, पान, स्वाद्य, वस्त्र परिध्रह, पाद-प्रोत्त्वन, पीठ, फलक, शम्बा संथारा, और औषध भेषज आदि प्रदान करते हुए विचरना कर्तव्य है अर्थात् ऐसा करना मेरे लिये उचित है और मैं करूँगा। १

गाथापति आनन्द के इस व्रतधारण में भ्रमविघ्वसनकार की दृष्टि जाती है कि आनन्द ने निर्गन्धों को छोड़कर अन्य तीर्थियों को दान आदि न देने का अभिग्रह धारण इसलिये किया कि हीन, दीन, दुःखी जीवों पर दया करने से पुण्य नहीं होता, बल्कि एकान्त पाप होता है।^२ क्योंकि दीन - दुःखियों पर दया करने से यदि पुण्य होता तो वह अपने व्रत में निर्गन्धों के साथ-साथ अन्य लोगों को भी दान देने का व्रत लेता।

१. तप्ण से आणंदे गाहावई समणस्त भगवओ महावीरस्स अंतिए पचासुव्वद्यं सत्तिंकलावद्यं दुवालसविहं सावयधम्मं पद्धिवज्ज्ञहत्ता समणं भगव महावीरं वदह नमंसह, वंदित्ता नमसित्ता एव वयासी नो खतु मे कप्पह अज्जप्पभिह अन्नउत्तिथ वा अन्नउत्तिथदेवयाणि वा अन्नउत्तिथ परिग्याहियाणि चहयाह वा वादितए वा, नमंसितए वा, पुविं अणालचोण आलवित्तए वा, सलवित्तए वा, तेसि असणं वा पाणं वा खाइम वा खाइम वा दाउ वा अणुप्पदाउ वा नन्नस्य रायाभिओगेण, गणाभिओगेण, बलाभिओगेण देवयाभियोगेण, गुशनिग्गहेण वित्तिकन्तारेण। कप्पह मे समणे निगगये फासुएण एसचिङ्गजेण असणपाच्छ-खाइमसाइमेण वस्थपरिग्याहपायपुञ्ज्ञरेण पीठफलगसिज्जासंवारएण औसहमेसहजेण पडिलामेमाशस्स विहरित्तिकट्ठु हमं एवारुबं अभिग्याह पडिगियिह अभिगियाहत्ता परिणाहं पुञ्ज्ञर, पुञ्ज्ञित्ता अट्ठाह आदियहै। उपा०, अ० १, सूत्र ५५.
२. भ्रमविघ्वसनपू—जयाचार्य—दानाभिकार, बोल १, पृष्ठ ५२-५३,

जयाचार्य के इस विचार का स्पष्टन करते हुए जवाहिरलालजी सद्दर्ममण्डन में कहते हैं कि गरीब, दुःखी प्राणियों को दयावश दान देना श्रावकों के धर्मनुकूल है, इसलिये आनन्द ने अनुकम्पादान का त्याग नहीं किया था। उसके शब्दों में सर्वज्ञभाषितधर्म से भिन्न धर्म की प्रतिष्ठा करनेवाले, अज्ञानी चरक परिकाजक आदि को आहारादि न देने की घोषणा मिलती है, अनुकम्पा या करुणा के कारण गरीब, दुःखी, असहाय प्राणियों को दान न देने की नहीं। अन्य यूथिक को गुरुबुद्धि से दान न देने का उसने व्रत लिया था, करुणावश दान न देने का नहीं।^१

दूसरे बोल में जयाचार्यजी का कहना है कि यदि कोई कहता है कि आनन्द ने अन्यतीर्थी को दान न देने का व्रत लिया, असंयति को दान न देने का नहीं अर्थात् अन्यतीर्थियों को दान देना पाप है, असंयतियों को दान देने में पाप नहीं है। और यदि असंयतियों को दान देने में पाप है तो उसके लिये शास्त्रीय प्रमाण क्या हो सकता है? इस संबंध में प्रमाणस्वरूप वे भगवतीसूत्र में उल्लिखित महावीर-गौतम वाद को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ महावीर ने कहा है कि असंयति को दान देने से एकान्त पाप होता है, निर्जरा बिल्कुल ही नहीं होतो।^२ इसका स्पष्टन करते हुए जवाहिरलालजी कहते हैं कि अन्य तीर्थियों या असंयतियों को गुरुबुद्धि से दान देने का शास्त्र अवश्य निषेध करता है, किन्तु करुणावश दान देने का विरोध कभी भी नहीं करता। इसके सबूत में वे कहते हैं कि राजा प्रदेशी जिसका वर्णन राजप्रश्नीय में किया गया है, आनन्द श्रावक के समान ही अभिग्रह-धारी समक्षित सहित बारह व्रतधारी था। लेकिन व्रतधारण करने के बाद भी वह दयावश दानशाला खोलकर हीन-दीन प्राणियों को दान देता था। व्रतधारण करते समय राजा प्रदेशी ने मुनि केशीकुमार से कहा था कि मैं सात हजार गांवों को चार हिस्मों में बांटकर एक बल-वाहन, दूसरा कोष्टागार, और तासरा अन्त पुर के लिये रखूँगा। शेष चौथे भाग से दानशाला का निर्माणकर, उसमें नौकरादि रखकर तथा

१. सद्दर्ममण्डन—जवाहिरलालजी—बोल १, पृ० ६४.

२. भगवतीसूत्र, शतक ८, उद्दे ६.

चतुर्विध आहार तेयार करवाकर श्रमण, माहन, भिक्षु एवं राहगीरों को भोजन करता हुआ तथा शील, प्रत्याख्यान, पोषण, उपवास आदि करता हुआ विचरणगा^१। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि दान में पाप नहीं होता।

किन्तु राजा प्रदेशी के वत्थारण के बचन सुनकर मुनि केशीकुमार का चुप रह जाना शंका पैदा कर देता है। जयाचार्यजी यहां कहते हैं कि यदि अनुकम्पादान में पुण्य होता है तो राजा प्रदेशी के शब्दों को सुनकर केशीकुमार ने मौन धारण क्यों कर लिया? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि राज्य के चार भागों के द्वारा विभिन्न चार कार्यों को करने से तुम्हें प्रथम तीन में पाप की प्राप्ति होगी और चौथे यानी दानशाला की प्रतिष्ठा करने से पुण्य होगा^२। इसका खण्डन करते हुए जवाहिरलाल जो कहते हैं कि मुनि केशीकुमार का चुप रहना यह दंगित नहीं करता कि अनुकम्पादान में एकान्तपाप होता है। क्योंकि यदि अनुकम्पादान में पाप होता तो केशीकुमार वहाँ चुप नहीं रहते बल्कि धर्मोपदेश देकर वे राजा प्रदेशी को पापजनक कार्य करने से रोकते यानी दानशाला की प्रतिष्ठा करने से रोकते। क्योंकि यह साधु का कर्तव्य होता है कि उनके सामने कोई हिसाजनक कार्य करने का विचार करे तो वे उसे रोके, समझावें। किन्तु केशीकुमार राजा के शब्दों को सुनकर चुप रह गये। इससे मालूम होता है कि अनुकम्पा दान हिसादि पाप-जनक कार्यों की श्रेणी में नहीं है।^३

१. अहं ण सेयंविद्याप्यमोक्षाह सत्त्वग्मामसहस्राहं चत्तारिभागे करिस्तामि।

एगे भागे बलवाहणस्त दलइस्तामि, एगे भागे कोडागारे दलइस्तामि, एगे भागे अन्तेऽरस्त दलइस्तामि, एगेण भागेण महाइ महालियं कूडागारसालं करिस्तामि, तत्यण बहुहि पुरिसेहि दिणभत्तिभत्तवेयणेहि वित्तल असणं पाण खाइम साइम उवक्षङ्कावेत्ता बहुणं समणमाहण-भिक्खुयाणं पथियपहियाणय परिभायमाये बहुहि सीढावए पश्चक्षत्ता योसहोववासेहि जाव विहरिस्तामि। ति कट्टु जामेव दिसिं पाउन्मुए तामेव दिसिं पहिगए।

—अमोलक शृणि संपा० —राजप्रश्नीय, पृ० २८३-८५०.

२. अमविच्छनम्, दानाधिकार, बोल १४, पृष्ठ ७४-७५०.

३. सद्भर्मण्डन, दानाधिकार, बोल ३, पृष्ठ १००

सूत्रकृतांग में एक कर्मकाण्डो ब्राह्मण से मुनि आद्रंकुमार की भेट तथा वातलिप की चर्चा मिलती है।^१ ब्राह्मण, वेदिक कर्मकाण्ड की बड़ाई तथा बौद्धादि धर्मों की शिकायत करता हुआ आद्रंकुमार को यह सलाह देता है कि वे ब्राह्मण धर्म को ही स्वीकार कर लें। वह कहता है कि वेदानुसार यजन - याजन, अध्ययन-अध्यापन आदि छः प्रकार के कर्मों को करनेवाले दो हजार ब्राह्मणों को रोज भोजन देने से पुण्य की वृद्धि होती है और स्वर्गलोक में देवत्व प्राप्त होता है। किन्तु ब्राह्मण को उत्तर देते हुए आद्रंकुमार कहते हैं कि मांस की खोज में विडाल की तरह घूमने वाले, उदर पूर्ति के लिये अत्रियादि के यहाँ अधमचाकरी करने वाले दो हजार क्या एक ब्राह्मण को भी नित्य भोजन कराने से, उसी मांसहारी ब्राह्मण के साथ भोजन कराने-वाला वेदनायुक्त नरक में जाता है। जो दया प्रधान धर्म की निन्दा या विरोध करता है तथा हिंसामय धर्म की प्रशंसा करता है, ऐसे एक ब्राह्मण को भोजन कराना ही नरक का बहुत बड़ा साधन बन जाता है।

यहाँ पर भ्रमविध्वंसनकार ने कहा है कि यदि असंयति को भोजन आदि दान देने से पुण्य होता तो मुनि आद्रंकुमार कर्मकाण्डो ब्राह्मण को क्यों कहते कि ब्राह्मण को भोजन कराने से नरक होता है।^२ लेकिन इसके विरोध में जवाहिरलाल जी कहते हैं कि आद्रंकुमार ने दयाधर्म की निन्दा करनेवाले तथा हिंसामय धर्म की प्रशंसा करने वाले नीचवृत्ति ब्राह्मणों को पूज्यबुद्धि से भोजन कराने का निषेध किया, क्योंकि

१. खिणायगाण तु दुवे सहस्रे, जे भोयए णियए माहणाण ।

ते पुन्नस्त्वन्वे सुमहाऽजशित्ता, भवति देवा इति वेयवाओ ।

खिणायगाण तु दुवे सहस्रे, जे भोयए णियए कुलालयाण ।

से गच्छुति लोलुबसंपगाढे तिब्बाभिताचि णरगाभिसेवी ।

दयावर धर्म दुगुच्छमाणा, बहावहं धर्म पसंसमाणा ।

एवंपि जे भोययती असीलं, णिवो णिसंजाति कुओं सरेहि ।

—सूत्रकृतांग, अ॒ तस्कन्ध २, अ० ६, गाया ४३-४४.

२. भ्रमविध्वंसनम्, दानाधिकार, बोल ९, पृ० ६६-६७.

ऐसा करने से नरक की प्राप्ति होती है, दीन-दुःखी प्राणियों को अनुकम्पादान देने का निषेध नहीं किया।^१ इसके अलावा भी आद्रेंकुमार के शब्दों में दयाधर्म के विरोधी के लिये एक हेयभावना का स्पष्ट मिलता ही है।

इस प्रकार ज्ञातासूत्र में वर्णित नन्दन मनिहार का नरक जाना, ठाणांग में तपस्वी, क्षपक, रोग आदि से ग्रस्त प्राणी एवं नवदीक्षित शिष्य पर अनुकम्पा करने का विवाद, उपासकदण्डांग (अध्ययन—३) में सकड़ाल पुत्र श्रावक का गोशालक मंखलिपुत्र को शश्या संथारा आदि देना, विपाकसूत्र (अ० १), उत्तराध्ययन (अ० १२ गाथा २४) आदि उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए यह खण्डन-मण्डन किया गया है कि अनुकम्पादान से पुण्य होता है या पाप^२।

सामान्य दृष्टि से अनुकम्पा को पुण्यजनक ही कहा जा सकता है।
अहिंसा क्यों?

'सब्बे अकंतदुष्काय, अओ सब्बे अहिंसिया'^३।

सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय मालूम होता है या

'अज्ञात्यं सञ्चको सञ्चं, दिस्स पाणे पियायए।

ण हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए' ॥ ७ ॥

सभी प्राणियों को सुख प्रिय तथा दुःख अप्रिय लगता है, सबको अपनी आत्मा प्यारी होती है, ऐसा जानते हुए भय और वैर से मुक्त होकर किसी भी जीव की हिंसा न करनी चाहिये।

हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने का यह सर्वचिदित कारण है और सामान्यतौर से लोग यही समझते भी हैं कि हिंसा करने से अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचता है, अतः किसी को कष्ट पहुँचाना

१. सद्भर्मण्डन, दानाधिकार, बोल ५, पृष्ठ १०६-१०७.

२. वर्द्धा दानाधिकार, बोल ८, १, १७, १८, १९.

भ्रमविध्वसनम् तथा सद्भर्मण्डन के दानाधिकार पूर्णरूपेण देखें।

३. सूत्रकृताग, प्र० शु० लोकवादनिरासाधिकार, गाथा ९.

४. उत्तराध्ययन सूत्र, अध्ययन ६.

उचित नहीं। क्योंकि जिस व्यवहार से एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुँचाता है यदि वही व्यवहार उसके साथ भी किया जाये तो उसे भी आनन्द नहीं बल्कि कष्ट ही मालूम होगा। इसीलिये कहा गया है कि श्रुत एवं चारित्र धर्म को सही रीति से कहनेवाला और तीर्थकरों की बाणी में विश्वास करनेवाला प्रासुक आहार से जीवन निर्वाह करने वाला उत्तम साषु सभी प्राणियों को अपने ही समान समझता हुआ संयम का पालन करे^१। परन्तु अहिंसा पालन करने का यह प्रधान कारण नहीं है, यद्यपि सामान्य जानकारी में इसी को प्रधानता मिलती है। अहिंसा के मार्ग पर चलने का मुख्य उद्देश्य है आत्म-कल्याण। हिंसा करनेवाला व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट करने के पहले अपना अनिष्ट करता है, हिंसा का भाव मन में लाकर वह अपनी आत्मा का पतन करता है, दूसरों से वेर बढ़ाकर उन्हें अपना शत्रु बना लेता है। इस प्रकार वह पहले अपनी भाव तथा द्रव्यहिंसाये करता है। इसके विपरीत यदि कोई अहिंसा को अपनाता है, सबको समान उष्टि से या आत्मवत् देखता है तो उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। अतः उसकी द्रव्य हिंसा नहीं होती और चूंकि वह सब को समान समझता है, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं पैदा होता, इसलिए उसका मन दूषित नहीं होता, उसकी आत्मा शुद्धि होती है, पवित्र होती है। आत्मशुद्धि के कारण वह मोक्षमार्ग पर अग्रसर होता है और आगे चलकर जन्म—मरण के वंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। अर्थात् अहिंसा पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी बजह से प्रश्न-व्याकरणसूत्र में अहिंसा का प्रथम नाम 'निर्वाण' दिया गया है^२। इस प्रकार अहिंसा पालन करने के दो कारण या दो फल हुए—१. आत्मकल्याण या मोक्षप्राप्ति और २ अन्य प्राणियों के प्रति उपकार।

अहिंसा के पोषक तत्त्व :

हिंसा का विवेचन करते हुए हमलोगों ने देखा है कि असत्य, स्त्रेय, अब्रहृचर्य तथा परिग्रह इसके पोषक तत्त्व हैं। ठीक इसके

१. सूत्रकृताग, प्र० धू० अध्ययन १०, सूत्र ३.

२. प्रश्नव्याकरण सूत्र, द्वितीय धू० त्वक्त्व, प्रथम संवरद्धार।

विपरीत सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह अहिंसा के पोषक तत्व हैं। यानी इनमें से किसी एक को छोड़ देने से अहिंसाव्रत का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाले को एक झूठ को छिपाने के लिये अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे स्वर्यं तो उसकी आत्मा कष्ट पाती है और अपवित्र होती है, दूसरे प्राणियों को भी वह दुःखद स्थिति में डालता है। चोरी न करनेवाला अन्य व्यक्ति को उस प्रकार का कष्ट नहीं देता जो प्रियवस्तु के हरण से होता है। ब्रह्मचर्यं पालन से आदमी उन सभी प्रकार की हिंसाओं से बच पाता है, जो मैथुन आदि सम्मति या बलात्कार दोनों ही करने से होती है। इसी प्रकार अपरिग्रही आदमी को किसी के प्रति राग या द्वेष का शिकार नहीं बनना पड़ता। वह किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता। अतएव सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अहिंसा के पोषक या सहायक तत्व है, इसमें कोई शक नहीं। तत्त्वार्थसूत्र के विवेचनकर्ता ने लिखा भी है—

अहिंसा अन्य व्रतों की अपेक्षा प्रधान होने से उसका प्रथम स्थान है। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाढ़ होती है, वैसे ही अन्य सभी व्रत अहिंसा की रक्षा के लिये हैं; इसी से अहिंसा की प्रधानता मानी गई है^१।

अहिंसा का तात्त्विक विवेचन :

व्यक्ति की मुक्ति के लिये या चित्तशुद्धि और बीतरागता प्राप्त करने के लिये अहिंसा की ऐकान्तिक चारित्रिगत साधना उपयुक्त हो सकती है; किन्तु संघरचना और समाज में उस अहिंसा की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए उसके तत्त्वज्ञान की खोज न केवल उपयोगी ही है, किन्तु आवश्यक भी है^२।

महावीर के समय में आत्मनित्यवाद (आत्मा को नित्य माननेवाला), उच्छेदवाद तथा उपनिषदों आदि की विभिन्न दार्शनिक (तात्त्विक) धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। इसके अलावा महावीर

^१ तत्त्वार्थ सूत्र—विवेचनकर्ता पं० सुखलालजी संघवी, पृ० २०४.

^२ जैनदर्शन, पं० —महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पृ० ५९.

के शिष्यों के विचारों में भी एकता नहीं थी। अतः उन सब में भी कहीं संघर्षेद न हो जाये, इसकी आशंका थी। अतएव महावीर के सामने वस्तु के वास्तविक स्वरूप को दिखाते हुए सभी वादों में एकता या मैत्रीभावना लाने की समस्या थी। उन्होंने यह साबित किया कि वस्तु यदि मौलिक रूप में नित्य है तो परिवर्तमान पर्यायों की दृष्टि से अनित्य भी है। द्रव्य के दृष्टिकोण से यदि सत् से ही सत् उत्पन्न होता है तो पर्याय की दृष्टि से असत् से भी सत् उत्पन्न होता है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को या जगत के व्यावर्त को पदार्थों का उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप परिणामी और अनन्त धर्मात्मक बताया। इस प्रकार वस्तु के वास्तविक रूप को दिखाकर उन्होंने दर्शन के क्षेत्र के बहुत बड़े समेल को हटाने की कोशिश की। जब तक दृष्टि एकान्तवादी होती है, उसके साथ विभिन्न मतमतान्तर की संभावना रहती है किन्तु अनेकान्त की दृष्टि वस्तु के सभी रूपों को सही मानती है। अतः कोई विवाद नहीं उठता। अहिंसा ही तत्त्व के क्षेत्र में अनेकान्त रूप धारण करती है—यह अहिंसास्वरूपा अनेकान्तदृष्टि ही जैनदर्शन के भव्य प्रासाद का मध्यस्थम् है। इसी से 'जैनदर्शन' की प्राण प्रतिष्ठा है।

आगे चलकर अनेकान्त दृष्टि को ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में 'स्याद्वाद' का रूप मिला जिससे अहिंसा का वाचनिक विकास हुआ। वस्तु अनेकधर्मी होती है—जैसे किताब में लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि बहुत से गुण होते हैं और कोई कहे कि पुस्तक मोटी है तो ऐसा कहने से उसके अन्यगुणों का प्रकाशन नहीं होता क्योंकि 'पुस्तक मोटी है' ऐसा अपेक्षा दृष्टि से कहा गया है। यदि एक दृष्टि से पुस्तक मोटी है तो दूसरी दृष्टि से लम्बी है यानी मोटी नहीं है। अतः एक दृष्टि से वस्तु के गुण को व्यक्त करते समय, दूसरी दृष्टि में पाये जाने वाले उसके गुणों के अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए, महावीर ने एक शब्द की खोज की जो है—'स्यात्'। 'स्यात्' कहने से एक दृष्टि की सीमा बन जाती है, किन्तु वस्तु के सम्बन्ध में अन्य दृष्टियों (अनेकान्त) पर उसका अधिकार या अन्य दृष्टियों का निषेच जाहिर नहीं होता।

यदि कोई व्यक्ति कहता है कि 'स्यात्' पुस्तक मोटी है तो ऐसा कहने से यह नहीं जाहिर होता कि पुस्तक लम्बी नहीं है या चौड़ी नहीं है। बल्कि कहने वाला अपनी बात तक ही सीमित रह जाता है। ऐसा करने से अन्य व्यक्तियों के विचारों का विरोध नहीं होता और जहाँ विरोध नहीं है वहाँ द्वेष नहीं है तथा जहाँ द्वेष नहीं है, वहाँ हिंसा नहीं है। अतः अहिंसा के सिद्धान्त का तात्त्विक विवेचन अनेकान्तवाद तथा स्यादवाद के रूप में होता है।

महावीरकालीन अहिंसा-सिद्धान्त :

समय के प्रवाह में हर वस्तु का कुछ न कुछ विकास और हास होता है। अहिंसा का सिद्धान्त भी इससे अद्भूता नहीं है।

महावीर ने कहा —

तत्त्विमं पठमं ठाणं, महावीरेण वेसियं ।
अहिंसा नित्या विट्ठा, सब्बभूएसु संजमो ॥
सध्ये जोवा वि इच्छंति, जोविड़' न भद्रिज्जउ' ।
तम्हा पाणिवहं घोरं, निरगंथा वज्जयंति णं ॥

अहिंसा सुखदायिका है, अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सभी प्राणों जोना चाहते हैं, मृत्यु को कोई भी पसन्द नहीं करता। इसलिये प्राणि-वध का संयमो या निप्रबन्ध पुरुष त्याग करते हैं। इसके आधार पर हिंसा को पूर्णतः त्याग देने की बात सभी लोगों के मन में जग पड़ी और जूँकि सभी प्रकार की हिंसाओं में परिग्रह ही मूल बनता है, अतः परिग्रह भी सर्वथा त्याज्य समझा जाने लगा। हिंसा से बचने के लिये व्याधि का भी त्याग होने लगा, जैसाकि दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि जो देवता और मनुष्य-सम्बन्धी

१ जैनदर्शन—प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, पृ० ५६-६४.

तथा जैनधर्म—प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, पृ० ६०-६६.

२ दशवैकालिकसूत्र, छठा अध्ययन।

भोगों को निवर्तेगा, वह आभ्यन्तर कषाय, बाह्य कुद्रुमवादिक के संयोग का त्याग करेगा और जो आभ्यन्तर तथा बाह्य संयोगों का त्याग करेगा, वही द्रव्य एवं भाव से मुण्डित होकर अनगार बन पायेगा। किन्तु साधना में शरीर की भी आवश्यकता होती है^१। ऐसा समझकर शरीर की रक्षा उस हृद तक सही समझी जाने लगी, जिस हृद तक शरीर साधना का साधन बन पाता है, यदि वह बाधास्वरूप बन जाता है तो ऐसे शरीर की रक्षा नहीं होनी चाहिए। अतएव संयमी या साधक को आहार का प्रबन्ध करने की छूट दी गयी, किन्तु एक गृहस्थ की रीति से नहीं, बल्कि मधुकरी वृत्ति से^२। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि साधु अपने लिये किसी भी प्रकार का भोजन तैयार न करे और दूसरों के द्वारा भी दी गई उन वस्तुओं को ग्रहण न करे, जो उसके निमित्त ही बनी हों। आहार में वे वस्तुएँ वर्जित की गईं, जो सजीव हों या सजीव से सम्बन्धित हों यानी सजीव से लगी हों। इतना ही नहीं, भिक्षा मांगने के समय दाता या याचक किसी से भी किसी प्राणी की हिंसा हो तो वैसी हालत में भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा दाता से भिक्षा के निमित्त पहले या पोछे किसी प्रकार की हिंसा होने की संभावना हो तो साधक को भिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिये। इस संबंध में अनेक नियम बने।^३ और उन सभी नियमों की घमनियों में अहिंसा पालन का रक्त ही संचारित हो रहा था। आहारादि सम्बन्धी नियमों के विवेचन आचारांग, दशवैकालिक, वृहत्कल्प आदि ग्रन्थों में हुए हैं

१ जया निष्प्रदृष्ट भोए, जे दिव्ये जेय माणुसे ।

तथा ज चयह संजोगं, सञ्चितरं च बाहिरं ॥ १७ ॥

जया चयह संजोगं, सञ्चितरं च बाहिरं ॥

तथा मुषडे भविचाणं, पञ्चदृष्ट अणगारियं ॥ १८ ॥

—दश०, अध्ययन ४.

२ दशवैकालिक, अध्ययन ५, सूत्र ६१-६२.

३ " " १, सूत्र १-५.

४ " " ५,

लेकिन इनमें यह नहीं बताया गया कि यदि किसी कारणवश भंग हो जाये तो उस दोष से कुटकारा पाने के लिये क्या करना उचित है। नियम-भंग दोष से बचने के लिये प्रायश्चित्त करने का, निशीथ मूलसूत्र में विवाद किया गया है।^१

महावीर के समय अहिंसा का ठोस रूप था, जिसमें किसी भी प्रकार की कमज़ोरी की गुंजाइश नहीं थी, न कोई अपवाद था। महावीर के अनुसार सातु को विरोधियों से मार-पीट मान-अपमान सब कुछ पाते हुए और स्थिर मन से सब कष्टों को सहते हुए अहिंसा व्रत का पालन करना उचित समझा गया। महावीर स्वयं अनेक जगहों पर पागल या और कुछ ही समझे गये और मार गालियां सब कुछ सहते हुए अहिंसा व्रत को निभाया।

महावीरकालोत्तर अहिंसा-सिद्धान्त :

बाद में अहिंसा के बहुत से अपवाद बने, साथ ही अहिंसा से सम्बन्धित आहारादि के अपवाद भी। अहिंसा के नियमों में ऐसा पाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वैरी का पुतला बनाकर उसके भर्मस्थलों को आहृत करता है तो ऐसी किया 'दपंप्रतिसेवना'^२ यानी हिंसा कही जायेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति साधु-संघ अथवा चेत्य को क्षति पहुंचाता है तो ऐसी हालत में उसके मिट्टी के पुतले को भर्माहृत करना हिंसा दोष या प्रतिसेवना के अन्तर्गत नहीं आता^३। यह हिंसा करने का अहिंसक उपाय कहा जा सकता है। ऐसी हिंसा से हिंसा करने वाला साक्षात् हिंसा से बच पाता था और इसमें कम हिंसा होने की कल्पना थी। फिर अहिंसक वर्ग के समक्ष यह समस्या उठी कि यदि कोई व्यक्ति परोक्ष में धर्म या संघ का विरोध करता है तो उसके साथ मंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो

१ निशीथ, मूलसूत्र २, ३२-३६, ३८-४६; ३, १-१५; ४, १६-२१, ३८-३९, ८, १४-१८; ९, १-२; ६, ११-३; ६, ७२-८१; १५, ५-१२, ७५-८६; १६, ४-१३, १६-१७, २७; १८, २०-२३

२ निशीथचूर्णि, गाथा १५५.

३ वही, गाथा १६७.

समझ आकर आचार्य का भात करना चाहता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिये। इसके लिये निशीथभाष्य या निशीथचूर्णि में कहा गया है^१ कि यदि कोई शत्रु आचार्य का बध या साध्वी के साथ बलात्कार करना चाहता है तो उसकी हत्या करके आचार्य आदि की रक्षा करनी चाहिए और ऐसी हिंसा करने वाले को विशुद्ध माना गया। इसका जबलन्त उदाहरण है कौणदेशीय साधु के द्वारा रात्रि में तीन सिंहों को मारकर संघ की रक्षा करना।^२

इस प्रकार स्वतः अपनी रक्षा के हेतु नहीं, किन्तु संघादि की रक्षा के लिए जीवों की हत्या करनेवाले को भी हिंसा के दोष से दूषित नहीं, बल्कि विशुद्ध चरित्रवाला समझा जाने लगा। अर्थात् हिंसा से अहिंसा की रक्षा का भाव लोगों के मन में आ गया। एक बार ऐसा हुआ कि किसी राजा ने जैन साधुओं को आदेश दिया कि वे ब्राह्मणों को उनके पैर छूकर प्रणाम करें। अन्यथा सभी जैन साधुओं को देश-निकाला की सजा मिलेगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए आचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या कोई ऐसा भी साधु है, जो सावद्य या निरवद्य किसी भी प्रकार से इस कष्ट का निवारण करे। यह सुनकर एक जैन साधु संघ की रक्षा के लिए तैयार हुआ। उसने राजा से सभी ब्राह्मणों को एकत्र करवाने को कहा। जब सभी ब्राह्मण एकत्रित हुए तो उसने कणेरलता को अभिमंत्रित करके सभी ब्राह्मणों के शिर काट डाले। इस प्रकार उसने संघ की रक्षा की।^३

आहार ग्रहण करने के नियमों में भी बहुत से अपवाद बनाये गये। जैसे चूर्णिकार ने कहा कि बाल, वृद्ध, आचार्य तथा दुर्बल संयमी रोग आदि में विग्रय यानी तेल, घृत, नवनीत, दधि, फाणिय-गुड़, मद्य, दूध आदि का सेवन कर सकते हैं।^४ किन्तु इन्हें ग्रहण करते समय साधु को

^१ निशीथचूर्णि, गा० २८८.

^२ " गा० २८८, पृ० १०६, भाग १.

^३ " गा० ४८७.

^४ " गा० ३१६.

यह ध्यानपूर्वक सोचना चाहिये कि यह अग्राह्य है और उतना ही प्रहण किया जाय जो कि मात्र रोग दूर करने में सहायक हो तथा दाता को भी विश्वास हो कि यह वस्तु रोग दूर करने के निमित्त ली जा रही है, रस-लोलुपता से नहीं^१। इतना ही नहीं बल्कि रोगी के लिये चोरी से या वशीकरण मंत्र के द्वारा भी अभीप्सित औषधि लेना दोषपूर्ण नहीं समझा जाता था^२।



^१ निशीयन् ० गा० ३१७०

^२ " गा० ३४८७

चतुर्थ अध्याय

जैनाचार और आहिंसा

मानव जीवन के दो आधार-स्तम्भ हैं—आचार और विचार। आचार जीवन का व्यावहारिक पक्ष है तो विचार सेद्वान्तिक। आदमी जैसा करता है, वैसा सोचता है और जैसा सोचता है, वैसा ही करता भी है। आचार और विचार या व्यवहार और सिद्धान्त एक-दूसरे पर आधारित हैं। वह आचार जो किसी विचार की साया में नहीं है, उस कंकाल के समान है, जिस पर न मांस हो और न त्वचा। और वह विचार जो आचरित न हो, उस खोखले शरीर के समान है, जो हड्डीविहीन हो। अतः दोनों ही को आवश्यकता को समझते हुए सभी धर्मप्रणेताओं और दार्शनिकों ने विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के साथ-साथ आचार पर भी प्रकाश ढाला है; यानी यह बताया है कि जो धार्मिक सिद्धान्तों को मानता है, उस व्यक्ति का आचार कैसा होना चाहिये। अतः विभिन्न प्रणेताओं ने विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है और आचार के भी विभिन्न नियम निर्धारित किये हैं। जैन धर्म के भी अनेकान्तवाद-स्याद्वाद आदि तात्त्विक या सेद्वान्तिकरूप हैं तथा कर्मवाद आदि व्यावहारिक रूप। जैनाचार के दो विभाग किये जाते हैं—श्रावकाचार तथा श्रमणाचार। श्रावक के लिये उपदेशित आचार को श्रावकाचार तथा श्रमण के लिये उपदेशित आचार को श्रमणाचार कहते हैं।

गृहस्थ जो अपने गुरुजनों या श्रमणों से निश्चन्य-वचनों का श्रवण करता है, उसे श्रावक या श्राद्ध की संज्ञा दी जाती है। वह श्रम-पौष्टिक भी कहा जाता है, कारण, वह श्रमणों की उपासना करता है। चूँकि वह वर्णव्रत या लघुव्रत का पालन करता है, उसे अणुद्रती,

देशविरत, देशसंयमी या देशसंयती नामों से भी सम्बोधित करते हैं। गृही, सागार आगारी आदि शब्द भी इसी के लिए प्रयोग किये जाते हैं, क्योंकि वह आगार यानी घर में रहता है। इस प्रकार व्रतवारण करनेवाले गृहस्थ के लिये श्रावक, श्राढ़, उपासक, अणुव्रती, देशविरत, देशसंयमी, देशसंयती, गृही, सागार, आगारी आदि शब्द प्रयोग होते हैं। उपासकदशांग, तत्त्वार्थसूत्र, रत्नकरण्ड-श्रावकचार आदि में बारह व्रतों के आधार पर, श्रावकों के आचार का प्रतिपादन हुआ है। आचार्य कुन्दकुन्द विरचित चारित्रप्राभृत, स्वामी कार्तिकेय कृत अनुप्रेष्ठा तथा आचार्य वसुनन्दि कृत वसुनन्दि-श्रावकाचार में श्रावकाचार का निर्धारण ग्यारह प्रतिमाओं को आधार मानते हुए हुआ है। किन्तु पंडित आशावर द्वारा रचित सागारधर्मामृत में श्रावकधर्म पक्ष, निष्ठा तथा साधन पर अवलम्बित है। इस पद्धति का श्रीगणेश जिनसेनकृत आदिपुराण में हुआ है, जहां पर पक्ष, निष्ठा या चर्या तथा साधन को हिंसा की शुद्धि के तीन उपायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जैनाचार्यों ने श्रावकाचार को तीन तरह से प्रतिपादित किया है: बारह व्रतों के आधार पर, ग्यारह प्रतिमाओं के आधार पर तथा पक्ष, निष्ठा आदि के आधार पर। किन्तु इन तीन पद्धतियों में मूलतः कोई अन्तर नहीं पाया जाता। बारह व्रतों को धारण करनेवाला श्रावक आत्मा की विशेष शुद्धि के लिये ग्यारह प्रतिमाओं को भी धारण करता है, और पक्ष, चर्या तथा साधन हो उनकी आचार-मर्यादा के तीन भेद ही कहे जा सकते हैं। बारह व्रतों में प्रथम पांच को अणुव्रत, छठे, सातवें एवं आठवें को गुणव्रत तथा अन्तिम चार यानी नवें, दसवें, ग्यारहवें एवं बारहवें को शिक्षाव्रत कहते हैं।

अणुव्रत :

श्रावक के बारह व्रतों में प्रथम पांच को अणुव्रत कहते हैं। इन्हें श्रावक या श्रावकधर्म के मूलगुण भी कहते हैं। चूंकि पांच महाव्रतों, जो श्रमणों के द्वारा पालन किये जाते हैं, से ये लघु हैं, इन्हें अणुव्रत कहते हैं। इनमें अहिंसादि का पूर्णरूपेण पालन नहीं होता, जैसा कि श्रमणों के द्वारा पांच महाव्रतों में होता है। फिर भी ये श्रावकधर्म के प्राण हैं। अतः इन्हें मूलगुण कहा गया है। इनके अलावा जो अन्य व्रत हैं, उन्हें

उत्तरणुक कहा गया है, क्योंकि उन सबों से मूलगुण की पुष्टि होती है। अणुव्रत के पांच प्रकार होते हैं जिनमें स्थूल पापों से बचने का प्रयास किया जाता है : १. स्थूल प्राणातिपात-विरमण, २. स्थूल मृषावाद-विरमण, ३. स्थूल अदत्तादान-विरमण, ४. स्वदारसंतोष तथा ५. इच्छा-परिमाण ।^१

स्थूल प्राणातिपात-विरमण—इसकी व्याख्या विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार की मिलती है। उपासकदशागसूत्र में कहा गया है कि गाथापति आनन्द ने श्रावकवर्म प्रहण करते समय कहा था कि मैं स्थूल हिंसा का दो करण तीन योग से त्याग करूँगा।^२ यानी, मन बचन और काय से हिंसा न करने एवं न कराने की उसने प्रतिज्ञा की। समीचीनधर्मशास्त्र^३ या रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन में स्थूल हिंसा अर्थात् त्रस जीवों की हिंसा संकल्पपूर्वक तीन करण या मन, बचन, काय तथा तीन योग यानी करना, कराना, अनुमोदन करना, से न करने को प्रथम अणुव्रत कहा गया है। वसुनन्दि-श्रावकाचार में सिर्फ इतना ही कहा गया कि त्रसकाय जीव की हिंसा न करना प्रथम अगुव्रत है। इसमें करण और योग की संख्या पर प्रकाश नहीं ढाला गया है।^४ किन्तु इन तीनों से यह बात जहर स्पष्ट होती है कि प्रथम अणुव्रत में स्थूल हिंसा यानी त्रस जीवों की हिंसा नहीं करनी है। इस व्रत में शूहस्य के अहिंसाव्रत की मर्यादा सिर्फ स्थूल जीवों (द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय) और दो योग यानी कृत-कारित तक ही निर्धारित की गई है। इसका कारण यह है

१. प्राणातिपात-विवरथन्याहार-स्तेय -काम-मूल्कुर्म्यः ।

स्थूलेभ्यः पापेभ्यः न्युपरमणमणुव्रतं भवति ॥६॥ ५२॥

—समीचीन धर्मशास्त्र.

२. उपासकदशाग सूत्र, प्रथम अध्ययन, सूत्र १३।

३. संकल्पास्त्कृत-कारित-मननादोग-शृयस्य-चर-सत्वान् ।

न हिनस्ति यच्चाहुः स्थूल वचादिरमणं निपुणाः ॥ ७ ॥ ५३॥

४. जे तसकाया जीवा पुन्नुहिट्ठा ण हिंसियवा ते ।

एहंदिया वि शिक्षारणेण पदमें दर्य शूलं ॥ २०६ ॥

—वसुनन्दिकृत श्रावकाचार.

कि गृहस्थ सेती करता है और सेती में स्थावर प्राणियों की हिंसा होती है, यह निश्चित है। यदि स्थावर प्राणियों की हिंसा से भी गृहस्थ को वंचित रहने को कहा जाय तो सेती हो नहीं सकती और सेती न होगी तो अन्य प्राणियों का जीवित रहना दुर्लभ हो जायेगा। इसके अलावा स्थूल हिंसा के समर्थन के लिये भी गरिस्तिति विशेष में वह स्वतंत्र है और इसी को श्रावक की देशबरति कहते हैं। गृहस्थ कोई भी काम करने में सावधान रहता है कि किसी भी जीव को किसी प्रकार का कष्ट न हो। फिर भी यदि किसी जीव का घाट हो जाता है तो ऐसी हिंसा के लिये वह दोषी नहीं होता अर्थात् उसका अहिंसात्रय भंग नहीं होता। किन्तु कभी-कभी प्रमादवश या अज्ञानवश हिंसा हो जाती है जो दोषजनक होती है और व्रत को भंग कर देती है। इस प्रकार पैदा हुए दोष को अतिचार कहते हैं। स्थूल प्राणातिपात-विरमण के पांच अतिचार हैं: बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार, भक्षण-छुच्छेद।^१

बन्ध—बन्ध का अर्थ है त्रस प्राणियों को कठिन बन्धन से बांधना या उनके गन्तव्य स्थान पर जाने से उन्हें बलपूर्वक रोकना। पशुओं तथा दासों को इस प्रकार बांधना कि उन्हें कष्ट पहुँचे। बन्ध के दो प्रकार हैं—अर्थबन्ध तथा अनर्थबन्ध। अनर्थबन्ध हिंसा है जो अनर्थदण्ड नामक व्रत के साथ आती है और अर्थबन्ध भी यदि क्रोधवश किया जाये तो उसे हिंसा ही कहेंगे। अर्थबन्ध भी दो प्रकार के होते हैं—सापेक्ष और निरपेक्ष। भय उत्पन्न होने पर जिस बन्ध से स्वतः मुक्ति मिल जाये उसे सापेक्ष तथा भय की दशा में भी मुक्ति न देनेवाला बन्ध निरपेक्ष कहलाता है^२। निरपेक्ष बन्ध अतिचार की श्रेणी में आता है।

वध—वध का सामान्य अर्थ होता है हत्या। किन्तु उपासकदशांग सूत्र का सम्पादन करते हुए डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री ने कहा है—

१. तथाणतरं च णं खूलगस्स पाणाइवायवेरमणस्स समणोवासएणं पंच अइवारा पेयाला जागिवव्वा, न समायरियव्वा। तं जहा-वधे, वहे, छविच्छेष, अभारे, भत्तापाणवोच्छेष ॥४२॥ उपासकदशांग प्र० अ०; समीचीन धर्मशास्त्र, अ०३. ८.

२. उपासकदशांग सूत्र, पृष्ठ ५१.

'यहीं वध का अर्थ हत्या नहीं है । हत्या करने पर तो व्रत सर्वथा टूट जाता है । अतः वह अनाचार है । यहीं वध का अर्थ है घातक प्रहार, ऐसा जिससे अंगोषांगादि को हानि पहुँचे' ।

अर्थात् निर्दयता पूर्वक अपने आश्रित मनुष्यों तथा गाय, बैल, घोड़ा, भेंस आदि पशुओं को चाकुक, डंडा, ईंट, पत्थर, आदि से मारना; अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये शोषण करना या अन्य प्रकार से प्राणियों को संताप पहुँचाना ।

छविच्छेद क्रोधवश या अपनी प्रसन्नता के लिये किसी प्राणी का अंग छेदन करना छविच्छेद कहा जाता है । इसी के समान वृत्तिच्छेद भी समझा जाता है, यद्योकि वेतन या मजदूरी कम देना तथा कुट्टी आदि की उचित सुविधा न देना भी दोषयुक्त और कष्टप्रद होता है ।

अतिभार—बैल, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं पर तथा नौकर, मजदूर और अपने परिवार के व्यक्ति पर शक्ति से अधिक बोझ लादना अतिभार की श्रेणी में आता है । इसके अलावा अपने समय और शक्ति को बचाकर दूसरों से काम लेना भी अतिभार समझा जाता है ।

अन्नपाननिरोध—इसका अर्थ होता है खान-पान में कटौती करना या खान-पान-संबंधी कष्ट देना । भूक पशु पक्षियों को भोजन कम देकर या न देकर उन्हे भूखा-प्यासा रखना अन्नपाननिरोध कहलाता है । अपने अधीन या आश्रित मनुष्यों को भी पर्याप्त भोजन न देना इसी अतिचार का अंग है ।

अतः आवक को इन सभी कष्टदायक अतिचारों को जानना चाहिये और इनसे सर्वदा बचने की कोशिश करनी चाहिये ।

स्थूल मृषावाद-विरमण—सत्य और अहिंसा का इतना अधिक धनिष्ठ संबंध है कि एक के अभाव में दूसरे की आराधना अशक्य है । ये दोनों परस्पर पूरक तथा अन्योन्याश्रित हैं । अहिंसा यथार्थता को सुरूप प्रदान करती है, जब कि यथार्थता अहिंसा की सुरक्षा करती है । अहिंसा के बिना सत्य नम्न वथवा कुरुप होता है जबकि सत्यरहित

अहिंसा मरणोन्मुख अथवा अरक्षित होती है^१। अतः सत्य का महत्व देखते हुए स्थूल मृषावाद से बचने का उपदेश दिया है। किन्तु गृहस्थों के लिये स्थूल मृषावाद का त्याग ही वत पालन के लिये अनिवार्य माना गया है^२। स्थूल मृषावाद अथवा मोटा झूठ की श्रेणी में निम्नलिखित कार्य आते हैं—

१. कन्यालीक—विवाह के संबंध में बातचीत करते हुए आपु, शरीर, वाणी तथा मस्तिष्क-संबंधी कन्या के दोषों को छिपाना या उसके वास्तविक गुण को बहुत अधिक बढ़ावड़ा कर कहना।

२. गवलीक—पशु के लेन-देन में जो बैल कम करने वाला हो, उसके विषय में यह कहना कि बहुत अधिक काम करनेवाला है तथा गाय-भेंस को अधिक दूध देनेवाली बताना, जबकि वह कम ही दूध क्योंन देती हो।

३. भूम्यलीक—खेती-बारी तथा निवास स्थान के संबंध में असत्य बातें करना।

४. न्यासापहार—किसी संस्था या सामाजिक कार्य के लिये संग्रह की हुई सम्पत्ति या किसी के घरोहर को हड्डप लेना।

५. कूडसक्षिखज्ज—झूठा साक्षी बनना।

६. सन्धिकरण—षड्यन्त्र रचना। आश्वासन देकर या विश्वास दिलाकर झूठ बोलना^३।

गृहस्थ सूक्ष्म झूठ को त्यागने में असमर्थ होता है। क्योंकि पारिवारिक तथा सामाजिक बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, जिनमें उसे झूठ किसी न किसी रूप में बोलना ही पड़ता है। लेकिन ऊपर कथित मोटे झूठ से तो उसे बचना ही चाहिये अन्यथा वह श्रावक धर्म को नहीं निभा सकता। बसुनन्द ने तो श्रावकाचार में कहा है कि राग-द्वेष के

१. जैन आचार, ढा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ ६२.

२. उपासकदशाग सूत्र, प्रथम अध्ययन, सूत्र १४.

३. „ „ „ „ पृष्ठ ५३-५४.

स्थूलमलीक न वदति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे।

यत्तद्ददन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद-वेरमणम् ॥१॥५५॥

—समीक्षीन धर्मशास्त्र।

वशीभूत हो असत्य-भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिये और वह सत्य भी नहीं बोलना चाहिये, जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे अथवा किसी की हिंसा हो^१ ।

स्थूल अदत्तादान-विरमण—अचौर्य के बिना न अहिंसा का सम्बन्ध पालन हो सकता है और न सत्य का ही । अतः अहिंसा के पथ पर चलनेवाले के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वह अदत्तादान का त्याग करे । किन्तु मुनि अथवा श्रमण को भाँति अदत्तादान का पूर्णरूपेण पालन करना श्रावक के लिये अशक्य हो जाता है, इसलिये उसे स्थूल अदत्तादान विरमण का पाल न करना चाहिये यानी उसे बिना दी हुई वस्तु को मन, वचन, काया से न ग्रहण करना चाहिये और न दूसरों को उसे ग्रहण करने की आज्ञा देनी चाहिये । स्थूल चोरी यानी मोटी चोरी के अन्तर्गत ये सब आते हैं—सेंध काटकर चोरी करना, अधिक मूल्यवाली वस्तु को बिना पूछे हुए ले लेना, राहियों को लूटना-खसोटना आदि^२ ।

स्वदार-सन्तोष—इस व्रत के अनुसार पवि को सिफं अपनी पत्नी के साथ तथा पत्नी को केवल अपने पति के साथ संभोग करना चाहिये^३ । मैथुन में अनेक जीवों का नाश होता है । अतः मैथुन

१. अलियं ण जैपणीय पाणिवकर तु सच्चवयणं पि ।

रायेण य दोसेण य । योर्य विदिय वर्य थूल ॥२१०॥

—वसुनन्दिकृत आवकाचार,

२. तथाणांतर च ण थुलगं अदिगणदाण पच्चवक्वाइ जावजजीवाए दुविहं तिविहेण, न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा ॥ १५ ॥ उपासकदशाग सूत्र, प्रथम अध्ययन

” ” ” पृष्ठ ५७.

मिहितं वा पतितं वा मुविस्मृत वा परस्वमविसुष्टम् ।

न हरति यन्म च दत्ते तदकृश-चौर्यादुगरमणम् ॥११॥५७॥

—कमीचीनधर्मशास्त्र.

३. तथाणांतर च ण सदारसतोसीए परिमाणं करेह, नन्नस्थ एककाए सिवानंदाए पारियाए, अवसेसं सब्वं मेहणुविहि पच्चवक्वामि ॥१६॥

—उपासकदशाग सूत्र, प्रथम अध्याय.

हिंसा को जननी है। अमणों को तो इस कार्य से विलकुल वंचित रहने को कहा गया है, लेकिन श्रावकों को सिर्फ अपनी पत्नी तक और श्राविकाओं को अपने पति तक ही अपने को नियंत्रित रखने को कहा गया है।

इच्छा-परिमाण – इच्छा का विस्तार अनन्त है। यदि इसको नियंत्रित न रखा जाय तो यह मनुष्य को पशु के समान अज्ञानी और दानव के समान भयावह बना दे। जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा को अपना पथप्रदर्शक बनाता है तो वह चाहता है कि सबसे अधिक सुख-सुविधाएँ तथा उनके विभिन्न साधन उसी के पास हों। उसी को सबसे अधिक वैभव प्राप्त हो, सबसे अधिक यश प्राप्त हो और उसी को सबसे अधिक शारीरिक एवं मानसिक आनन्द की उपलब्धि हो। यही है परिग्रहवृत्ति। समाज में जो शोषणवृत्ति, पारस्परिक अविश्वास, ईर्ष्य-द्वेष, छल, कपट, दुःख-दारिद्र, शौक-संताप, लूट-खसोट आदि देखने को मिलते हैं उनका प्रधान कारण परिग्रहवृत्ति, सग्रहखोरी अथवा संचयबुद्धि है। अर्थात् परिग्रहवृत्ति हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। अतएव इससे बचना या इस पर नियंत्रण रखना ही श्रेयस्कर कहा जा सकता है और इसीलिये श्रावकों को इच्छापरिमाण का पाठ पढ़ाया गया है। गायापति आनन्द श्रावकधर्म को धारण करते हुए कहते हैं कि बारह कोटि (कोष के लिये चार कोटि, व्यापार के लिये चार कोटि तथा गृह एवं गृहोपकरण के लिए चार कोटि) हिरण्य-सुवर्ण के अतिरिक्त द्रव्यों का मैं त्याग करता हूँ। इस प्रकार वे पश्च-पक्षी, सूमि, हल, बैलगाड़ी, वाहन, नौका आदि सभी एक निश्चित संख्या में रखकर अधिक का त्याग करते हैं^१। यह है अपरिग्रह वृत्ति। इसकी परिभाषा प्रस्तुत करते हुए समीचीन धर्मशास्त्र में कहा गया है कि धन-धान्य

१. जैन आचार, डा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ १०२.

२. तथाणतर चण इच्छाविहिपरिमाण करेमाणं हिरण्यसुवर्णविहि परिमाण करेद, नन्तत्य चउहि हिरण्यकोडीहिं निहाज पउस्ताहिं, चउहिं बुड्ढि पउत्ताहिं, चउहिं पवित्यर पउस्ताहिं, अबसेसं सञ्चं हिरण्यसुवर्णविहि पञ्चकस्तामि ॥ १७ ॥ —उपा०स०प्र०अ०

आदि परिश्रह को सोमित करके उस सीमा से अधिक प्राप्त करने का त्याग ही परिमित परिश्रह है^१।

मुनियों के लिये इन वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करना कहा गया है, लेकिन आवकों के लिये कहा गया है कि वे इन वस्तुओं को परिमित करलें, क्योंकि परिवार में रहते हुए इन चीजों का पूर्ण त्याग शक्त्य नहीं है।

गुणब्रत :

गुणब्रत तीन हैं : दिग्ब्रत, भोगोपभोगब्रत तथा अनर्थदण्डब्रत। चूंकि ये मूल गुणों को वृद्धि करते हैं, इन्हें गुणब्रत कहते हैं^२।

दिग्ब्रत—मरण पर्यन्त के लिये यह संकल्प करना कि एक मर्यादित क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, दिग्ब्रत या दिशापरिमाण ब्रत कहलाता है^३। इसमें गृहस्थ यह निश्चय करता है कि खेती या अन्य व्यवसाय के लिये वह ऊपर, नीचे तथा चारों दिशाओं में जाने का एक खास मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जितनी अधिक दूरी तय करेगा या जितने ही विस्तृत क्षेत्र से उसका सम्पर्क होगा, उतने ही अधिक जीवों से, भले ही छोटे हों या बड़े, उसका सम्पर्क होगा और ज्यादा हिंसा की संभावना रहेगी। इसके अलावा ज्यादा वस्तुओं को देखकर उसके मन में अधिक प्रलोभन होगा, अधिक विकार पैदा होगा जो उसे हिंसा को ओर बढ़ाने को प्रेरित करेंगे।

१. घन-धान्यादि-अन्य परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्फृहता ।

परिमितपरिश्रहः स्यादिच्छापरिमाण - नामाऽपि ॥१५॥६१॥

समीचीन घमशास्त्र.

२. दिग्ब्रतमनर्थदण्डब्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् ।

अनुरुद्धारणानामाख्यानित गुणब्रतान्यायाः ॥१॥६७॥

समीचीन घमशास्त्र.

३. दिग्बलयं परिगणितं कृत्वाऽतोऽहं बहिन् यास्यामि ।

इति संकल्पो दिग्ब्रतमामृत्युणुपाप-विनिश्चृत्यै ॥२॥५८॥

समीचीन घमशास्त्र.

अतः इन बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंसा को रोकने के लिये दिव्यत का पालन करना अनिवार्य है।

उपभोगपरिभोग-परिमाणव्रत या भोगोपभोगपरिमाणव्रत—जिस वस्तु का उपयोग एक ही बार होता है, उसे उपभोग तथा जिसका उपभोग बार-बार होता है, उसे परिभोग कहते हैं और जब इस उपभोग-परिभोग पर नियंत्रण हो जाता है, यानी यह निश्चित कर दिया जाता है कि सिर्फ अमुक वस्तु ही काम में लायी जायेगी तब उसे उपभोगपरिभोग परिमाणव्रत कहते हैं^१। इस ब्रत में अहिंसाव्रत की रक्षा बच्छी तरह होती है क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में संतोष होता है, जो उसे अहिंसा की ओर ले जाता है। उपभोगपरिभोग परिमाणव्रत के निम्नलिखित लक्षण या विधियाँ हैं :

१. उद्दृढ़विणिका-विधि—भीगे शरीर को पोंछनेवाले वस्त्र अंगोंचे आदि की संरूपा को निश्चित करना। गाथापति आनन्द ने श्रावकधर्म को धारण करते हुए सिर्फ 'गन्धकषाय' नामक वस्त्र को छोड़कर अन्य सभी अंग पोंछने के काम में आनेवाले वस्त्रों का त्याग किया^२।

२. दन्तधावनविधि—दाँत साफ करने या मंजन आदि की मर्यादा निश्चित करना, जैसे आनन्द ने किसी मधुयषि यानी मुलहठी के अतिरिक्त दूसरे दातूनों का त्याग किया^३।

३. फलविधि—श्रावक के द्वारा यह निर्धारित करना कि वह

१. मुक्त्वा परिहातव्यो भोगो मुक्त्वा पुनश्च भोक्त्व्यः ।

उपभोगोऽशन-वसनप्रभृतिः पांचेन्द्रियोविषयः ॥१७॥८३॥

—समीचीन धर्मशास्त्रः

२. तथाणंतरं च एं उपभोगपरिभोगविहि पञ्चकलाप्तमाणे उल्लिखिया विहिपरिमाणं करेत् । नन्तर्थ एगाए गंध-कालाहए, अवसेसं सब्वं उल्लिखियाविहि पञ्चकलामि ॥ २२ ॥

—उपासकदशांग सूत्र , प्र० अ०

३. नन्तर्थ एगेण अल्ललट्ठी बहुपृणं, अवसेसं दंतवशाविहि पञ्चकलामि ॥२३॥

—उपासकदशांग सूत्र, प्र० अ०

कोई फल विशेष खायेगा, जैसे आनन्द ने सिर्फ़ क्षीरामलक अर्थात् दुधिया आंवला खाने का वचन ग्रहण किया था'।

४. अम्बंगनविधि—मालिश के काम में आनेवाले तेलों को परिमाणित करना। जैसे आनन्द ने कहा था कि, मैं सिर्फ शतपाक तथा सहस्रपाक नामक तेल का सेवन करूँगा^३।

५. उद्घर्तनविधि—उबटनों की मर्यादा निश्चित करना, जैसे आनन्द ने केवल गेहूँ के आटे आदि से बने हुए उबटन को काम में लाने की प्रतिज्ञा की^१।

६. स्नानविधि—स्नान आदि के लिये पानी की मात्रा निश्चित करना, जैसे आनन्द ने कहा था कि मैं केवल आठ औष्ट्रिक (ऊँट के आकार का) घड़ों का उपयोग करूँगा ।*

७. वस्त्रविधि—वस्त्रों को परिमाणित करना, जैसे आनन्दने कपास के बने हुए सिर्फ दो कपड़ों के अलावा अन्य सभी वस्त्रों का त्याग किया था^२।

८. विलेपनविधि—शरीर में लेप करने की वस्तुओंको मर्यादित करना, जैसे आनन्द ने सिर्फ अगुरु, कुंकुम, चन्दन आदि को स्वीकार करके अन्य सभी प्रकार के लेपों का परित्याग किया^१।

९. पुष्पविधि—पुष्पों के प्रयोग पर नियंत्रण लाना, जैसे आनन्द ने केवल श्वेतकमल तथा मालती के फूलों की माला को काम में लाने का बचन लिया।^९

१. उपासकदशाग सूत्र, प्रथम अध्ययन, सूत्र २४.

23. " " 24.

३० १२ ११ २९.

४. " " " २५.

" " " 26.

१. नन्नत्य अगदकुंकुमचंदणमादिएहि, अवसेसं

पञ्चवस्त्रामि ॥ २९ ॥ —उपाठ प्र० अ०

७०. नन्नत्य एगोण सुदृपुडमेण, मालाइ कुसमपामेण वा, अवसेसं

युक्तविहि पञ्चवस्तामि ॥ — उपा० प्र० अ०, पृष्ठ ३७.

१०. आभरणविधि — आभरण का परित्याग करना जैसे आनन्द ने कहा कि मैं स्वर्ण-कुण्डल एवं अपने नाम की मुद्रा के अलावा दूसरे सभी आभूषणों का प्रत्याख्यान करता हूँ^१।

११. धूपविधि — धूप-दीप आदि को परिमाणित करना। जैसे आनन्द ने उपभोग-परिभोग का प्रत्याख्यान करते हुए कहा है कि मैं अगुरु, लोबान, धूप इत्यादि के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का त्याग करता हूँ, जो धूप की जगह काम करती है^२।

१२. भोजनविधि — पेय वस्तुओं की मर्यादा निर्धारित करना। जैसे आनन्द गाथापति ने तत्कालीन मूँग या चावल से तैयार एक विशेष प्रकार के पेय के अलावा अन्य सभी पेय वस्तुओं का त्याग किया^३।

१३. भ्रह्मविधि — पक्वानों को परिमाणित करना। जैसे आनन्द ने केवल धेवर तथा खाजे को ग्रहण करने और अन्य प्रकार के पक्वानों को त्यागने का वचन लिया^४।

१४. ओदनविधि — ओदन यानी चावल या भात खाने पर नियंत्रण। जैसे आनन्द ने कहा कि मैं केवल कलम जाति के चावल को ही ग्रहण करने तथा दूसरे प्रकार के विभिन्न चावल त्यागने की प्रतिज्ञा करता हूँ^५।

१. नन्नत्य मट्ठकणोऽज्ञेहि नाम मुद्दाए य, अवसेसं आभरणविहि पञ्चक्लामि ॥ — उपा० प्र० अ०, पृ० ३७.

२. नन्नत्य अगुरु तुरुक्क धूवमादिएहि, अवसेसं धूवशविहि पञ्चक्लामि ॥ — उपा० प्र० अ०, पृ० ३८.

३. नन्नत्य एगाए कट्ठपेज्जाए, अवसेसं पेज्जविहि पञ्चक्लामि ॥ — उपा० प्र० अ०, पृ० ३८.

४. नन्नत्य एगोहि खयपुणोहि खयहखज्जपहि वा, अवसेसं भक्तविहि पञ्चक्लामि ॥ — उपा०, प्र० अ०, पृ० ३९.

५. नन्नत्य कलमसालि ओयरेण, अवसेसं ओयणविहि पञ्चक्लामि ॥ — उपा०, अध्यवन८, पृ० ३९.

१५. सूपविधि—दालों के परिमाण पर नियंत्रण करना। जैसे आनन्द ने मटर, मूँग तथा उड़द की दाल के अतिरिक्त अन्य सभी की दालों का प्रत्याख्यान किया।

१६. घृतविधि—घृत का त्याग। जैसे आनन्द अन्य प्रकार के 'घृतों' का त्याग करके केवल शर्तकालीन दानेदार गोघृतमंड लेने को तैयार हुआ।

१७. शाकविधि—शाक ग्रहण करने पर नियंत्रण। जैसे आनन्द ने कहा कि मैं सिर्फ बच्चा, चूच्चा, छीया, सौवत्स्तिक और मण्डुकिक के अतिरिक्त अन्य सभी शाकों का प्रत्याख्यान करता हूँ।

१८. माधुकरविधि—मेवा-मिठान्न को परिमाणित करना। जैसे आनन्द ने अन्य सभी प्रकार के मेवा-निष्ठान्नों को त्यागकर सिर्फ पालंगा माधुर यानी शल्लकी जाति की वनस्पति के गोंद से तैयार एक पेयविशेष को ग्रहण करने का वचन लिया।

१९. जैमनविधि—व्यंजन का प्रत्याख्यान। जैसे आनन्द ने केवल सेषाम्ल तथा दालिकाम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी तरह के व्यंजनों का परित्याग कर दिया।

२०. पानीयविधि—पीने के पानी का परिमाण नियंत्रित करना।

१. नन्नत्य कलायसूवेण वा, मुग्गमाससूवेण वा, अवसेस सूविहि पच्चक्षामि। —उपा०, प्र० अ०, पृष्ठ ४०.

२. नन्नत्य सारदृष्टेण गोषयमरणदृष्टेण, अवसेसं घयविहि पच्चक्षामि ॥ —उपा०, प्र० अ०, पृ० ४१.

३. नन्नत्य वत्थु-साएण वा, चूच्चुसाएणं वा, दुंबसाएण वा सुधिथ-यसाएण वा, मुण्डुविक्यसाएणवा, अवसेस सागविहि पच्चक्षामि। —उपा०, प्र० अ०, पृष्ठ ४१.

४. नन्नत्य एगेण पालंगामाहुरएण, अवसेसं माहुरयविहि पच्चक्षामि। —उपा०, प्र० अ०, पृष्ठ ४२.

५. नन्नत्य सेहंव दालियविहि, अवसेसं जेमणविहि पच्चक्षामि। —उपा० प्र० अ०, पृष्ठ ४२.

जैसे आनन्द ने केवल वर्षा का जल ग्रहण करने और अन्य सभी प्रकार के जलों को त्यागने का वचन लिया^१।

२१ ताम्बूलविधि — मुखवास का परिमाण मर्यादित करना। जैसे आनन्द ने कहा कि मैं पांच सुगन्धित वस्तुओं (कंकोल, काली-मिर्च, एला, लवंग, जातिफल, कपूर) से युक्त ताम्बूल के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सुगन्धित वस्तुओं को, जो मुख को सुवासित करती हैं, त्यागता हूँ^२।

इतना ही नहीं, अन्य आचार्यों ने और भी पांच प्रत्याख्यान बताये हैं — वाहन, उपानत् यानी जूता, शव्यासन, सचित्त वस्तु, खाने के अन्य सामान आदि को मर्यादित करना। अतः सब मिलकर छब्बीस प्रकार के प्रत्याख्यान होते हैं^३। इन सबके पीछे यही उद्देश्य है कि जीवन संयमित हो तथा किसी भी प्राणी की हिंसा न हो। क्योंकि खाने-शीते, वस्त्रादि धारण करने तथा वाहन आदि के प्रयोग में षट्कार्यों में से किसी न किसी प्रकार के जीवों का धात होता ही है। जितनी ही उपभोग-परिभोग में वृद्धि होगी, उतने ही अधिक प्राणियों की हिंसा होगी। अतएव हिंसा को रोकने तथा अहिंसा को सहारा देने के ध्येय से ही उपभोग-परिभोग व्रत का पालन किया जाता है—ऐसा कहा जाये तो इसमें शंका की कोई भी संभावना नहीं दीखती।

इस व्रत का निरूपण या प्रतिष्ठापन दो प्रकार से होता है—

१. भोजन तथा २. कर्म।

भोजन से सम्बन्ध रखनेवाले इस व्रत के पांच अतिवार हैं—

१. सचित्ताहार—अर्थात् उन वस्तुओं को ग्रहण करना, जिनमें जीव हो।

१. नन्नत्य एगोण अतलिक्लोदएण, अवसेसं पाणियविहि पच्चक्खामि।

— उपाठ सू०, प्र० अ०, पृष्ठ ४३.

२. नन्नत्य पंचसोगंधिएण तंबोलेण, अवसेस मुहवासविहि पच्चक्खामि।

— उपाठ सू०, प्र० अ०, पृष्ठ ४४.

३. जैन आचार, ढा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ १०७

२. सचित्तप्रतिबद्धाहार—उन पदार्थों को खाना, जिनके साथ जीव सटे हुए हों।

३. अपक्वीषधिभक्षणता—कच्ची वनस्पति खाना, जैसे शाक, फल आदि।

४. दुष्पक्वीषधिभक्षणता—वैसी वनस्पति ग्रहण करना, जो पूर्णतः पकी न हो।

५. तुच्छीषधिभक्षणता—अर्थात् कच्ची मूँगफली आदि ग्रहण करना।^१

कर्म-सम्बन्धी इस व्रत के जितने अतिचार हैं, उन्हें कर्मदान कहते हैं। कर्मदान उन कार्यों या व्यापारों को कहते हैं, जिनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध होता है। इन कार्यों से अत्यधिक हिसाहोती है, इसलिये श्रावकों के लिए ये त्याज्य हैं। इनकी संख्या पन्द्रह है:^२

१. इंगालकम्मे (अंगारकर्म) —कोयले बनाना यानी खान से कोयला निकालना और तैयार करना, इंट पकाना, भट्टा चलाना आदि। जिसमें आग तथा कोयला अधिक मात्रा में काम में आए।

२. वणकम्मे (वनकर्म) —जंगल-संबंधी व्यापार अर्थात् लकड़ी काटकर बेचना, गांव या शहर बसाने के उद्देश से बनों को काट-देना या उनमें आग लगा देना।

१. तथाणंतरं च णं उपभोग-परिभोगे दुविहेपश्णत्वो, तं जहा—भोयणओ, कम्मओ य, तत्थ णं भोयणओ समणोवासएण पञ्च अहयारा जाश्चियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा—सचित्तप्रतिबद्धाहारे, अप्पउलिओसहि भक्षणया, दुष्पउलिओसहिभक्षणया तुच्छोसहिभक्षणया।

—उपा० स०, प्र० अ०, पृष्ठ ६५.

२. कम्मओ णं समणोवासएणं पश्णरसं कम्मादाणाहूं जाश्चियव्वाहूं, न समायरियव्वाहूं, तं जहा-इंगाल-कम्मे, वश-कम्मे, साइकम्मे, माडीकम्मे फोडी-कम्मे, दंत-वाणिजजे, लक्ख-वाणिजजे, रस-वाणिजजे, विस-वाणिजजे, केट-वाणिजजे, जंत-पीलण-कम्मे, निलंकुण-कम्मे दवभिंग-दावशाया, सरदह-तलायसोसणया, असई-जण-पोसणया।

—उपा० स०, प्र० अ०, पृष्ठ ६६.

३. साढ़ी-कम्मे (शक्टकर्म) — शक्ट अर्थात् बेलगाढ़ी, रथ, मोटर, तांगा आदि बनाना और बेचना ।
४. भाड़ीकम्मे (भाटीकर्म) — बैल, अश्व आदि पशुओं को भाड़े पर देना ।
५. फोड़ी-कम्मे (स्फोटीकर्म) — खान खोदने और पत्थर तोड़ने-फोड़ने के व्यापार ।
६. दंतवाणिज्जे (दन्तवाणिज्य) — हाथी दाँत या अन्य पशु के बहुमूल्य दांतों, हड्डियों एवं चमड़ों का व्यापार करना ।
७. लखलवाणिज्जे (लाक्षवाणिज्य) — लाख या लाह का व्यापार करना ।
८. रसवाणिज्जे (रसवाणिज्य) — मदिरा आदि रस का व्यापार करना ।
९. विसवाणिज्जे (विषवाणिज्य) — विभिन्न प्रकार के विषों का व्यवसाय करना जिनमें बन्दूक, तलवार, धनुष-वाण, बारूद आदि वस्तुएँ भी समझनी चाहिये ।
१०. केसवाणिज्जे (केशवाणिज्य) — बालों या बालवाले प्राणियों का व्यापार । मोर-पंख तथा ऊन का व्यापार इसके अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के लिये प्राणियों को मारना नहीं पड़ता ।
११. जन्तपीलणकम्मे (जन्त्रपीडनकर्म) — कोल्हू आदि से सरसो, तिल आदि पेरना ।
१२. निलंछणकम्मे (निर्लञ्छनकर्म) — बैल, बकरे आदि नपुंसक बनाना ।
१३. दवयिगदावण्या (दावानिदापनता) — जंगल में आग लगाना । जंगल में आग लगाने पर उसमें रहनेवाले बहुत से त्रस प्राणियों का विनाश हो जाता है ।
१४. सरदहतलायमोसण्या (सरोहृदतडागशोषणता) — झील, सरोबर, तालाब आदि जलाशयों को सुखा देना ।
१५. असद्विजणपोसण्या (असतीजनपोषणता) — व्यभिचार के उद्देश्य से वेश्या आदि नियुक्त करना और शिकार करने के निमित्त कुत्ते, बिल्ली आदि हिंसक पशुओं को पालना ।

इस तरह उपभोगपरिभोग द्रवत के जितने भी अतिकार हैं, चाहे वे भोजन-सम्बन्धी हों या कर्म-सम्बन्धी, सभी हिंसा की ओर ही ले जानेवाले हैं। अतः हिंसा से बचने के लिये इन्हें जानना चाहिये और इनका स्थाग करना चाहिये ।^१

अनर्थदण्डवत—धर्म, अर्थ और काम को ध्यान में रखते हुए यानी इन तीनों की प्राप्ति के हेतु कोई भी व्यक्ति कुछ करता है। लेकिन जिस कार्य से इन तीनों में से किसी की भी प्राप्ति न हो उसे अनर्थदण्ड कहते हैं। ऐसे कार्य से करनेवाले की स्वार्थपूर्ति नहीं होती किन्तु दूसरे की हानि हो जाती है। इसके चार लक्षण या प्रकार हैं—^२

१. अपध्यानाचरित—दुश्चिन्ता की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है :

जब सन्तान, स्वास्थ्य आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती तो व्यक्ति के मन में तरह-तरह की मानसिक चिन्ताएँ पैदा होती हैं, जिन्हें आतंक्यान के अन्तर्गत लिया जाता है।

कभी-कभी शत्रुतावश या क्रोधवश मनःस्थिति चंचल हो जाती है, जिसे रोद्रध्यान कहते हैं। ये दोनों ही, खासतौर से रोद्रध्यान, मन को हिंमा की ओर प्रेरित करते हैं।

२. प्रमादाचरित आलस्यपूर्ण जीवन, जिस जीवन में असावधानी हो, शिथिलता हो। बिना काम के बैठे हुए लोगों के द्वारा दूसरों की शिकायत का होना, शृंगारयुक्त वार्तालाप करना।

३. हिंसप्रदान—किसी को हिंसक साधन देकर हिंसापूर्ण कार्यों में उसका सहायक बनना।

४. पापकर्मोपदेश—उस प्रकार का उपदेश देना जिससे मुननेवाला विभिन्न प्रकार के पापों में प्रवृत्त हो।

१. उपासकदशांग सूत्र, प्र० अ०, पृष्ठ ६५-७०.

समीक्षीन धर्मशास्त्र, अ० ४, कारिका ८३-८०.

योगशास्त्र, श्लोक ८८-१३.

वसुनन्दिकृत श्रावकाचार, श्लोक २१६, पृष्ठ ८८.

२. तं ज्ञान-अवक्षमाणायरियं, पमायायरियं, हिंसप्ययाणं, पाद-कमोद्वएषे ।

—उपा० सू०, प्र० अ०, पृष्ठ ४४.

समीचीनधर्मशास्त्र में अनर्थदण्ड के पांच भेद किये गये हैं - पापो-पदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति, प्रमादचर्या।^१ इन पांच में से चार तो वे ही हैं जिनका वर्णन उपासकदशांगसूत्र में मिलता है लेकिन दुःश्रुति अधिक है। दु श्रुति से मतलब है उन शास्त्रों से जो आरम्भ, परिग्रह, साहस जो शक्ति तथा नीति पर ध्यान दिये बिना किया जाता है, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद और मदन को प्रतिपादित करते हों। उन्हें पढ़ना या सुनना।^२

इस प्रकार अपने अथवा अपने कुटुम्ब के जीवन-निर्वाह के निमित्त होनेवाले अनिवार्य साक्ष्य अर्थात् हिंसापूर्ण व्यापार-व्यवस्था के अतिरिक्त समस्त पापपूर्ण प्रवृत्तियों से निवृत्त होना अनर्थदण्डविरमण व्रत है। इस गुणव्रत से प्रधानतया अहिंसा एवं अपरिग्रह का पोषण होता है। अनर्थदण्डविरमण व्रतधारी श्रावक निरर्थक किसी की हिंसा नहीं करता और न निरर्थक वस्तु का संग्रह ही करता है, क्योंकि इस प्रकार के संग्रह से हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है।^३

शिक्षाव्रत :

अणुव्रत और गुणव्रत से शिक्षाव्रत भिन्न है, क्योंकि इसे बार-बार प्रहण करके इसका अभ्यास किया जाता है। जिस प्रकार विद्यार्थी अपने पाठ का अभ्यास करता है उसी प्रकार श्रावक इस व्रत का अभ्यास करता है और इसोलिये इसे शिक्षाव्रत की संज्ञा दी गई है। इसके चार भेद हैं :

१. पापोपदेश-हिंसादान-अपध्यान-दुःश्रुतीः पंच ।

प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डधरः ॥ ६ ॥ ७५ ॥

— समीचीन धर्मशास्त्र ।

२. आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-द्वेष-राग-मद-मदनैः ।

चेतः कलुषयता दुःश्रुतिर्भवति ॥ १३ ॥ ७६ ॥

— समीचीन धर्मशास्त्र ।

३. जैन आचार, डा० मोहनलाल मेहता, पृष्ठ १११.

४. देशाभकाशिक वा रामयिकं प्रोष्ठबोपवासो वा ।

वैव्याहृत्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ १ ॥ ६१ ॥

— समीचीन धर्मशास्त्र ।

सामायिकक्रत—सामायिक पद, दो शब्दों के संयोग से बने हुए 'समाय' शब्द पर आधारित है। वे दो शब्द हैं—'सम' और 'आय'। 'सम' का अर्थ होता है 'समता', 'वरावरी' तथा 'आय' से समझा जाता है आमदनी या लाभ। इस प्रकार 'समाय' का तात्पर्य हुआ 'समभाव' या समलाभ की प्राप्ति या यों कहा जाय कि समता की प्राप्ति। अतः समभाव लानेवाली क्रिया को सामायिक कहा जा सकता है। कुछ और स्पष्ट ढंग से यह कहा जा सकता है कि त्रिस और स्थावर प्राणियों के प्रति समर्पण या समभाव रखना ही सामायिक है। समन्त-भद्र के अनुसार मुक्ति पर्यन्त हिंसादि पांच पार्णों का पूर्णरूपेण त्याग करना ही 'सामयिकक्रत' है।^१

देशावकाशिकक्रत—दिशापरिमाणक्रत में यह निश्चित किया जाता है कि श्रावक अपने जीवन में आवागमन कहाँ तक करेगा लेकिन उसमें भी कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए यदि वह विशेष मर्यादा कायम कर देता है, उस मर्यादा को ही देशावकाशिक क्रत कहते हैं। दिशा-परिमाण क्रत करने से श्रावक हिंसा करने से बचता है, क्योंकि कम दूरी में चलने से कम कार्यों या कम जीवों से ही उसका सम्पर्क हो पाता है, अतः कम जीवों की हिंसा होती है और यदि सामान्य मर्यादित क्षेत्र में होनेवाले आवागमन को वह विशेष मर्यादित कर देता है, इसका मतलब है कि वह और कम हिंसा करेगा।

पौष्ट्रोपवासक्रत—शान्तिपूर्ण ढंग से विशेष नियमपूर्वक उपवास करना तथा सावद्य क्रियाओं का त्याग करना पौष्ट्रोपवासक्रत कहा जाता है। समीचीनधर्मशास्त्र में कहा गया है कि चतुर्दशी और अष्टमी को अन्न, पान (पेय), खाद्य तथा लेह्यरूप से चार प्रकार के आहारों का शुभ संकल्पों के साथ त्याग करना ही पौष्ट्रोपवास क्रत है।^२

१. आत्मयमुक्ति मुक्ति पचाऽधानामशेषमावेन ।

सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शसनित ॥ ७ ॥ १७ ॥

— समीचीन धर्मशास्त्र ।

२. पर्वयवहृष्टां च शात्र्यः प्रोष्टोपवासस्तु ।

चतुर्दश्यवहार्याणां प्रत्याह्यानं सदिच्छामिः ॥ १६ ॥ १०१ ॥

— समीचीन धर्मशास्त्र ।

उपवास करने से मतलब है अन्न, पेयवस्तु, खाद्य आदि में रहनेवाले जीवों की हिंसा न हो, साथ ही सावधाकमों से बंचित रहना भी हिंसा कम करने या न करने का ही विधान करता है।

यथासंविभाग या अतिथिसंविभागव्रत—अतिथि यानी जिनके आने की कोई तिथि न हो, ऐसे व्यक्तियों के लिये अपने यथासिद्ध भोज्य पदार्थ का समुचित विभाग करना यथासंविभाग अथवा अतिथिसंविभाग व्रत कहलाता है। इस व्रत के पाच अतिचार हैं :—

१. सचित्तनिक्षेप—अतिथि को देने के भय से खाद्यसामग्री को सचित्तवस्तु पर रखना।

२. सचित्तपिधान—पके हुए भोजन को सचित्तवस्तु से ढंक देना।

३. कालातिकम—अतिथि भोजन न ले सके, इस उद्देश्य से भोजन उचित समय पर न बनाना।

४. परव्यपदेश—भोज्य वस्तु को अपनी न बताकर दूसरे की बताना, ताकि अतिथि भोजन न ले सके।

५. मात्सर्य—सहज भाव से वस्तु न देकर इसलिए देना कि किसी और ने दी है यानी ईर्ष्याविश देना।

ईर्ष्या भी हिंसा का कारण है। पहले के दो अतिचारों में, जिनमें भोज्य वस्तु का सम्बन्ध सचित्त वस्तु से कर दिया जाता है, हिंसा होती है या होने की संभावना रहती है। अतः हिंसा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन अतिचारों का त्याग करना चाहिये।

श्रमणाचार अथवा श्रमण-धर्म :

जैनाचार में दो शब्द—देशविरत तथा सर्वविरत प्रायः प्रयुक्त किये जाते हैं। देशविरत हम उन्हें कहते हैं जो हिंसा आदि का प्रत्यारूपण नहीं करते हैं यानी श्रावक और सर्वविरत वे कहे जाते हैं जो हिंसादोषों को सब तरह से त्याग देते हैं यानी श्रमण। श्रमण धर्म के अन्तर्गत पांच महाव्रत आते हैं, जिनका पालन मुनिगण

१. सचित्तनिक्षेपण्या, सचित्तपेहण्या, कालातिकमे, परव्यपदेश, मञ्जुरिया।

तीन करण (करना, करवाना तथा अनुमोदन करना) और तीन योग (मन, वचन एवं काय) से करते हैं। हिंसा का त्याग, असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, मैथुन का त्याग और परिग्रह का त्याग - ये पाँच महाव्रत हैं। इनके विषय में पर्याप्त विचार किया जा चुका है। यहाँ हम देखेंगे कि इन व्रतों को परिपुष्ट करनेवाली कितनी भावनाएँ हैं और किस प्रकार ये उन्हें दृढ़ बनाती हैं।

प्राणातिपात-विरमण की पांच भावनाएँ—

प्रथम भावना — इसका सम्बन्ध ईर्या समिति से है। निग्रन्थ साधु को यत्नपूर्वक चलना चाहिये अन्यथा वह भूत, जीव और सत्त्व की हिंसा करता है, जिसकी वजह से कर्म का आगमन होता है और बन्ध होता है। अतः यह भावना इस चीज पर जोर देती है कि मुनि या श्रमण को हमेशा ही हिंसा से बचना चाहिये।^१

द्वितीय भावना — मन को पापों से हटाना। पापजनक, सावच्छिक्या मुक्त, आश्रव लानेवाला, छेदन-भेदन करनेवाला, कलह करनेवाला, द्वेषमुक्त, परितापजनक, प्राणों का अतिपात और जीवों का धात-उपधात करनेवाला विचार मन से दूर कर देना चाहिये, क्योंकि किसी न किसी रूप में उससे हिंसा होती ही है।^२

१. तस्माओ पच भावणा ओ भवंति, तत्थिमा पठना भावणा इरियासमिए
से निगंय नो अगइरियासमिएति, केवला बूरा इरियासमिए से
निगये नो अणइरियासमिहत्ति पठना भावणा ॥ १ ॥

—आचाराग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, पचदश अध्ययन, पृ० १४२०;

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयं आसे जय सए ।

जयं मुञ्जन्तो भासन्तो पावकम् न वधइ ॥

—दशबैकालिक सूत्र, ४, ८.

२. ...मणं परियाणह से निगये, जे य मणे पावए सावजे सकिरिए
अणहयकरे छेयकरे भेयकरे अहिगरणिए पाड़सिए परियाविए पाणा-
इवाइए भूओवधाइए, तहप्पगार मण नो पधारिज्जा गमणाइए, मणं
परियाणह से निगये, जे य मणे अपावर्णिति दुच्चा भावणा ॥२॥

—आचाराग, द्वि० शु०, अध्याय १५, पृ० १४२१.

तृतीय भावना—वचन की अपापकता—वाणी की विशुद्धता । इसमें यह बताया गया है कि निर्यन्त पापमय, सावच्च यानी जीवों के उपधातक तथा विनाशक वचनों का प्रयोग न करे, क्योंकि ऐसे सदोष भाषण से जीवहिंसा होती है ।^१

चतुर्थ भावना—भाण्डोपकरण विषयक समिति । साधु भाण्डोपकरण को ग्रहण करे या कहीं रखे तो उसे पूर्ण यत्नपूर्वक ग्रहण करना या रखना चाहिये, वयोंकि ऐसा न करने से जीवों की हिंसा होती है ।^२

पंचम भावना—भक्त-पान विषयक आलोकिकता । विवेकपूर्वक देखकर भोजन या जल ग्रहण करना ही साधु के लिये उचित है वरना खाते या पीते समय वह अनेक प्राणियों की हिंसा करता है । अतः सदा देखकर आहार-पान ग्रहण करना चाहिये ।^३

मृत्यावादविवरण की भावनाएँ—सत्यव्रत का अहिंसा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसकी रक्षा के लिये पांच भावनाएँ बताई गई हैं—

१. वाणीविवेक, २. कोघत्याग, ३. लोभ-त्याग, ४. भय-त्याग तथा ५. हास्य-त्याग । कोघ, लोभ आदि हिंसा के कारण हैं, अतः इनका सर्वथा त्याग करना ही साधु का धर्म समझा जाता है ।^४

अदत्तादानविवरण की पांच भावनाएँ हैं । १. सोच-विचार-कर वस्तु की याचना करना, २ आचार्य की अनुमति से भोजन करना, ३. परिमित वस्तु स्वीकार करना, ४. बार-बार वस्तुओं को मर्यादित करना तथा ५. साधारणिक से परिमित पदार्थों को मानना । ऐसा करने से हिंसा को त्यागने एवं अहिंसा को अपनाने में सहायता मिलती है । यदि कोई बिना पूछे हो किसी की वस्तु ले लेता है तो उस

१. आचाराग सूत्र, द्विंद्रु ०, पंचदश अध्ययन, सूत्र ४, पृ० १४२३.

२. वही, सूत्र ४, पृ० १४२५.

३. आलोह्यपाणभोयणभोई से निगये नो अणालोह्यपाणभोयणभोई,

केवली बूया***पञ्चमा भावना ॥ ५ ॥

—वही, पृ० १४२६.

४. वही, पृष्ठ १४३०-१४३५.

वस्तु के जभाव में उसे कष्ट होता है या मर्यादा से अधिक भी ले लेता है तो यह कष्टदायक ही होता है। अतः किसी भी प्राणी को दुःख न हो, इसका ध्यान करते हुए श्रमण को ऊपर कथित भावनाओं का पालन करना चाहिये।^१

बहुचर्य की भावनाएँ - मैथुन हिंसा का कारण होता है, इससे अनेक सूक्ष्म कीटाणुओं का घात होता है। अतः निर्गन्धमुनि को इसका त्याग सब तरह से कर देना चाहिये। इसकी पांच भावनाएँ हैं : १. खो-कथा न करना, २. खो के अंगों को न देखना, ३. पूर्वानुभूत काम-कीड़ा को याद न करना, ४. मात्रा का अतिक्रमण करके भोजन न करना तथा ५. उस स्थान पर न रहना जो खो के सम्पर्क में हो। चूंकि इन सभी कार्यों से वासना को वृद्धि होती है, जो हिंसा को बढ़ाती है, अतः श्रमण या श्रमणी सदा इन भावनाओं का सेवन करे यहां श्रेयस्कर है।^२

अपरिग्रहवत की भावनाएँ—परिग्रह से द्वेष, ईर्ष्या आदि हिंसा-जनक कर्मों का जन्म होता है, अतः यह भी मुनियों के लिये सदा त्याज्य है। इसकी पांच भावनाएँ हैं

१. श्रोत्रेन्द्रिय सम्बन्धी विषय के प्रति राग-द्वेष का न होना, २. चक्षुरिन्द्रिय सम्बन्धी विषय यानी रूप के प्रति अनासक्त होना, ३. ध्वणेन्द्रिय के विषय के प्रति अनासक्ति, ४. रसनेन्द्रिय के विषय के प्रति अनासक्ति तथा ५. स्पर्शनेन्द्रिय के विषय के प्रति अनासक्ति।^३

रात्रि-भोजन-विरमणवत :

दशवेकालिकसूत्र में क्षुल्लकाचार को वर्णित करते हुए साधु के लिये पांच प्रकार के भोजन का निषेध किया गया है :

१. औद्देशिक - साधु या मुनि को देने के उद्देश्य से बना हुआ भोजन, २. क्रोत - साधु के लिये खरीदा गया भोजन, ३. नित्य-

४. आचाराग सूत्र, द्वितीय श्रुतस्कन्ध, पचदश अध्ययन, पृ० १४३५-४३.

५. " " " " " पृ० १४४३-४३.

६. " " " " " पृ १४१३-६५.

पिछ—सदा एक ही घर से मिलनेवाला भोजन, ४. अभ्याहृत—उपाश्रय आदि में प्राप्त भोजन तथा ५. रात्रिभोजन यानी रात में भोजन करना।^१ इतना ही नहीं, रात्रिभोजन - विरमण व्रत को पाँच महाव्रतों के बाद आनेवाला छठा व्रत भी कहा है।^२ रात्रिभोजन-विरमण को व्रत की श्रेणी में इसलिये रखा गया है कि इससे अहिंसा व्रत का पोषण होता है। रात्रि में भोजन करने से अनेक सूक्ष्म प्राणियों को हिंसा होती है, क्योंकि मनुष्य उन छोटे-छोटे प्राणियों को देख नहीं पाता। इसके अलावा छोटे-छोटे जीव कुछ ऐसे होते हैं जो रोशनी देखकर स्वतः आ जाते और चिराग आदि को लौ पर जलकर मर जाते हैं। अर्थात् रात्रि में भोजन करना हिंसा को बढ़ावा देना है। दशवै-कालिक सूत्र में ही आगे कहा है कि साधु सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पहले अशनादि चारो प्रकार के आहारों को मन से भी त्याग दे, यानी इनके उपभोग की कल्पना मन में भी न लाये।^३

समिति तथा गुप्ति :

समितियां पाँच तथा गुप्तियां तीन होता हैं। ईर्या, भाषा, एषणा, आदान और उच्चार समितियां हैं तथा मन, वचन और काय गुप्तियां। ये पाँच समितियां साधु के चारित्र की प्रवृत्ति के लिए तथा तीन गुप्तियां अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति पाने के लिये होती हैं। ये बताती हैं कि साधु को गमनागमन में आलम्बन, काल, मार्ग और यतना की शुद्धि का सदा ध्यान रखना चाहिये। ईर्या समिति में ज्ञान, दर्शन और चारित्र आलम्बन स्वरूप होते हैं, काल दिवस है यानी रात में उसे कही

१. उद्देश्य कीशगड, नियाग अभिहङ्काण्य।

राईभर्तो, सिणारोय गंध मल्ले य वियणे ॥२॥

— दशवैकालिक सूत्र, तुल्लकाचार नामक तृतीय अध्ययन.

२. अहावरे कृट्ठे भंते ! व॒ र राईभोयणाओ वेरमण,

सृष्टं भते । राईभोयण पञ्चवत्तामि ॥१६॥

— दशवैकालिक सूत्र, चतुर्थ अध्ययन.

३. अत्यगयमि आहृचे, पुरस्थाम अणुगगए ।

आहारमाहृयं सब्वं, मणसा वि न पत्थए ॥२८॥

— दशवैकालिक सूत्र, अष्टम अध्ययन.

गमन नहीं करना चाहिये और कुमारों को त्यागना चाहिए तथा चार प्रकार की यतना—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। यानी वह आँखों से देखकर अपने से आगे की चार हाथ भूमि को देखता हुआ चल, क्योंकि ऐसा न करने से राह में पड़ हुए जीवों की हिंसा होगा। और जब तक वह चल, विषयों और पांच प्रकार के स्वाध्यायों को बर्जित करता हुआ चल। बोलने के समय यह ध्यान रखे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय आदि स मुक्त वचन न बोल जायें। आहार, उर्पाधि, शश्या इन तानों की शुद्धि पर साधु की सदा दृष्टि रहनी चाहिये यानी गवेषणा, प्रहणेणा तथा परिभ्रांगेणा यत्नपूर्वक तथा शुद्धतापूर्वक करना चाहिये। रजोहरण, आघउपधि, पाट, पाटला आदि को ग्रहण करते हुए और रखते हुए भी शुद्धता का रूपाल करना चाहिए। आँखों से देखकर इन्हे लना या इनका प्रयोग करना चाहिये। साधु को अपने मलमूत्र को भी उसका विधि के अनुसार त्यागना या परठना चाहिये। उस स्थान को मलमूत्र त्यागने या परठने के काम लाना चाहिये जहां न कोई आता हो आर न कोई उस देखता हो, जो आचत्त हो यानी जहां पर हिंसा होने का संभावना नहीं हो तथा जहां चूह आदि के बिल न हो। इस तरह गुप्तियों का पालन करना श्रमण के लिये आवश्यक होता है। मन, वचन और काय इन तानों ही गुप्तियों के सत्या, असत्या, मृपा तथा असत्यामृपा य चार-चार रूप होते हैं। मनगुप्ति के अनुसार साधु को चाहिये कि वह अपने मन को संरम्भ, समारम्भ तथा आरम्भ का ओर जाने से रोके। वचनगुप्ति यह सिखाती है कि साधु को संरम्भ, समारम्भ तथा आरम्भ में प्रवृत्त होनेवाले शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिये, तथा कायगुप्ति बताती है कि साधु अपने शरीर को संरम्भ-समारम्भ में जाने से रोके। इस प्रकार समर्पितया तथा गुप्तियों साधु के जीवन को संयोगमत बनाने में उसे सहायता प्रदान करती है।

१. क—आचारांगसूत्र, द्वितीय अ॒त्स्कन्ध, प्रथम चूला, तृतीय अध्याय,
सूत्र ११४, पृ० ३०६८

ख—आचारांगसूत्र, द्वितीय अ॒त्स्कन्ध, चूला ३, अ० ३, सूत्र १६५, पृ० १२६१।

ग—उच्चराध्ययनसूत्र, अध्ययन २४।

आवश्यक :

जो क्रियाएं प्रतिदिन की जाती हैं तथा आवश्यक समझकर की जाती हैं उन्हें आवश्यक कहा जाता है। ये छः प्रकार की होती हैं :

१. सामायिक,
२. चतुर्विश्वातिस्तव,
- ३ वन्दना,
४. प्रतिक्रमण,
- ५ कायोत्सर्ग तथा
६. प्रत्याख्यान।^१

सभी जीवों को सम या समान समझना सामार्थ्यक कहलाता है। जो सभी प्राणियों को बराबर समझेगा वह किसी की भी हिंसा जान-बूझकर नहीं करेगा। चौबीस तीर्थंकरों को स्तुति करने को चतुर्विश्वातिस्तव कहते हैं। गुरु की वन्दना करना वन्दन कहलाता है। गुरु की वन्दना इसलिए की जाती है कि वह सद्गतान देता है। की गई गलतियों को सुधारना प्रतिक्रमण कहा जाता है। शरीर-सम्बन्धी ममता का त्याग कायोत्सर्ग कहा जाता है। कायोत्सर्ग की स्थिति में हिलना-डोलना, बोलना-चलना, उठना आदि बन्द रहता है जिससे जीवों की हिंसा रुकती है। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग। यद्यपि मुनिगण हिंसादि दोषों को प्रायः त्याग ही देते हैं, वे आवश्यक वस्तुओं में से भी कुछ को कुछ काल या सर्वदा के लिये त्याग देते हैं, जिससे हिंसा होने की संभावना और कम हो जाती है।

पंचम अध्याय

गांधीवादी अहिंसा

तथा

जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा

गांधीवाद आधुनिक युग के प्रमुख वादों में से एक है। मात्र इसके नामोच्चारण से ही अधिकनर लोगों के सामने इसके जन्मदाता युगपुरुष महात्मा गांधी तथा इसके व्यावहारिक रूप की एक झलक-सी आ जाती है। चूँकि इसका व्यावहारिक रूप इसके सिद्धान्तिक रूपानुकूल ही है, यह आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि इसका विशेष परिचय भी दिया जाये। फिर भी इतना तो कहना ही होगा कि गांधीवाद केवल धार्मिक या दार्शनिक या राजनीतिक या समाज-शास्त्रीय सिद्धान्तों पर ही आधारित नहीं है बल्कि यह सब का एक मिलाऊला रूप है। इसमें भारतीय संस्कृति के सभी सिद्धान्तों का समन्वय हुआ है, इस समन्वयकरण में अहिंसा ही एक ऐसी शक्ति है जो अन्तःस्रोत का काम करती है। यद्यपि अहिंसा की धारा अति प्राचीनकाल से भारतवर्ष में प्रवाहित हो रही है, महात्मा गांधी को अहिंसा की ओर आकर्षित करने का श्रेय महात्मा काउन्ट लियो टाल्सटाय को है जिनके वचनों ने उनके मन-मन्दिर में अहिंसा रूपी दोपक को जलाया। गांधीजी ने स्वयं कहा है—

‘उनकी पुस्तकों में जिस किताब का प्रभाव मुझ पर बहुत अधिक पड़ा उसका नाम है “किंगडम ऑफ हैवेन इज विदीन यू”। उसका अर्थ यह है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में है। विलायत जाने के समय तो मैं हिंसक था, हिंसा पर मेरी अद्वा

यो और अहिंसा पर अश्रद्धा । यह पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी यह अश्रद्धा चली गई ।”

रायचन्द भाई (जैन) तथा रस्किन का भी गांधीजी के जीवन पर काफी प्रभाव था ।^१ और इन सब प्रभावों के फलस्वरूप जब गांधीजी ने एक बार अहिंसा के स्वरूप को पहचान लिया तब उन्होंने इसे इस तरह अपनाया कि वे स्वयं अहिंसामय हो गये^२ अर्थात् जीवन के सभी क्षेत्रों में अहिंसा का ज्योतिर्मय मूर्ति को स्थापना कर दी ।

गांधीजी के जीवन का वर्णन यदि एक शब्द में किया जाय तो वह अहिंसा है । उनके जीवन का स्वप्न, उनका सारा कार्यक्रम अहिंसा का ही स्वरूप था । इसों के लिये वह जीवित रहे और इसी के लिये मरे । उनके लेखों तथा कथन का अधिक भाग इसी विषय पर था और जो नहीं था वह भी इसी ध्येय का पूरक था । उनकी अहिंसा केवल सिद्धान्त अथवा विचार की सीमा में नहीं था, न राजनातिक आवश्यकता की सामयिक पुकार थी । वह मच्छर, पिस्सू और कीटाणुओं की हिंसा करने को बाध्य थे तो इस लिये नहीं कि इनकी हिंसा हिंसा न थी । केवल इसलिये कि विज्ञान ने कोई ऐसी विधि नहीं बताई, न मानव जीवन इतना प्रशस्त हो सका जो इनका हिंसा किये बिना मानव-समाज की रक्षा कर सके । इनका हिंसा को रोकने में वह असमर्थ थे और इसका उन्हें दुःख था । युद्ध में वह सम्मिलित हुए तो भी इसलिये नहीं कि हिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने में उन्हे आनन्द था, केवल इसलिये कि

१. गांधी साहित्य—३, पृष्ठ २२५.

२. ‘रायचन्द भाई ने अपने सजीव सुर्खं से, टाल्सटाय ने ‘स्वर्ग दुम्हारे हृदय म है’ नामक पुस्तक द्वारा तथा रस्किन ने ‘अनडु दिल लास्ट’—सर्वोदय नामक पुस्तक से मुक्ते चकित कर दिया ।’

(महात्मा गांधी की) आत्मकथा, अनु० हरिमाऊ उपाध्याय, भाग २,
पृष्ठ १००.

३. ‘मैं अपने को अहिंसामय मानता हूँ’—गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग,
संख्या १०, पृष्ठ ५४.

यदि संभव हो सके तो हिंसा की शोषणातिशील समाप्ति को जा सके ।'

महात्मा गांधी ने स्वयं भी कहा है--

मेरे लिए सत्य से परे कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई परम कर्तव्य नहीं है : 'सत्यान्नास्ति परो धर्मः' और 'अहिंसा परमो धर्मः' । मैंने जो कुछ लिखा है, वह मैंने जो कुछ किया है उसका वर्णन है और मैंने जो कुछ किया है, वही सत्य और अहिंसा की सबसे बड़ी टीका (व्याख्या) है ।^१

अहिंसा की परिभाषा :

अहिंसा को परिभाषित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा है—

१. 'अहिंसा एक महाव्रत है । तलवार की धार पर चलने से भी कठिन है । देहांत के लिए उसका सोलह आना पालन अमंभव है । उसके पालन के लिए धीर तपश्चर्या की आवश्यकता है । तपश्चर्या का अर्थ यही त्याग और ज्ञान करना चाहिए ।'^२

२. 'अहिंसा ही सत्येश्वर का दर्शन करने का सीधा और छोटा-सा मार्ग दिखाई देता है ।'^३

३. 'अहिंसा के माने पूर्ण निर्दोषिता ही है । पूर्ण अहिंसा का अर्थ है प्राणीमात्र के प्रति दुर्भाव का पूर्ण अभाव ।'^४

४. 'अहिंसा सत्य का प्राण है । उसके बिना मनुष्य पशु है ।'^५

१. गांधीजी, अहिंसा, द्वितीय माग खण्ड १०, आमुल.

२. " " " " " " और 'जौनी अहिंसा' के बीच वाले पृष्ठ पर देखें ।

३. " प्रथम माग, " पृष्ठ ३२.

४. " " " " " " ७१.

५. " " " " " " ७८.

६. " " " " " " ८१.

५. 'अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। सारी मनुष्य जाति इसी एक लक्ष्य की ओर स्वभावतः परन्तु अनजाने में जा रही है।'^१

६. 'अहिंसा प्रचण्ड शख्स है। उसमें परम पुरुषार्थ है। वह भीरु से भागती है। वह बीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। यह शुष्क, नीरस, जड़ पदार्थ नहीं है यह चेतन है। यह आत्मा का विशेष गुण है।'^२

इन परिभाषाओं में अहिंसा को विभिन्न दृष्टियों से देखा गया है। कभी तो इसे महाव्रत बताया गया है और कभी प्रचण्ड शख्स; कभी इसे सत्य का प्राण तथा सत्य तक पहुँचने का सन्मार्ग बताया गया है तो कभी इसे अपने आप में पूर्ण कहा गया है। इन वचनों से अहिंसा के विभिन्न गुणों पर प्रकाश पड़ता है, किन्तु तीसरी परिभाषा अहिंसा के सही रूप को व्यक्त करती है यानी प्राणीमात्र के प्रति दुर्भाव या कुभाव का अभाव ही अहिंसा है, कारण, जब तक किसी के प्रति मन में कुभाव नहीं आता, हिंसापूर्ण प्रवृत्ति जागती नहीं।

अहिंसा का स्वरूप :

गांधीजी ने भी माना है कि हिंसा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि वचन और मन से भी होती है, जैसा कि 'अहिंसा' पुस्तक में लिखा है—
 'उनकी दृष्टि में जगत् में सारे प्राणी एक हैं, जहाँ तक जीव का संबंध है उनमें से किसी को हानि पहुँचाना हिंसा है। गांधी जा यही नहीं सकते, किसी के प्रति हानि पहुँचानेवाली बात सोचना हिंमा में ही सम्मिलित है।'^३

मन, वचन तथा काय से हिंसा करने का मतलब होता है कि हिंसा के दो रूप हैं—भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा; और इसी आधार पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि आहिंसा के दो रूप हैं—भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा।

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृष्ठ ८४.

२. " " " " " , १०१.

३. गांधीजी, अहिंसा, द्वितीय भाग, खण्ड १०, आमुख.

हिंसा तथा अहिंसा के विभिन्न रूप :

गांधीजी के अनुसार अहम् या अहमत्व पर आधारित जितनी भी मानुषिक क्रियाएँ हैं, वे सभी हिंसा ही हैं जैसे—स्वार्थ, प्रभुता की गावना, जातिगत विद्वेष, असन्तुलित एवं असंयमित भोगदृष्टि, विशुद्ध भौतिकता की पूजा, अपने व्यक्तिगत और वर्गगत स्वार्थों का अंघ साधन, शरू और शक्ति के आधार पर अपनी कामनाओं की संदृष्टि करना, अपने अधिकार को कायम रखने के लिए बल का प्रयोग तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अपहरण आदि। ठीक इसके विपरीत अहिंसा अहम् भावना के विनाश में निहित है। अहिंसा वह मनःस्थिति है जिसमें मनुष्य का उज्ज्वलांश उद्दीप्त हो, वह अहंकार, स्वार्थ, भौतिक भोगों की लोलूपता से ऊँचा उठकर अपने व्यक्तित्व का विसर्जन विराट के कल्याण में कर देने में अपना विकास, अपनी प्रगति और अपना निश्चयस् देखे।^१ अर्थात् अहिंसा मात्र जीवदया ही नहीं है बल्कि स्वार्थ का त्याग, जनकल्याण के निमित्त किये गये कार्य, असंयमित भोगप्रवृत्ति का त्याग आदि अहिंसा के ही रूप हैं।

सर्वभूतहिताय अहिंसा :

अहिंसा मात्र मनुष्य जाति का हो हित करनेवालों हो यानी मनुष्यों के हित या लाभ के लिए अन्य प्राणियों का घात या किसी भी प्रकार को हानि को वह स्वीकार करे तो ऐसो अहिंसा गांधीजी के मतानुसार अहिंसा कहलाने का दावा नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा है कि आदमी यदि अपने में वह शक्ति पेदा कर ले कि वह शेर-भालू आदि हिंसक पशुओं से भी प्रेम कर सके और बिना उनको हत्या किये भी काम चला सके तो अति उत्तम है।^२ जो अहिंसा का पालन करता है वह प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखता है। वह उन प्राणियों को भी गले लगाता है जो हिंसक हैं, विषेले हैं।^३ पेड़-पौधों को

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, आमुख.

२. " " " " पृष्ठ ११.

३. " " " " " ५०

उखाड़ना भी बुरा है, क्योंकि घास-पात में भी जीव होते हैं और इन बातों को देखते हुए, जब एक व्यक्ति जीवनयापन में पहुँचनेवालों कठिनाइयों को गांधीजी के समक्ष रखता है तो वे कहते हैं -

अहिंसा के पूर्ण पालन की अवस्था में अवश्य ही जीवन की स्थिति असंभव हो जाती है। अतएव हम सब मर जायें तो परवाह नहीं, मर्त्य को कायम रहने देना चाहिए। प्राचीन कृषि-मुनियों ने इस सिद्धान्त को आखिरी मर्यादा तक पहुँचाया है और यह कह दिया है कि भौतिक जीवन एक दोष है, एक जंजाल है। मोक्ष देहादि के परे ऐसी अदेह-सूक्ष्म अवस्था है जहाँ न खाना है, न पानी है और इसलिए जहाँ न दूध दुहने की आवश्यकता है और न घास-पात को तोड़ने की।^१

इतना कहने और सोचने के बावजूद भी गांधीजी से सूक्ष्म कीटाणुओं मच्छर आदि की यदि हिंसा हो जाती थी तो वे यह नहीं मानते थे कि चूँकि छोटे कोटाणु हैं, इनकी हिंसा के लिए क्या सोचना-विचारना, बल्कि वे दुःखित होते थे, उनके घात के लिए तथा विज्ञान की असमर्थता के लिए कि आजतक विज्ञान ने कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला, जिससे कि सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा करने से आदमी अपने को बचा पाए।^२

हिंसा के बाद्य कारण :

इस संसार में जो भी देहधारी है वह किसी न किसी रूप में हिंसा करता ही है। यदि वह एक जगह खड़ा भी रहता है तो भी वह भोजन स्वरूप अन्, फल, वनस्पति तो लेता ही है। इसके अलावा मच्छरों आदि की जान लेता है तथा समझता है कि ऐसा करने में कोई भी दोष नहीं है। इन हिंसाओं के प्रमुख तीन कारण हैं—^३

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृष्ठ २१.

२. " " द्वितीय भाग, " आख्यत,

३. " " प्रथम भाग, " पृष्ठ ६४-६५.

१. व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण — भोजन आदि प्राह्ण करने में जो हिंसा होती है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्योंकि भोजन से अपने शरीर की रक्षा होती है।

२. परमार्थ के लिए हिंसा — गांवों में आए हिंसक प्राणियों, जैसे सिंह आदि की हिंसा परमार्थ के लिए होती है।

३. उसी प्राणी की सुखशान्ति के लिए हिंसा करना, जिसकी हिंसा की जाती है—यदि किसी की अंगूली में चाब हो गया हो और उसमें सड़न पैदा हो गया हो तो ऐसी हालत में डाक्टर के द्वारा उसकी अंगूलियों का काटना हिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि डाक्टर अंगूलियों को इसलिए काटता है कि उस व्यक्ति का चाब आगे बढ़े नहीं और न उसका सारा शरीर चाबमय हो जाये।

इन तीनों में से प्रथम दो में हिंसा का होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हिंसा का ध्यान करते हुए कोई व्यक्ति भोजन छोड़ दे तथा हिंसक पशुओं को मारे बिना उन्हें स्वतन्त्र विचरण करने दे, तो ऐसी हालत में जीना तक मुश्किल हो जायेगा। अतः इन दोनों में हिंसा का कुछ अंश है। किन्तु तीसरी बिल्कुल अहिंसा है क्योंकि ऐसी हिंसा में हिंसक का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता यहाँ हिंस्य जीव को सुख पहुंचाने की दृष्टि से हिंसा की जाती है।

मात्र जीव को मार देना ही हिंसा नहीं :

एक बार अम्बालाल नामक एक सेठ ने अहमदाबाद में साठ कुत्तों को मरवा दिया। उन कुत्तों में से एक पागल था और अन्य ५९ को उसने काट खाया था। इस घटना को गांधीजी ने अहिंसा घोषित किया। उनके विरोध में बहुत से लोगों ने तरह-तरह के पत्र भेजे तथा झगड़ने को तैयार हुए। लेकिन गांधीजी ने अपने विचार की पुष्टि के लिए दो कारण प्रस्तुत किए : कुत्ता, घोड़ा आदि वफादार जानवर होते हैं। लेकिन कुत्तों को उचित भोजन नहीं मिलता और वे इधर-उधर भटकते रहते हैं। अतः उनकी वफादारी हम अन्य ढंग से नहीं चुका सकते तो उन्हें मारकर ही हम उन्हें उस कट्ट से बचावें जो कि गलियों में भोजन के लिए भटकते हुए मार खाने में प्राप्त होता है। एक कुत्ते के

पागल हो जाने पर तथा उसके द्वारा अन्य कुत्तों को काट साने से उन सब के भी पागल होने की संभावना रहती है, जिससे बहुत बड़ी हिसा हो सकती है क्योंकि पागल कुत्ते मनुष्यों, पशुओं आदि को काटेंगे जिससे अनेक प्राणियों को भी कष्ट हो सकता है।^१ ऐसी हालत में कुत्तों का मारा जाना हिसा नहीं हो सकता। अतएव मात्र जीवों का प्राणघात ही हिसा नहीं कहला सकता।

अहिंसा की विशेषता :

अहिंसा एक मानसिक स्थिति है।^२ अहिंसक के लिए यह आवश्यक है कि वह अहिंसा की स्थिति को समझे अन्यथा वह अहिंसा को अपना नहीं सकता। सामान्यतौर से ऐसा समझा जाता है कि दैनिक जीवन के व्यवहार की वस्तुओं को त्याग देने से अहिंसा का पालन हो सकता है, किन्तु मात्र भोजन त्याग देना ही अहिंसा हो ऐसी बात नहीं। रोगी अपनी रुग्णावस्था में तथा दुष्काल पीड़ित व्यक्ति भोजन नहीं करते। लेकिन इन दोनों का भोजन त्याग करना अहिंसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसमें भोजन का त्याग एक मजबूरी है, मन में तो भोजन प्राप्त करने की लालसा वर्तमान ही है। मजबूरी या बेवशी का संबंध कायरता से है, लेकिन अहिंसा क्षत्रिय का गुण है। कायर व्यक्ति के द्वारा अहिंसा का पालन असंभव है। जिसमें शक्ति है, जो शूरहे वही किसी पर दया कर सकता है, जो निरीह प्राणी है, कायर है, वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, वह दूसरों की रक्षा या दूसरों पर दया नहीं कर सकता।^३ 'अहिंसा हे जाग्रत आत्मा का गुणविशेष।' यह अन्य गुणों का स्रोत है, मूल है। अतएव इसकी सफल साधना बिना विचार, विवेक, वैराग्य, तपश्चर्या, समता एवं ज्ञान के नहीं हो सकती।^४ अहिंसा बंध-प्रेम भी नहीं है। बंध-प्रेम के कारण माताएँ अपने बच्चों को इस प्रकार

१. गोचीबी, अहिंसा, प्रथम भाग, लंड १०, पृष्ठ ५२-५५, ५६-६३ आदि.

२. वही, पृ० १०.

३. वही, पृ० ६३.

४. वही, पृ० ८०.

दुलारती-पुकारती हैं कि वे सही राह पर नहीं आ पाते, क्योंकि वे चाहती हैं कि उनके बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। विन्तु इस प्रकार बच्चों को सही मार्ग पर न ले जाकर, उन्हें कष्टों से बचाना अहिंसा नहीं बल्कि अंघन्प्रे मवश अज्ञानता से उत्पन्न होनेवाली हिंसा है। इसके बलावा' -

१. अहिंसा सर्वंश्रेष्ठ मानवधर्म है, इसमें पशुबल से अनंतगुणी अधिक शक्ति एवं महानता है।
२. फिर भी यह उन लोगों के लिए लाभदायिका नहीं होती, जिन्हें परमेश्वर में श्रद्धा नहीं है।
३. इससे व्यक्ति के स्वाभिमान और सम्मान-भावना की रक्षा होती है।
४. यदि कोई व्यक्ति अथवा राष्ट्र अहिंसा का पालन करना चाहे तो सर्वप्रथम उसे अपना आत्म-सम्मान आदि सर्वस्व त्यागने को तैयार रहना चाहिए।
५. अहिंसा की एक यह भी विशेषता है कि इसकी सहायता बालक, युवा, वृद्ध, खो-पुरुष सब ले सकते हैं।
६. अहिंसा जितना ही लाभ एक व्यक्ति को प्रदान कर सकती है उतना ही एक जन-समूह को अथवा एक राष्ट्र को। यदि कोई ऐसा समझता है कि यह केवल व्यक्ति के लिए ही लाभ-कर है तो ऐसा समझना उस व्यक्ति की भूल है, नासमझी है।

अहिंसा न रूढ़िवाद है, न उपयोगितावाद :

रूढ़िवाद को अपनानेवालों में से कोई व्यक्ति गोमांस खाता है और कोई नहीं खाता है। लेकिन यदि गोमांस न खानेवाला यह कहता है कि वह गोमांस खानेवाले से अच्छा है, क्योंकि वह मांस नहीं खाता, तो ऐसी बात सही नहीं समझी जा सकती। यदि गोमांस खानेवाले व्यक्ति के दिल में दया है, सहानुभूति है तो वही अहिंसक है, वही अच्छा व्यक्ति है बजाय उसके जो गोमांसादि तो नहीं खाता,

१. गांधीजी, अहिंसा, हिंतीय माग, खंड १०, पृष्ठ १६८-१६९.

किन्तु दिल में द्वेष, दुर्भाव आदि संजोये रखता है। जब एवं रुद्धिवाद के आश्रय में गोमांस आदि का व्यवहार न करना अहिंसा की श्रेणी में नहीं आ सकता।^१

पहिचम में अहिंसा मनुष्य जाति तक ही समाप्त हो जाती है और उपयोगितावाद के नाम पर मनुष्य के फायदे के लिए अन्य जानवरों को चीरा-फाड़ा जाता है; युद्ध-संबंधी सामान एकत्रित किया जाता है। किन्तु अहिंसावादी जीवित प्राणियों की चीर-फाड़ करने तथा युद्ध में सहायता देने के बजाय अपना प्राण ही दे देना अच्छा समझेगा क्योंकि अहिंसावादी सभी प्राणियों का हित चाहता है, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं। जब अहिंसावादी सभी जीवों या अधिकांश का सुख चाहता है तो उसमें कुछ जीवों (जैसे मनुष्य जाति आदि) का भी सुख या लाभ सम्मिलित रहता ही है। यानी यहां पर अहिंसावाद और उपयोगितावाद की भेंट हो जाती है लेकिन फिर अपने समयानुसार दोनों अलग हो जाते हैं।^२

अहिंसा और दया :

अहिंसा और दया के संबंध में गांधीजी के सामने कई एक प्रश्न उपस्थित किए गए और उन प्रश्नों के जो उत्तर उन्होंने दिये, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके मत में अहिंसा और दया का क्या संबंध है। प्रश्नों में से तीन प्रधान हैं जो निम्नलिखित हैं—

१. जब आप दया और अनुकरण के भाव से प्रेरित होते और काम करते हैं, तब दया के बदले कई जगह अहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे गलतफहमी का पैदा होना संभव है, वह पैदा होती है। मुझे यह भी कह देना चाहिए कि मानी हुई दया झूठी भी हो सकती है।

१. गांधीजी, अहिंसा, भाग १, सरणि १०, पृष्ठ १७-१८.

२. वही, पृ० ८३-८४.

३. वही, पृ० ११६.

२. अहिंसा आत्मा से पैदा होनेवाला एक भाव है, जो सक्रिय नहीं होता। लेकिन दया और अनुकम्भा व्यवहारजन्य भाव हैं। वे सक्रिय हैं; अहिंसा सक्रिय नहीं है। दया का अहिंसा के बदले और अहिंसा का दया के बदले उपयोग होने पर अहिंसा के सच्चे अर्थ का उल्लंघन होता है। इस कारण दया और अहिंसा के बीच का भेद जान लेने योग्य है।

३. क्या किसी कर और जंगली कही जानेवाली मनुष्यभक्ती जाति में मनुष्यजाति के प्रति प्रेम पैदा करके, दया उपजाकर, दूसरे प्राणी और मनुष्य के बीच का विवेक समझाकर उसका मनुष्य-भक्षण छुड़ाना और पशु के मास से अपना निर्वाह करने की बात कहना, अथवा मांस खानेवाले लोगों को फल, फूल, वृक्ष आदि बनस्पति से जीवन-निर्वाह करने की बात कहना, उन्हें अहिंसा का मार्ग बतलाना कहा जायगा? विचार करने पर यह एकांग विवेक प्रतीत होगा। एकांग होते हुए भी यह सदोष है। अहिंसा की दृष्टि में जीवमात्र समान हैं। इस कारण ऊपर का मार्ग अहिंसा का मार्ग नहीं है।

इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा है कि अहिंसा और दया में उतना ही अन्तर है, जितना कि सोने और सोने से बने हुए गहने में या बीज और वृक्ष में। दया के बिना अहिंसा हो ही नहीं सकती जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। किन्तु ज्ञान या कायरतावश की गई दया को अहिंसा नहीं कह सकते। यदि कोई व्यक्ति डरकर अपने आक्रमणकारी को कुछ नहीं कहता या उसके साथ कुछ नहीं करता, इसका यह अर्थ नहीं कि उसने दयाभाव के वशीभूत हो कुछ किया नहीं और चुपके से बैठा रहा। अतः दया अहिंसा का स्रोत है, किन्तु उसे कायरता और भय से दूर रहना चाहिये।

क्रियाहीन अहिंसा आकाश के फूल के समान है अर्थात् ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अहिंसा सक्रिय नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिया होती है, उसमें सिफँ हाथ और पैर ही सब कुछ हो ऐसी बात नहीं। विचार के बिना किया हो ही नहीं सकती, दूसरे शब्दों में विचार भी

किया ही है, क्योंकि किया इसी से निर्देशित होती है। अताग्र ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अहिंसा निष्क्रिय है तथा दया सक्रिय है, बल्कि दोनों ही सक्रिय हैं।

जो सर्वभक्षी है, यानी सभी प्रकार के जीवों के मांस, मछली आदि खाता है, किसी से परहेज नहीं रखता वह यदि दया या प्रेम से प्रेरित होकर अपनी भक्ष्य वस्तुओं की मर्यादा या सीमा कायम कर देता है तो इसका मतलब है कि वह अपने द्वारा की गई हिंसा की सीमा निर्धारित करता है। जब हिंसा सीमाबद्ध हो जाती है, तब निश्चित ही अहिंसा का विस्तार होता है। अतः जहाँ अहिंसा है, वहाँ ज्ञानपूर्ण दया होती है।

जो काम हम लोगों से नहीं हो सकते या जिस काम के करने का कुछ अर्थ नहीं, ऐसे दया के केवल दिखाऊ काम हम करते हैं और जो दया के कार्य हम कर सकते हैं, उन्हें नहीं करते। धीरा भगत की भाषा में कहें तो हमलोग निहाई की चोरी करते हैं और रुद्द का दान करने का ढोग करते हैं। गीता की भाषा में कहें तो स्वधर्म का, जो हमारे लिए सुलभ है, घोड़ा-सा भी पालन करना छोड़कर हम परधर्म के पालन के बड़े-बड़े विचार करते हैं, और 'इतो भ्रष्टस्तो भ्रष्टः' हो जाते हैं। ऐसी भूलों से हमें बचना चाहिये।'

जीव-दया आत्मा का एक महान् गुण है। अतः इसकी सीमा इतनी छोटी नहीं है कि कुछ जीवों को बचाकर ही कोई इसका पूर्ण पालन कर ले। एक व्यक्ति चीटियों के लिए सत्तू छीटकर समझता है कि वह बहुत बड़ा दयावान है, लेकिन उसके बगल में ही यदि किसी के घर में चीटियों का उपद्रव हो रहा है, फलस्वरूप उसके भोज्य पदार्थ गन्दे हो जाते हैं, बिछावन सोने के लायक नहीं रह जाती, ऐसी हालत में चीटियों को सत्तू देनेवाला कहाँ तक अहिंसा करता है या हिंसा। कोई व्यक्ति कुत्ते या अन्य जानवरों को जो उसे हानि पहुँचाते हैं, मारता-पीटता नहीं और उन्हें पिंजड़े में बन्द करके दूसरे गांव में छोड़ आता है, जहाँ कि वे जानवर फसल की बर्बादी या अन्य

प्रकार की क्षति करते हैं, तो ऐसी हालत में उस व्यक्ति का हिस्क या हानि पहुँचानेवाले जानवरों को न मारकर अन्य स्थान पर पहुँचाना अहिंसायुक्त दया होगी या हिंसायुक्त दया ? इस प्रकार की दया कभी भी अहिंसा का रूप नहीं ले सकती, वह सदा हिंसा ही कहलायेगी ।^१

हमलोग दया-धर्म के नाम पर हिंसा को अनजान में उत्तेजन देते रहते हैं । घर पर आये हुए भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा या एक-आध पैसा देकर हम समझते हैं कि हमने दया का बहुत बड़ा काम किया, जो पुण्यजनक है, यानी हम पुण्य के भागी हैं । किन्तु इससे भिखारियों की संख्या बढ़ती है, समाज में आलस्य और अकर्मण्यता बढ़ती है, जो हिंसा का ही एक रूप है । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि किसी भी भिखारी को कुछ दिया ही न जाये । जो वास्तव में लूला, लंगड़ा, रोगी है, शरीर से असमर्थ है वह सहायता पाने के योग्य है उसकी सहायता करना सबका कर्तव्य होता है । लेकिन केवल ऐसा समझकर कि भीख देना दया है, पुण्य देनेवाला है, चोर, लम्पट सबको भिक्षा देना, सहायता करना हिंसा हो सकता है, अहिंसा नहीं ।^२

अहिंसा और सत्य :

सत्य एक विशाल वृक्ष है । उसकी ज्यों-ज्यों सेवा को जाती है त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखाई देते हैं । उनका अंत ही नहीं होता । ज्यों-ज्यों हम गहरे पेठते हैं, त्यों-त्यों उनमें रत्न निकलते हैं, सेवा के अवसर आते हैं ।^३ सत्य को जाननेवाला तथा मन, वचन और काया (कर्म) से सत्य का आचरित करनेवाला परमात्मा को जानता है । वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीन कालों को जानता है और उसे देहत्याग से पूर्व ही मुक्ति मिल जाती है ।^४ सत्य के अधिष्ठान के

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, सर्व १०, पृष्ठ ५५.

२. वही, पृ० ६१.

३. वही, द्वितीय भाग, पृ० १६१.

४. वही, प्रथम भाग, पृ० ५१.

लिए जिह्वा को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, और जो अपने जीवन में सत्य को उतार लेता है यानी जिसका जीवन सत्यमय हो जाता है, उसके जीवन में वह शुद्धता आ जाती है जो श्वेत स्फटिक में होती है।^१ अतः परमेश्वर 'सत्य' है, यह कहने के बजाय सत्य ही 'परमेश्वर' है, यह कहना अधिक उपयुक्त है।^२

जहाँ तक अहिंसा और सत्य के संबंध की बात है, गांधीजी ने कहा है कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा सबसे बड़ा कर्तव्य है तथा इस कर्तव्य को बार-बार करके ही कोई व्यक्ति सत्य की पूजा कर सकता है यानी सत्य एक साध्य है और अहिंसा एक साधन।^३ संसार में सत्य के बाद कोई और सक्रिय शक्ति है तो वह अहिंसा ही है।^४ अन्य स्थान पर उनके (गांधीजी के) वचन इस प्रकार हैं—

सत्य विषेयात्मक है, अहिंसा निषेधात्मक है। सत्य वस्तु का साक्षी है। अहिंसा वस्तु होने पर भी उसका निषेध करती है। सत्य है, असत्य नहीं है। हिंसा है, अहिंसा नहीं है। फिर भी अहिंसा ही होना चाहिए। यही परम धर्म है। सत्य स्वयं सिद्ध है। अहिंसा उसका सम्पूर्ण फल है, सत्य में वह छिपी हुई है। वह सत्य को तरह व्यक्त नहीं है।

सत्य का साक्षात्कार करनेवाले तपस्वी ने चारों ओर फैली हुई हिंसा में से अहिंसा देवी को संसार के सामने प्रकट करके कहा है— हिंसा मिथ्या है, माया है, अहिंसा ही सत्य वस्तु है। अहाचर्य अस्तेय, अपरिश्राह भी अहिंसा के लिए ही हैं। ये अहिंसा को सिद्ध करनेवाले हैं। अहिंसा सत्य का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है।^५

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, संख्या १०, पृष्ठ ४३, ४८.

२. वही, पृ० ६३.

३. वही, द्वितीय भाग, आमुख के बादवाला पृष्ठ.

४. वही, प्रथम भाग, पृष्ठ ८७.

५. वही, पृ० ३६-४०.

इस प्रकार गांधीजी ने अहिंसा को कभी सत्य का साधन, कभी सत्य का फल, कभी सत्य का प्राण और कभी अहिंसा और सत्य दोनों को एक ही बताया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनके विचार में दोनों में कौन-सा अधिक महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनके अनुसार अहिंसा और सत्य का संबंध घनिष्ठ और अद्भृत है; अहिंसा के बिना कोई सत्य का पालन वैसे ही नहीं कर सकता, जैसे सत्य के बिना अहिंसा का।

अहिंसा और ब्रह्मचर्य :

एक बार किसी कांग्रेस नेता ने गांधीजी के समक्ष (जबकि वे कांग्रेस से अलग हो गये थे) यह प्रश्न रखा कि क्या वात है कि कांग्रेस अब नेतिकता की दृष्टि से वैसी नहीं रही जैसी सन् १९२०-२५ में थी? यानी कांग्रेस की नेतिकता के ह्रास का क्या कारण है? इस प्रश्न का जो उत्तर गांधीजी ने दिया उसका सारांश इस प्रकार है— अहिंसा पर आधारित कांग्रेस-रूपी जो सत्याग्रह दल सेना है, उसके सेनानायक में अब वैसी ताकत नहीं रह गई है, जैसी उसमें होनी चाहिए। अतः वह अपने दल को सही रूप में प्रभावित तथा संचालित नहीं कर पा रहा है। आगे उन्होंने फिर कहा कि सत्याग्रह दल के सेनापति में वैसी ताकत नहीं होनी चाहिए, जो अस्त्र-शस्त्र की प्रचुरता से प्राप्त होती है, बल्कि उसमें वह शक्ति होनी चाहिए जो जीवन की शुद्धता, दृष्टि जागरूकता और सतत आचरण से प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचर्य का पालन किये बगैर असंभव है।^१ ब्रह्मचर्य के बल देहिक आत्म-संयम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी मर्यादा का बहुत बड़ा विस्तार है। इसका पूर्णरूप सभी इन्द्रियों के नियमन में देखा जाता है। अशुद्ध विचार का मन में आना भी ब्रह्मचर्य का धातक होता है। जो भी मानवीय शक्तियां हैं, उनका स्रोत वीर्य की रक्षा और ऊर्ध्वंगति में है। कहने का तात्पर्य यह कि सत्याग्रह के पीछे जो अहिंसा-रूपी बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही थी, उसकी जड़ में भी ब्रह्मचर्य-शक्ति ही काम

१. गांधीजी, अहिंसा, द्वितीय माग, खण्ड १०, पृष्ठ २१३.

कर रही थी, जिसका हास होने से कांग्रेस की नेतृत्वकाता का हास हो गया है। अर्थात् अहंवर्य को पालने के बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता।

अहिंसा और यज्ञः :

वैदिक परम्परा का विवेचन करते हुए यह देखा गया है कि अधिकांश हिन्दूशास्त्रों ने यही माना है कि यज्ञ में की जानेवाली हिंसा हिंसा नहीं होती। किन्तु गांधीजी के विचारानुसार यह अपूर्ण सत्य है, पूर्ण नहीं। चाहे वह किसी समय या किसी भी प्रयोजन से की जाये, किन्तु हिंसा हिंसा ही होगी, जो कि पापजनक है, वह किसी भी हालत में अहिंसा नहीं हो सकती। लेकिन सिद्धान्त के साथ-साथ व्यवहार को भी अपना अधिकार प्राप्त है। अतएव जिस हिंसा को वह अनिवार्य मान लेता है, उसे या तो क्षम्य घोषित कर देता है या उसे पुण्य की श्रेणी में भी ले लेता है। यही बात यज्ञ में की गई हिंसा के साथ है। चूंकि व्यवहार-शास्त्र ने उसे अनिवार्य हिंसा मान लिया है, अतः उसे शुद्ध और पुण्यजनक भी घोषित कर दिया है। किन्तु अनिवार्य हिंसा की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि वह तो देश-काल और पात्र के अनुसार बराबर बदलती रहती है।^१ जैसे दुर्बल शरीर की रक्षा के लिए जाड़े में लकड़ी आदि का जलाना, जिसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है, अनिवार्य समझा जा सकता है, लेकिन गर्भ में बिना किसी जरूरत के लकड़ी या कोयला जलाकर अनेक सूक्ष्म जीवों का घात करना अनिवार्य नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा और खेती :

खेती शुद्ध यज्ञ है, तथा सच्चा परोपकार है। गांधीजी के इस मत पर आशंका करते हुए 'नवजीवन' के एक पाठक ने पूछा कि एक चींटी के दब जाने से मन में तकलीफ होती है और खेती करने में तो हजारों कीढ़ों का विनाश होता है, ऐसी हालत में खेती कैसे की जा सकती है? क्यों न कोई व्यक्ति भिक्षाटन करके या अन्य कोई व्यापार करके ही अपना जीवन यापन करे?

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, सर्व १०, पृ० ५१.

इसमें कोई शक नहीं कि खेती में अनेक प्राणियों की हिंसा होती है, लेकिन इसमें भी किसी आशंका की कल्पना तक नहीं हो सकती कि इवासोच्छ्वास में हजारों सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। अर्थात् इवासोच्छ्वास जिस प्रकार जरूरी है, ठीक उसी प्रकार खेती भी आवश्यक है, इसे रोका नहीं जा सकता। जो लोग खेती को त्यागकर भिक्षाटन करना चाहते हैं, उनकी यह बहुत बड़ी भूल है, वे भी खेती से होनेवाली हिंसा के दोषी हो जाते हैं, यदि खेती करने में दोष है, क्योंकि अन्न तो किसी न किसी के द्वारा की गई खेती के फलस्वरूप ही मिलता है। अतः भिक्षाटन करनेवाला अपने को हिंसा के दोष से मुक्त न समझे, यदि वह समझता है कि खेती करना दोषपूर्ण है। यदि कोई अन्य व्यापार करना चाहता है तो उसमें भी हिंसा होती है जैसे रेशम का धन्धा जिसमें रेशम के कीड़ों की हिंसा होती है; मोती का व्यापार, जिसमें सीप का कीड़ा उबाला जाता है। इसके अलावा ऊपर सिर करके चलनेवाले व्यक्तियों की, जो किसी प्राणी के दब जाने के विषय में सोचते भी नहीं, तुलना उन खेतीहरों से नहीं की जा सकती, जो प्राणियों को बचाते हुए खेती करते हैं यानी जिनका उद्देश्य जीव हिंसा करना नहीं होता, जो वड़े ही विनम्र होते हैं, जगत् के पालनहार होते हैं। खेती एक आवश्यक एवं शुद्ध यज्ञ है, जिसे धर्मनिष्ठ लोग करते हैं।^१

अहिंसा का आर्थिक रूप :

‘जो बात शुद्ध अर्थशास्त्र के विरुद्ध हो वह अहिंसा नहीं हो सकती। जिसमें परम अर्थ है, वह शुद्ध है। अहिंसा का व्यापार धाटे का नहीं होता। अहिंसा के दोनों पलड़ों का जमा-खर्च शून्य होता है।’^२ इस सिद्धान्त का प्रयोग खादी पहनने में दिखाया गया है। गांधीजी ने स्वयं कहा है कि खादी पहनने में अहिंसा, राजकाज तथा अर्थशास्त्र तीनों का ही समावेश पाया जाता है।^३ खादी तैयार करने में उतनी

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृ० ३५-३६.

२. वही, पृ० ११७.

३. वही, पृ० १७.

प्रक्रियाएँ नहीं होतीं, जितनी कि मिल में तैयार होनेवाले कपड़ों के साथ होती हैं। अतएव खादी पहनने में मिल के कपड़े पहनने से कम हिंसा है। जहां तक स्वदेशी और विदेशी मिलों की बात है, स्वदेशी मिल के कपड़ों को तैयार करनेवाले हमारे पड़ोसी भाई-बच्चु ही होते हैं और जब हम उनके द्वारा बनाये गये कपड़े पहनते हैं तो हमारे हृदय में अपने पड़ोसी बन्धुओं के प्रति प्रेम जगता है, सहानुभूति जगती है। हम उनकी रोजी-रोटी में सहायक बनते हैं। किन्तु जिन वस्तुओं के तैयार होने में मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा कष्ट होता है, उनकी जिन्दगी एक सामान्य मानवीय जिन्दगी नहीं रह जाती, वैसी वस्तुओं के प्रयोग त्याज्य समझे जा सकते हैं, भले ही व्यवहार में उन्हें नहीं त्यागा जाता है।^१

अहिंसा का सामाजिक रूप :

गांधीजी ने उन भिखारियों को भीख देने का विरोध किया है, जो कि अपंग और अपाहिज नहीं हैं। क्योंकि ऐसा न करने से समाज में आलस्य तथा पर-निर्भरता बढ़ती है। जो आलसी है, परावलम्बी है, उसे जिस समय दूसरों से खाने को अन्न तथा पहनने को वस्त्र नहीं मिलते, वह चोरी करता है, डैकेती करता है, समाज में नाना प्रकार के हिंसाजनक कार्य करता है। अतः अहिंसा का सामाजिक रूप अपने को दयावान घोषित करते हुए सब किसी को भीखस्वरूप पेसे, भोजन आदि देना नहीं समझा जा सकता, बल्कि सोच-समझ कर, पूछताछ कर किसी को सहायता देना, जिससे समाज का वास्तविक कल्याण हो सके, अहिंसा का सामाजिक प्रयोग हो सकता है।

अचूतोद्धार भी अहिंसा का एक सामाजिक रूप है। गांधीजी ने अस्पृश्यता की भत्सना करते हुए कहा है कि यह हिन्दू समाज की सड़न है, वहम है और पाप है। 'जन्म के कारण मानी गई इस अस्पृश्यता में अहिंसाधर्म और सर्वभूतात्मभाव का निषेध हो जाता है। इसकी जड़ में संयम नहीं है, उच्चता की उद्धत भावना ही यहा बैठी हुई है।

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृष्ठ ६१.

इसलिए यह स्पष्टतः अधर्म है। इसने धर्म के बहाने लाखों, करोड़ों की हालत गुलामों की सी कर डाली है।^१

जब इस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हरिजनों को, जिन्हें अद्भूत कहा गया है, मेले, मन्दिर, पाठशाला आदि सार्वजनिक स्थानों में समान अधिकार दिया जाये। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी अस्पृश्यता दूर करने के लिए उनके पेशे छुड़वा दिये जायें, क्योंकि काम तो सभी बराबर ही हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं है।^२ बल्कि जात-पात की जड़ काठना श्रेयस्कर है, क्योंकि यह अद्भूतपन की तरह समाज का एक बहुत बड़ा कोड है; जब तक जात-पात की विषमता को दूर नहीं किया जाता है अद्भूतपन भी दूर नहीं हो सकता।^३ यह छूआद्घूत दूर करने का प्रश्न सिफ मानवमात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी व्यापकता जीवमात्र तक पहुँची हुई है। इसलिए छूआद्घूत दूर करने वाले अर्कियों को सिफ भौगोलिकों और भोजियों को अपनाकर ही संतोष नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें जीवमात्र को अपनाना तथा समूची दुनिया के साथ मिश्रता निभानी चाहिए। क्योंकि जीवमात्र के साथ भेद मिटाना ही छूआद्घूत मिटाना है।^४

इस प्रकार गांधीजी ने अपने समाज में सिफ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशु-पक्षियों को भी स्थान दिया है। उनके विचार में जिस प्रकार अपंग तथा अपाहिज के अलावा अन्य भिखरियों को भिक्षा देना दोषपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार गलियों में भटकते हुए कुत्तों को रोटी का एक-आध टुकड़ा दे देना दोष है, पाप है। कुत्तों को भी रहने को निश्चित स्थान तथा उचित भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वफादार साथी होते हैं। बेघर का कुत्ता समाज की सभ्यता या दया का चिह्न नहीं है बल्कि समाज के अज्ञान तथा आलस्य का।

१. बापू और हरिजन, संकलनकर्ता-खेमचन्द 'सुमन', पृष्ठ २३, ६२.

२. वही.

३. वही, पृ० ५०.

४. वही, पृ० ६२.

जानवर लोग अपने भाई-बन्धु हैं। इनमें सिंह, बाघ इत्यादि को भी गिनता है। हम लोगों को सिंह, सर्प आदि के साथ रहना नहीं आता यह हमारी शिक्षा की त्रुटि के कारण है।^१

अहिंसा का राजनैतिक रूप (सत्याग्रह और असहयोग) :

सत्याग्रह शब्द दो शब्दों—सत्य और आग्रह का मिला हुआ रूप है, इसका अर्थ हो सकता है सत्य के प्रति आग्रह। गांधीवादी विचार में इससे सिफँ सत्य आदि वर्मों के प्रति आग्रह ही नहीं समझा जाता, बल्कि अधर्म या असत्य का सत्य के माध्यम से विरोध भी। चूंकि विरोध में हिंसा की संभावना रहती है, यह कहा गया है कि असत्य या अधर्म का विरोध तो होना चाहिए लेकिन अहिंसामय साधन से। यही सत्याग्रह है। गांधीजी ने कहा है कि इसमें (सत्याग्रह में) सत्य शक्ति है; इस शक्ति को उन्होंने प्रेम-शक्ति या आत्म शक्ति की संज्ञा भी दी है; इसमें धैर्य और सहानुभूति को स्थान मिला है, हिंसा को नहीं। अतः सत्याग्रह से मतलब होता है दूसरे की गलती को हिसात्मक तरीके से या उसे पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वर्यं धैर्यं पूर्वक कष्ट सहकर तथा गलती करनेवाले के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाकर सुधारना।^२ सत्याग्रह में ऐसी बड़ी ताकत होती है कि इस पर संसार की कोई भी शक्ति विजय नहीं पा सकती।^३ ऐसी महती शक्ति को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की जरूरत होती है, इसीलिए गांधीजी ने कहा था कि सत्याग्रह आश्रम में रहनेवालों को सत्य व्रत, अहिंसा व्रत, बहुचर्य व्रत, स्वादेन्द्रियनिग्रह व्रत, अस्तेय व्रत, अपरिग्रह व्रत, स्वदेशी व्रत (स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग), निर्भयता व्रत तथा अस्पृश्यता व्रत का पालन करना चाहिए।^४ गांधीजी के शब्दों में —

१. गांधीजी, अहिंसा, प्रथम भाग, खण्ड १०, पृष्ठ ६१-६२

२. यंग इडिया, १४ जनवरी १९२०;

गांधीवाद की शब्दरीक्षा—यशपाल, पृष्ठ १४२.

३. दिल्ली डायरी—मो० क० गांधी, पृष्ठ १७६.

४. वही, पृ० ४६-६३.

‘असहयोग और सविनय अवज्ञा सत्याग्रह रूपी एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाएँ हैं। यह मेरा कल्पद्रुम है। सत्याग्रह सत्य का शोध है; और ईश्वर सत्य है। अहिंसा वह प्रकाश है, जो मुझे सत्य को प्रकट करता है। मेरे लिए स्वराज उसी सत्य का एक अंग है।’^१

असहयोग को निष्क्रिय समझना मूल के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिफ़े सक्रिय ही नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक अवरोध, प्रतिरोध या हिंसा से बहुत अधिक क्रियाशीलता है। गांधीजी ने जिस रूप में इसका प्रयोग किया है, वह निश्चित ही अंहिंसात्मक है और इसमें लेशमात्र भी दण्डात्मक या प्रतिहिंसात्मक भावना नहीं है। यह द्वेष, दुर्भाव तथा घृणा से बिल्कुल ही दूर है।^२ इसमें अनुशासन और उत्सर्ग की जरूरत होती है; दूसरे को विरोधी भावनाओं के लिए यह हिंसा को नहीं अपनाता, बल्कि धेर्य और सहिष्णुता का सहारा लेता है।^३ जिस असहयोग में प्रेम नहीं वह राक्षसी है; जिसमें प्रेम है वह ईश्वरी है। हमारे असहयोग के मूल में प्रेम है।^४

इस प्रकार गांधीजी ने अहिंसा को विभिन्न रूपों में अपनाया है, जिसकी बजह से प्राचीन होते हुए भी यह नवीन दीखती है, फिर भी इतना कहना कोई गलत न होगा कि इनके विचार में अहिंसा के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप अधिक प्रकाशित हुए हैं।

गांधीवादी अहिंसा एवं जैनधर्म-प्रतिपादित अहिंसा :

जैनधर्म प्रतिपादित अहिंसा से हमलोग पहले ही पूर्णरूपेण अवगत हो चुके हैं, अतः यहाँ अब यह देखने का प्रयास करना श्रेयस्कर होगा कि गांधीवादी अहिंसा तथा जैनधर्मानुमोदित अहिंसा में किन-किन स्थलों पर समानता है तथा किन-किन जगहों पर असमानता।

१. यंग हंडिया, २६ दिसम्बर १९३४.

२. गांधीवाणी—रामनाथ सुमन, पृ० ११०; यंग हंडिया २५ अगस्त १९२०.

३. ” ” ” ; ” १५ दिसम्बर १९२०.

४. वही,

अहिंसा तथा उसका स्वरूप :

गांधीवाद तथा जैनधर्म दोनों ने ही माना है कि प्राणीमात्र के प्रति राग-द्वेष यानी दुराव, दुर्भाव का त्याग करना अहिंसा है। अहिंसा का विस्तार सिफं मनुष्य तक ही नहीं, बल्कि संसार के सभी प्राणियों तक है। चूंकि हिंसा मन, वाणी और क्रिया तीनों से की जाती है, अहिंसा का भी शुद्ध स्वरूप रागद्वेष आदि से उत्पन्न हिंसात्मक कायों से मनसा, वाचा और कर्मणा बचने में ही देखा जा सकता है। अर्थात् अहिंसा के दो स्वरूप हैं—भाव और द्रव्य। इनकी स्पष्टता जैनधर्म में विशेष रूप से मिलती है। गांधीवाद में यद्यपि इनके नामकरण नहीं हुए हैं, मन, वाणी और क्रिया के आधार पर इस प्रकार के विभाजन हो सकते हैं। जैनमतानुसार मन, वाणी और क्रिया हिंसा अथवा अहिंसा के तीन योग हैं और करना, करवाना तथा अनुमोदन करना तीन करण हैं जिनके संयोग से हिंसा या अहिंसा करने के नौ प्रकार हो जाते हैं, यानी अहिंसा की नौ राहें हैं। जो व्यक्ति इन नौ प्रकारों से अहिंसा का पालन करता है वही पूर्ण अहिंसक माना जाता है। किन्तु ऐसी बात गांधीवाद में नहीं पाई जाती। वह तीन योग से आगे तीन करण अर्थात् करना, करवाना और अनुमोदन करने पर अपना कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं करता। वैसे विवेचन करने पर गांधीवाद में भी यही बात फलित होती है।

जीव :

जैनधर्म ने जीव के छँ प्रकार बताये हैं—पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय। अर्थात् स्वतः मिट्ठी, जल, अग्नि आदि मे प्राण हैं और अहिंसक को इन सबों की हिंसा से भी बचना चाहिए। इसके बलावा इसने विभिन्न कायों की हिंसा होने के विभिन्न कारण बताये हैं—जैसे पृथ्वीकाय की हिंसा पृथ्वी को जोतने, बावड़ी बनाने, तालाब खोदने, कूप खोदने, क्यारी बनाने आदि से होती है। अतः एक पूर्ण अहिंसक को इन कायों से बचना चाहिए। लेकिन गांधीवाद में ऐसी बात नहीं मिलती। गांधीजी ने कहा है कि अग्नि जलाने से स्थान और काल के अनुसार, तथा हरी वनस्पति पर

चलने से हिंसा होती है। गांधीजी ने वनस्पति में प्राण होता है और उसका चात होता है इसे तो माना है, लेकिन अग्नि के विषय में उनका हिंसा या अहिंसा मानना इसलिए है कि अग्नि में जलनेवाली लकड़ी आदि के साथ बहुत से सूखे जीव मर जाते हैं, इसलिए नहीं कि अग्नि स्वतः प्राणवान है। इसी तरह पृथ्वीवाय और अप्काय के विषय में उनका कोई स्पष्ट विचार नहीं मिलता। लेकिन जैनधर्म ने घट्कायों के अलग-अलग विश्लेषण किये हैं, उनकी हिंसा और अहिंसा के अलग-अलग तरीके भी बताये हैं। किन्तु गांधीवाद में जीव के विषय में जैनधर्म की तरह कोई तात्त्विक विश्लेषण नहीं किया गया है, इसलिए हिंसा के भी सामान्यतौर से इसमें तीन कारण बताये गये हैं—

१. स्वार्थ—अपनी सुख-सुविधा के लिए, २. परस्मार्थ—दूसरे की सुख-सुविधा के निमित्त तथा ३. हिंसा की जानेवाले प्राणी के हित के निमित्त अर्थात् हिंसा करने से हिंसक का उद्देश्य उसी को लाभ पहुंचाना होता है जिसकी वह हिंसा करता है।

हिंसा के विभिन्न रूप तथा अहिंसा के विभिन्न नाम :

प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के पाप, चण्ड, रौद्र, साहसिक, अनार्य आदि विभिन्न २२ रूप बताये गये हैं। गांधीजी ने कहा है कि अहम् या अहमत्व पर आधारित जितने भी कार्य हैं वे मर्भी हिंसा हैं, जैसे स्वार्थ, प्रभुता की भावना, जातिगत विद्वेष, असंतुलित एवं असंयमित जीवन। प्रश्नव्याकरण सूत्र में हो अंहिंसा के निवारण, निवृत्ति, समता, शान्ति यश, प्रसन्नता, रति, विरति, श्रुतांग, संतोष, दया आदि साठ नाम बताये गये हैं। किन्तु गांधीजी ने मोटे हंग से स्वार्थत्याग, जन-कल्याण के लिए किये गये कार्य, असंयमित भोगप्रबृत्ति का त्याग आदि को अहिंसा कहा है।

हिंसा तथा अहिंसा के पोषक तत्त्व :

असत्य, स्तेय, अब्रहूचर्य तथा परिग्रह हिंसा के पोषक तत्त्व हैं। इन सभी से किसी न किसी रूप में हिंसा होती है। ठीक इसके विपरीत

सत्य, अस्तेय, अहुचर्य तथा अपरिग्रह अहिंसा के पोषक तत्व हैं यानी अहिंसा का सब तरह से पालन करने के लिए इन चारों व्रतों का पालन करना आवश्यक है। अहिंसा के मिल जाने पर ये पांच महाव्रत हो जाते हैं। इन पांच महाव्रतों को गांधीवाद तथा जैनधर्म दोनों ही प्रधानता देते हैं। गांधीजी ने साफ कहा है कि अहिंसा एक महाव्रत है। जैनधर्म में अहिंसा का स्थान सर्वोच्च है, किन्तु गांधीवाद में सत्य का। यद्यपि गांधीजी ने एक जगह पर अन्यव्रतों को अहिंसा का पोषक माना है तथा यह भी कहा है कि अहिंसा सत्य का प्राण है। इस प्रकार उनके कथनों से सत्य का स्थान ही ऊँचा मालूम होता है, क्योंकि ऐसा भी इन्होंने कहा है कि संसार में सत्य के बाद कोई शक्ति है तो अहिंसा। गांधीजी ने सत्य को धर्म और अहिंसा को एक कर्तव्य माना है और यह भी कहा है कि अहिंसा ही सत्येश्वर के दर्शन कराने का मार्ग है। इन सभी बातों से मालूम होता है कि गांधीजी की दृष्टि में सत्य का स्थान सर्वोच्च है।

अहिंसा और खेती :

हिंसा अथवा अहिंसा भावप्रधान है, इसपर गांधीवाद तथा जैनधर्म दोनों ही बल देते हैं। खेती करने में किसान के द्वारा अनेक जीव-जन्तुओं का हनन होता है, जब वह हल जोतता है, किन्तु किसान का उद्देश्य जीवों की हिंसा करना नहीं होता, वह तो मात्र हल जोतने की इच्छा रखता है। इसलिए उसके द्वारा की गई हिंसा क्षम्य समझी जाती है, अर्थात् हिंसा करते हुए भी वह अहिंसक ही समझा जाता है क्योंकि उसकी भावना हिंसा-प्रधान न होकर अहिंसा-प्रधान होती है। गांधीजी ने कहा है कि वे हिंसाएँ जिन्हें समाज ने व्यावहारिक रूप में अनिवार्य मान लिया है, हिंसाएँ होते हुए भी हिंसाएँ नहीं समझी जाती या क्षम्य होती हैं। किन्तु उन्होंने अनिवार्य हिंसा की कोई परिभाषा नहीं बतलाई है, कारण वे समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जैनधर्म ने ऐसी हिंसा का “अनिवार्य” या अन्य कोई नामकरण नहीं किया लेकिन क्षम्य माना है।

अमर्ता और आवक :

जैनधर्म ने अहिंसा को पंचमहाव्रतों में स्थान दिया है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये महाव्रत अमरणों या मुनियों के द्वारा पाले जाते हैं। इन व्रतों का पालन करने के लिए एषणा, समिति, गुप्ति आदि निर्धारित हुई हैं। श्रावकों अथवा गृहस्थों के लिए अणुव्रत, गुणव्रत तथा शिक्षाव्रत की शिक्षा दी गई है। अणुव्रत में व्रतों की मर्यादा कुछ सीमित रहती है। जैसे अहिंसा पालन में ही यह बताया गया है कि अमरणों के लिए यह आवश्यक है कि वे अहिंसा का पूर्ण-रूपेण पालन करें यानी स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के जीवों को घात से बचावे। श्रावक के लिए मात्र स्थूल हिंसा से बचना ही जरूरी कहा गया है। हिंसा अथवा अहिंसा-संबंधी विचार अमरण और श्रावक के लिये अलग-अलग ढंग से किये गये हैं। ऐसी बात गांधीवाद में नहीं मिलती। गांधीवाद ने गृहस्थ तथा साधु सबके लिए अहिंसा का महत्व बराबर समझा है।

जैनधर्म ने अहिंसा-पालन के लिए विभिन्न प्रकार की मर्यादाएँ निर्धारित की हैं ताकि हिंसा कम हो। गांधीवाद में ऐसी कोई मर्यादा नहीं मिलती। यदि वस्त्र-मर्यादा के लिए खादी पहनना बताया गया है और इस मर्यादा का उद्देश्य हिंसा कम करना है तो भी यह अहिंसा का सीधा साधन नहीं बनती है जैसा कि जैनधर्म में है, बल्कि यह अर्थशास्त्र की राह से अहिंसा तक पहुंचती है। यानी इसमें आर्थिक शोषण, जो हिंसा का ही एक रूप है, से बचने पर जोर दिया गया है।

अहिंसा और यज्ञ :

वैदिक परम्परा के अनुसार यज्ञ में होनेवाली हिंसा का जैनधर्म ने बिल्कुल विरोध किया है। गांधीजी ने कहा है कि हिंसा चाहे यज्ञ में हो या अन्य कहीं किन्तु वह हिंसा ही है, अहिंसा नहीं। फिर भी व्यवहार ने इसे अनिवार्य हिंसा मानकर दोषरहित समझ रखा है। लेकिन इन्होंने अनिवार्य हिंसा की कोई परिभाषा नहीं दी है, इसलिए इस संबंध में इनका विचार स्पष्ट नहीं मालूम होता।

अहिंसा और ईश्वर :

जैनधर्म अनीश्वरवादी है अर्थात् यह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। अतः इसकी अहिंसा या अन्य किसी सिद्धान्त में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ करता है आदमी स्वयं करता है; भले ही वह अपने कर्मों के फल भोगता है यानी सुख-दुख पाने में वह अपने कर्म के द्वारा निर्देशित होता है, क्रिया करने में वह स्वतंत्र रहता है। किन्तु गांधीवाद में ईश्वर को स्थान मिला है; ईश्वर अहिंसा-पालन में भां सहायक होता है। गांधीजी ने कहा है—

“...अहिंसा केवल बुद्धि का विषय नहीं है; यह श्रद्धा और भक्ति का विषय है। यदि आपका विश्वास अपनी आत्मा पर नहीं है, ईश्वर और प्रार्थना पर नहीं है, तो अहिंसा आपके काम आनेवाली चीज़ नहीं है।”^१

अहिंसा और दान :

अहिंसा और दान के संबंध पर प्रकाश डालने के मिलसिले में जैनधर्म में बहुत विचार-विमर्श मिलते हैं। इसमें दो चीजे प्रधानतौर से प्रकाश में लाई गई हैं: १. दान पाने का अधिकारी या पात्र तथा २. अनुकम्पादान अहिंसा है अथवा हिंसा। इसमें दो मत मिलते हैं। तेरापंथियों ने सिर्फ संयतियों को छोड़कर किसी को भी दान पाने के योग्य नहीं बताया है, वयोंकि संयतियों के अलावा अन्य लोग कुपात्र हैं या दान लेने के अधिकारी नहीं हैं और कुपात्र को दान देने से पाप होता है। अनुकम्पादान भी एकान्त पाप का साधन है। इन मतों की पुष्टि जयाचार्य के द्वारा ‘भ्रमविघ्वंसनम्’ में की गई है। किन्तु आचार्य जवाहिरलालजी ने “सद्गुरुमण्डन” में जयाचार्य के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि अनुकम्पादान एकान्त पाप का साधन नहीं बल्कि पुण्य का साधन है। गांधीवाद में भी दान देने के लिए पात्र का विचार करना अनिवार्य बताया गया है। इसके अनुसार दान पाने का अधिकारी केवल वही है जो अपंग और अपाहिज है। अपंग और अपाहिज

१. गांधी जी, अहिंसा, द्वितीय भाग, खण्ड १०, पृ० १६९.

अलावा अन्य किसी को दान या भीख देना समाज में आलस्प को बढ़ाना है, जो पापजनक कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि गांधीवाद अनुकम्पादान को पापजनक न मानकर पुण्यजनक मानता है। इसमें ऐसी चर्चा नहीं मिलती है जिससे जाहिर हो कि मुनि या यति लोगों को व्यक्तिगत दान मिलना चाहिए कि नहीं, फिर भी गह समझा जा सकता है कि गांधीवाद ने मुनि आदि को दान देने का कोई विधान नहीं बनाया है, यदि वे अपर्ण और अपाहिज न हों। सार्वजनिक कार्यों के लिए दान देना विहित है।

अहिंसा के अपवाद :

अहिंसा का विकास देखते हुए यह पाया जाता है कि जैनधर्म में अहिंसा के मौलिक सिद्धान्त में कोई भी अपवाद नहीं है। अहिंसा धर्म-पालन करनेवाले को चाहे जितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े उसे सब कुछ वर्दाश्ट करना चाहिए, जैसा कि महावीर के जीवन में देखा जाता है। किन्तु बाद में चलकर कुछ मुनियों ने अहिंसा के सिद्धान्त में अपवाद भी बना दिया है जैसे, निशीथचूर्णि में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आचार्य की हत्या करता हो, या साध्वी के साथ बलात्कार करना चाहता हो तो उसकी हत्या करके भी आचार्य और साध्वी की रक्षा करनी चाहिए। इसके संबंध में कोंकण देशीय साषु द्वारा की गई तीन सिहों की हत्या को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। गांधीवाद यहाँ पर जैनधर्म से बहुत हद तक मिलता है। कारण, इसमें भी अहिंसा धर्म के बहुत से अपवाद मिलते हैं। इसने अहिंसा को बीरों का गुण बताते हुए कहा है कि जहाँ पर कायरता और हिंसा की बात हो वहाँ किसी को भी हिंसा को ही अपनाना चाहिए। समाज या देश या स्वयं अपने पर भी बिना कारण कोई आपत्ति या आक्रमण उपस्थित हो जाये तो वैसी हालत में अपनी रक्षा के लिए हिंसक कर्मों को भी अपनाना गलत नहीं कहा जा सकता। किन्तु दुख-निवारण के लिए कोई अन्य चारा न रहने पर किसी पशु को मरवा देना मिर्फ गांधीवाद के अनुसार ही ठीक है, इससे जैनधर्म जरा भी सहमत नहीं होता।

अहिंसा का आर्थिक विवेचन :

गांधीवाद ने अहिंसा का आर्थिक विवेचन किया है यानी अहिंसा के सिद्धान्त को अर्थशास्त्र पर लागू किया है। खादी पहनना तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना आदि आर्थिक प्रश्नों के अहिंसात्मक समाधान हैं। परन्तु ऐसी बात जैनधर्म में नहीं पाई जाती है। इसमें अहिंसा को दो ही दृष्टियोंसे देखा गया है : धार्मिक और नैतिक। यद्यपि वस्त्रादि की मर्यादा इसमें मिलती है, भोजन की भी मर्यादाएँ की गई हैं, किन्तु इनमें किसी भी रूप में आर्थिक भावना काम नहीं करती है।

अहिंसा का सामाजिक विवेचन :

गांधीवाद ने अहिंसा के सामाजिक पक्ष पर अधिक बल दिया है, इसकी अहिंसा में समाज-कल्याण की भावना बहुत ही प्रबल और जाप्रत है। गांधीजी ने अहिंसा के विभिन्न प्रकारों को बताते हुए कहा भी है कि लोक-कल्याण के लिए जो भी काम किये जाते हैं, वे सभी अहिंसा हैं। अतः जात-पांत के भेदभाव को दूर करने के लिए, खास-तौर से उन दलित वर्गों के उद्धार के लिए, जो यथाकथित अछूत हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया और बहुत दूरतक जातिगत या सम्प्रदायगत भेद-भावों को दूर करने में वे सफल भी रहे। किन्तु जैनधर्म में अहिंसा का व्यक्तिगत आधार प्रधान है। यद्यपि अपने कल्याण के निमित्त अहिंसा का अनुगमन करने से अन्य प्राणियों की भी रक्षा हो जाती है, दूसरे जीवों का भी कल्याण हो जाता है, पर अहिंसा-पालन का उद्देश्य आत्मकल्याण ही है, जन-कल्याण या समाज-कल्याण नहीं।

अहिंसा का राजनैतिक विवेचन :

गांधीवाद ने देश की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए या देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सत्याग्रह और असहयोग के रूप में अहिंसा को अपनाया है। यह गांधीवाद की एक अपनी विशेषता है, एक नया प्रयोग है जो जैनधर्म में नहीं मिलता। जैनधर्म ने स्थावर एवं

त्रस सभी प्राणियों को हिंसा-अहिंसा के विषय में विचार किया है फिर भी देश-कल्याण की बात इसके सामने नहीं आती। कारण, इसके अनुसार आत्म-कल्याण ही सब कुछ है। इसमें अहिंसा ही क्या किसी भी रूप में राजनीति की समस्या नहीं आई है। यह एक विशुद्ध धार्मिक या दार्शनिक सिद्धान्त है।

इस प्रकार अहिंसा के क्षेत्र में गांधीवाद और जैनधर्म के बीच कुछ स्थलों पर समानताएँ मिलती हैं, किन्तु असमानता भी कम नहीं है। अहिंसा का सिद्धान्त दोनों ही मानते हैं, लेकिन दोनों की अहिंसा के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं और उद्देश्य-प्राप्ति के साधन में भी प्रायः भिन्नता ही अधिक है और एकता कम।



ષષ્ઠ અધ્યાય ઉપસંહાર

વૈदિક, બૌદ્ધ, સિક્કા, પારસી, યહૂદી, ઈસાઈ, ઇસ્લામ, તાઓ, કન્ફુસ્યુશિયસ, સૂફી, શિન્તો એવં જેન પરમ્પરાઓં તથા ગાંધીવાદ કે દ્વારા પ્રતિપાદિત હિસા-અહિસા સંબંધી મિદ્દાન્તો પર દર્શિપાત કરને સે ઐસા જ્ઞાત હોતા હૈ કે ઇન સબ કે બીજું કુછ સમાનતાએ હૈ ઔર કુછ અસમાનતાએ ભી । જિનકી વજનું સે ઇન સબકી અનેકતા મેં ભી એકતા તથા એકતા મેં અનેકતા નજર આતી હૈ ।

વૈદિક પરમ્પરા મેં અહિમા કા સિદ્ધાન્ત ઉપનિષદોં સે પ્રારમ્ભ હોતા હૈ યચ્ચાપિ ઇતસ્તતત-વેદોં મેં ભી ઇસકી જાલવ-સી દેખી જાતી હૈ । યજુર્વેદ મેં તો સભી પ્રાણિયોં કે પ્રતિ મૈત્રીભાવ તથા વિશ્વગાન્તિ કે વિચારોં કી સ્પષ્ટ અભિધ્યક્તિ મિલતી હૈ । ઢાન્ડોગ્યોપનિષદ્ મેં અહિસા કો ક્રાદ્ધાલોક પ્રાપ્ત કરને અર્થત્ મુક્તિ પાને કા એક સાધન તથા આત્મયજ્ઞ કી દક્ષિણા ક રૂપ મેં પ્રસ્તુત કિયા ગયા હૈ । પ્રાણાન્દિહોત્રોપનિષદ્ તથા આરુળિકોપનિષદ્ ને ઇસે એક સદગુણ તથા આત્મ-સંયમ કા એક પ્રમુલ સાધન કહા હૈ । પ્રાણાન્દિહોત્રોપનિષદ્ ને તો ઇસે યજ કા ઇછ બતાયા હ ઔર કહા હૈ કે સભી યજાદિ કર્મોં કી સમ્પન્નતા મેં અહિમાત્રત કા પરિપૂર્ણતા હો લક્ષિત હૈ । શાણ્ડલ્યોપનિષદ્ કે અનુસાર અહિસા એક યમ હૈ ।

મનુસ્મૃતિ મેં હિસા-અહિસાસંબંધી વિચારોં કે તીન સ્તર મિલતે હૈન । પ્રથમ સ્તર ભક્ષય-અભક્ષય પર પ્રકાશ ઢાલતા હૈ, જિસમે કુછ પશુ-પદ્ધતિયોં ક માસ કો ગ્રહણ કરને તથા કુછ કે માસ કો ત્યાગને કો સલાહ દી ગર્દ હૈ । (જીવો જીવસ્ય ભોજનમ्) । માંસ-ભક્ષણ કા હિસા સે મીધા સંબંધ હૈ, અતઃ ઇસકા માસભક્ષણવાળા પક્ષ હિસા કો બઢાવા દત્તા હૈ । દૂસરા સ્તર માંસ-ભક્ષણ કો યજ કે સાથ મર્યાદિત કરતા હૈ । ઇસકે

अनुसार, यज्ञ में प्राप्त तथा वर्णों से पवित्र किया हुआ मांस खाना दोषपूर्ण नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मास-लोकुपता के कारण यज्ञ में प्राप्त मास के अलावा भी मांस खाना चाहता है तो वह धृत या मेदे का पशु बनाकर खा सकता है। यह मानता है कि यज्ञ में दो गई पशु-बलि हिंसा को श्रेणी में नहीं आती तीसरा पक्ष मास-भक्षण को त्याज्य तथा अश्रेयस्कर बताता है। इसके अलावा स्मृति में कही-कही अहिंसा को प्रधानता देते हुए इसे लोक-कल्याण तथा मोक्ष-प्राप्ति का साधन बताया गया है और यह सभी वर्णोंके लिए उपयुक्त एवं अनिवार्य समझी गई है।

गृह्यसूत्रों, जैसे बौधायन, साक्षायन, पारस्कर, आस्वलायन, आप स्तम्ब, खादिर, हिरण्यकेसी, जेमिनि आदि में “अन्नप्राप्तन”, “अधं”, “अष्टक” आदि के वर्णन मिलते हैं जिनमें मास-भक्षण का पूर्ण व्योरा मिलता है। घर्मसूत्रों में प्रतिपादित भक्ष्य-अभक्ष्य, शाद्व तथा यज्ञ के विधि-विधानों में गाय आदि की पशुबलि तथा मांस-भक्षण अनिवार्य घोषित किया गया है। यहीं तक कि उस ब्राह्मण को, जो आमंत्रित होने या यज्ञ में (पुरोहित के रूप में) नियुक्त होने के बाद, यज्ञ में दो गई पशुबलि से प्राप्त मास को नहीं खाता है, नरक का भागी कहा गया है। किन्तु बौधायन ने अपने घर्मसूत्र में अहिंसा के सिद्धान्त को सबलता प्रदान करते हुए कहा है कि संन्यासी को चाहिए कि वह मन, वचन और कर्म से किसी भा प्राणी को दण्ड न दे। वशिष्ठ ने संन्यासी के लिए सभी जीवों की रक्षा करना तथा गृह का त्याग करना आवश्यक बताया है। आपस्तम्ब के अनुसार ज्ञानी पुरुष अपने को सभी जीवों में तथा सभी जीवों को अपने में देखता है। अर्थात् वह जीवों के साथ आत्मवत् व्यवहार करता है, जिससे वह मुक्ति प्राप्त करता है। गौतम ने सभी जीवों पर दया, सहिष्णुता, अक्रोध आदि को आत्मा के आठ गुणों में रखा है। इस प्रकार गृह्यसूत्रों में तथा घर्मसूत्रों में भी यज्ञ में की गई हिंसा को हिंसा न मानते हुए पशुबलि आदि पर बल दिया गया है। लेकिन घर्मसूत्रों में ही कही-कही पर अहिंसा के भिद्धान्त का भी अच्छा तरह पोषण हुआ है।

वाल्मीकि-रामायण में अहिंसा, सत्य, आत्म-संयम, दया, सहिष्णुता, क्षमा आदि को आचार के प्रमुख अंग में प्रकाशित किया गया है। किन्तु

इसमें आत्म-रक्षा पर ध्यान देते हुए इतनी स्लूट अवश्य दी गई है कि अपने पर आघात करनेवाले पर कोई व्यक्ति घात कर सकता है, अर्थात् आत्म-रक्षा के लिए हिंसा करना दोषजनक नहीं समझा जाना चाहिए।

महाभारत में अहिंसा का सिद्धान्त पूर्ण विकसित हुआ है। यद्यपि शान्तिपर्व के शुरू में ही अर्जुन ने मुधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हुए हिंसा को अत्याज्य बताया है किन्तु अर्जुन का वक्तव्य सिर्फ़ राजा और धनिय के कर्तव्यों से संबंधित है। ये अपने धर्म या कर्तव्य का सही-सही पालन करने के लिए हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। कारण, राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ती है तथा किसान को खेती के लिए हल जोतना आदि ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनमें अनेक प्राणियों का नाश होता है। व्यास के शब्दों में समता का सिद्धान्त प्रतिपादित होता है, जो अहिंसा का ही रूप है। मन, वाणी तथा क्रिया से जो अन्य जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता उसे अन्य प्राणी भी दुःख नहीं देते, फिर हिंसा होगी कैसे। अहिंसा की महानता को दर्शाते हुए शान्तिपर्व में इसकी तुलना हाथी के पदचिह्नों से की गई है। कारण, यह अन्य धर्मों को अपने में ठीक उसी प्रकार समावेशित कर लेती है जैसे हाथी के पदचिह्नों के भीतर अन्य पथगामियों के पदचिह्न आ जाते हैं। अहिंसा और मांस-भक्षण की समस्या का समाधान देते हुए महाभारत में विश्वामित्र और चाण्डाल का उदाहरण देकर यह निर्णय दिया गया है कि आदमी उस समय मांस ग्रहण कर सकता है जिस समय वह प्राण-संकट से पड़ा हो। प्राण की रक्षा किसी भी मूल्य पर की जानी चाहिए, क्योंकि जीवित रहने पर ही कोई धार्मिक कार्य किया जा सकता है। अहिंसा तथा वैदिक यज्ञ की समस्या को सुलझाते हुए इसमें राजा विचक्षणु तथा नारद के शब्दों में यज्ञ में दी गई पशुबलि की बहुत ही भर्त्सना की गई है। इसके बलावा, इस उलझन की मुख्य गांठ “अज” शब्द के अर्थ को भी शान्तिपर्व में स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार “अज” शब्द का अर्थ “अज्ञ” होता है। अतः जो लोग यज्ञ में अज्ञ की हृति न देकर पशुबलि करते हैं, वे घौर अपराध करते हैं। अनुशासनपर्व में अहिंसा को अन्य धर्मों का स्रोत या उदागम-स्थान बताया गया है। क्योंकि यह परम धर्म, परम तप, परम सत्य,

परम संयम, परम दान, परम फल, परम ज्ञान, परम मित्र एवं परम सुख है। यह इतनी महान् है कि इससे प्राप्त सुधाश सौ वर्षों में भी वर्णित नहीं हो सकता।

गीता में श्रीकृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म के सिद्धान्तों को प्रस्तुत करते हुए अहिंसा के सिद्धान्त को बहुत बड़ी आन्तरिक शक्ति प्रदान को है, जिसकी जानकारी एक विशेष विचार-विमर्श से होती है। इनके अनुसार जो ज्ञानी है, पण्डित है, वह बड़े-छोटे सभी जीवों को समान देखता है। वह अपने आप में अन्य जीवों को और अन्य जीवों में अपने को देखता है। ऐसा करने से वह सदा हिंसा करने से बचता है, क्योंकि वह रागद्वेष का शिकार नहीं होता है। एक भक्त के लिए उन्होंने उपदेश दिया है कि वह अपने कर्तापन को ध्यान में न लाये, जैसा कि अर्जुन को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि इस संसार को जन्म देनेवाला, पालनेवाला तथा संहार करनेवाला मैं स्वयं हूँ। युद्ध-क्षेत्र में जितने भी लोग खड़े हैं, उन्हें मैं मार चुका हूँ, तुम्हे उन्हें मारने में एक निमित्तमात्र बनना है। कर्म के सिद्धान्त को व्यक्त करते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है कि आदमों को प्रकृति हो ऐसो है कि वह एक क्षण भी कुछ किये बिना नहीं रह सकता। किन्तु कार्य करने से उसे अपने मन में फल की कामना नहीं करनी चाहिए। “कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” अर्थात् कर्ता का अधिकार कर्म पर होता है, उसके फल पर नहीं। जब फल के प्रति व्यक्ति को राग या मोह नहीं होगा तो निश्चित ही वह द्वेष से दूर रहेगा, और राग तथा द्वेष के अभाव में वह हिंसा करने से बंचित होगा। किन्तु एक सच्चा ज्ञानयोगी या भक्त या कर्मयोगी बनना कोई आसान बात नहीं। इसके लिए कठिन तपस्या एवं त्याग की आवश्यकता होती है। तप के विभिन्न रूप होते हैं, जिनमें अहिंसा भी एक है। इसके अलावा श्रीकृष्ण ने ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, द्रव्ययज्ञ तथा तपयज्ञ पर बल दिया है, जिनमें वैदिक यज्ञों की तरह पशु-बलि की आवश्यकता नहीं होती।

महाभारत की तरह पुराणों में भी अहिंसा पूर्ण प्रकाशित हुई है। वायुपुराण में मन, वाणी एवं कर्म से अहिंसा का पालन करने का उपदेश दिया गया है। अन्य ग्रन्थों से भिन्न इसमें उस भिन्नु को भी हिंसा करने का दोषी छहराया गया है, जिसके द्वारा अनिच्छा से या अनजाने

हिंसा हो जाती है। विष्णुपुराण में यज्ञ में हवि के रूप में प्रणोग होने-वाली सभी वस्तुओं के नाम दिये हैं, किन्तु उसमें किसी भी प्रकार का मांस या मछली का विवान नहीं है। इससे यह बात स्पष्ट-सी हो जाती है कि विष्णुपुराण यज्ञ में पशुबलि देने के पक्ष में नहीं है। इसके अनुसार यज्ञ में पशुबलि देने का मतलब है विष्णु की बलि देना, क्योंकि विष्णु मर्वंव्यापक है, वे सभी जीवों में निवास करते हैं। इसने हिंसा का संबंध विभिन्न प्रकार के पार्षों से बताया है; हिंसा से तरह-तरह के पाप पैदा होते हैं। अग्निपुराण में भी अहिंसा की महत्ता को बढ़ाते हुए इसकी तुलना हाथी के पदचिह्नों से की गई है। मत्स्यपुराण के अनुसार अहिंसा मुनिव्रतों में से एक है। कोई व्यक्ति जितना पुण्य चार वेदों को पढ़कर तथा सत्य बोलकर प्राप्त करता है, उससे कही ज्यादा पुण्य वह अहिंसाव्रत का पालन करके प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मपुराण में मन, वचन तथा काय से पाला गया अहिंसाव्रत स्वर्गप्राप्ति तथा मुक्ति का एक साधन कहा गया है। नारदपुराण में सत्य से अहिंसा का स्थान ऊँचा बताते हुए यह कहा गया है कि वही सत्य वचन है जिससे किसी का विरोध न हो, किसी को कष्ट न पहुँचे। इसके अनुसार अहिंसा यम के विभिन्न रूपों में से एक है। जैसा कि बृहदधर्मपुराण बताता है, श्रद्धा, अतिथिसेवा, सब प्राणियों से आत्मीयता, आत्म-शुद्धि आदि अहिंसा की विभिन्न विधियाँ हैं। कूर्मपुराण ने अहिंसा को ज्ञानी और ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु इन सभी वर्णों एवं सभी आश्रमों के लिए आवश्यक कहा है। भागवत-पुराण के अनुसार अहिंसा धर्म के तीस लक्षणों में प्रमुख स्थान रखती है।

ब्राह्मण-दर्शन में भी हिंसा-अहिंसासंबंधी बृहद् विवेचन मिलता है। योग ने अहिंसा को यम का एक अंग माना है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह महाव्रत हैं जो जाति, देश, काल तथा परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इसके अनुसार हिंसा की जाती है, करायी जाती है तथा अनुमोदित होती है। सांख्य और मीमांसा ने 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' के संबंध में काफी तकनीकिया है। सांख्य ने वैदिक यज्ञ में होनेवाली पशुबलि को दोषपूर्ण बताया है, लेकिन मीमांसा का विचार इसके विपरीत है यानी मीमांसा

“वैदिकी हिंसा” का पक्षपाती है। शंकराचार्य (अद्वैतवेदान्ती) तथा रामानुज, बल्लभ (वैष्णव) आदि ने भी यज्ञ में होनेवाली पशुबलि को निर्दोष ही माना है।

बौद्ध परम्परा में अहिंसा के बजाय मैत्री भावना को अधिक प्रधानता मिली है। अहिंसा को मित्रता का एक साधन माना गया है। दीयनिकाय में आरम्भिक, मध्यम तथा महा तीन प्रकार के शीलों की चर्चा करते हुए अहिंसा को प्रस्तुत किया गया है। इसने अहिंसा, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य आदि को शीलों के अन्तर्गत स्थान दिया है। तेविज्जुत में मैत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा भावनाओं का, ब्रह्मा की सलोकता प्राप्त करने के मार्ग के रूप में, वर्णन मिलता है। संयुक्तनिकाय के अन्तर्गत ‘ब्राह्मण संयुक्त’ के अहिंसामुक्त में बुद्ध ने ‘अहिंसक’ शब्द को पारिभाषित करते हुए कहा है कि जो शरीर वचन तथा मन से किसी भी प्राणी को नहीं सताता, कष्ट नहीं पहुंचाता, वही अहिंसक है। गाय मारनेवाले (गोघातकमुक्त), चिड़िमार (पिण्डसाहृणीमुक्त), भेड़ों को मारनेवाले कसाई (निच्छवोरविभमुक्त) आदि जितने भी हिंसक हैं, उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। यज्ञ भी वही हितकर होता है जिसमें बकरे, गाय आदि की हिंसा नहीं होती है। प्रमाद, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनिष्ट होते हैं, सदा त्याज्य है तथा अप्रमाद ग्राह्य है भिक्षु को सदा अप्रमत्त होकर ही विहार करना चाहिए। अप्रमाद सबसे बड़ा धर्म है, उसके अन्दर अन्य सभी धर्म आ जाते हैं, जेसे हाथी के पदचिह्नों के भीतर अन्य जीवों के पदचिह्न आ जाते हैं। इससे प्राप्त हुई मित्रता में सब प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, अर्थात् सबसे मित्रता करनेवाला निर्भय हो जाता है। अतः जिमें मित्रता या कल्याणमित्रता का शुभाग्रम हो जाता है, उसमें मानो मोक्ष-प्राप्ति के लक्षण दीखने लगते हैं। सुतानिपात के ‘मेत्तमुक्त’ में सभी प्राणियों के प्रति मित्रता के भाव को ब्रह्मविहार की सज्जा दी गई है, जिसे दूसरे शब्दों में ब्रह्मज्ञान कहा जा सकता है। इसके अनुसार जो व्यक्ति शान्तिपद (मोक्ष) को प्राप्त करना चाहता है उसे जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान्, मध्यम या ह्रस्व, अणु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या उत्पत्त्यमान सभी जीवों के कल्याण को बात सोचनी चाहिए। अन्य प्राणियों के प्रति उसके मन में वैसी ही भावना

होनी चाहिए, जैसी एक माँ के दिल में अपने एकलौते पुत्र के प्रति होती है। धम्मपद में कहा गया है कि जो जीव अन्य जीवों को मारकर स्वयं सुख प्राप्त करना चाहता है, वह कभी भी सुख नहीं पाता और इसके विपरीत जो व्यक्ति अहिंसापूर्ण संयमित जीवन व्यतीत करता है, वह कभी दुःख नहीं प्राप्त करता है तथा अच्छुतपद की प्राप्ति करता है। विनयगिटक में भिक्षु-भिक्षुणियों के आचार पर प्रकाश डालते हुए उन्हें जीवहिंसा से अपने को बचाने का उपदेश दिया गया है। जो भिक्षु मनुष्य अथवा अन्य जीवों को जान से मारता है या दूसरों से मरवाता है या मारनेवाले की बढ़ाई करता है अर्थात् हिंसा का अनुमोदन करता है, वह पाराजिक समझा जाता है। वह साषु-समाज में रहने के लायक नहीं होता। यदि भिक्षु जमीन खोदता है या खुदवाता है, वृक्ष काटता है अथवा कटवाता है तो इन सभी हिंसापूर्ण कार्यों के लिए उसे प्रायशिच्चत करना चाहिए। क्योंकि ये सभी कार्य दोषपूर्ण हैं। उसे एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा से बचने के लिए ताङ्गपत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। चमड़े का प्रयोग भी साषु के लिए वर्जित है। परन्तु इन सभी निषेधों के कुछ अपवाद भी बताये गये हैं, जैसे भिक्षु बीमारों की अवस्था में दवास्वरूप मास, चर्बी तथा खून का उपयोग कर सकता है। वह मास या मछली ग्रहण कर सकता है, यदि गृहस्थ अपने निमित्त तैयार किये हुए मांस अथवा मछली में से उसे भिक्षास्वरूप देता है। किन्तु वैसा मांस या वैसी मछली उसे कभी भी नहीं खानी चाहिए, जो उसी के निमित्त मारी गई हो। विशुद्धिनार्ग में चेतनाशील तथा चेतसिकशील का संबंध अहिंसा के साथ बताया गया है। इसके अलावा इसमें चार भावनाओं—मैत्री, करुणा, मुद्रिता एवं उपेक्षा को विवेचित करते हुए, क्षमा का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। क्षमा पर ही मैत्रीभावना आधारित है। अतः मैत्रीभावना को ढ़ढ़ करने के लिए क्षमाभाव को अपनाना चाहिए। बोधिचर्यावितार में परहृत-भावना तथा मैत्रीभावना को श्रेष्ठ दिखाते हुए कहा गया है कि द्वेष के समान कोई पाप नहीं है और क्षमा के समान कोई तप नहीं है।

सिक्ख-परम्परा में हिंसा का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि किसी प्राणी की हत्या करना योग (यज्ञ) नहीं कहला सकता।

साथ ही अहिंसा के समर्थन में सबकी भलाई तथा आपस के प्रेम को प्रधानता दी गई है। यहाँ तक कि प्रेम किए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा भी कहा गया है।

पारसी-परम्परा प्रेमभाव की व्यापकता पर बल देते हुए यह कहती है कि शत्रु को भी प्यार करके अपना मित्र बना लेना चाहिए। किन्तु इसका यह सिद्धान्त स्वयं बाधित हो जाता है और संकुचित भी जान पड़ता है जब यह कहती है कि वे पशु-पक्षी जो मुझे किसी प्रकार का अहिंत नहीं पहुँचाते अथवा हमारा हित करते हैं उन्हें मारना या किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना दोषपूर्ण कर्म है लेकिन वे पशु-पक्षी जो हमारा अहिंत करते हैं उन्हें मारना या कष्ट पहुँचाना दोष-रहित कर्म है। यहाँ पर अहिंसा का सिद्धान्त स्वार्थपरता से प्रभावित दिखाई पड़ता है।

यहूदी-परम्परा में अहिंसा के निषेधात्मक पक्ष को प्रकाशित करते हुए यह कहा गया है कि चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो तथा अपने पड़ोसी की छोड़ी अथवा अन्य किसी वस्तु पर बुरी नजर न रखो और विषेधात्मक पक्ष की पुष्टि में बन्धुत्व के भाव को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अहिंसा का सामाजिक रूप प्रकट होता है।

ईसाई-परम्परा प्रतिकार के भाव का विरोध करती है। शत्रु से भी प्यार करो, उसके प्रति कोई गलत व्यवहार न करो, मन में वेर-भाव न लाओ। यदि कोई तुमसे एक वस्तु माँगता है तो अपनी दूसरी वस्तु भी उसे दे दो। पड़ोसी से प्रेम करो तथा शत्रु से भी। कारण, जहाँ पर विनम्रता है, बन्धुत्व है वही पर ईश्वर है। इतना ही नहीं इसमें दान की भी बड़ी कँची महत्ता दिखाई गई है।

इस्लाम में गाली, क्रोध, लोभ, चुगलीखाना, रिश्वत लेना, बेई-मानी करना आदि को त्यागने का उपदेश दिया गया तथा भाईचारा, दान, दया, क्षमा, मेत्री, विनम्रता, उदारता आदि को ग्रहण करने को कहा गया है। इन उपदेशों से ज्ञात होता है कि इस्लाम भी हिंसा-भाव का विरोधी और अहिंसा-भाव का समर्थक है। किन्तु जहाँ पर मौहूदी ने यह कहा कि खुदा ने आदमी को सबसे कँचा जीव मानकर

अन्य सभी जीवों पर उसको यह अधिकार दिया है कि वह उन्हें अपने काम में लाए अर्थात् अपने भोजनार्थ वह अन्य जीवों की हत्या भी कर सकता है, यह बात मनुष्य की स्वार्थपरता की द्योतक है और अहिंसा-सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

ताओ धर्म के प्रणेता लाओत्से ने सबसे ज्यादा इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति कर्म करे किन्तु उसके कर्त्तापिन् एवं फल पर विचार न करे। यह मिद्दान्त गोता के 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' को पुष्टि करता है। इससे अहिंसा को भी बहुत बड़ा समर्थन मिलता है। इससे भी आगे बढ़कर इनका यह कथन है कि हिंसा से जो धाव पैदा हो जाये उस पर प्यार का मरहम और दया की पट्टी लगाओ। अर्थात् हिंसा का प्रतिकार मत करो, उसे अहिंसा से शान्त करो। कनफूशियस ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा कि प्यार की बाढ़ ला दो, सर्वत्र प्यार का संचार करो। जो अच्छा व्यक्ति होता है वह सबका भला करता है। पीटितों की सहायता करो। दान दो पर केवल पैसे का ही नहीं बल्कि हार्दिक सहानुभूति का भी। इन बातों से अहिंसा के सामाजिक रूप को प्रश्रय मिलता है।

सूक्ष्म सम्प्रदाय में सांसारिक सभी वस्तुओं के त्याग का उपदेश दिया गया है जिससे हिंसा अहिंसा-मिद्दान्त अलग एवं अछूतों रह जाता है, किर भी इसमें प्रेमभाव को सर्वोच्च प्रनिष्ठा मिली है। इस सम्प्रदाय में प्रेम को ही ईश्वर माना गया है। ऐपा मानकर इसने निश्चित ही अहिंसा को बहुत महत्त्व दिया है।

शिन्तो धर्म में पूजा-पाठ संबंधी जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ है उसमें मास का प्रयोग भी मिलता है और यह हिंसा का रूप है। किन्तु बाद में पाए जानेवाले उपदेशों में विश्व को एक परिवार माना गया है, साथ ही क्रोध को त्याग देने के लिए भी कहा गया है। इससे इतना तो समझना ही चाहिए कि इस धर्म का आध्यात्मिक पक्ष अहिंसा का भले ही समर्थन न करता हो, पर सामाजिक पक्ष अहिंसा का समर्थक एवं उदार है।

जैनधर्म में हिंसा तथा अहिंसा का बड़ा ही विस्तृत एवं मूल्य विवेचन हुआ है। इसके अनुसार प्रमादवश किसी भी प्राणी का घात करना

अथवा उसे किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाना हिंसा कही जाती है। हिंसा मन, वाणी तथा शरीर से की जाती है; इन्हें योग कहा गया है। यह की जाती है, कारवाई जाती है तथा अनुमोदित होती है। करना, करवाना और अनुमोदन करना, इसके तीन करण हैं। तीन योग के आधार पर इसके दो स्वरूप देखे जाते हैं—भाव तथा द्रव्य, जिनके आधार पर हिंसा के चार भंग बनते हैं—भावहिंसा-द्रव्यहिंसा, भावहिंसा-द्रव्यहिंसा नहीं, भावहिंसा नहीं-द्रव्यहिंसा, न भावहिंसा-न द्रव्यहिंसा। प्रबचन-सार के व्याख्याकार ने भाव तथा द्रव्य रूपों को ही अन्तरंग तथा बहिरंग नाम दिया है। प्राण का धात करनेवाली प्रवृत्ति अन्तरंग हिंसा है और बाह्य शरीर का धात करनेवाली बाह्य हिंसा। हिंसा की उत्पत्ति कोष, मान, माया और लोभ चार कषायों के कारण होती है। इन सबों की वजह से हिंसा के तीन भेद देखे जाते हैं—संरंभ, समारंभ तथा आरंभ। इन्हें दूसरे शब्दों में हिंसा का विचार, हिंसा के उपक्रम और हिंसा के क्रियान्वितरूप कह सकते हैं। चार कषाय तथा तीन—संरंभ समारंभ और आरंभ के संयोग से हिंसा के बारह भेद हो जाते हैं। फिर तीन योग और तीन करण के योग से हिंसा के १०८ भेद हो जाते हैं। प्रश्नव्याकरण सूत्र में हिंसा के प्राणवध, उन्मूलना, अविश्रम्भ, अकृत्य, धातना, मारण, हनन आदि तीस नाम तथा पाप, चण्ड, रौद्र, क्षुद्र आदि २२ रूप बताये गये हैं।

जैन मतानुसार जीव छः प्रकार के होते हैं जिन्हें षट्काय कहते हैं—पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय। वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय जीवधारी होते हैं, इस बात को सामान्यतौर से सभी मत वाले मानते हैं, लेकिन पृथ्वी, अप्, अग्नि तथा वायु भी स्वतः प्राणवान हैं ऐसा सिर्फ जैनधर्म ही मानता है। यह इसकी अपनी विशेषता है। इन षट्कायों की हिंसा विभिन्न कारणों से होती है जैसे—पृथ्वीकाय की हिंसा पृथ्वी जोतने, तालाब-बाबड़ी खुदवाने, महल बनवाने आदि से होती है। अप्काय की हिंसा स्नान करने, पानी पीने, कपड़े धोने आदि से होती है। भोजन पकाना, लकड़ी जलाना आदि से अग्निकाय की हिंसा होती है। सूप से अन्नादि साफ करना, ताल के पंखे या मोरपंख से हवा करना आदि वायुकाय की

हिंसा के कारण हैं। घर बनाना, बाड़ बनाना, विविध प्रकार के भवन बनाना, नौका, चंगेरी, हल, शकट आदि बनाना बनस्पतिकाय की हिंसा के कारण हैं। इसी प्रकार धर्म, अर्थ, काम के कारण विविध जैसे प्राणियों की हिंसा होती है।

जीव एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक होते हैं। तेरापंथी लोगों ने माना है कि हिंसा चाहे किसी भी प्राणी की हो, सब बराबर है। किन्तु हिंसा-अहिंसा की दृष्टि से जीवों में अन्तर देखा जाता है, जैसा कि नेमिनाथ के जीवन-चरित्र में पाया जाता है। वे अपनी शादी के समय स्नान करते हुए अनेक अपकाय जीवों की हिंसा के संबंध में कुछ नहीं कहते हैं लेकिन शादी के अवसर पर कटने के लिए बंधे हुए भेड़-बकरों की चिल्लाहट को सुनकर द्रवित हो जाते हैं तथा उन सभी जानवरों को बन्धन से मुक्त करके स्वयं तपस्या करने चले जाते हैं। इसके अलावा एकेन्द्रिय जीव की हिंसा में कषाय की मात्रा बिल्कुल ही न्यून होती है किन्तु त्रसकाय अथवा पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा में कषाय की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। पंचेन्द्रिय जीव अपने को किसी भी प्रकार के कष्ट से बचाने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप हिंसक को किसी प्राणी की हिंसा करने के लिए अपने अन्दर अधिक कूरता तथा क्रोध का प्रबल आवेग लाना पड़ता है। अतः कषाय की मात्रा बढ़ जाती है। जिस हिंसा में कषाय की मात्रा जितनी ही अधिक होती है, वह उतनी ही बड़ी हिंसा होती है और जिसमें कषाय की मात्रा जितनी ही कम होती है, वह उतनी ही छोटी हिंसा होती है क्योंकि कषाय ही हिंसा का कारण है। तात्पर्य यह है कि हिंसा के भी स्तर होते हैं।

हिंसा करनेवाले कुछ विशेष लोग तथा कुछ विशेष जातियाँ भी होती हैं। जैसाकि प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है—सूधर का शिकार करनेवाला, मछली मारनेवाला, पक्षियों को मारनेवाला, मृगादि का शिकार करनेवाला आदि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए हिंसा करना एक व्यापार-सा होता है। इसी तरह शक, यवन, सबर, बब्बर, मुरुण्ड, पक्कणिक, पुलिद, डोंब आदि जातियों को भी प्रश्न-व्याकरण सूत्र ने हिंसक जातियाँ घोषित किया है।

हिंसा वष कर्मों की गाठ, मोहरूप, मृत्यु का कारण तथा नरक में ले जानेवाली है, जैसा कि आचारांगसूत्र में कहा है। हिंसा करनेवाला यदि तपस्या के कारण देवता बनता है, तोभी वह नीच एवं असुर संज्ञक देवता ही होता है। इतना ही नहीं बल्कि जो हिंसक, मृषावादी, लुटेरा, महारंभी तथा मांसमक्षक है वह नरकायु का इन्तजार वैसे ही करता है जैसे बकरा पालनेवाला मेहमान का इन्तजार करता है। अर्थात् हिंसक के लिए नरक-प्राप्ति की संभावना उतनी ही रहती है, जितनी मेहमान के आ जाने पर घर पर रहे हुए बकरे के कटने की।

असत्य, स्त्रेय, अब्द्धाचर्य तथा अपरिग्रह हिंसा के पोषकतत्त्व हैं यानी इन सबसे हिंसा की पुष्टि होती है। असत्य के तीन भेद होते हैं—गहित जिसमें दुष्टतापूर्ण वचन, चुगली, कठोर वचन, प्रलाप आदि की गणना होती है; सावध अर्थात् छेदने, भेदने, मारने, शोषण करने आदि के निमित्त प्रयुक्त शब्द और अप्रिय अर्थात् अप्रीति, भय, शोक, कलह आदि पैदा करनेवाले शब्द। इस तीन प्रकार के असत्य से विभिन्न रूपों में प्राणी को कष्ट पहुंचता है या हिंसा होती है। चोरी भी हिंसा का कारण है, क्योंकि प्रिय वस्तु का हरण भी कष्टदायक होता है। अब्द्धाचर्य अर्थात् मैथुन से खी की योनि, नाभि, कुच, कांख आदि स्थानों में रहनेवाले सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा होती है। परिग्रह के कारण व्यक्ति दूसरे के उचित अधिकार को हड़पना चाहता है, जिससे राग और द्वेष की पैदाइश होती है, जो हिंसा के मूल हैं।

हिंसा की तरह अहिंसा के साथ भी तीन योग तथा तीन करण होते हैं। अहिंसा मन, वाणी और काय से की जाती है अर्थात् इसके दो स्वरूप हैं—भाव अहिंसा तथा द्रव्य अहिंसा, जिनके आधार पर इसके चार भंग होते हैं, जैसे हिंसा के होते हैं। अहिंसा स्वर्यं की जाती है, दूसरे से करवाई जाती है तथा अनुमोदित भी होती है। इसी कारण से अहिंसा को परिभाषित करते हुए आवश्यकसूत्र में कहा गया है कि तीन योग तथा तीन करण से किसी भी प्राणी का वात न करना ही अहिंसा है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में अहिंसा के निर्वाण, निर्वृति, समाधि या समता, क्षान्ति, कीर्ति, कान्ति, रति, विरति, श्रुतांगा, हृति, प्राण-रक्षा आदि साठ नाम बताये गये हैं।

अहिंसा के दो प्रकार होते हैं—निषेधात्मक तथा विशेषात्मक । किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचाना निषेधात्मक अहिंसा होती है । यह हिंसात्मक क्रिया का विरोध या निषेध करती है । लोगों की सामान्य जानकारी में हिंसा का निषेधात्मक प्रकार ही होता है । किन्तु अहिंसा के विशेषात्मक रूप या प्रकार भी होते हैं, जैसे दया करना, सहायता देना, दान देना आदि । दया के चार अंग होते हैं—द्रव्यदया अर्थात् अपनी ही आत्मा की तरह दूसरों की आत्मा को समझते हुए किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना; भावदया—आत्मगुणों का विकास करना; स्वदया—सांसारिक मोहन-ममता से अपने को दूर रखने का प्रयास तथा पर-दया—दूसरे के लिए सुख-सुविधा लाने एवं दुःख दूर करने के निमित्त प्रयास करना ।

अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग दान कहा जाता है । इसके चार अंग होते हैं—विधिविशेष, द्रव्यविशेष, दाता की विशेषता तथा पात्र की विशेषता । संग्रहदान, भयदान, कारुण्यदान आदि इसके दस प्रकार होते हैं । इससे पुण्य की प्राप्ति होती है । किन्तु इस सम्बन्ध में जैन विद्वानों के बीच मतेक्य नहीं है । विशेषतौर से अनुकम्पादान के विषय में तेरापंथियों का मत है कि इनसे एकान्त पाप होता है । इनके अनुसार सिर्फ संयति लोग ही दान प्राप्त करने के लिए सुपात्र होते हैं । इन लोगों के अलावा जो भी हैं वे दान फाने के अधिकारी नहीं होते । कारण, वे कुपात्र होते हैं । कुपात्र को दान देने से एकान्त पाप होता है । इस मत की पुष्टि जयाचार्य के द्वारा ‘भ्रमविचर्वसन’ में हृई है । किन्तु इनके मत के एक-एक सूत्र का खण्डन आचार्य जबाहिर-लाल जी ने ‘सदृशमण्डन’ में किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुकम्पादान पापजनक नहीं बल्कि पुण्यजनक है ।

अहिंसा से यद्यपि जनकल्याण होता है, दूसरों की रक्षा होती है, इसका मुख्य उद्देश्य आत्मकल्याण है । अहिंसात्रत के पालन में आत्म-संयम ही साध्य का काम करता है । यदि इससे लोक-कल्याण होता है तो मात्र इस सिलसिले में कि आत्म-कल्याण के लिए प्रयास किया जाता है ।

जिस प्रकार असत्य, स्तेय आदि हिंसा के पोषक तत्त्व हैं, उसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ज्ञानाचर्यं तथा अपरिग्रह अर्हिंसा के पोषक तत्त्व हैं। इनमें से किसी एक को भी त्याग देने से अर्हिंसा का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो सकता।

जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त स्यादवाद अथवा अनेकान्तवाद का अर्हिंसा से बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार आचार में अर्हिंसा का प्रतिपादन किया गया है, उसी प्रकार विचार में अनेकान्तवाद का प्रतिपादन है। अनेकान्तवाद एक प्रकार से विचारात्मक अर्हिंसा है। महावीर के समय में आत्मनित्यवाद, उच्छेदवाद आदि बहुत-सी दार्शनिक विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही थीं जिनके फलस्तूप समाज या दार्शनिक क्षेत्र में मतभेद अपना बृहदरूप धारण कर रहा था। इसलिए महावीर ने सभी का एक समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया, जो वास्तव में किसी भी वस्तु का सही-सही ढंग से विवेचन करता है। किसी का भी ज्ञान एक सीमा तक ही होता है और उसी सीमा तक वह सही होता है। किन्तु अपनी सीमा का उल्लंघन करके यदि वह पूर्णज्ञान की जानकारी का दावा करते हुए दूसरे व्यक्तियों को गलत साक्षित करने का प्रयास करता है तो, वहाँ वह अपने आग्रह के कारण दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, जिससे हिंसा होती है। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए अपने ज्ञान की यथार्थता को एक विशेष अपेक्षा में व्यक्त करना सही और श्रेयस्कर होता है। इसके लिए महावीर ने 'स्याद्' शब्द की खोज की। इसके संयोग से व्यक्ति अपने ज्ञान को एक सीमा तक सही दिखाता है तथा अन्य ज्ञान पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करता। इसे ही 'स्यादवाद' कहते हैं। इस सिद्धान्त का अन्वेषण इसलिए भी किया गया कि महावीर के अनुसार कोई भी वस्तु अनेकधर्मात्मक होती है। यदि एक दृष्टि से वह सत् है तो दूसरी से असत्; यदि वह अपने मौलिक रूप में नित्य है तो परिवर्तनीय पर्यायों के कारण अनित्य भी है। अतएव जेनधर्म में अर्हिंसा का सिद्धान्त तात्त्विक सिद्धान्तों से भी काफी निकटता का संबंध रखता है।

अर्हिंसा का सिद्धान्त अपने मौलिक रूप में सभी अपवादों से परे था; इसके साथ कोई भी अपवाद नहीं था। अर्हिंसा पालन करनेवाले के लिए मात्र यही नियम था कि वह किसी भी जीव को किसी प्रकार

कष्ट न पहुँचाए, भले ही स्वयं उसे कितना भी कष्ट क्यों न होलना पड़े। इसका ज्वलन्त उदाहरण महावीर के जीवन में पाया जाता है। किन्तु बाद में चलकर इस नियम के कुछ अपवाद भी बन गये।

अहिंसा तथा सत्य एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात् एक को छोड़कर दूसरे को निभाना असंभव-सा हो जाता है। किन्तु कभी-कभी अहिंसा की पूर्ति के लिए सत्य को त्याग दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य यदि कष्टदायक हो तो उसे त्याग देना चाहिए, अन्यथा हिंसा हो जाती है।

जैनधर्म में श्रावक तथा श्रमण के लिए हिंसा-अहिंसा का विचार अलग-अलग किया गया है। श्रावक के लिए बारह व्रत तथा आरह प्रतिमाओं का विधान किया गया है। बारह व्रतों में पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत होते हैं। इन सबों के द्वारा श्रावक के चरित्र को अहिंसासमय बनाने का प्रयास किया गया है, फिर भी गृहस्थों अथवा श्रावक को कुछ छूट मिली है। श्रावक के लिए हिंसा, मृषावाद, स्तेय, अज्ञाहाचर्य तथा परिग्रह के स्थूल रूप से बचना विहित है। अतः इनके व्रत अणुव्रत कहे जाते हैं। क्योंकि श्रमणों की तरह ये अहिंसादि व्रतों का पूर्णरूपेण पालन नहीं करते। गुणव्रत, शिक्षाव्रत तथा प्रतिमाओं के द्वारा भी श्रावकों के लिए हिंसा-अहिंसासंबंधी बहुत-सी मर्यादाएँ कायम की गई हैं। श्रमणों के लिए पंच महाव्रत, रात्रि-भोजन-विरमण व्रत, समिति, गुरुभि, षडावश्यक, लिंगकल्प, वर्जनमर्यादा, पात्र-मर्यादा, आहारमर्यादा तथा विहारमर्यादा का विधान किया गया है। श्रमणों के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा की छूट नहीं दी गई है। इनके लिए जितने भी नियमों के विधान किए गए हैं, वे सिर्फ़ इसीलिए हैं कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा न हो।

गाधीवाद ने अहिंसा का अर्थ किया है पूर्ण निर्दोषता। प्राणि-भात्र के प्रति दुर्भाव या दुराव का पूर्ण त्याग। यह एक महाव्रत है। इससे सत्ये-श्वर की प्राप्ति होती है। यानी सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। गाधीजो को दृष्टि में अहिंसा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। इसके दो स्वरूप होते हैं—भाव तथा द्रव्य। कारण यह मन, वाणी तथा काय तक विस्तृत है। अहम् पर आधारित जितनी भी क्रियाएँ होती

है, वे सभी हिंसा होती हैं तथा स्वार्थस्थान, असंयमित भोगप्रबृत्ति का त्याग और अनकल्पण के निमित्त किए गए सभी कार्य अहिंसा के रूप होते हैं। यह सिर्फ मनुष्य जाति के लिए ही नहीं बल्कि प्राणिमात्र के लिए अनुगम्य है। यह भावप्रधान होती है, इसलिए अधिक प्राणियों के हित के लिए कम प्राणियों की हिंसा अथवा उसी प्राणी को बड़े दुःख से मुक्त करने के लिए किसी प्राणी को कुछ कष्ट पहुँचाना हिंसा नहीं समझी जानी चाहिए। इसी विचार से गांधीजी ने साठ कुत्तों (जिनमें से एक पागल था और अन्य सभी को उसने काट खाया था) को मरवा देनेवाले व्यक्ति को भी निर्दोष कहा है।

अहिंसा मानसिक स्थिति होती है और यह क्षत्रिय का गुण है अर्थात् कायर इसे नहीं अपना सकता; इसे अंघप्रेम भी नहीं समझा जा सकता। यह रूढ़िवाद तथा उपयोगितावाद से भिन्न है। दया और दान अहिंसा का ही रूप है। किन्तु दान उसी व्यक्ति को देना उचित होता है जो अपंग और अपाहिज हो वरना समाज में आलस्य और निष्क्रियता का राज्य हो जाता है।

अहिंसा ही सत्य वस्तु है। इसका संबंध ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रहादि से भी अदृट है। यज्ञ में भी इसका स्थान है। यद्यपि वैदिक नियमानुसार यज्ञ में होनेवाली हिंसा को कर्मकाण्डी लोगों ने हिंसा नहीं माना है। किन्तु गांधीजी के अनुसार यह पूर्ण सत्य नहीं है। भले ही वह यज्ञ में हो अथवा कहीं और। यज्ञ में की गई हिंसा अनिवार्य हिंसा कह दी गई है लेकिन अनिवार्य हिंसा की तो कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। खेती में की जानेवाली हिंसा भी अनिवार्य हिंसा के अन्तर्गत ही आती है।

अहिंसा का अर्थिक रूप खादी तथा स्वदेशी माल के प्रयोग में दिखाया गया है। अछूतोद्धार तथा जात-पांत-उन्मूलन इसका सामाजिक रूप है। अहिंसा का राजनीतिक रूप सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ है।

वैदिक, बौद्ध, सिक्ख आदि जैनेतर एवं जैन परम्पराएँ तथा गांधीवाद इस बात से सहमत हैं कि राग-द्वेष के वशीभृत होकर किसी भी

प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाना हिंसा है और प्राणि-मात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना अहिंसा है। हिंसा मन, वाणी तथा काय (जिन्हें जैनमतानुसार योग की संज्ञा दी गई है) से होती है। अतः इसके आधार पर हिंसा के दो रूप होते हैं—भाव तथा द्रव्य। इसके तीन करण भी होते हैं अर्थात् यह स्वयं की जाती है, दूसरों से करवाई जाती है तथा अनुभोदित होती है। इसके संबंध में वैदिक, बौद्ध तथा जैन-परंपराओं के विचार मिलते-जुलते से हैं, तथापि 'करण' नाम इन्हें सिफं जैन-परंपरा में ही दिया गया है। जैनधर्म में संरंभ, समारंभ तथा आरंभ के और तीन योग, तीन करण के संयोग से हिंसा के कुल १०८ भेद माने गये हैं; वैदिक परंपरा के योग-दर्शन (ऋग्वेदशंन) के व्याख्याकार ने हिंसा के ८१ भेद बताये हैं; लेकिन बौद्ध-परंपरा एवं गांधीवाद आदि में ऐसी बात नहीं पाई जाती है।

जैनधर्म में जीव के छः प्रकार बताये हैं जिनकी हिंसा विभिन्न प्रकारेण होती है। किन्तु अन्य परंपराओं में जीव के अस्तित्व पर इतनी सूधमता से विचार व्यक्त नहीं किया गया है। न इन सभी की हिंसा के अलग-अलग मार्ग ही दिखाये गये हैं। वनस्पतिकाय की हिंसा पर बौद्ध-परंपरा एवं गांधीवाद ने विचार प्रकट किया है, लेकिन पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय की हिंसा का प्रश्न इन सबों के सामने नहीं आता, क्योंकि इन सबों की विचार-शृंखला में यह बात आई ही नहीं है कि ये काय स्वतः प्राणवान होते हैं अथवा नहीं। यदि कहीं पर अग्नि आदि से हिंसा होने की बात आती भी है तो इसलिए कि अग्नि से छोटे जीवों की जो दीखते तक नहीं, हिंसा की संभावना रहती है, इसलिए नहीं कि वह स्वयं प्राणवान है। जैन मत में अग्नि को जलाने से अन्य सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा होती है और अग्नि को बुझाने से अग्निकाय की हिंसा होती है। ऐसी हालत में हिंसा से बचने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वह न अग्नि जलाए और न बुझाए ही।

हिंसा के पोषक तत्त्व हैं—असत्य, स्त्रेय, अज्ञानचर्य एवं परिप्रह। ऐसे ही अहिंसा के भी पोषक तत्त्व हैं—सत्य, अस्त्रेय, ज्ञानचर्य और

अपरिग्रह । इस विचार से प्रायः वैदिक, बौद्ध आदि सभी परंपराएँ सहमत हैं पर जैनधर्म ने इस पर काफी जोर दिया है ।

मांस-भक्षण हिंसा का ही एक रूप है अथवा कारण है । वैदिक परंपरा के प्रारम्भ में मांस-भक्षण का कोई निषेध नहीं किया गया है, बल्कि यज्ञ के द्वारा प्राप्त मांस को ग्रहण करना पृथ्यजनक बताया गया है । किन्तु बाद में मांस-भक्षण पर कुछ नियंत्रण लाये गए हैं । मनुस्मृति में मांस-भक्षण और मांस-भक्षण-निषेध दोनों ही तरह की बातें मिलती हैं । इसमें एक जगह पर मांस लोलूपता के वशीभूत व्यक्ति के लिए चीनी आदि के बकरे या अन्य पशु-पक्षी बनाकर और उन्हें मारकर खाने का विधान किया गया है । ऐसा करने से, कहा जा सकता है कि व्यक्ति से भावहिंसा भले ही हो किन्तु द्रव्यहिंसा न होगी । आगे चलकर महाभारत आदि में विशेष आपत्ति की अवस्था में, जैसे प्राण-रक्षा के निमित्त मांस खाने की छूट मिली है । बौद्ध परंपरा में भी बूद्ध ने भिक्षुओं को दवा के रूप में सून, चर्वी तथा मांस के प्रयोग की अनुमति दी है । साथ ही यह भी कहा है कि भिक्षु उस मांस या मछली को ग्रहण कर सकता है जो गृहस्थों के द्वारा दी गई हो, और गृहस्थ ने भी उस मांस, मछली को भिक्षु के निमित्त नहीं बल्कि अपने लिए ही तैयार किया हो । परन्तु जैन-परंपरा में किसी भी स्थिति में मांस-भक्षण का विधान नहीं है ।

इस प्रकार हिंसा-अहिंसा के सभी पहलुओं को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि जैनधर्म ने अहिंसा पर प्रकाश डालने अथवा इसे अपनाने में बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग किया है, जो अधिक जगहों पर अपनी पराकाष्ठा को छूती है । जिसकी वजह से अहिंसा का सिद्धान्त अपने आप में सही होते हुए भी आचरण में अति कठिन हो गया है, और शायद यही कारण है, जिससे जैनधर्म का विस्तार पूर्ण रूपेण नहीं हो सका, जैसा कि बौद्धादि धर्मों का हो सका है ।

आधार-ग्रन्थ-भूची

जैन-साहित्य

अनुकंपा—रत्नचन्द्र चोपड़ा, जैन इवेताम्बर तेरापन्थी महासभा,
कलकत्ता, १९४८.

अमितयति-आदकावार—भाषाटीकाकर्ता—पं० भागचन्द्रजी, अनन्तकीर्ति
दि० जैन ग्रन्थ-माला, बम्बई, वि० सं० १९७९.

अहिंसा और उसके विचारक—मुनि नथमलजी, आदर्श साहित्य संघ,
सरदार शहर (राजस्थान), १९५१.

अहिंसा और विश्वकामिति—तुलसीरामजी, जैन इवेता० तेरापन्थी महासभा,
कलकत्ता.

अहिंसा-दर्शन—उपाध्याय मुनि अमरचन्द्रजी, सं०-पं० शोभाचन्द्र भारिल्ल,
सन्मिति शानपीठ, आगरा, १९५२.

अहिंसा-दिव्यदर्शन—विजयचंद्रसूरि, यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, भावनगर,
वि० सं० १६८४.

अहिंसा प्रदीप—प० बीरेन्द्रकुमार शास्त्री, अस्तित्व भारतीय अहिंसा प्रचारक
संघ, काशी, वी० सं० २४६७.

आत्माराग सूत्र—व्याख्याकार—आत्माराम जी, सं० मुनि समदर्शी, आचार्य
आत्माराम जैन प्रकाशन समिति, शुचियाना, १६६३-६४.

आत्माराग सूत्र—(शीलाकाचार्य-टीका उहित), सिद्धक्र क साहित्य प्रचारक
समिति, सूत्र १९३५.

आधुनिक विज्ञान और अहिंसा—गणेशमुनि, सं०--मुनि कानितसागरजी,
आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६६२.

आधुनिक सूत्र—व्याख्याकार—अमोलक शृष्टि, हैद्रावाद-सिकन्द्रावाद जैन
संघ, दीराम्ब २४४६.

आवश्यकसूच—व्याख्याकार— शासीलालजी, अखिल मारतीय दिग्मन्द्र
स्थानकवासी जैन शास्त्रोदार समिति, राजकोट, १९५८.

उत्तराध्ययनसूच—सं० रत्नलाल ढोशी, प्र०-अ० भा० सापुमार्गी जैन
संस्कृति-रक्षक संघ, सैलाना (भ० प्र०), वी० सं० २४८.

उपासकशास्त्र—अनु० आचार्य आत्मारामजी, सं०-डा० इन्द्रचन्द्र
शास्त्री, प्र०-आ० आत्माराम जैन प्रकाशन समिति, लुधियाना, १९३४.

उमास्वामिधावकाचार-परीका—बुगलकिशोर मुख्तार, बीर-सेवा मंदिर,
सरसावा (विं० सहारनपुर), १९१४.

कर्मप्रहृति—नेमिचन्द्र आचार्य, सं० एवं अनु०-हीरालाल शास्त्री, मारतीय
शानपीठ, काशी, १९६४.

कर्मवाद - एक व्याख्यन—सुरेशमुनि, सन्मति शानपीठ, आगरा, १९६५.

कर्मविपाक-देवेन्द्रसूरि, अनु०-प० सुखलालजी, आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक
मण्डल, आगरा, १९३६.

कृष्ण-कृष्ण प्राभृत संहद—संग्रहकर्ता-प० कैलाशचन्द्र, जैन संस्कृति संरक्षक
संघ, शोलापुर, वि० सं० २०१६.

चौथा कर्मग्रन्थ—देवेन्द्रसूरि, अनु०-प० सुखलालजी, आत्मानन्द जैन पुस्तक
प्रचारक मण्डल, आगरा, १९२२.

जीवानुशासन—देवसूरि, प्र०-हेमचन्द्राचार्य सभा, पाटण, वि० सं० १९५४.

जीवागम - निर्देशिका—सं०-मुनि कृहीयालाल, आगम अनुयोग प्रकाशन,
दिल्ली, १९६१.

जैन शास्त्र—डा० मोहनलाल मेहता, पार्श्वनाथ विद्यालय शोध संस्थान,
वाराणसी, १९६६.

जैनदर्शन—प० महेन्द्रकुमार, गयेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी १९५५.

जैनदर्शन — डा० मोहनलाल मेहता सन्मति शानपीठ, आगरा, १९५८.

जैनधर्म—प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, मारतीय दिग्मन्द्र जैन संघ, तुतीय
संस्करण, मधुरा, १९५५.

जैनधर्म का अद्वितीय कर्मविज्ञान—भानुविजयजी गणि, सं०-मुनि मिश्र-
नन्दविजय, वी० सं० २४६३.

जैन साहित्य का इतिहास—(पूर्व-पीठिका)—पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री,
गणेशप्रसाद वर्णों जैन ग्रन्थमाला, काशी।

जैन साहित्य का बृहद इतिहास—भाग १, लेखक—पं० बेचरदास दोषी,
सं०-पं० दलमुख मालवणिया व ढा० मोहनलाल मेहता, प्र०-पा० वि०
शोध संस्थान, वाराणसी, १९६६.

जैन साहित्य का बृहद इतिहास—भाग २—ढा० अगदीशचन्द्र जैन व ढा०
मोहनलाल मेहता, सं०—पं० दलमुख मालवणिया व ढा० मोहनलाल
मेहता, प्र०-पा० वि० शोध संस्थान, वाराणसी, १९६७.

जैन साहित्य का बृहद इतिहास—भाग ३—ढा० मोहनलाल मेहता, सं०-पं०
दलमुख मालवणिया व ढा० मोहनलाल मेहता, प्र०-पा० वि० शोध
संस्थान, वाराणसी, १९६७.

जैन साहित्य की प्रगति—पं० सुखलालजी संघवी, जैन संस्कृति संशोधन
मंडल, वाराणसी, १९५१.

जैन सिद्धान्त प्रवीणिका—आ० तुलसी, अनु०-मुनि नथमलजी, आदर्श
साहित्य संघ, सरदारशहर (राजस्थान), वि० सं० २००२.

जैन सिद्धान्त बोल संग्रह—भाग १-८—संग्रहकर्ता—मैरोदान सेठिया, जैन
पारमार्थिक संस्था, बीकानेर, वी० स० २४७१-७५.

ठागां सं॒—व्याख्याकार—अमोलक श्रुति, हैद्राबाद-सिकन्द्राबाद जैन
संघ, बीरबद २४४६.

तत्त्वार्थसूत्र—अनु०-मेवराजजी मुणोत, श्री रत्न प्रभाकर शान पुष्पमाला,
फलोधी, वि० स० १९८८.

तत्त्व अंसूत्र—व्याख्याकार—पं० सुखलाल संघवी, जैन संस्कृति संशोधन
मंडल, वाराणसी, १९५५.

तोसरा कर्मग्रन्थ देवेन्द्रसूरि (हिन्दी अनुवाद सहित), आत्मानन्द जैन
पुस्तक प्रचारकरणडल, आगरा, १९२७.

दर्शन और चिन्तन 'लखड १-२)—पं० सुखलालजी संघवी, गुजरात
विद्यालय, अहमदाबाद, १९५०.

दर्शनकालिकाओं—जिनदासगणि, शृष्टभद्रेष्वी केशरीमलजी श्वेता०
संस्था, रत्नाम, १९३३.

दसवीकालिक—सूच—आनन्दसामरतृपि, देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड, सूरत, वि० सं० २०१०.

दसवीकालिक सूच—व्याख्याकार—अमोलक शृणि, हैद्रावाह-सिकन्द्रावाह जैन संघ, वीराब्द २४४६.

दान दया—हजारीमल सेठिया, बीकानेर, वि० सं० २०१०.

दुष्टा कमंग्रन्थ—देवेन्द्रसूरि (हिन्दी अनुवाद सहित), आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा, १९१८.

निरयाडलिका—व्याख्याकार—अमोलक शृणि, हैद्रावाह-सिकन्द्रावाह जैन संघ, वीराब्द २४४६.

निषीष सूच : एक वस्त्रयन—प० इलमुख मालविण्या, सम्राट झानपीठ, आगरा.

निषीष सूच—व्याख्याकार—अमोलक शृणि, हैद्रावाह-सिकन्द्रावाह जैन संघ, वीराब्द २४४६.

पंचम कमंग्रन्थ—प० सुखलालजी, आत्मानन्द जैन प्रचारक मंडल, आगरा, वीर स० २४६८.

पिण्डनिषुक्ति—भद्रबाहु, मलवाचार्यवृत्ति, देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था, बम्बई, १६१८.

पुरुषार्थसिद्ध-सुशाय—अमृतचन्द्राचार्य, प्र०-परमध्रुत प्रभावक मंडल, बंबई, बी० सं० २४३१.

प्रद्वचनसार—कुन्दकुन्दाचार्य, सं०-ए० एन० उपाध्ये, परमध्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई, १६३५.

प्रश्नव्याकरण सूच—व्याख्याकार—अमोलक शृणि, हैद्रावाह-सिकन्द्रावाह जैन संघ, वीराब्द २४४६.

प्रश्नव्याकरण सूच—व्याख्याकार—वासीलालजी, अ० मा० श्वे० स्था० जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १९६२.

प्रश्नव्याकरण सूच—अनु० प० खेवरचन्द्र बाठिया, प्र०-आगरचन्द्र भैरोदान सेठिया, पारमार्यिक संस्था, बीकानेर, वी० स० १४७८.

प्रश्नव्याकरण सूच—सं०-प० मफतलाल खेवरचन्द्र, मुक्तिविमलजी जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद, वि० सं० १६६५.

आहुत बार उत्तर का साहित्य—डा० मोहनलाल भेदारा, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९६३.

आहुत बारा और साहित्य का बालोचनात्मक इतिहास—डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, तारा पञ्चकेशन्स, वाराणसी, १९६६.

आहुत बाहित्य का इतिहास—डा० जगदीशचन्द्र जैन, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९६१.

बृहदत्तर सूत्र—व्याख्याकार—अमोलक शृंखि, हैद्रावाद—सिकन्द्रावाद जैन संघ, बीराबद २४४६.

भगवती सूत्र (भाग १०७)—व्याख्याकार—धासीलालजी, अ० भा० श्वे० स्था० जैन शास्त्रोदार समिति, २१३५०, १९६१-६२.

भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान —डा० हीरालाल जैन, मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद्, भोपाल, १९६२.

भिषुप्रभरत्नाकर—खण्ड १-२, सं०-आ० दुलसी, जैन श्वे० तैरापंथी महात्मा, कलकत्ता, १९६०.

भ्रमविद्यवंशन—ज्याचार्य, गंगाशहर, वि० सं० १९८०.

मुनि श्री हजारीमल स्मृति-मध्य—मुनि श्री हजारीमल स्मृति—ग्रन्थ प्रकाशन समिति, व्यावर, १९६५.

मलाचार —वट्टकेर स्वामी, सं०-पं० मनोहरलाल शास्त्री, मुनि अनन्तकीर्ति दि० जैन अथवाला, १९६६.

योगशास्त्र—आचार्य हेमचन्द्र, सं०—मुनि समदर्शी आदि, प्र०—शृष्टभचन्द्र जीहरी किशनलाल जैन, किल्डी, १९६३.

राष्ट्रपतेण इय-सूत्र—व्याख्याकार—पं० देवरदास जीवराज दोशी, गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, बीर सं० २४५४.

वसुनंदि-श्रावकाचार—कोलहापुर, १९०७.

व्यवहारसूत्र—व्याख्याकार—अमोलक शृंखि, हैद्रावाद, सिकन्द्रावाद जैनसंघ, बीराबद २४४६.

व्याख्याप्रज्ञमि—अभ्यदेव सूरीश्वरविरचित वृत्तिसमलंकृता, शृष्टभद्रे के शरीर-मल जैन श्वे० संस्था, रतलाम, वि० सं० १९६६.

शुभाशुभ कर्मफल —स्वामी चिलोकचन्द्रजी, नवाशहर (पंजाब), ६६१.

अवणसूत्र—मुनि अमरचन्द्रजी, सन्मति डानपीठ, आगरा, वि० सं० १००७.

आशक का बहिरा दर—सं०-पं० मुलालालजी शास्त्री, प्र०-आशक नवरत्न,
रत्नाम, वि० सं० १९६०.

सद्गमण्डन—आचार्य अबाहिरलालजी, प्र०—तनसुखदाल फूरवराज दूगड़,
तरदार शहर, वि० सं० १९८८.

सहितिका-पक्षरण—सं०-पं० फूलचन्द्र चिदानन्दशास्त्री, आत्मानन्द जैन पुस्तक
प्रचारक मण्डल, आगरा, १९४८.

समवशामृत—कुन्दकुन्दाचार्य—सं०-पं० गवाघरलाल जैन, मारतीय जैन
लिदान्त प्रकाशिती संस्था, काशी बी० सं० २४४०.

समवायांग सूत्र—व्याख्याकार—पालीलालजी, अ० भा० इवे० स्था० जैन
शास्त्रोदार समिति, राजकोट, १९६२.

समवायांग सूत्र—सं०-मफउलाल भरेरचन्द्र, अहमदाबाद, १९१८.

समयसार—कुन्दकुन्दाचार्य, हिन्दी अनु०-पं० जयचन्द्र, जिनवाणी प्रकाशन
विभाग, रोहतक, बी० सं० २४६८.

समीक्षीन बर्मिंशाल (रस्तकरणडउपासकाव्ययन)—समन्तभद्राचार्य, माष्टकार—
बुगलकिशोर मुख्तार, बोर-सेवा मंदिर, दिल्ली, १९५५.

सामारथ्यमृत—आशाधर, अनु०- मोहनलाल शास्त्री, सरल जैन प्रथ
भगदार, जबलपुर, बी० सं० २४८२-८४.

सूक्ष्मताण—सं० पं० अभिकादतजी ओझा, महावीर जैन छानोदय सोला-
ठटी, राजकोट, वि० सं० १९९३-९४.

सूक्ष्मताण—सं० तथा संषोषक—आनन्दसागरसूरी, गौडीपाश्वनाथ जैन
ग्रन्थमाला, बंबई, १९५०.

स्वानांग-समवायांग—सं०-पं० इलमुल मालवणिया, गुजरात विद्यापीठ,
अहमदाबाद, १९५५.

स्वानांग सूत्र—व्याख्याकार—पालीलालजी, अ० भा० इवे० स्था० जैन
शास्त्रोदार समिति, राजकोट, १९६४-६५.

Cult of Ahimsa—Shreechand Rampuria, Jain Swetamber
Terapanthi Mahasabha, Calcutta, 1957.

Doctrine of the Jainas—Walther Schubring, Motilal
Banarasidass, Delhi, 1962.

Heart of Jainism—Mrs. Sinclair Stevenson, London, 1915.
History of Indian Literature (Vol. II)—Maurice Winter-nitz, University of Calcutta, 1933.

History of the Canonical Literature of the Jainas—H. R. Kapadia, Surat, 1941.

Niyamasara—Kundakunda Acharya, Sacred Books of the Jainas, Vol. IX, Eng. Transl. by Uggar Sain, Central Jain Publishing House, Lucknow, 1931.

Outlines of Jaina Philosophy—Mohan Lal Mehta, Jain Mission Society, Bangalore, 1954.

Sacred Books of the East, Vol. XXII, Ed. F. Max Muller, Oxford, 1884.

Sacred Books of the East, Vol. XLV, Ed. F. Max Muller, Oxford, 1895.

Studies in Jaina Philosophy—Nathmal Tatia, Jain Cultural Research Society, Varanasi, 1951.

पत्रिकाएँ

अगुवत (पालिक), अ०भा० अगुवत समिति, नई दिल्ली।

अमरभारती (मालिक), सन्मति शानपीठ, आगरा।

अहिंसा-बाणी (मालिक), अ०वि० जैन मिशन, अलीगंज।

जैन भारती (सासाहिक), जैन इवे० तेरापंथी महासभा, कलकत्ता।

अमण (मालिक), पा० वि० शोष सस्थान, बाराणसी।

जैनेतर-साहित्य

अग्निपुराण—प०-मनसुखराय मोर, कलकत्ता, १९५७.

अग्नुभाष्य—प० शीघ्र अद्यमक पाठक, बम्बई, १९२१.

**अथवंवेद—भाष्यकार श्री जयदेव शर्मा, आर्य साहित्य मण्डल, अजमेर,
वि० सं० १९८६.**

**अथवंवेद—सं०-विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट,
होशियारपुर.**

**अहिंसक कांति की प्रक्रिया—दादा चर्माधिकारी, अ०भा०ष्व०-सेवा-सभ-
प्रकाशन, राजधान, काशी.**

**अहिंसा (प्रथम और द्वितीय भाग)—सं०-कमलापति त्रिपाठी आदि, प०-
जयनाथ शर्मा, काशी विद्यापीठ प्रकाशन, वाराणसी, १९४८.**

**अहिंसा विवेचन —किशोरलाल घ० मरारुत्राला, सस्ता साहित्य मण्डल, नई
दिल्ली, १९४२.**

**अंगुतरनिकाय (प्रथम भाग)—अनु०-भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन, महाबोधि
सभा, कलकत्ता, १९५७.**

**आद (दंतिक)—गुरुनानक विशेषाक, २३ नवम्बर १९६८, आज प्रेस,
वाराणसी.**

**आत्मकथा (महात्मा गांधी की मूल गुजराती ‘आत्मकथा’ का अनुवाद)—
अनु०- श्री हरिभाऊ उपाध्याय, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली.**

ईशायष्टोत्रशतोपनिषद्—बासुदेव शर्मा, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, १९३२.

कूर्मपुराण (विभिन्न ओर्थिका इण्डिका), एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल.

**गांधी भीमासा—परिषत रामदयाल तिवारी, इण्डियन प्रेस लि०, प्रयाग,
१९४१.**

**गांधीवादी—संग्राहक एवं संचारक—श्री रघुनाथ सुमन, प्र०-साधन। सदन,
इलाहाबाद, १९४७.**

गांधीवाद की शब्द परीक्षा—यशपाल, विष्वव कार्यालय, लखनऊ.

गांधी साहित्य—सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, १९५१.

आन्दोलनोपनिषद् (सानुवाद शाकरभाष्यसहित)—गीता प्रेस, गोरखपुर.

तेतिरीयसंहिता—आनन्दाभ्य संस्कृतग्रन्थावलि, आगास.

दिल्ली-हायरी—मोहनदास करमचन्द गोव्ही, नव शीवन प्रकाशन मंदिर,
अहमदाबाद, १९४८.

दीपनिकाय (भाग १-३)—सं०-मिल्लु जगदीश काशप, पालि पञ्चकेशन
बोर्ड, विहार गवर्नमेण्ट, १९४८.

धर्मपद—अनु० भद्रन्त आनन्द कौशल्यायन, महाबोधि समा, खारनाथ
(बाराणसी), बुद्धाब्द २४२४.

धर्मपद—मिल्लु धर्मरक्षित, मास्टर लेलाङीलाल एण्ड सन्त, बनारस, १९५१.
नारदपुराण (हिन्दी माथा टाका संहित)—अनु० रामचन्द्र शर्मा, सनातन-
धर्म प्रेस, १९४०.

पुराण विमर्श—बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, बाराणसी, १९५५.
कापू और हरिहरन—पञ्चकेशन व्यूरो, सूचना विभाग, उचर प्रदेश, लखनऊ,
१९४६.

बोधिव्यवितार—शान्तिदेव, अनु० शान्तिमिल्लु शास्त्री, प्र०—मिल्लु प्रशानन्द,
बुद्ध विहार, लखनऊ, १९५१.

बौघायनगृह्यसूत्र—सं० श्रीनिवासाचार्य, गवर्नमेण्ट ओरियन्ट लायब्रेरी सीरीज
३२.

ब्रह्मपुर ण (द्वितीय भाग)—प्र०-मनसुखराय भोर, कलकत्ता, १९५४.

ब्रह्मसूत्र—शांकरभाष्य बासुदेव शर्मा, निर्णय सागर प्रेस, १९१५.

बृहदधर्मपुराण (बिल्ल ओथिका इंडिका), एशियाटिक सोसायटी आफ
बंगाल, १९१७.

भगवद्गीता—गीता प्रेस, गोरखपुर.

भागवतपुराण (खण्ड १-२)—गीता प्रेस, गोरखपुर.

मत्स्यपुराण—श्री जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य, कलकत्ता, १८७६.

मनुस्मृति—टीकाकार-प० जनार्दन भट्टा, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता,
वि० सं० १९८१.

महाभारत—गीता प्रेस, गोरखपुर.

मंत्रायणीसंहिता—स०-दामोदर सातवलोकर, स्वाध्याय मंडल, बंबई.

यशुर्वेद—वायदेवती शर्मा, आर्य साहित्य मण्डल लिंग, अजमेर, प्र० सं० २००५.

विष्णुपुराण—प्र०-मनसुखराय मोर, कलकत्ता, १९६०.

वायुपुराण—प्र०-गनसुखराय मोर, कलकत्ता, १९५९.

वाल्मीकि-रामायण—सटीक, सं०-वायुदेव लक्ष्मण शास्त्री, निर्णय सागर प्रेस, बाबई, १९३०.

विनयपिटक—अनु०-राहुल लाक्ष्मीयायन, महाबोधि सभा, सारनाथ (वाराणसी), १९३५.

विशुद्धिमाण (भाग १-२)—अनु०-मित्रु घर्मरक्षित, महाबोधि सभा, सारनाथ (वाराणसी), १९५६-५७.

विष्णुपुराण (भावा दीका सहित)—श्री वैकटेश्वर संस्करण बाबई.

संयुक्तनिकाय (भाग १-२)—अनु०-मित्रु जगदीश काश्यप, प्र० महाबोधि सभा, सारनाथ (वाराणसी), १९५४.

सांख्यतत्त्वकोशुदी—बलराम उदासीन.

सिक्ख धर्म की कृपरेखा—संपादक तथा प्रकाशक-प्यार तिंह, चिरोमणि गुरुदारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर, १९५०.

सुतनिपात—अनु०-मित्रु घर्मरन, प्र०-महाबोधि सभा, सारनाथ (वाराणसी), १६५१.

सूक्ष्मित : साधना और साहित्य—रामपूजन तिवारी, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, सं० २०१३.

हिन्दी ऋग्वेद—रामगोविन्द त्रिवेदी, प्र०-इण्डियन प्रेस पब्लिकेशन्स, प्रयाग, १९५४

*Apastamba Dharmasutra, Sacred Books of the East,
Vol. II. Part I., Oxford, 1896.*

*Apastamba Grihya Sutra, Sacred Books of the East, Vol.
XXX, Pt. II.*

Archaeology of World Religions (Vols. I-III)—Jack Finegan, Princeton, 1965

Asvalayan Grhya Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XXIX.

Avesta—Arthur Henry Bluck, German Translation by Prof. Spiegel, Hartford, 1864.

Baudhayan Dharmasutra, Sacred Books of the East, Vol. XIV.

Brahma Sutra—Dr. S. Radhakrishnan, London, 1960.

Concordance of the Principal Upanishads and Bhagavadgita—Colonel G. A. Jacob.

Constructive Survey of Upanishadic Philosophy—R. D Ranade, Oriental Book Agency, Poona, 1926.

Contemporary Indian Philosophy—Ram Shankar Srivastva, Munshi Ram Manohar Lal, Delhi, 1965.

Development of Moral Philosophy in India—Surama Dasgupta, Orient Longmans, Bombay, 1961.

Din-I-Dus or Religion of Spiritual Atoms—Zoroastrian Unveiled—Jehangirji Rustomji Bana, Navasari (Bombay), 1954.

Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, Ed. James Hastings, Edinburgh, 1908.

Gautam Dharma Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XIV.

Gita Rahasya—Bal Gangadhar Tilak, Translated by B. S. Sukthankar, Vols. I & II, Poona, 1935.

Glimpses of World Religion—Charles Dickens, Jaico Publishing House, Bombay.

Gobhila Grhya Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XXX.

Guru-Grantha Sahib (Vols. I-IV), English Trans. by Dr. Gopal Singh, Delhi, 1960.

Hiranyakesi Grhya Sutra, Sacred Books of the East,
Vol. XXX.

History of Indian Philosophy (Vols. I & II)—Jadunath
Sinha, Sinha Publishing House, Calcutta.

History of Religion (Vols. I-V)—P.V. Kane, Bhandarkar
Oriental Research Institute, Poona.

Holy Bible (Old & New Testament), London.

Indian Philosophy—Dr. C. D. Sharma, Nand Kishore and
Brothers, Varanasi.

Indian Philosophy (Vols I & II)—Radhakrishnan, London.

Jaimini Grhya Sutra—Ed. Dr. W. Caland, Motilal
Banarasidass, Varanasi.

Khadira Grhya Sutra—Sacred Books of the East, Vol.
XXIX.

Maitrayani Samhita (Vols. I & II), Ed. Leopold Von
Schroeder, Leipzig, 1881, 1885.

Paraskara Grhya Sutra, Sacred Books of the East, Vol
XXIX.

Patanjali's Yoga Sutra—Trans. by Rama Prasad, Publishe—
Sudhindranatha Vasu, Allahabad, 1910.

Philosophy of the Upanisads—Suresh Chandra Chakravarti,
University of Calcutta, 1955.

Purana Index—V. R. Ramchandra Dikshitar, Madras,
1951.

Quran—Tr.-E. H. Palmer, Sacred Books of the East, Vols.
VI & IX.

Sankhayana Grhya Sutra, Sacred Books of the East, Vol.
XXIX.

Satapatha Brahmana, Sacred Books of the East, Vol. XII

Sribhasya of Ramanuja—R. D. Karmarkar, University of
Poona, 1959-64.

Studies in the Upanishads (Vol. I)—R. C. Hazra,
Government of W. B., 1958.

Towards Understanding Islam—S. A. A'la Maududi,
Delhi, 1960.

True Christian Religion—E. Swedenborg, London, 1936.
Upanishads, Translated by F. Max Muller.

Vasishta Dharma Sutra, Sacred Books of the East, Vol.
XIV.

Vedic Concordance—Maurice Bloomfield, Harvard Uni-
versity, 1906.

अनुक्रमणिका

शब्द	पृष्ठ	शब्द	पृष्ठ
	अ		
अंग-प्रविष्ट	१०१	अनर्थदंड-ग्रन्त	२२५
अंग-बाह्य	१०१	अनार्थ	१४७
अंगारकमं	२२३	अनाश्रव	१७८
अंतरिक्ष-स्थान	५	अनुकंपा	१८७, २४४
अंबालाल	२४१	अनुकंपादान	१६०, १६२,
अकृत्य	१४५		१६५, २६०
अक्रियावाद	१०७	अनेकांत	२०३
अम्लि	५	अन्नपात्रनिरोध	२१३
अनिकाय	१५०, १५४	अन्नपुण्य	१६३
अग्निपुराण	४४	अन्नप्राशन	२०
अद्यूत	२५३	अन्याय्य	१४७
अद्यूतोद्धार	२५२	अन्योन्यक्रिया	१०७
अज	३४	अपक्वौषधिभक्षणता	२२३
अज्ञानवाद	१०७	अपघ्यान	२२६
अणक	१६२	अपघ्यानाचरित	२२५
अणुभाष्य	५८	अपरिग्रह	२०२, २५८
अणुव्रत	२१०	अपरिग्रहव्रत	२३१
अतिथि-संविभाग	१११	अपवाद	२०६
अतिथि-संविभाग-ग्रन्त	२२८	अप्काय	१५०, १५४
अतिभय	१४७	अप्रमाद	६५, १७६
अतिभार	२११	अच्छुल्ला	६०
अथवेद	३	अद्वैताचर्य	१६६, १७१, २५७
अद्वैतादान-विरमण	२१५, २३०	अभक्ष्य	२२
अधर्मदान	१६१	अभय	१८०
अनग्नार	११७	अभ्यदान	१६२
अनर्थदंडविरमण	१११	अभ्यासिति	२१६

अन्याहृत	२३२	आत्मकल्याण	२०९
अमाधात	१८०	आनंद	१११, १६०, २११, २१६
अमृतचंद्रसूरि	१३०	आनुश्रविक	५३
अमृतचंद्राचार्य	१४१	आपस्तंब	२०, २४
अम्ना	६०	आभरणविधि	२२०
अरद	१६२	आभाषिक	१६२
अरिष्टनेमि	११७	आयतन	१७६
अर्थ	२१	आरंभ	१४४
अजुन	२७, ३७	आरमसमारम	१४५
अजुन देव	७७	आरभी	१४४
अर्यशास्त्र	२५१	आरणिकोपनिषद्	११
अविश्रंभ	१४५	आरण्यक	३
अवेस्ता	८१	आरणिकोपनिषद्	१२
अशेष	१६२	आर्द्रकुमार	१५६, १६६
अश्वमेष	१८	आवश्यक	१२१
अष्टक	२२	आस्त्रवट्ठार	१६६
असंयतिदान	१६५	आश्रम	१३
असंयम	१४६	आश्वलायन	२०
असतीजनपोषणता	२२४	आश्वास	१७६
असत्य	१६६, २५७		
असहयोग	२५४		६
अस्त्रय	१११, २०२, २५८	इद्र	५
अस्यृष्ट्यता	२५२	इच्छा-परिणाम	२१६
अहिंसा	१११, १७४, १८१, १८६, २३८	इस्लाम	६०
अहिंसाद्रत	१६०		६
आ		ईर्ष्य	१०६
आचारांग	१०२	ईश्वर	२६०
आचाराम	१०२	ईसा	८६
आचार्य	२०७	ईसाई	८६

३	एका	८५	
उच्चार-प्रस्तुवण	१०७	एपोक्साइका	८७
उच्छ्रय	१७६	एनॉक	८७
उत्तरगुण	२११	ओ	
उत्तराध्ययन	११४	ओदनविधि	
उद	१६२	ओ	२२०
उदक	१५६	ओ	
उद्ग्रावणिका-विधि	२१८	ओहेशिक	२३१
उद्योगी	१४४		
उदवर्तनविधि	२१६	क	
उद्वेग	१४७	कंग-मुत्तें-कंग	६४
उद्वेगजनक	१४७	कंपिल्पुर	११६
उन्मूलना	१४५	कु डॉलिक	१११
उपद्रव	१४५, १४६	कुंदकु द	१२५
उपधानश्रुत	१०२	कटकमर्दन	१४६
उपनिषद्	३, १०	कम्पूशियस	६३
उपभोग	२१८	कन्यालीक	२१४
उपभोग-परिभोग-परिमाण	१११	कबी रदास	८०
उपभोगपरिभोगपरिमाण-द्रव्य	२१८	कमलसंयम	११४
उपयोगितावाद	२४३	करण	१८४
उपासकदशांग	१११, १४३, २११	करिष्यतिदान	१६१
उपेक्षा	७३	करुणा	७३, १८७
उमास्वाति	१४०	कर्म	२२२
		कर्मकाढ	१०
		कर्मदान	२२३
आग्नेय	३, १३३	कल्याण	१७७
आणकर	१४६	कल्याणमित्रता	६६
आदि	१७६	कल्याण	१४४, १५७
		काति	१७५
		कापालिक	१३३
एकदेवतावाद	५	कामदेव	१११

काय	१६२	जाति	१७५
कायपुण्य	११३	मुद्र	१४७
कायोत्सर्व	१२१, २३४		ल
कारण्यदान	१६०	सप्त	१६२
काल	११३	खादिर	२०
कालकुमार	१६५	खादी	२५१
कालातिकम	२२८	खासिक	१६२
किल्स	६०	खेचर	१६२
कीर्ति	१७५	खेती	२५०, २५८
कुणिक	११३		ग
कुरान	६०	गंधहारक	१६२
कुलक्ष	१६२	गवलीक	२१४
कुहण	१६२	गांधीजी	२३५
कुडसचिह्नज	२१४	गांधीवाद	२३५, २५६
कूरकमा	१६२	गायापतिचोर-ग्रहणविमोक्षणन्याय	१६०
कूरम्पुराण	४८		
कृतदान	१६१	गालना	१४६
कृष्ण	३७	गौसपेल्स	८७
केकय	१६२	गीता	३, ३६
केवलि-स्थान	१७८	गुणकात	२१७
केशवाणिजय	२२४	गुप्ति	१७८, २३२
केशीकुमार	१६७	गुप्तमन्यसाहन	७५
कोकणक	१६२	गोविदसिंह	७७
कोचिकी	६८	गोशालक	२००
कौंकण	२०७	गौड़	१६२
कियावाद	१०७	गौतम	१५६
कीरत	२३१	गौरवदान	१६१
कोच	१६२		घ
कोष-स्थान	२३०	गातना	१४५
झमा	७३, ७४	गृतविषि	२२१

		ज्ञाहारलालजी	१८५
		जिनदासगणि	११४
चंड	१४७	जिनप्रवचनरहस्य-कोष	१३०
चतुर्विशतिस्तत्र	१२१, २३४	जीव	२५६
वर्मनिषेध	७०	जीव-व्यया	२४६
वाणव्यनीति	१३३	जीवितात्करण	१४६
वारकि	१३३	जेसस	८६
चिलात	१६२	जैकोवी	११४
चीन	१६२	जैनधर्म	२५६
चुच्चुक	१६२	जैनाचार	२०६
चुलनीप्रिय	१११	जैमनविधि	२२१
चुलशातक	१११	जैमिनी	२०
झूलिक	१६२	जौसफ	८६
चेलना	११३	ज्ञानकांड	१०
चोका	१८०	ज्ञानदान	१६२
		ज्ञानयज्ञ	४०
छ			
छविच्छेद	१४६, २१३		ट
झांदोर्योपनिषद्	११		
झूआझूत	२५३	टालसदाय	२३५
		टेस्टामेट	८७
ज			ठ
जगत्कृत्यवाद	१०७	हेनियल	८७
जटाधारी	१३३	डॉव	१६२
जनमेजय	२७	डोविलक	१६२
जभ	६२		
जयकीर्ति	११४		ठ
जयघोष	११७	तस्वार्थसूत्र	१४०
जयाचार्य	१६५	तप	१६२
जरमुक्त	८१	तपयज्ञ	४०
जलचर	१६२	ताओ	१३
जलक	१६२	ताओ-तेह-र्णिग	१३

तांबूलविधि	२२२	दुष्प्रवौयधिभक्षणता	२२३
तितिक	१६२	ट्रिट्रिवाद	१०१
तुच्छोविधि भक्षणता	२२३	देवता	५
तृष्णि	१७५	देवतामूर्त	१३६
तेरापंथ	१६५	देवदत्त	४०
तैतिरीय संहिता	७	देशावकाशिक	१११
त्रस	१५६	देशावकाशिक ऋत	२२७
त्रसकाय	१५२, १५५	द्रव्य	१८६
त्रासनक	१४७	द्रव्य-अहिंसा	१८६
त्रिपातना	१४५	द्रव्यदया	१८८
		द्रव्यप्राण	१४१
		द्रव्ययज्ञ	४०
		द्रव्यहिंसा	१४२, १५७
		द्राविड़	१६२
दंतधावनविधि	२१८	द्वे ष	७४
दंतवाणिज्य	२२४		
दया	१७५, १८७, २४४		ध
दर्प प्रतिसेवना	२०६	धन्ना	१६२
दशवैकालिक	१२२	धन्मपद	६७
दशवैकालिक चूणि	१४२	धर्मदान	१६१
दाता	१६०	धर्मोपकरणदान	१६२
दान	१८६, १९२, २६०	धूत	१०२
दानशाला	१६७	धूपविधि	२२०
दावाग्निदापनता	२२४	धृति	१७६
दिव्यवत्	२१७		
दिशापरिमाण	१११		न
दिशापरिमाण-ऋत	२१७		
दीपनिकाय	६०	नंदन	२००
दुःखुति	२२६	नंदा	१७६
दुर्गतिप्रपात	१४६	नंदिनीप्रिय	१११
दुर्बल	२०७	नमस्कारपुण्ड	१६३

नामूराम प्रेसी	१४२	४
नानक	७६	
नारद	३३	पक्षणिक
नारदपुराण	४७	परक्रिया
नित्यर्पिणी	२३१	परदया
निपातना	१४५	परभवसंकारमणकारण
नियतिवाद	१०७	परमार्थ
नियमसार	१२८	परब्रह्मदेश
निरपेक्ष	१४७	पर्वता
निरधारासनिधनगम	१४८	परिह १६६, १७२, २१७, २५७
निरयावलिका	११३	परिहप्रिमाण
निष्ठृण	१४७	परितापनाशब्द
निधीर्म	१४८	परिभोग
निर्मलतर	१८१	परीक्षित
निर्यापना	१४६	पवित्रा
निर्लज्जनकर्म	२२४	पशुव
निर्वाण	१७४	पाणिनि
निर्वृत्ति	१७४	पात्र
निशीथचूडि	२०७, २६१	पात्रवणा
निशीथभाष्य	२०७	पानपुण्य
निशीधिका	१०७	पानीयविधि
निष्कर्षण	१४८	पाप
निष्ठापन	१४६	पापकमोपदेश
निष्ठुर	१६२	पापकोप
निष्पिपास	१४८	पापलोभ
निहोनी	६८	पापोपदेश
नृशंस	१४७	पारजिटर
नेमिचन्द्रसूरि	११४	पारस
नेमिनाथ	१५७	पारसी
नैयायिक	१३३	पारस्कर
न्यासापहार	२१४	पादवस्त्य

पाण्पत	१३३	प्राण	१४०
पार्विमूढ़	१३६	प्राणवध	१४५
पितृपाणा	१०६	प्राणातिपात्-विरमण	२११, २२६
पुण्य	१६३, १६५	प्राणान्तिहोत्रोपनिषद्	११
पुराण	३, ४१		
पुष्पार्थसिद्ध-युपाय	१३०	क	
पुलिद	१६२	फलविधि	११८
पुष्टि	१७६	फिलो	८७
पृथ्विधि	२१६		
पूजा	१८०	ब	
पूता	१८०	बंध	२१२
पूर्व	१०१	बकुश	१६२
पृथ्वीस्थान	५	बर्वर	१६२
पृथ्वीकाय	१४६, १५३	बहलीक	१६२
पेटाच्छूच्च	८५	बहुवेतावाद	५
पेढ़लमुन	१५६	बाल	२०७
पोकण	१६२	बिलबल	१६२
पौष्ठोपवास	१११	बुद्ध	१०
पौष्ठोपवासव्रत	२२७	बुद्धोप	७२
प्रतिक्रमण	१२१, २३४	बुद्धि	१७६
प्रतिभय	१४७	बृहदधर्मपुराण	४८
प्रतिलेखना	११८	बोधि	१७६
प्रत्यारूपान	१२१, २३४	बोधिचर्यवितार	७३
प्रदेशी	१६७	बोद्ध	५६, १३३
प्रभासा	१८०	बौद्ध-शर्म	५६
प्रभाद	६५	बौधायन	२०, २४
प्रभादचर्या	२२६	बौद्धचर्य १०२, २०२, २३१, २४६, २५८	
प्रभादाचरित	२२५	बौद्धपुराण	४५
प्रभोद	१७७	बौद्धयज्ञ	४०
प्रवचनसार	१२५	बौद्धवाद	५
प्रश्नव्याकरण	११२	बौद्धविहार	६७

अनुक्रमणिका	प	म	
प्राह्ण	१३३		
प्राह्णण	१, ११८	मंखलिपुत्र	२००
		मंगल	१७७
		मधुली	७१
भृष्य	२२	मस्त्वपुराण	४५
भृष्यविधि	२२०	मस्त्ववंच	१६२
भगवद्गीता	३६	मनःपुण्य	१६३
भट्टक	१६२	मनु	१३
भद्रबाहु	११४	मनुस्मृति	१२, १३३
भद्रा	१७६	मन्दो-शिर	६८
भयंकर	१४६	मरणवैमनस्य	१४८
भयत्याग	२३०	मरुक	१६२
भयदान	१६०	मलय	१६२
भयोत्पादक	१४७	महती	१७६
भाववत्पुराण	४६	महाकाल	११३
भाटीकर्म	२२४	महात्मार्थी	२३४
भाव-अहिंसा	१८६	महादेव	१३३
भावदया	१८८	महापरिज्ञा	१०२
भावना	१०७, १६२, २२६	महाभय	१४७
भावप्राण	१४१	महाभारत	३, २७
भावविजय	११४	महाराष्ट्र	१६२
भावहिंसा	१४२, १५७	महावीर	१०६, २०४, २६१
भायाजात	१०६	महाव्रत	११७
सूत	१५६	महावत्क	१११
सूम्यलीक	२१४	महूर	१६२
मेद	१४६, १६२	मांस	१३, ७१
ओगोपनोगपरिमाणद्रव्य	२१८	मांसग्रस्ण	१३
ओजन	२२२	मांसाहार	१३, ८३
ओजनविधि	२२०	मात्स्य	२२८
अमविघ्नस्तन	१६५	माषुकरविधि	२२१

मानव-सूत्र-वरण	१३	युधिष्ठिर	२८
मारण	१४५	मूरप	८
मालब	१६२	येनी-शिकी	६८
मुास	१६२	योग	५२, १८४
मीमांसा	५३	योगसूत्र	५३
मुदिता	७३		
मुरंड	१६२		८
मुहम्मद	६०	रक्षा	१७७
मूलगुण	२१०	रति	१७५
मूलाचार	१३१	रलकरण-उपासकाध्ययन	१३६, २११
मृत्यु	१४६	रलकरण-श्रावकाचार	१३८
मृषावाद-विरमण	२१३, २३०	रसवाणिज्य	२२४
मेरी	८६	रस्तिकन	३६६
मंत्रायणी	६	राखस	६
मंत्री	७३	राजीमती	११७
मंत्री-मावना	६५	रात्रिभोजन-विरमणवत	२३१
मैथुन	२१५	रामानुज	५६
मोजेज	८५	रामायण	३, २५
मोहमहाभयप्रवर्तक	१४८	रायचन्दभाई	२३६
मौदुदी	६२	रङ्गबाद	२४३
मौष्टिक	१६२	रूप	१०७
		रुक्ष	१६२
य		रोग	२०७
यंत्रपीडनकर्म	२२४	रोम	१६२
यजुर्वेद	३	रोमक	१६२
यज्ञ ८, २३, ६४, ११८, १७६, २५०, २५६		रौद्र	१४७
यत्न	१७६		
यथासंविभाग	२२८		८
यवन	१६२	लक्ष्मीवल्लभ	११४
यहूदी	८४	लज्जादान	१६०
यास्क	५	लविष	१७७

लग्नपूर्ण	१६३	वायुपुराण	४१
लाक्षोत्से	६३	वाल्मीकि	२५
लाक्षवाणिज्य	२२४	वाहन	२२२
ली	६३	विचलण	३२
लृहसितक	१६२	विजयघोष	११७
लेश्या	१२०	विधि	१२६
लोकवाद	१०७	विनयपिटक	६६
लोकविज्य	१०२	विनयहंस	११४
लोकसार	१०२	विनाम	१४६
लोपना	१४६	विसृति	१७७
लोभ-स्थाग	२३०	विमल	१८०
		विसृक्ति	१०७, १७५
व		विमोक्ष	१०२
		विरति	१७५
वंदन	१२१	विराघना	१४६
वदना	२३८	विरोधी	१४४
वचनपूर्ण	१६३	विलेपनविधि	२१६
वट्टकेराचार्य	१३१	विशिष्टदृष्टि	१७७
वध	२१२, १४५	विशुद्धि	१६७
वनस्पतिकाय	१५१, १५४	विशुद्धिमार्ग	७२
वनकर्म	२२३	विवामित्र	३२
वर्ज्य	१४६	विवास	१७६
वर्ण	१३	विषवाणिज्य	२२४
वस्त्वमाचार्य	५८	विष्णु	५, १३३
वशिष्ठ	२४	विष्णुपुराण	४२
वसुनंदि-श्रावकाचार	२११	विसुद्धिमार्ग	७२
वस्त्रपूर्ण	१६३	वृद्ध	२०७
वस्त्रविधि	२१६	वृद्धि	१७६
वस्त्रैथणा	१०६	वेद	३
वाणीविवेक	२३०	वेदान्त	१०, ५५
वायुकाय	१५१	वैदिक परम्परा	३

वैशेषिक	१३३	शिवपुराण	४८
व्यवसाय	१७६	शीतोष्णीय	१०२
व्याघ	१६२	शौल	१७८, ११२
व्युपरमण	१४६	शीलगृह	१७८
		शुचि	१८०
		शु-लियांग-हो	६४
श		शैव	१३३
		शीकरिक	१६२
	५६	अमण	२५६
	१६२	अमणघर्म	२२८
शकटकर्म	२२४	अमणाचार	२०६, २२८
शतपथब्राह्मण	७	आद्व	२३
शब्द	१०७	आवक	२१०, २५६
शयनपूण्य	१६३	आवकाचार	२०६, १३०
श्वर्यंभव	१२२	श्रीभाष्य	५६
श्वासन	२२२	श्रुताग	१७५
श्वर्येषणा	१०६	श्रोणिक	१२३
श्वलपरित्रा	१०२	श्रीत	२०
शाङ्किल्योपनिषद्	१२		
शाति	१७४		प
शातिदेव	७३	षटकाय	१४६
शातिपर्व	२६	षडावश्यक	२३४
शांतिसूरि	११४		
शाकविधि	२२१		स
शाकुनिक	१६२		
शार्पटियर	११४	संकल्पी	१४४
शालिनीप्रिय	१११	संक्षेप	१४६
शालिभद्र	१६२	संग्रहदान	१६०
शितो	६८	संघ	२०७
शिवाश्रत	२२६	संडासी	१६२
शिव	१७८	संघिकरण	२१४

संप्रवर्तक	१५६	सास्यतत्वकीयुदी	५३
सधम	१७८	सौंप	१६२
समुत्तिनिकाय	६३	सामवेद	१३३
संरंभ	१४४	सामायिक	१११, १२१, २३४
संलेखना	११२	सामायिकवत्	२२७
सबर	१७८	साहसिक	१४७
सहिता	३	सिष्टु-सम्भवा	३
सकडालपुत्र	२००	सिंहल	१६२
सचित्तनिकेय	२२८	सिक्ख	७५
सचित्तपिधान	२२८	सिक्खघर्म	७५
सचित्तप्रतिबद्धाहार	२२३	सिद्धावस्था	१७७
सचित्ताहार	२२२	सुकाल	११३
सत्य १११, २०२, २३७, २४७, २५८	२५८	सुखलाल	१८८
सत्यव्रत	२३०	सुत्तनिपात	६६
सत्याग्रह	२४६, २५४	सुशा	६०
सद्गालपुत्र	१११	सुरादेव	१११
सद्मर्ममठन	१६५	सूत्र	२०
सफा	६७	सूत्रकृताग	१०७, १४३
समयसार	८२७	सूपविधि	२२१
समाधि	१७४	सूफ	६६
समारभ	१४४	सूफी	६६
समिति	१७८, २३२	सूर्य	५
समीक्षीन धर्मशास्त्र	२११, २२६	स्त्रेय	१६६, १७०, २५७
समृद्धि	१७६	स्थलचर	१६२
सम्बन्ध	१०२	स्विति	१७६
सम्बन्धत्वा राधना	१७६	स्नान	१०७
सरोहृदयतडागशोषणता	२२४	स्नानविधि	२१६
सविता	५	स्फोटीकर्म	२२४
सांख्यायन	२०	स्मार्त	२०
सांस्कृ	५३, १३३	स्मृति	३, १२

स्पाद्धाद	२०३	हर्षकुल	११४
स्वदया	१८८	हस्तितापस	१५६
स्वदारसंतोष	१११, २१५	हास्य-त्याग	२३०
स्वदेशी	२५२	हिंसक	१५५
स्वाहिसा	१४८	हिंसा १४०, १४२, १६६, २३६, २४०	
स्वार्थ	२४१	हिंसादान	२२६
		हिंस्य	१५५
		हिंस्यविर्भिंहिंसा	१४५
		हिंसप्रदान	२२५
हनन	१४५	हिंसण्यकेशी	२०
हरिजन	२५३	हृण	१६२

• १०८ •

अभिमत

अहिंसा सामाजिक जीवन का केवल एक नेतृत्व भाव ही नहीं, अपितु एक मौलिक सिद्धान्त है, एक जीवन-दर्शन है। अतएव उसका मल्यांकन धर्म-परंपराओं के चन्द्र स्थूल आचार-व्यवहारों पर से निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसके लिए चिन्तन की काफी गहराईयों में उतरना होता है। यही कारण है कि भारतीय तत्त्व-चिन्तन के चिदाकाश में अहिंसा की विवेचना के नये-नये सितिज खुलते रहे हैं, और इस प्रकार अहिंसा के आयाम विस्तृत एवं विस्तृतर होते गए हैं।

अहिंसा जैन दर्शन का तो प्राणतत्त्व ही है। जैन विचार एवं आचार का प्रत्येक दृष्टिबिन्दु धूम फैर कर अन्ततः अहिंसा पर ही आकर कन्द्रित होता है। एक तरह से जैन दर्शन और अहिंसा दर्शन एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। जैन चिन्तकों के द्वारा अतीत में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सरचनाएं एक मात्र अहिंसा पर ही हुई हैं। अतीत ही नहीं, वर्तमान में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है। जीवन-व्यवहार के हर अंग-प्रत्यंग पर अहिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, अहिंसा का क्षेत्र कितना व्यापक एवं विस्तृत है, और वह किस तरह जीवन की गहराई में उतारा जा सकती है, इसकी लोकग्राह्य विवेचना अनेक ग्रन्थों में हुई है, जिस पर आज का बौद्धिक जगत् आश्चर्य एवं सात्त्विक आनन्द की अनुभूति करता है। डा० विशिष्ट नारायण सिन्हा की जैन अहिंसा से सम्बन्धित प्रस्तुत शोध-रचना भी इसी शूखला की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है जिसपर हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने उन्हे पी-एच० डी० की उपाधि से अलंकृत किया है।

डा० सिन्हा के विद्वत्तापूर्ण चिन्तन का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत शोष-प्रबन्ध में स्पष्टतः परिलक्षित होता है। उन्होंने अहिंसा-सम्बन्धी चिन्तन-धारा में विस्तृत एवं गहरा अवगाहन किया है। केवल अतीत मुग का चिन्तन ही नहीं, उनकी अपनी भी कुछ ऐसी मौलिक उद्भावनाएँ हैं, जो अहिंसा की महत्ता पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वर्तमान में अहिंसा पर इतना व्यापक, साय ही प्रामाणिक विवेचन एवं समीक्षण शोष-प्रबन्ध के रूप में संभवतः पहली बार ही प्रस्तुत हुआ है। विद्वान् लेखक ने शोष-प्रबन्ध के माध्यम से अपनी अध्ययनशीलता, कठोर अथवा, लगन, सूझ-बूझ एवं प्रतिभा का आकर्षक परिचय देने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है, अतः वह प्रबुद्ध मनोविगंग की ओर से शतव्यः साष्ठुवादाहूँ है।

उपाध्याय अमर मुनि

डॉ० बशीष नारायण सिन्हा लिखित 'जैनधर्म में अहिंसा' पुस्तक में प्रतिपाद्य विषय का सर्वांगपूर्ण अनुशीलन किया गया है। लेखक ने देश-विदेश की सभी धार्मिक परम्पराओं में अहिंसा-संबंधी विचारों को खोजने का प्रयत्न किया है, और उनके परिप्रेक्ष्य में जैनधर्म के अहिंसा-सिद्धान्त का विस्तृत, प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है। भारतीय धर्म-चेतना में अहिंसा को विशेष स्थान दिया गया है। 'महाभारत' और 'योगसूत्र' जैसे हिन्दू ग्रन्थों में तथा बौद्धों के धार्मिक-दार्शनिक साहित्य में भी, अहिंसा को धर्म का मूल अथवा प्रधान रूप घोषित किया गया है। किन्तु हिन्दूधर्म में अहिंसा की शुरू से वैसी मान्यता न थी। बैदों अथवा ग्राह्यण ग्रन्थों के कम्काण्ड-परक धर्म में हिंसा का ऐकान्तिक निषेध नहीं था। बाद में सांख्यदर्शन तथा वैष्णव अथवा भागवत-सम्प्रदाय में हिंसा का उग्र विरोध किया गया। निश्चय ही इस परिवर्तन के पीछे श्रमण-परम्परा का प्रभाव रहा।

‘महाभारत’ में कहा गया है कि धर्म का उपदेश भूत-प्राणियों की हिंसा रोकने के लिए ही है (अहिंसाथं हि सूतानां धर्म-प्रवचनं कृतम्)। आधुनिक काल में हिन्दूधर्म के प्रमुख परिषद्गताँ और देश के महान् नेता गांधीजी ने अहिंसा को अपने जीवन-दर्शन का प्रधान स्तम्भ घोषित किया। भारतीय धर्मों की किसी भी परम्परा में अहिंसा के बल एक निषेधयमलक सिद्धान्त ही नहीं है; उसका एक भावात्मक पक्ष भी है जिसके अनुसार हमें समस्त जीवित प्राणियों का हित-चिन्तन करना चाहिए। गांधीजी ने प्रकारान्तर से धर्म को दरिद्र-नारायण की सेवा से सम्पूर्छ किया है।

वास्तव में अहिंसा की शिक्षा के पीछे एक तत्त्वदर्शन है। मनुष्य दूसरों का अहित करके भी अपना हित - साधन करना चाहता है। इस प्रकार सब तरह के अनाचार और अधर्म के मूल में गलत कोटि का आत्म-प्रेम है। कहा गया है कि मनुष्य को सब भूत-प्राणियों में आत्मवत् बरतना चाहिए; इसे स्वीकार करने पर ही मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से सचमुच विरत हो सकता है। जब तक मनुष्य अपने जीवन और स्वार्थों को दूसरों से अधिक महत्व देता है तब तक वह पूर्णतया धार्मिक अथवा अहिंसा का पालन करनेवाला नहीं बन सकता।

डॉ० सिन्हा ने ग्रंथ को बड़े परिश्रम से तैयार किया है। उन्होंने अहिंसा से सम्बद्ध जेन साहित्य का तो विस्तृत अध्ययन किया ही है, हिन्दू परम्परा का भी सटीक विवरण प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा प्राञ्जल और शैली स्पष्ट एवं सुबोध है। यह पुस्तक निश्चय ही अहिंसा के जिज्ञासुओं तथा हिन्दी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण देन है।

प्र० न० कि० देवग्राज
निदेशक,
उच्चानुशीलन दर्शन केन्द्र
काशी विश्वविद्यालय

I have read with great pleasure the work entitled "Jaina Dharma Men Ahimsa" written by Dr. Bashistha Narayan Sinha, M. A., Ph. D. It was submitted by him for Ph. D. degree of Banaras Hindu University. The problem of Ahimsa, non-injury to living beings has been approached from various angles of vision. Though professedly the subject is confined to the Jain religion which is conspicuous for its scrupulous observance of this ethical discipline, it has been shown by the author that almost all religions of the world including Vedic religion, Buddhism, Zoroastrianism, Judaism, Christianity lay considerable stress on the observance of this principle of conduct. Brahmanism and Buddhism are noted for their expositions of Ahimsa, as motivated by love and sympathy and benevolence. Gandhiji's conception of Ahimsa covers a wider scope and is intimately connected with Truth and universal Love. These religions and ethical speculations have been succinctly surveyed in this work. The book is noted for its thoroughness and wide range. It must be regarded as an original contribution. The study of this stimulating work will be rewarding and the reader's conception and thought will be enlarged by the array of facts and information culled together with critical judgement. I wish wide circulation of this esteemed work of research both to laymen and scholars.

Prof. Satkari Mookerjee
M. A., Ph. D.

Retired Asutosh Professor of Sanskrit,
Calcutta University.

Ex-Director,
Nava Nalanda Mahavihar.

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० १३२ सितं
लेखक सिन्हे वाचीष्ठनायण
शीर्षक जैन व्यामि भौद्रस्य
संग्रह क्रम संख्या ५००६
===== | वापसी का